ए.

मनोज और ओआरएस।

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2015 की आपराधिक अपील संख्या 248-250)

बी.

20 मई, 2022

[उदय उमेश ललित**,** एस**.** रवींद्र भाट और बेला। एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

सजा/सजा-दंड संहिता, 1860।302, 397 – ट्रिपल मर्डर, डकैती के दौरान-तीन आरोपी-विचारण न्यायालय ने आरोपी-अपीलार्थी यू/एस को दोषी ठहराया।302 आई. पी. सी. और उन पर मृत्युदंड लगाया-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ही संबंधित स्तर पर अभियुक्त को एक प्रभावी सजा सुनाने की सुनवाई प्रदान करने में विफल रहे जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत एक अधिकार है-जिस अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया था, वह जघन्य था, और उसका निष्पादन क्रूर और क्रूर था-एक ओर मृतक में से दो की बार-बार छुरा घोंपना और दूसरी ओर पीड़ितों की रक्षाहीन स्थिति इस बात पर प्रकाश डालती है कि आरोपी तीन महिलाओं को खत्म करने के बाद लूट की अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे-साथ ही, घटना के समय अभियुक्त की कम उम्र और आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-अभियोजन मामला किसी भी वास्तविक उद्देश्य पर चुप है जो हो सकता है।एस. 27.

सी.

डी.

ई.

एफ.

आपराधिक मुकदमा-मौत की सजा-कब दी जानी है-चर्चा-यह निर्धारित करने के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है कि क्या कोई मामला मौत की सजा का हकदार है-पहला, कि मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' श्रेणी से संबंधित है, और दूसरा, कि आजीवन कारावास का विकल्प पर्याप्त नहीं होगा-पहले चरण के लिए, गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों की पहचान करनी होगी और समान रूप से विचार करना होगा-दूसरे के लिए, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या आजीवन कारावास का विकल्प निर्विवाद था क्योंकि सजा का सुधार का उद्देश्य असंभव था, जिसके लिए राज्य को सामग्री प्रदान करनी चाहिए।

जी.

एच.

452

453

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य ए

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-परीक्षण पहचान परेड-टी. आई. पी. गवाहों की सत्यता और अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करने की उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए होती है-टी. आई. पी. जल्द से जल्द आयोजित की जानी चाहिए ताकि पहचान परेड से पहले गवाहों को आरोपी को दिखाए जाने की संभावना को समाप्त किया जा सके, जो अन्यथा ऐसे गवाहों की स्मृति को प्रभावित कर सकता है-कानून का कोई भी प्रावधान आरोपी को टी. आई. पी. को अधिकार के रूप में दावा करने में सक्षम नहीं बनाता है-टी. आई. पी. को लागू करने में देरी या विफलता सबूत को अस्वीकार्य या अस्वीकार्य नहीं बनाती है, हालांकि यह ऐसी पहचान से जुड़ी विश्वसनीयता और वजन को प्रभावित करता है।

बी.

साक्ष्य अधिनियम, 1872-परिस्थितिजन्य साक्ष्य-साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए लागू सिद्धांत-परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायालयों का सही दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि कथित परिस्थितियां पूरी तरह से स्थापित हों-इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए-परिस्थितियां निर्णायक और ऐसी प्रवृत्ति की होनी चाहिए कि वे ऐसी हों कि वे हर परिकल्पना को बाहर कर दें, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है।

सी.

डी.

आपराधिक मुकदमा-अभ्यास और प्रक्रियाएं-एक तथ्य बताने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाह को छोड़ना-इसका प्रभावःअभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों द्वारा किसी विशेष तथ्य का उल्लेख करने या किसी चीज की पुष्टि करने में चूक, जिसे अन्य गवाहों द्वारा गवाही दी जाती है, वास्तव में एक आरोपी के पक्ष में नहीं है-हालाँकि, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या किसी तथ्य के बारे में गवाही देने में चूक इतनी मौलिक है कि अभियोजन पक्ष का संस्करण अस्थिर और अविश्वसनीय हो जाता है।

ई.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 24-आपराधिक मुकदमे में लोक अभियोजक की भूमिका-लोक अभियोजक उच्च सम्मान का एक वैधानिक कार्यालय रखता है-वे जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण हैं जो न्यायालय के अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं-लोक अभियोजक की भूमिका स्वाभाविक रूप से एक निष्पक्ष मुकदमे के संचालन के लिए समर्पित है न कि 'दोषसिद्धि में मामले तक पहुंचने की प्यास' के लिए।

एफ.

जी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।172, 173 – केस डायरी का रखरखाव अनिवार्य-पुलिस के पास स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से जांच करने की शक्ति है, जिसके दौरान, एक डायरी बनाए रखना अनिवार्य है जिसमें दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही को घटनाओं के समय, देखे गए स्थानों, प्रस्थान और वापस रिपोर्ट करने, दर्ज किए गए बयानों आदि के विशिष्ट उल्लेख के साथ दर्ज किया जाना है।

एच.

न्यायालय को जांच या मुकदमे के उद्देश्य से धारा 172 (2) के तहत इन डायरियों को बुलाने का अधिकार है।धारा 173 (3) यह स्पष्ट करती है कि अभियुक्त उन्हें पढ़ने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि पुलिस स्वयं अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए उस पर भरोसा नहीं करती है या यदि न्यायालय पुलिस अधिकारियों की गवाही का खंडन करने के लिए इसका उपयोग करती है।

आपराधिक मुकदमा-कला पर स्थापित आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत।20 और संविधान की धारा 21 में न केवल जांच एजेंसी बल्कि अपने स्वयं के स्वतंत्र क्षेत्र में अदालतों से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जांच निष्पक्ष है और व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालती है, सिवाय कानून के अनुसार, यानी कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करना।

बी.

सी.

आपराधिक मुकदमा-कम करने वाली परिस्थितियों को एकत्रित करने के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश- विचारण न्यायालय को अभियुक्त और राज्य दोनों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए-राज्य को मृत्युदंड देने वाले अपराध के लिए-उचित स्तर पर, ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जो अधिमानतः पहले से एकत्र की गई हो, सत्र न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के मनोरोग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का खुलासा करते हुए-इससे अभियुक्त व्यक्ति की मनोदशा से निकटता स्थापित करने में मदद मिलेगी-राज्य को समयबद्ध तरीके से अभियुक्त से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एकत्र करनी चाहिए-अभियुक्त के जेल आचरण और व्यवहार, अभियुक्त द्वारा स्वयं को शामिल करने की गतिविधियों के बारे में जानकारी, और अन्य संबंधित विवरण संबंधित जेल अधिकारियों से एक रिपोर्ट के रूप में मांगे जाने चाहिए।

डी.

ई.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-सजा-संबंधित स्तर पर अभियुक्त को एक प्रभावी सजा सुनना एस के तहत एक अधिकार है।235(2).

एफ.

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.**सुधार का लक्ष्य आदर्श है**,** और समाज को किस दिशा में प्रयास करना चाहिए**-**दशकों से इस अदालत के न्यायशास्त्र में इसके कई संदर्भ हैं**-**लेकिन एक ठोस ढांचे की कमी है जो इसे माप और मूल्यांकन कर सकता है।दुर्भाग्य से**,** यह एक सार्थक प्रकार के जेल सुधारों को लागू करने में विफलता से प्रतिबिंबित होता है**,** जिसने कारावास और सामान्य रूप से जेलों की प्रक्रिया को प्रणालीगत सुधार के लिए सीमित क्षमता का स्थान बना दिया है।सुधारात्मक दंड के लक्ष्य के लिए ऐसी प्रणालियों की आवश्यकता होती है जो सूक्ष्म नीति निर्माण के परिणामस्वरूप सुधार और पुनर्वास को सक्रिय रूप से सक्षम बनाती हैं।एक छोटे ए के रूप में

जी.

एच.

455

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य ए

इन विषम परिणामों को ठीक करने के लिए कदम उठाने और इस बात के बेहतर मूल्यांकन के लिए कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने की संभावना है **(**आचरण**,** पारिवारिक पृष्ठभूमि

आदि के अस्पष्ट संदर्भों से परे**),** अदालतों को अपनाने और लागू करने के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है**,** जब तक कि विधायिका और कार्यपालिका कानून के माध्यम से एक सुसंगत ढांचा तैयार नहीं करती है।ये दिशानिर्देश मार्गदर्शन या विचार भी प्रदान कर सकते हैं**,** जिससे इस तरह के विधायी ढांचे को लाभ हो सकता है**,** ताकि कम करने वाली परिस्थितियों पर व्यवस्थित रूप से जानकारी एकत्र और मूल्यांकन किया जा सके।**[**पैरा **212] [573-**ई**-**एच**]**

बी.

2.1.यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि अपराध की क्रूरता के प्रति प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया में फिसलने से बचने के लिए परीक्षण चरण में कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया जाए**,** जैसा कि अपीलीय चरण तक पहुंचने वाले अधिकांश मामलों में स्थिति है।ऐसा करने के लिए**,** निचली विचारण न्यायालय को आरोपी और राज्य दोनों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।राज्य को**-**मृत्युदंड देने वाले अपराध के लिए**-**उचित स्तर पर**,** सत्र न्यायालय के समक्ष ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जो अधिमानतः पहले से एकत्र की जाती है**,** जिसमें अभियुक्त के मनोरोग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का खुलासा किया जाता है।यह अपराध करने के समय आरोपी व्यक्ति के मन के ढांचे **(**या मानसिक बीमारी**,** यदि कोई हो**)** के साथ निकटता **(**समय सीमा के संदर्भ में**)** स्थापित करने में मदद करेगा और बचन सिंह में बताए गए कारकों **(1), (5), (6)** और **(7)** को कम करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।यहां तक कि **(3)** और **(4)** के अन्य कारकों के लिए भी**-**अपराध के होने के बाद मनोचिकित्सा और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के इस रूप का संचालन करने की जिम्मेदारी राज्य पर पूरी तरह से रखी गई है**,** अपीलीय अदालतों को तुलना के लिए उपयोग करने के लिए एक आधार रेखा प्रदान करेगी**,** यानी**,** सुधार की दिशा में अभियुक्त की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए**,** जो कारावास की अवधि के दौरान हासिल की गई थी।**[**पैराः**213** और **214] [574-**बी**-**ई**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

2.2.राज्य को समयबद्ध तरीके से अभियुक्त से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एकत्र करनी चाहिए।एक सचित्र**,** लेकिन विस्तृत सूची इस प्रकार हैः**(**क**)** आयु**;**ख**)** प्रारंभिक पारिवारिक पृष्ठभूमि **(**भाई**-**बहन**,** माता**-**पिता की सुरक्षा**,** हिंसा या उपेक्षा का कोई भी इतिहास**);**ग**)** वर्तमान पारिवारिक पृष्ठभूमि **(**परिवार के जीवित सदस्य**,** चाहे वे विवाहित हों**,** उनके बच्चे हों**,** आदि।**;** **(**घ**)** शिक्षा का प्रकार और स्तर**;**ई**)** सामाजिक**-**आर्थिक पृष्ठभूमि **(**स्थितियों सहित**)**

जी.

एच.

456 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

गरीबी या अभाव, यदि कोई हो।);च) आपराधिक पृष्ठभूमि (अपराध का विवरण और क्या दोषी ठहराया गया है, सजा सुनाई गई है, यदि कोई हो);छ) आय और रोजगार का प्रकार (चाहे कोई न हो, या अस्थायी या स्थायी आदि);ज) अन्य कारक जैसे अस्थिर सामाजिक व्यवहार का इतिहास, या मानसिक या मनोवैज्ञानिक बीमारी (ओं), व्यक्ति का अलगाव (कारणों, यदि कोई हो) आदि। यह जानकारी सजा सुनाने के चरण में अनिवार्य रूप से निचली विचारण न्यायालय को उपलब्ध होनी चाहिए।अभियुक्त को भी सभी कम करने वाली परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए खंडन में सबूत पेश करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।[पैरा **215] [574-**ई-एच; **575-**ए-सी]

बी.

2.3 अभियुक्त के जेल आचरण और व्यवहार, किए गए कार्य (यदि कोई हो), अभियुक्त द्वारा की गई गतिविधियों और अन्य संबंधित विवरणों के बारे में जानकारी संबंधित जेल अधिकारियों (यानी परिवीक्षा और कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक, आदि) से एक रिपोर्ट के रूप में मांगी जानी चाहिए।).यदि निचली अदालत की दोषसिद्धि, या उच्च न्यायालय की पुष्टि, जैसा भी मामला हो, के लंबे अंतराल के बाद अपील की सुनवाई की जाती है, तो अभियुक्त द्वारा की गई समकालीन प्रगति की अधिक सटीक और पूरी समझ के लिए जेल अधिकारियों से एक नई रिपोर्ट (पिछली अदालत द्वारा उपयोग की गई रिपोर्ट के बजाय) की सिफारिश की जाती है।जेल अधिकारियों को एक नई मनोरोग और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट भी शामिल करनी चाहिए जो सुधारात्मक प्रगति का सबूत देगी, और दोषसिद्धि के बाद की मानसिक बीमारी, यदि कोई हो, का खुलासा करेगी।[पैरा **216] [575-**सी-ई]

सी.

डी.

ई.

3.1.तत्काल मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि तीनों अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध क्रूर और विचित्र था।तीन रक्षाहीन पीड़ित अलग-अलग आयु वर्ग **(22,46,76** वर्ष) की महिलाएं थीं, जिन्हें सुरक्षा के अभाव में पकड़ा गया और गंभीर रूप से शारीरिक रूप से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, उनके अपने घर की सुरक्षा और आराम में।पीडब्लू**-1** के परिवार की महिलाओं की तीन पीढ़ियों की हत्या करना, निस्संदेह, विचित्र है।अपराध का तरीका भी क्रूर और दयनीय था-अश्लेषा और रोहिणी को बार-बार चाकू मारकर मार दिया गया था, जबकि मेघा को चेहरे पर गोली मार दी गई थी।

पोस्टमॉर्टम **(Ex.** पी**44)** दर्शाता है कि छुरा घोंपने के घाव व्यापक थे**-**पीड़ित के शरीर पर। अपराध ए में व्यापक रक्तस्राव

एफ.

जी.

एच.

457

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य ए

यह दृश्य आगे तीन महिलाओं के खिलाफ क्रूर और अमानवीय तरीके से हमले को दर्शाता है। निःसंदिग्ध रूप से इस अपराध को "अत्यंत क्रूर**,** विचित्र**,** शैतानी**,** विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से वर्णित किया जा सकता है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा किया जा सके" जैसा कि माची सिंह ने परिभाषित किया है।ये परेशान करने वाली परिस्थितियाँ हैं। बचन सिंह परीक्षण के आवेदन पर **(**जैसा कि कई निर्णयों में स्पष्ट और समझाया गया है**),** हालांकि**,** कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है **(**और वह भी**,** उदारता से और व्यापक रूप से**)**।**[**पैरा **218** और **219] [576-**सी**-**जी**]**

बी.

3.2.यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ही संबंधित स्तर पर अभियुक्त को प्रभावी सजा सुनाने में विफल रहे**,** जो कि कई मामलों में इस अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा **235 (2)** के तहत एक अधिकार है।वास्तव में**,** अभियुक्तों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि निचली विचारण न्यायालय ने इस विचारण न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करते हुए सजा पर लगभग तुरंत सुनवाई शुरू कर दी थी**,** जिससे अभियुक्त को कम कठोर सजा के लिए अपना मामला रखने का अवसर नहीं मिला था। सजा सुनाने पर निचली विचारण न्यायालय का आदेश**,** पारित करने में रिकॉर्ड**-**'कम उम्र' और 'सामाजिक**-**आर्थिक कारकों' की याचिका को कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में**,** लेकिन सबसे अच्छा**,** उसी के एक यांत्रिक विचार को दर्शाता है।अपराध की क्रूरता और "सामूहिक और न्यायिक विवेक के सदमे" से प्रेरित होकर**,** उच्च न्यायालय ने अपराधी की परिस्थितियों को कम करने के नगण्य विचार के साथ**,** केवल अपराध की बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर मृत्युदंड लगाने की पुष्टि की।यह बचन सिंह का सीधा उल्लंघन है।**[**पैरा **223] [578-**बी**-**ई**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

3.3.अपीलार्थियों को जिस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, वह जघन्य है; इसका निष्पादन किसी भी तरह की कल्पना से क्रूर और क्रूर था।अपीलार्थियों द्वारा फ्लैट में प्रवेश करने और प्रतिरोध का सामना करने पर तीन महिलाओं पर हमला करने का छल सुनियोजित और निर्दयी था।एक ओर मृतकों में से दो को बार-बार चाकू मारना, लगभग उन्माद में, और दूसरी ओर पीड़ितों की रक्षाहीन स्थिति, इस बात को उजागर करती है कि आरोपी तीन पीढ़ियों की महिलाओं को खत्म करने के बाद अपनी योजनाओं (लूट की) के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ितों में से दो ने विरोध किया है, अगर कोई देखे तो

जी.

एच.

उनके हाथों और चेहरे सहित पूरे शरीर पर छुरा घोंपने के घाव।वे निहत्थे और कमजोर थे।साथ ही, घटना के समय आरोपी की कम उम्र (क्रमशः **35,20,22)** और आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी (मनोज के मामले को छोड़कर, जो कथित रूप से छोटी चोरी के मामले में शामिल था) को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला किसी भी वास्तविक उद्देश्य पर चुप है जिसने तीनों अभियुक्तों को डकैती के अलावा हत्या के लिए पूर्व-योजना बनाने के लिए उकसाया या प्रेरित किया हो सकता है।यह इस तथ्य के साथ कि अपराध के दौरान राहुल के पैर में गोली लगी थी, इंगित करता है कि शायद यह मान लेना उचित है कि वे लूटपाट की गलत स्थिति में शौकिया थे, जो इन तीन महिलाओं की जान लेने का इरादा नहीं रखते थे।यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लूटने का साहस करने के बाद, शायद उन्होंने पीड़ितों द्वारा किए गए प्रतिरोध पर विचार नहीं किया, जिसके कारण वे अपनी योजना को जारी रखने के लिए उस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित हुए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित कहानी बताने के लिए जीवित न रहें।**[**पैरा **224** और **225] [578-**डी-एफ; **579-**ए-डी**]**जेल अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि तीनों अभियुक्तों में से प्रत्येक के पास जेल में समग्र रूप से अच्छे आचरण का रिकॉर्ड है और सुधार के प्रति झुकाव प्रदर्शित करता है।यह स्पष्ट है कि जेल में रहते हुए उन्होंने पहले ही अपने और अपने आस-पास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, जो उनकी कम उम्र के साथ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वास्तव में सुधार की संभावना है।कुल मिलाकर सभी परिस्थितियों पर विचार करने पर, यह पाया गया है कि आजीवन कारावास का विकल्प निश्चित रूप से बंद नहीं किया गया है।वर्तमान मामले में मृत्युदंड का अधिरोपण अनुचित होगा। यह उचित होगा और न्याय के समग्र हित में तीनों अभियुक्तों की मौत की सजा को न्यूनतम **25** वर्ष की अवधि के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित करना उचित होगा।**[**पैरा **226** और **228] [579-**डी-ई; **580-**ए-बी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1980) 2** एस**.** सी**.** सी**. 684;** माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**, [1983]** एस**.** सी**.** आर**. 3 413;** शरद बर्डीचंद सारदा बनाम पंजाब राज्य **(1980) 2** एस**.** सी**.** सी**. 684;** माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**, [1983]** एस**.** सी**.** आर**. 3 413;** शरद बर्डीचंद सारदा बनाम पंजाब राज्य **(1980) 2** एस**.** सी**.** सी**. 684;** माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**, [1983]** एस**.** सी**.** आर**. 3 413;** शरद बर्डीचंद सारदा बनाम पंजाब राज्य**, [1983]**

जी.

महाराष्ट्र (1984) 4 एससीसी 116:[1985] 1 एससीआर 88;

अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2014) 4** एससीसी **69:[2014] 3** एस**.** सी**.** आर**. 34** और राजेश कुमार बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**)**

(2011) 13 एस**.** सी**.** सी**. 706-**पर निर्भर।

एच.

459

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य ए

ए.

उमेश तुकाराम पडवाल और अन्न बनाममहाराष्ट्र राज्य (2019) 8 एस. सी. सी. 567; लाल सिंह और अन्य बनाम यू. पी. राज्य 2003 (12) एस. सी. सी. 554; मुथुस्वामी बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 4; मोहम्मद अब्दुल हफीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1983) 1 एस. सी. सी. 143; मोहम्मद।अमन और एन. आर. वी.राजस्थान राज्य (1997) 10 एस. सी. सी. 44; चंद्रन @सुरेंद्रन

बी.

& एन. आर. वी.केरल राज्य (1991) पूरक (1) एस. सी. सी. 39; नूर आगा बनाम पंजाब राज्य (2008) 16 एस. सी. सी. 417:[2008] 10

एस**.** सी**.** आर**. 379;** चुनथुराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **(2020)**

10 एससीसी 733:[2020] 8 एससीआर 1071; रीना हजारिका बनाम असम राज्य (2019) 13 एससीसी 289:[2018]

13 एस**.** सी**.** आर**. 1108;** सुरेश सखारंब नंगरे बनाम राज्य

सी.

महाराष्ट्र (2012) 9 एससीसी 249:[2012] 7 एससीआर 1186;

आंध्र प्रदेश राज्य बनामडॉ. एम. वी. रमना रेड्डी और

ओआरएस (1991) 4 एससीसी 536:[1991] 3 एससीआर 600; राजेश

गोविंद जागेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1999) 8** एससीसी

428 :[1999] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 277;** मात्रु @गिरीश

डी.

चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1971) 2** एस**.** सी**.** सी**. 75:[1971] 3** एस**.** सी**.** आर**. 914;** प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1956** एस**.** सी**. 415;** बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य **1996 (6)** स्केल **72;** हरि ओम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2021) 4** एस**.** सी**.** सी**. 345;** स्मूसा पटेल बनाम गुजरात राज्य **(2011) 2**

एससीसी 198:[2011] 2 एस. सी. आर. 121; पूरन बनाम पुंजा राज्य

ई.

ए**.** आई**.** आर**. 1953** एस**.** सी**. 459** दरिया सिंह बनाम पंजाब राज्य **[1964] 7** एस**.** सी**.** आर**. 397;** जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2009) 9**

एससीसी 719:[2009] 13 एससीआर 774; मलखान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। (2003) 5 एससीसी 746:[2003] 1 पूरक।एससीआर 443;

रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य (1978) 3 एस. सी. सी. 86:[1978] 3 एस. सी. आर. 694; श्यामलाल घोष बनाम पश्चिम राज्य

एफ.

बंगाल (2012) 7 एस. सी. सी. 646:[2012] 10 एस. सी. आर. 95; दिल्ली (2018) के सोनवीर बनाम राज्य (एन. सी. टी.) 8 एस. सी. सी. 24:[2018] 7

एससीआर **830;** आशीष जैन और ओआरएस**.** वी**.**मकरंद सिंह **(2019)**

3 एससीसी 770:[2019] 1 एससीआर 345; हरि ओम @हीरो बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 4 एस. सी. सी. 345; धरम देव यादव बनाम.

जी.

उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 5 एस. सी. सी. 509; पंतंगी बलराम

वेंकट गणेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **(2009) 14**

एससीसी 607:[2009] 11 एस. सी. आर. 636; संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य थ्रू सी. बी. आई. (2010) 9 एस. सी. सी. 747:[2010] 13

एस**.** सी**.** आर**. 901;** पुलिस निरीक्षक**,** तमिलनाडु बनाम जॉन डेविड

एच.

460 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

(2011) 5 एससीसी 509:[2011] 7 एस. सी. आर. 354; कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य (2011) 7 एस. सी. सी. 130:[2011]

8 एस**.** सी**.** आर**. 774;** सुरेंद्र कोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और

ओआरएस। (2011) 4 एससीसी 80:[2011] 2 एस. सी. आर. 939; संदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 6 एस. सी. सी. 107:[2012] 5

एस**.** सी**.** आर**. 952;** राजकुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2014)**

बी.

5 एससीसी 353:[2014] 3 एससीआर 212; मुकेश और ओआरएस. वी.

एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली और अन्य के लिए राज्य। **(2017) 6** एससीसी **1:[2017] 6** एस**.** सी**.** आर**. 1;** अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2014) 4** एस**.** सी**.** सी**. 69:[2014] 3** एससीआर **34;** पट्टू राजन बनाम तमिल राज्य

नाद (2019) 4 एस. सी. सी. 771:[2019] 5 एस. सी. आर. 535;

बिहार बनाम कपिल सिंह [1968] 3 एससीआर 310; मोहम्मद।अमन बनाम राजस्थान राज्य (1997) 10 एस. सी. सी. 44; बलबीर सिंह

सी.

बनाम पंजाब राज्य 1996 (6) स्केल 72; हनुमंत बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 343; तुफैल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1969) 3 एस. सी. सी. 198; राम गोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656;

डी.

यू. पी. वी.अनिल सिंह (1988) पूरक एस. सी. सी. 686; सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 567:[2010] 10

एससीआर **262;** सुरजित सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **(2013)**

2 एस. सी. सी. 146:[2012] 13 एससीआर 634; शंकर और ओआरएस. वी.मध्य प्रदेश राज्य (2018) 15 एससीसी 725:[2018] 6

एससीआर **814;** हरिजन तिरुपला और ओ**.** आर**.** एस**.** बनाम**.**लोक अभियोजक**,** ए**.** पी**.** हैदराबाद का उच्च न्यायालय **(2002) 6**

ई.

एससीसी 470:[2002] 1 पूरक।एस. सी. आर. 379; रम्मी @

रामेश्वर बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(1999) 8** एससीसी

649 :[1999] 3 पूरक।एससीआर 1; अप्पाभाई और अन्र. वी.गुजरात राज्य 1988 पूरक (1) एस. सी. सी. 241; विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2015) 3 एस. सी. सी. 138:[2015] 1

एफ.

एस**.** सी**.** आर**. 328;** शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम राज्य

महाराष्ट्र (1973) 2 एस. सी. सी. 793:[1974] 1 एससीआर 489;

कार्तिक मल्हार बनाम बिहार राज्य **(1996) 1** एस**.** सी**.** सी**. 614:[1995] 5** पूरक। एस**.** सी**.** आर**. 239;** रामाशीष यादव बनाम राज्य

बिहार (1999) 8 एससीसी 555:[1999] 2 पूरक।एससीआर 285;

जी.

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1994)**

4 एससीसी 602:[1994] 1 पूरक।एससीआर 360; दीपक

अग्रवाल बनाम केशव कौशिक **(2013) 5** एससीसी **277:[2013] 1** एससीआर **402;** शिव कुमार बनाम हुकुम चान **(1999) 7** एससीसी

467 :[1999] 2 पूरक।एससीआर 81; सिद्धार्थ वशिष्ठ @ए

एच.

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य ए

मनु शर्मा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य **(2010) 6** एस**.** सी**.** सी**. 1:[2010] 4** एस**.** सी**.** आर**. 103;** मुकुंद लाल बनाम भारत संघ **1989**

पूरक (1) एस. सी. सी. 622:[1988] 3 पूरक।एस. सी. आर. 524; मलकियत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1991) 4 एस. सी. सी. 341:[1991] 2

एस**.** सी**.** आर**. 256;** अपर्याप्तताएँ और कमियाँ**,** बनाम राज्य

आंध्र प्रदेश (2021) 10 एस. सी. सी. 598; जगमोहन

बी.

सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1973) 1** एससीसी **20:[1973] 2** एस**.** सी**.** आर**. 541;** संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम**.**

महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एस. सी. सी. 498:[2009] 9

एस**.** सी**.** आर**. 90;** शंकर किसनराव खाड़े बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2013) 5 एससीसी 546:[2013] 6 एससीआर 949;

स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा

सी.

कर्नाटक राज्य (2008) 13 एस. सी. सी. 767:[2008] 11

एससीआर **93;** संगीत और एन**.** आर**.** वी**.**हरियाणा राज्य **(2013) 2**

एससीसी 452:[2012] 13 एस. सी. आर. 85; मो.फारूक अब्दुल

गफूर और अन्न बनाममहाराष्ट्र राज्य **(2010) 14** एससीसी

641 :[2009] 12 एस. सी. आर. 1093; छन्नू लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 12 एस. सी. सी. 438:[2018] 14

डी.

एस**.** सी**.** आर**. 355;** स्वामी श्रद्धानंद **(2) @**मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य **(2008) 13** एस**.** सी**.** सी**. 767:[2008] 11** एससीआर **93;** संगीत और एन**.** आर**.** वी**.**हरियाणा राज्य

(2013) 2 एससीसी 452:[2012] 13 एस. सी. आर. 85; मनोहरन बनाम

पुलिस निरीक्षक, वैराइटी हॉल पुलिस स्टेशन द्वारा राज्य,

ई.

(2019) 7 एससीसी 716:[2019] 18 एससीआर 1007; संगीत और एन. आर. वी.हरियाणा राज्य (2013) 2 एससीसी 452:[2012] 13

एस**.** सी**.** आर**. 85;** शंकर किसनराव खाड़े बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2013) 5 एससीसी 546:[2013] 6 एससीआर 949;

राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य

एफ.

(2019) 12 एससीसी 460:[2018] 14 एससीआर 585; रवजी बनाम हरियाणा राज्य (1996) एससीसी 2 175:[1995] 6 पूरक।एससीआर

195; सुरजा राम बनाम राजस्थान राज्य **(1996) 6** एससीसी

271 :1996] 6 पूरक।एस. सी. आर. 783; दयानिधि बिसोई बनाम राज्य

उड़ीसा (2003) 9 एस. सी. सी. 310; मोहन अन्ना चव्हाण बनाम।

महाराष्ट्र राज्य, (2008) 7 एससीसी 561:[2008] 8

जी.

एससीआर **1072;** बंटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2008) 11**

एससीसी 113:[2008] 11 एससीआर 184; शिवाजी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 15 एससीसी 268; उत्तर राज्य

प्रदेश बनाम सत्तान @सत्येंद्र और अन्य। **(2009) 4** एससीसी

736 :[2009] 3 एस**.** सी**.** आर**. 643;** राजेश कुमार बनाम राज्य **(2011)**

एच.

13 एस**.** सी**.** सी**. 706;** स्वामी श्रद्धानंद **(2)** बनाम राज्य

कर्नाटक (2008) 13 एससीसी 767:[2008] 11 एससीआर 93;

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण **(2016) 7** एस. सी. सी. **1:[2015] 14** एस. सी. आर. **613;** लेहना बनाम हरियाणा राज्य **(2002) 3** एस. सी. सी. **76:[2002] 1** एस. सी. आर. **377;** महेश धनाजी शिंदे बनाम.

महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 292:[2014] 3

बी.

एससीआर **406;** गुरवेल सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2013) 2**

एससीसी 713:[2013] 1 एससीआर 783; मुल्ला और अन्र. वी.उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 3 एस. सी. सी. 508:[2010] 2 एससीआर 633;

कमलेश्वर पासवान बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (2011) 11 एस. सी. सी.

564 :[2011] 1 एस. सी. आर. 647; सुनील गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 1 एस. सी. सी. 129:[2013] 9 एससीआर 295;

सी.

शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ **(2014) 3** एस. सी. सी. **1:[2014] 1** एससीआर **609;** दिलीप प्रेमनारायण तिवारी बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2010) 1 एस. सी. सी. 775:[2009] 16

एससीआर **322;** मलकियत सिंह और ओ. आर. एस. बनाम.पंजाब राज्य

(1991) 4 एससीसी 341:[1991] 2 एससीआर 256; मुनियप्पन बनाम टी. एन. राज्य (1981) 3 एस. सी. सी. 11:[1981] 3 एससीआर 270; बिरजू बनाम एमपी राज्य, (2014) 3 एससीसी 421:[2014] 1

डी.

एस. सी. आर. **1047;** भरत सिंह बनाम राज्य **(**एन. सी. टी. दिल्ली**)**

दिनांकित आदेश 17.04.2014, DSR सं. 1/2014; अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 69:[2014] 3 एससीआर 34;

मो. मन्नान @अब्दुल मन्नम बनाम बिहार राज्य **(2019)**

ई.

16 एससीसी 584:[2019] 8 एस. सी. आर. 266; अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य (1989) 3 एस. सी. सी. 5:[1989] 2 एससीआर 498;

रमेशभाई चंदूभाई राठौड़ बनाम गुजरात राज्य (2009) 5 एस. सी. सी. 740; राजेश कुमार बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2011) 13 एस. सी. सी. 706; मुकेश बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2017) 3 एस. सी. सी. 717; छन्नूलाल वर्मा बनाम राज्य

एफ.

छत्तीसगढ़ (2019) 12 एस. सी. सी. 438:[2018] 14

एस**.** सी**.** आर**. 355;** सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1967) 4** एस**.** सी**.** सी**. 190;** अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य **(1989) 3** एस**.** सी**.** सी**. 5:[1989] 2** एस**.** सी**.** आर**. 498;** अजय पंडित **@**जगदीश बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2012) 8 एससीसी 43:[2012] 10 एससीआर 70;

जी.

गुरवेल सिंह और अन्र बनाम पंजाब राज्य **(2013) 2** एस**.** सी**.** सी**. 713:[2013] 1** एससीआर **783;** अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(2012) 4 एससीसी 107:[2012] 1 एससीआर 1009; श्याम सिंह

@ भीमा बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2017) 11** एससीसी **265;** रामनरेश और ओआरएस**.** वी**.**छत्तीसगढ़ राज्य **(2012) 4**

एच.

एससीसी 257:[2012] 3 एससीआर 630 और एम. ए. एंटनी @ए.

463

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य ए

अंतप्पन बनाम केरल राज्य **(2020) 17** एस**.** सी**.** सी**. 751 -**

संदर्भित किया गया।आर बनाम डोहनी और एडम्स **1997 (1)** सी**.** आर**.** एल**.** ऐप प्रतिनिधि

369; तीसरे न्यायिक के लिए जिला वकील का कार्यालय

जिला बनाम ओसबोर्न 557 यू. एस. 52 (2009)-संदर्भित।

बी.

185 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2003 की समीक्षा पर रिपोर्ट

– संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

(2019) 8 एस**.** सी**.** सी**. 567**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

सी.

[2003] 12 एस**.** सी**.** सी**. 554**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

ए**.** आई**.** आर **1954** एस**.** सी **4**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

(1983) 1 एस**.** सी**.** सी **143**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

(1997) 10 एससीसी **44**

संदर्भित किया गया है

पैरा **36**

डी.

(1991) सप्लीमेंट **(1)** एस**.** सी**.** सी**. 39** पैरा **36 [2008] 10** एस**.** सी**.** आर**. 379** पैरा **39 [2020] 8** एस**.** सी**.** आर**. 1071** पैरा **39 [2018] 13** एस**.** सी**.** आर**. 1108** पैरा **40 [2012] 7** एस**.** सी**.** आर**. 1186** पैरा **45 [1991] 3** एस**.** सी**.** आर**. 600** पैरा **48 [1999] 4** सप्लीमेंट।एस**.** सी**.** आर**. 277** पैरा **48 [1971] 3** एस**.** सी**.** आर**. 914** पैरा **48** ए**.** आई**.** आर**. 1956** एस**.** सी**. 415** पैरा **49 [1996] 6** स्केल **72** पैरा **49 (2021) 4** एस**.** सी**.** सी**. 345** पैरा **50 [1985] 1** एस**.** सी**.** आर**. 88**

ई.

एफ.

पर भरोसा किया गया |

पैरा **51 [2011] 2** एस**.** सी**.** आर**. 121** पैरा **65** ए**.** आई**.** आर**. 1953** एस**.** सी**. 459** पैरा **94 [1964] 7** एस**.** सी**.** आर**. 397** पैरा **94 [2009] 13** एस**.** सी**.** आर**. 774** पैरा **94**

जी.

एच.

464 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

[2003] 1 पूरक।पैरा **100 [1978] 3** एस**.** सी**.** आर**. 694** पैरा **100 [2012] 10** एस**.** सी**.** आर**. 95** पैरा **100 [2018] 7** एस**.** सी**.** आर**. 830** पैरा **114 [2019] 1** एस**.** सी**.** आर**. 345** पैरा **114 (2021) 4** एस**.** सी**.** सी**. 345** पैरा **116 (2015) 5** एस**.** सी**.** सी**. 509** पैरा **137 [2009] 11** एस**.** सी**.** आर**. 636** पैरा **139 [2010] 13** एस**.** सी**.** आर**. 901** पैरा **139 [2011] 7** एस**.** सी**.** आर**. 354** पैरा **139 [2011] 8** एस**.** सी**.** आर**. 774** पैरा **139 [2011] 2** एस**.** सी**.** आर**. 939** पैरा **139 [2012] 5** एस**.** सी**.** आर**. 952** पैरा **139 [2014] 3** एस**.** सी**.** आर**.**

बी.

सी.

डी.

[2017] 6 एससीआर **1**

[2014] 3 एससीआर **34**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **139 [2019] 5** एस**.** सी**.** आर**. 535,** पैरा **140 [1968] 3** एस**.** सी**.** आर**. 310,** पैरा **148 (1997) 10** एस**.** सी**.** सी**. 44,** पैरा **148 [1996] 6** एस**.** सी**.** ए**.** एल**.** ई**. 72,** पैरा **148** ए**.** आई**.** आर**. 1953** एस**.** सी**. 343,** पैरा **149 (1969) 3** एस**.** सी**.** सी**. 198,** पैरा **149** ए**.** आई**.** आर**. 1972** एस**.** सी**. 656,** पैरा **149 (1988),** एस**.** सी**.** सी**. 686,** पैरा **157 [2010] 10** एस**.** सी**.** आर**. 262,** पैरा **157 [2012] 13** एस**.** सी**.** आर**. 634,** पैरा **157 [2018] 6** एस**.** सी**.** आर**. 814,** पैरा **157 [2002] 1** सप्लीमेंट।एस**.** सी**.** आर**. 379** पैरा **157** ए**.** में निर्दिष्ट है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

465

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य ए

[1999] 3 पूरक।एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **158**

1988 सप्लीमेंट **(1)** एस**.** सी**.** सी**. 241** पैरा **158 [2015] 1** एस**.** सी**.** आर**. 328** पैरा **159 [1974] 1** एस**.** सी**.** आर**. 489** पैरा **160 [1995] 5** सप्लीमेंट।एस**.** सी**.** आर**. 239** पैरा **160 [1999] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 285** पैरा **168 [1994] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 360** पैरा **171 [2013] 1** एस**.** सी**.** आर**. 402** पैरा **171 [1999] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 81** पैरा **171 [2010] 4** एस**.** सी**.** आर**. 103** पैरा **171 [1988] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 524** पैरा **173 [1991] 2** एस**.** सी**.** आर**. 256** पैरा **173 (2021) 10** एस**.** सी**.** सी**. 598** पैरा **178 (1980) 2** एस**.** सी**.** सी**. 684** को संदर्भित किया गया

बी.

सी.

डी.

पैरा **182 [1973] 2** एस**.** सी**.** आर**. 541** पैरा **183 [2009] 9** एस**.** सी**.** आर**. 90**

संदर्भित किया गया है

पैरा **185**

ई.

[2013] 6 एससीआर **949**

संदर्भित किया गया है

पैरा **185**

[2008] 11 एससीआर **93**

संदर्भित किया गया है

पैरा **186**

[2012] 13 एससीआर **85**

संदर्भित किया गया है

पैरा **186**

[2009] 12 एससीआर **1093**

संदर्भित किया गया है

पैरा **186**

एफ.

[2018] 14 एससीआर **355**

संदर्भित किया गया है

पैरा **186**

[1983] एस**.** सी**.** आर**. 3 413** पर निर्भर

पैरा **189 [2008] 11** एस**.** सी**.** आर**. 93** पैरा **189 [2012] 13** एस**.** सी**.** आर**. 85** पैरा **189 [2019] 18** एस**.** सी**.** आर**. 1007** पैरा **189 [2012] 13** एस**.** सी**.** आर**. 85** पैरा **193 [2013] 6** एस**.** सी**.** आर**. 949** पैरा **194 [2018] 14** एस**.** सी**.** आर**. 585** पैरा **195**

जी.

एच.

[1995] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 195** पैरा **198 [1996] 6** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **198 (2003) 9** एस**.** सी**.** सी**. 310** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 783** पैरा **198 [2008] 8** एस**.** सी**.** आर**. 1072** को संदर्भित पैरा **198 [2008] 11** एस**.** सी**.** आर**. 184** को संदर्भित पैरा **198 (2008) 15** एस**.** सी**.** सी**. 268** को

संदर्भित पैरा **198 [2009] 3** एस**.** सी**.** आर**. 643** को संदर्भित पैरा **198 (2011) 13** एस**.** सी**.** सी**. 706** पर भरोसा किया गया

बी.

पैरा **199 [2008] 11** एस**.** सी**.** आर**. 93** पैरा **200 [2015] 14** एस**.** सी**.** आर**. 613** पैरा **200 [2002] 1** एस**.** सी**.** आर**. 377** पैरा **203 [2014] 3** एस**.** सी**.** आर**. 406** पैरा **204 [2013] 1** एस**.** सी**.** आर**. 783** पैरा **204 [2011] 1** एस**.** सी**.** आर**. 647** पैरा **204 [2013] 9** एस**.** सी**.** आर**. 295** पैरा **204 [2014] 1** एस**.** सी**.** आर**. 609** पैरा **204 [2009] 16** एस**.** सी**.** आर**. 322** पैरा **204 [1991] 2** एस**.** सी**.** आर**. 256** पैरा **205 [1981] 3** एस**.** सी**.** आर**. 270** पैरा **206 [2014] 3** एस**.** सी**.**

सी.

डी.

ई.

एफ.

संदर्भित किया गया है

पैरा **206**

[2014] 1 एससीआर **1047**

संदर्भित किया गया है

पैरा **210**

[2014] 3 एससीआर **34**

संदर्भित किया गया है

पैरा **217**

[2019] 8 एससीआर **266**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223**

जी.

[1989] 2 एससीआर **498**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223**

(2009) 5 एस**.** सी**.** सी**. 740**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223**

(2011) 13 एस**.** सी**.** सी**. 706**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223**

एच.

(2017) 3 एस**.** सी**.** सी**. 717**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223** ए

467

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य ए

[2018] 14 एससीआर **355**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223**

(1967) 4 एससीसी **190**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223**

[1989] 2 एससीआर **498**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223**

(2011) 13 एस**.** सी**.** सी**. 706**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223**

बी.

[2012] 10 एससीआर **70**

संदर्भित किया गया है

पैरा **223**

[2013] 1 एससीआर **783**

संदर्भित किया गया है

पैरा **226**

[2012] 1 एससीआर **1009**

संदर्भित किया गया है

पैरा **226**

(2017) 11 एससीसी **265**

संदर्भित किया गया है

पैरा **226**

सी.

[2012] 3 एससीआर **630**

संदर्भित किया गया है

पैरा **226**

(2020) 17 एस**.** सी**.** सी**. 751**

संदर्भित किया गया है

पैरा **226**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2015 की आपराधिक अपील संख्या 248-250

डी.

2014 के क्रमशः आपराधिक संदर्भ No.4/2013/DA/8 और आपराधिक अपील Nos.3 और 266 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 29.09.2014 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री अंजना प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता, कौस्तुभ अंशुराज, श्री सिंह, सुश्री शिवानी मिश्रा, सुश्री श्रेया रस्तोगी, अनिरुद्ध संगनेरिया, सुश्री श्रीदेवी पणिक्कर, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

ई.

सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, ए. ए. जी., सनी चौधरी, सुश्री सौम्या कपूर, सिद्धांत, शिखर किशोर, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भट्ट, न्याय०

एफ.

1. वर्तमान निर्णय तीन अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई तीन अपीलों का निपटारा करेगा।उन्हें प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर 2 के फैसले और आदेशों द्वारा मृत्युदंड के साथ भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) (3 गणना) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था।इंदौर 3 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इसकी पुष्टि की।

जी.

1 आपराधिक अपील सं. 248-250/2015

2 सत्र मामला सं. 536/2011 में दिनांकित 13.12.2013 पारित।

3 आपराधिक अपील सं. 3/2014,266/2014 और आपराधिक संदर्भ सं. 04/2013 में दिनांकित 29.09.2014 पारित किया गया।

एच.

2. अपीलार्थियों (मनोज, राहुल उर्फ गोविंद और नेहा वर्मा, जिनका बाद में उनके नामों से उल्लेख किया गया है) को मेघा देशपांडे, अश्लेषा देशपांडे और श्रीमती की डकैती के दौरान हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 307 (तीन मामले) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। 19.06.2011 पर रोहिणी फड़के।तीनों अपीलार्थियों को प्रत्येक मामले में 1000/- के जुर्माने के साथ मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर

प्रत्येक मामले में 6 महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास (आर. आई.) की सजा सुनाई गई।आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत, उन्हें 10 साल के आर. आई. और 1000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर, 6 महीने के अतिरिक्त आर. आई. की सजा सुनाई गई। आई. पी. सी. की धारा 449 के तहत, उन्हें 1000/- के जुर्माने के साथ 10 साल आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर, 6 महीने अतिरिक्त आर. आई. डी. 1 और राहुल @गोविंद को भी शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 1000/- के जुर्माने के साथ 1 साल आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर, 6 महीने अतिरिक्त आर. आई. डी. 2 भी शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया और 3000/- के जुर्माने के साथ 3 साल आर. आई. से गुजरने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर, 6 महीने अतिरिक्त आर. आई. की सजा सुनाई गई।

₹

बी.

सी.

डी.

तथ्य।

3. तथ्य यह है कि पीडब्लू-1 निरंजन देशपांडे ने हाउस नंबर का एक हिस्सा किराए पर लिया था। 24 श्रीनगर मुख्य अपने मकान मालिक पीडब्लू-5 विशाल पांडे से, घटना की तारीख से कुछ दिन पहले यानी 19.06.2011।निरंजन की पत्नी मेघा, बेटी अश्लेशा और सास श्रीमती। रोहिणी फड़के उन परिसरों में रहती थीं।उसी दिन शाम को उसी मंजिल पर रहने वाली एक अन्य किरायेदार पीडब्लू-2 दीप्ति कपिल ने पीडब्लू-5 विशाल पांडे को बताया कि निरंजन का फ़्लैट बाहर से बंद था और उसने दरवाजे पर खून के धब्बे देखे थे।यह जानकारी मिलने पर मकान मालिक पूछताछ करने गया।जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उसने खुली खिड़की से देखा और देखा कि शयनकक्ष के दरवाजे के पास मृत व्यक्तियों के शव पड़े हुए थे और फर्श पर खून था।उसने अपने पड़ोसी पीडब्लू-9 महेश परमार और मुकेश को मौके पर बुलाया, इसके बाद तुरंत वहां पहुंचने के लिए पीडब्लू-1 निरंजन देशपांडे को फोन किया।पीडब्लू-5 विशाल पांडे ने पुलिस स्टेशन एम. आई. जी. कॉलोनी, इंदौर 4 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) भी दर्ज की जिसे पीडब्लू-31 इंस्पेक्टर मोहन सिंह यादव (जांच अधिकारी "आई. ओ".) द्वारा दर्ज किया गया था।एफ़. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने तीन मृत महिलाओं की धारदार हथियारों से हत्या कर दी और फरार हो गए।

ई.

एफ.

जी.

एच.

469

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

आई. पी. सी. की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध दर्ज किए गए।

4. पुलिस परिसर में पहुंची और अपराध स्थल का नक्शा तैयार किया।घटनास्थल से कई सामान बरामद किए गए हैं।बाद में (अगले दिन) खबर आई कि मेघा की सोने की चूड़ियाँ और मंगलसूत्र, रोहिणी फड़के की दो सोने की चूड़ियाँ और अश्लेशा का मोबाइल फोन, कैमरा और एटीएम कार्ड गायब थे।जाँच शुरू हुई और 22.06.2011 पर लगभग 06 बजेः00 सुबह, पीडब्लू-28 विजय चौहान ने गश्त के दौरान नेहा वर्मा को एल. आई. जी. के पास एक ए. टी. एम. के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में देखा।यह जानकारी प्राप्त करने पर, आई. ओ. (पी. डब्ल्यू. -31) पीडब्लू-4 बन्नो सोलंकी और अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे।नेहा वर्मा की तलाशी ली गई।इससे एक ए. टी. एम. कार्ड मिला, जो मृतक अश्लेशा का था।नेहा को पूछताछ के लिए ले जाया गया; उसके खुलासा करने वाले बयानों के कारण उसकी बाद में गिरफ्तारी हुई।उसने दी गई जानकारी के आधार पर, पुलिस ने उसके घर से लूटी गई कुछ चीजें बरामद कीं।5. नेहा के बयानों का खुलासा करने पर अन्य आरोपी राहुल उर्फ गोविंद और मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से लूटे गए गहने, चाकू और एक पिस्तौल जब्त कर ली गई।जांच से पता चला कि कथित घटना के दौरान राहुल उर्फ गोविंद ने अनजाने में अपने पैर में गोली मार ली और इस संबंध में अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 19.06.2011 5 की एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की।तदनुसार, पी. डब्ल्यू.-30 ए. एस. आई. आर. एस. मकवाना द्वारा आई. पी. सी. की धारा 304,307 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक एफ. आई. आर. 6 दर्ज की गई थी। घटना के दौरान मनोज भी घायल हो गया और उसने पीडब्लू-8 डॉ. अच्युतमल तेजवानी से इलाज कराया।अभियुक्तों द्वारा पहने गए कपड़े और जूते जब्त कर लिए गए; और टूटे हुए और निपटाए गए मोबाइल फोन और कैमरे के कुछ हिस्सों को भी बरामद कर लिया गया और उनके खुलासा बयानों के अनुसार जब्त कर लिया गया।अपीलार्थियों की पहचान परेड की गई।उनके उंगलियों के निशान की जांच की गई, जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक और डीएनए परीक्षण के लिए भेजा गया और अभियोजन की अनुमति ली गई।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

6. जाँच के समापन के बाद, पुलिस ने अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 242,397 और 449 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25,27 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक अंतिम रिपोर्ट दायर की। निचली विचारण न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ वैकल्पिक 302/34 में धारा 397/34 के तहत आरोप तय किए।

जी.

5 Ex. पी103-सी 6 एक्स। पी107

एच.

और आई. पी. सी. 449, और इन आरोपों के अलावा मनोज पर शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1-बी) (बी) के तहत आरोप लगाया गया था और राहुल उर्फ गोविंद पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) और 27 के तहत आरोप लगाया गया था। सभी अपीलार्थियों ने अपना अपराध छोड़ दिया और मुकदमे का दावा किया।अभियोजन पक्ष ने 36 गवाहों से पूछताछ की और कुछ दस्तावेज पेश किए (उदा. पी1-पी129) उनके मामले के समर्थन में।अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को दर्ज करने के बाद, अपीलार्थियों के बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत दर्ज किए गए।अपीलार्थियों ने कुल 6 बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ की और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए (उदा. डी1-डी50) उनके मामले के समर्थन में।

बी.

ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष

सी.

7. चूँकि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री साक्ष्य की सराहना पर, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी व्यक्ति लगभग 5 बजे 19.06.2011 पर घटना स्थल पर मौजूद थेः00-5:15 पीएम और पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-5, पीडब्लू-9 और पीडब्लू-31 की गवाही के साथ आरोपी (घर से) की उंगलियों के निशान उठाने वाले विशेषज्ञों के साक्ष्य से साबित होता है कि वे घर में घुस गए थे। मौत का कारण बने चाकू और आग्नेयास्त्र की बरामदगी पर, रासायनिक, डीएनए के साथ-साथ

बैलिस्टिक जांच के माध्यम से यह स्थापित किया गया कि उन वस्तुओं का उपयोग किया गया था और घटना के क्रम के दौरान, मृतक व्यक्तियों का खून अभियुक्त व्यक्तियों के कपड़ों पर पाया गया था।निचली विचारण न्यायालय ने आगे निष्कर्ष निकाला कि अपराध स्थल पर पैरों के निशान आरोपी व्यक्तियों से बरामद जूतों के समान थे, और राहुल उर्फ गोविंद के पैर में लगी गोली के साथ-साथ मृतक के शरीर में लगी गोली को उसी हथियार से दागा गया था, जो उसके कब्जे से बरामद किया गया था।यह माना गया कि इसने राहुल और मनोज के अपराध को स्थापित करने में कोई संदेह नहीं छोड़ा, और पूरी घटना के दौरान सबूत ने उस समय नेहा की उपस्थिति को भी साबित किया।ट्रायल विचारण न्यायालय ने माना कि इससे आरोपी व्यक्तियों के साथ अपराध में उसकी संलिप्तता स्थापित हुई; आरोपी की बेगुनाही की हर परिकल्पना को खारिज कर दिया गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद, निचली विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को उन अपराधों को करने का दोषी ठहराया जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।सजा के बिंदु पर, निचली विचारण न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जिस परिमाण और शैतानी तरीके से अपराध किए गए थे, उसे देखते हुए यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले की श्रेणी में आता है और इसके लिए मृत्युदंड की आवश्यकता होती है।

एच.

471

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष निचली अदालत के आदेश की पुष्टि करते हैं

9. उच्च न्यायालय 7 की खंड पीठ ने अपीलार्थियों को दी गई सजा की पुष्टि की और निचली विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए संदर्भ का सकारात्मक जवाब दिया गया।उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ-साथ पड़ोसियों और जांच अधिकारी ने खून से सने फर्श, दीवारों और बेडशीट को देखा था, और उनके संबंध में रिकॉर्ड में प्रस्तुत साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष के मामले में कोई बड़ी कमी नहीं छोड़ी; इसके अलावा, घर में आरोपी की उपस्थिति, इस तरह के जघन्य अपराध को करने का उनका इरादा, और जिस तरह से आरोपी व्यक्तियों ने मौत का कारण बना, वह विधिवत साबित हो गया था।

बी.

सी.

10. उच्च न्यायालय ने फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ पीडब्लू-24 के. के. द्विवेदी के बयानों पर भरोसा किया, जिन्होंने साइट का दौरा किया और अपीलार्थियों के फिंगरप्रिंट से मेल खाने वाले फिंगरप्रिंट के साथ-साथ उनके कब्जे से बरामद आभूषण भी उठाए, जिनकी पहचान पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 द्वारा मृतक के रूप में की गई थी।अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार (चाकू और देसी पिस्तौल) आरोपी से बरामद किए गए और वही साबित हुआ।साथ ही, गवाहों द्वारा अपने बयानों के अनुसार खुली न्यायालय में अभियुक्त व्यक्तियों की विधिवत पहचान की गई थी।

डी.

11. उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आरोपी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपनी जांच के दौरान अपने आचरण की व्याख्या करने में विफल रहे और यहां तक कि गलत और गलत जवाब भी दिए।इसलिए इसने निचली अदालत के निष्कर्षों और निष्कर्षों की पुष्टि की।

ई.

12. यह जांच करने पर कि क्या यह मामला अपीलार्थियों पर मृत्युदंड लगाने को सही ठहराने के लिए "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले" की श्रेणी में आएगा, उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि इस घटना ने समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा को हिला दिया था और अपीलार्थियों द्वारा की गई हत्या के कृत्य इतने वीभत्स, निर्दयी और क्रूर थे, इसलिए गंभीर परिस्थितियां कम करने वाली परिस्थितियों से कहीं अधिक थीं और इसलिए, यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले की श्रेणी में आता है जो इस तरह के अपराध के प्रति समाज की घृणा को प्रकट करता है।

एफ.

जी.

अपीलार्थियों की ओर से दलीलें

13. राहुल और मनोज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री अंजना प्रकाश ने तर्क विद्वान कि गवाहों के साक्ष्य,

7 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की पीठ ने आदेश डी. टी.29.09.2014 आपराधिक अपील सं. 3/2014, आपराधिक संदर्भ सं. 4/2013 और आपराधिक अपील सं. 266/2014 में।

एच.

अर्थात्, इस मामले में पुलिस गवाह और निजी गवाह सवाल उठाते हैं कि क्या नेहा को अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किए गए समय और स्थान पर गिरफ्तार किया गया था, क्या उसके प्रकटीकरण बयान वास्तविक थे, क्या खुलासा जैसा दावा किया गया था, और क्या बाद की गिरफ्तारी और बरामदगी अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किए गए तरीके से की गई थी।

14. यह आग्रह किया गया कि पीडब्लू-4 महिला कांस्टेबल बन्नो सोलंकी ने एटीएम मशीन पर जाकर नेहा की तलाशी ली, जिससे अश्लेशा का एटीएम कार्ड बरामद हुआ।हालाँकि, उसने अपनी पूछताछ के स्थान के बारे में आई. ओ. और अन्य गवाहों का खंडन किया।पीडब्लू-4 ने बयान दिया कि नेहावा से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई जहां उसने कहा कि उसके घर में कुछ गहने और एटीएम कार्ड थे।इसकी पुष्टि पीडब्लू-6 त्र्यंबक @प्रफुल्ल और पीडब्लू-36 मुलायम सिंह यादव ने की।हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने यह नहीं बताया कि पुलिस स्टेशन में कोई गिरफ्तारी ज्ञापन/सूचना ज्ञापन क्यों तैयार नहीं किया गया था।यह तर्क दिया जाता है कि यह प्रासंगिक है क्योंकि गिरफ्तारी और बरामदगी के बारे में एक गंभीर विवाद है, साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किए गए तरीके के बारे में भी।इसके अलावा, महिला आरोपी को एस्कॉर्ट करने वाली महिला कांस्टेबल पीडब्लू-4 ने अभियोजन पक्ष की पुष्टि नहीं की कि पूछताछ के बाद नेहा के घर से कोई बरामदगी की गई थी।वह इस बारे में चुप थी कि क्या वह उस पुलिस दल का हिस्सा थी जो नेहा के घर उसकी परीक्षा-प्रभारी के रूप में गई थी।जिरह में उसने अपने घर जाते समय नेहा के साथ उसी वाहन में बैठने के लिए गवाही दी।पीडब्लू-4 की उपस्थिति की पुष्टि केवल खोज दल के गवाहों (यानी पीडब्लू-3 डॉ. दीपक हरि रानाडे और पीडब्लू-31 आईओ मोहन सिंह) द्वारा की जाती है।पीडब्लू-4 ने अभियोजन पक्ष का इस बात का समर्थन नहीं किया कि नेहा ने राहुल और मनोज के नामों का खुलासा किया था या नेहा के साथ दोनों अभियुक्तों के घर गई थी (जिसकी उम्मीद की जा सकती है कि आरोपी एक महिला है) और जिसके परिणामस्वरूप बाद में बरामदगी हुई।उसने बयान दिया कि पुलिस दल नेहा के घर से निजी वाहन में पुलिस स्टेशन लौट आया।इससे पता चलता है कि गिरफ्तारी ज्ञापन (उदा. पी9) और सूचना ज्ञापन (उदा. उस समय और स्थान पर बनाई गई पी10) झूठी है और इसके परिणामस्वरूप, नेहा द्वारा पुलिस दल को राहुल और मनोज के घरों तक ले जाने की कहानी भी झूठी है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

15. यह आगे कहा गया कि पीडब्लू-31 ने अपदस्थ किया कि पीडब्लू-28 विजय चौहान ने पीडब्लू-19 वाई. आर. गायकवाड़ को एक एटीएम के पास संदिग्ध रूप से खड़ी एक लड़की को देखने के बारे में सूचित किया, जिसके लिए पीडब्लू-19 ने स्टेशन डायरी में प्रवेश किया और वायरलेस के माध्यम से उसे सूचित किया।इसलिए पीडब्लू-31 पुलिस स्टेशन गया, जिसमें खुद पीडब्लू-4, पीडब्लू-19, पीडब्लू-28 और पीडब्लू-36 शामिल थे, जो एटीएम स्थल के लिए और उसके बाद नेहा के घर ए के लिए रवाना हुआ।

जी.

एच.

473

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

(और राहुल और मनोज)।यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो स्टेशन डायरी प्रस्तुत की गई थी, न ही पीडब्लू-19 ने पीडब्लू-31 के अभिसाक्ष्य की पुष्टि की थी।इसी तरह, पीडब्लू-28 और पीडब्लू-31 के बयान के बीच अंतर था, कि क्या वह नेहा के घर जाने वाली छापेमारी पार्टी में थे।

16. वकील ने आगे तर्क दिया कि पीडब्लू-31 ने अपने साथ आए विभिन्न व्यक्तियों के बारे में गवाही दी, जब उसे नेहा के संदिग्ध रूप से भटकने के बारे में पता चला।हालाँकि, उन्होंने पीडब्लू-19 का उल्लेख करना छोड़ दिया, जिसने पीडब्लू-28 के कहने पर जानकारी प्राप्त की और उसे नेहा के आंदोलन के बारे में बताया।इससे पता चलता है कि नेहा से वास्तव में पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई थी।इसलिए, उस समय पुलिस स्टेशन में ही गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार न करने या प्रकटीकरण बयान दर्ज न करने का कोई कारण नहीं था, भले ही एटीएम कार्ड बरामद हो गया हो।पीडब्लू-31 ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि पुलिस वाहन में रास्ते में खुलासा क्यों किया गया था।वकील ने पीडब्लू-4 के अभिसाक्ष्य का भी उल्लेख किया, जो इस पहलू पर चुप था।इसके अलावा, वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हालांकि परिवार के सदस्य, विशेष रूप से नेहा के पिता उपलब्ध थे, उन्हें उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया गया था, न ही गिरफ्तारी ज्ञापन पर उनके हस्ताक्षर किए गए थे।यह आग्रह किया गया कि ये सभी वास्तव में बचाव पक्ष की इस दलील की पुष्टि करते हैं कि नेहा की गिरफ्तारी अभियोजन पक्ष की दलील के अनुसार नहीं हुई थी।

बी.

सी.

डी.

17. राहुल और मनोज की गिरफ्तारी की ओर बढ़ते हुए, उनके व्यक्ति पर पाई गई चोटों के रूप में कुछ विसंगतियां और उनके प्रकटीकरण बयानों से पहले उनकी घटना को दर्ज करने का तरीका (उदा. राहुल और पूर्व के मामले में पी12-पी13। मनोज के मामले में पी15-पी16) को इंगित किया गया था।वास्तव में ये चोटें कैसे आईं, यह खुलासा बयान से पहले दर्ज किया गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि नेहा की गिरफ्तारी के बाद, राहुल के घर से बरामदगी की गई थी। पी14) 09 बजेः10 एएम। यहाँ, पूर्व। पी12 अर्थात, राहुल @गोविंद के आई. डी. 1 दिनांकित गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तारी ज्ञापन के कॉलम 9 में बाईं कोहनी पर एक पुराने आग्नेयास्त्र घाव का उल्लेख करने के बावजूद राहुल के पैर में किसी भी चोट का उल्लेख नहीं किया गया है, जहां पुलिस ने चोटों को नोट किया है।यह आग्रह किया गया कि अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ यह एक अपरिवर्तनीय परिस्थिति थी कि राहुल के बाएं पैर में गोली लगी थी।

ई.

एफ.

जी.

18. यह प्रस्तुत किया गया था कि मनोज की गिरफ्तारी तब 10 बजे हुई थीः05 उनके घर से हूँ (Ex. पी15)।उनका खुलासा बयान 10 बजे दर्ज किया गया थाः15 ए. एम. (भूतपूर्व। पी16) और दौरे 10 बजे किए गए थेः35 ए. एम. (भूतपूर्व। पी17)।मनोज का गिरफ्तारी ज्ञापन (पूर्व. पी15), हालांकि, कोहनी पर चोट को दर्ज नहीं करता है, जबकि यह नाक पर चोट के संकेतों को नोट करता है।

एच.

गिरफ्तारी ज्ञापन के कॉलम 9 में पुलिस को गिरफ्तारी के समय आरोपी के शरीर पर मौजूद चोटों को दर्ज करना होता है।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 6 से 22.06.2011:00 सुबह 4 बजे तकः40 प्रधानमंत्री ने विभिन्न बरामदगी की और दस्तावेज तैयार किए गए।हालाँकि, यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि डी. डब्ल्यू.-3 संजय राणा, आई. जी. इंदौर के कार्यालय में 12 के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थीः30 प्रधानमंत्री 1 पद पर रहेंगेः00 प्रधानमंत्री और संवाददाता सम्मेलन से पहले ही पीडब्लू-31 आई. ओ. ने उन्हें सूचित किया था कि जांच की गई है और नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने आरोपी से जब्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है।यह राहुल एक्स के कहने पर जूते की बरामदगी की कहानी को गलत साबित करता है। पी21 [निर्भरता डीडब्ल्यू-3 और डीडब्ल्यू-5 पर रखी गई है]।

बी.

सी.

19. सुश्री प्रकाश ने तर्क दिया कि पीडब्लू-31 आई. ओ. ने दो गवाहों के सामने राहुल से पूछताछ करने के लिए गवाही दी-लेकिन उनका नाम नहीं लिया।राहुल ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने अपने कपड़े और चाकू अपनी मोटरसाइकिल में एक थैले में रखे थे और मनोज ने चोरी किए गए मोबाइल और कैमरा को तोड़कर मारुति शोरूम के पास फेंक दिया था।इसके बाद उन्होंने सूचना ज्ञापन (उदा. पी28) 07 बजेः50 एएम। उसने दो गवाहों (जिनका उसने नाम नहीं बताया) की उपस्थिति में मनोज से पूछताछ की, जिन्होंने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने अपने पिता की अलमारी में पहने हुए कपड़े और जूते छिपाए थे और राउ में मारुति के शोरूम के पास एक टूटा हुआ मोबाइल फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने सूचना ज्ञापन (उदा. पी31), 08 पर दर्ज किया गयाः05 एएम। पीडब्लू-31 ने दो गवाहों (जिनका फिर से नाम नहीं लिया गया था) की उपस्थिति में नेहा से पूछताछ की, जिन्होंने खुलासा किया कि उसने अपने कपड़े और सैंडल को अपनी स्कूटी की डिक्की में रखा था।इसके बाद उन्होंने सूचना ज्ञापन (उदा. पी34) 08 बजेः15 एएम। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अभियुक्तों ने अपनी गिरफ्तारी की तारीख को अपना खुलासा किया था, इसलिए यह अजीब और अप्राकृतिक लगता है कि जांच के विभिन्न चरणों में वसूली के संक्षिप्त बयान दिए जाएंगे। वकील ने आग्रह किया कि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि पीडब्लू-31 आईओ बयान दर्ज करने के समय या गवाहों के नाम का खुलासा क्यों नहीं करता है।20. 23.06.2011 पर की गई बरामदगी पर टिप्पणी करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था क्योंकि अलग-अलग तिथियों पर भारी कटौती की गई बरामदगी की गई थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया था।इसके अलावा, इन बरामदगी का गवाह पीडब्लू-7 संदीप नरुलकर, एक स्टॉक गवाह प्रतीत होता है जिसने कहा कि वह 8 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचाः45 23.06.2011 पर AM, अर्थात, प्रकटीकरण विवरणों के बाद (उदा. पी28, पी31 और पी34) दर्ज किए गए।मुख्य जाँच में, इस गवाह ने गवाही दी कि राहुल ने उसके सामने खुलासा किया कि वह कपड़े, चाकू, कैमरे के लेंस बरामद कर सकता है।मनोज ने खुलासा किया ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अपने कपड़े अपने पिता के घर में रखते हुए और नेहा ने अस्पताल के पीछे खड़ी अपनी गाड़ी में अपने कपड़े रखने के बारे में बताया।फिर पुलिस ने पूर्व ज्ञापन तैयार किए। पी28, पी31 और पी34 क्रमशः और बरामद किए गए लेख जिनमें से ज्ञापन क्रमशः Ex.P29, पी31 और पी34 के रूप में तैयार किए गए थे।यह बताया गया है कि पीडब्लू-7 टीम में एक महिला पुलिस अधिकारी के बारे में कुछ नहीं कहता है जो महिला आरोपी नेहा की संलिप्तता के कारण आवश्यक होता।यह आग्रह किया गया कि दूसरे गवाह (प्रकाश लछके) से पूछताछ न करना बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी जांच न करने के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के यह नहीं कहा जा सकता है कि बरामदगी विश्वसनीय है।

बी.

21. वकील ने 22.06.2011 और 23.06.2011 पर पुलिस द्वारा वसूली के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया।उन्होंने विशेष रूप से इस तथ्य की ओर इशारा किया कि काले मोती का कंगन पहने राहुल की एक तस्वीर उनके घर से मिली थी और एक्स के रूप में जब्त की गई थी। पी14।यह किसी भी प्रकटीकरण के अनुसार नहीं किया गया था और जाहिरा तौर पर अन्य वस्तुओं को जब्त करने की प्रक्रिया के दौरान जब्त किया गया था।पीडब्लू-31 आईओ की जिरह के दौरान, एक सुझाव दिया गया था कि यह तस्वीर तब खींची गई थी जब आरोपी द्वारा कंगन पहनने के लिए मजबूर किया गया था।आई. ओ. ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया।इसी तरह, धूप का चश्मा पहने मनोज की एक तस्वीर उनके घर से जब्त की गई और एक्स के रूप में प्रदर्शित की गई। पी17।यह उनके प्रकटीकरण बयान के दौरान था जिससे अन्य लेखों की बरामदगी हुई।हालांकि, राहुल के मामले में कोई खुलासा बयान नहीं था।जब्त किए गए ज्ञापनों में से कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है कि परिसर में कहाँ से ये सामान पाए गए थे।इसके अलावा, बरामदगी गवाहों के बयानों में बरामदगी के बारे में बात नहीं की गई थी।

सी.

डी.

ई.

22. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि न तो पीडब्लू-3 और न ही पीडब्लू-6 ने जब्त की गई वस्तुओं को सील करने के बारे में कुछ कहा। पी11, पी14 और पी17) 22.06.2011 और 23.06.2011 पर उनकी उपस्थिति में।इसी तरह, गवाह (23.06.2011 पर की गई बरामदगी के लिए) पीडब्लू-7 ने यह उल्लेख नहीं किया कि वस्तुओं पर मुहर किसने लगाई। पी29, पी30, पी32, पी33 और पी35।पीडब्लू-6 22.06.2011 पर वस्तुओं की सीलिंग को याद नहीं कर सका।इसी तरह पूर्व में। नेहा द्वारा पी35 प्रकटीकरण और 23.06.2011 पर वस्तुओं की बरामदगी में वस्तुओं की सीलिंग का उल्लेख नहीं है।वकील ने पंच गवाहों के बयानों

की तुलना पीडब्लू-12 तहसीलदार और पीडब्लू-36 मुलायम सिंह यादव (हेड कांस्टेबल, एम. आई. जी.) के बयानों से भी की।यह प्रस्तुत किया गया था कि इन गवाहों ने कहीं भी सीलिंग के विवरण का उल्लेख नहीं किया था, किस तरह की मुहरें लगाई गई थीं या उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्होंने वस्तुओं की बरामदगी और सीलिंग देखी थी।इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि 22.06.2011 पर वसूली अविश्वसनीय है।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि

एफ.

जी.

एच.

476

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

सभी संभावनाओं में, आरोपी अनुमान की तुलना में अधिक समय तक पुलिस हिरासत में थे, जो उनके द्वारा प्रकटीकरण बयानों की सत्यता और स्वैच्छिकता पर संदेह पैदा करता है।उसने यह भी प्रस्तुत किया कि अगले दिन यानी 23.06.2011 की बरामदगी समान रूप से अविश्वसनीय है क्योंकि वे गवाहों पीडब्लू-7 और प्रकाश इचके की उपस्थिति में दर्ज नहीं किए गए थे।पीडब्लू-7 उस दिन 8 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचाः45 हालांकि, प्रकटीकरण बयान पहले 7 के बीच दर्ज किए गए थेः50 और 8:15 ए. एम.-पूर्व द्वारा प्रमाणित। पी28, पी31 और पी34।उन दस्तावेजों पर गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए थे।यह प्रस्तुत किया गया था कि मौखिक साक्ष्य पूरी तरह से उल्लिखित तिथि और समय पर दस्तावेजों की तैयारी को कमजोर करता है और गलत साबित करता है।इसलिए, बरामदगी संदिग्ध है क्योंकि वे उसी दिन प्रकटीकरण बयानों के अनुसार की गई हैं, जो गवाहों के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले दर्ज किए गए थे।वकील के अनुसार एक और संदिग्ध परिस्थिति यह थी कि रिकवरी दोपहर में की गई, जो 02 से शुरू हुईः45 6 घंटे के अंतराल के बाद पीएम।पूर्व का समय। इस संबंध में पी29, पी30, पी32, पी33 और पी35 को दिखाया गया है।यह तर्क दिया जाता है कि जब प्रकटीकरण बयान 8 बजे दर्ज किए गए थेः15 सुबह, पुलिस ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि छह घंटे के अंतराल के बाद ही दोपहर में बरामदगी क्यों हुई।

बी.

सी.

डी.

23. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि बरामदगी भी संदिग्ध है क्योंकि विवरण समाचार पत्रों में 22.06.2011 और 23.06.2011 दोनों पर प्रकाशित किए गए थे।विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व पर भरोसा किया। डी4,22.6.2011 पर प्रकाशित, जिसमें अभियुक्त से एक पिस्तौल और चाकू की बरामदगी का उल्लेख है।ये रिकवरी उस दिन 9 बजे की गई थी:30 एएम और 10:35 एएम। महत्वपूर्ण रूप से, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कथित रूप से राहुल से संबंधित जूते की हिरासत की श्रृंखला, जिसे अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक खुली जगह से 22.6.2011 पर जब्त किया गया था, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जारी किया गया था कि यह जल्द ही 23.6.2011 पर प्रकाशित एक समाचार पत्र में फोटो खिंचवाया गया था, जबकि पुलिस अधिकारी के हाथों में था।रिलायंस को एक्स पर रखा गया है। डी 6 इस संबंध में।

ई.

एफ.

24. इसके बाद यह बताया गया कि अभियुक्तों को 23.6.2011 पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था।रिकॉर्ड से पता चलता है कि गिरफ्तारी 22.06.2011 की सुबह की गई थी, और आरोपी के प्रकटीकरण बयानों के अनुसार कई वस्तुओं को जब्त कर लिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, वसूली की गई थी।हालाँकि, मजिस्ट्रेट को ये लेख नहीं दिखाए गए और न ही 23.6.2011 पर आरोपी को पेश करने के समय मजिस्ट्रेट के सामने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।वरिष्ठ वकील द्वारा उजागर की गई यह प्रक्रियात्मक अनियमितता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 (3) ए के विपरीत है।

जी.

एच.

477

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

जिसके लिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी को किसी भी वस्तु की जब्ती की सूचना तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को देनी होती है।वकील उमेश पर निर्भर है

तुकाराम पडवाल और अन्र बनाममहाराष्ट्र राज्य 8, यह कहने के लिए कि गैर -

अनुपालन अभियोजन पक्ष की कहानी के लिए घातक है।25. सुश्री प्रकाश ने यह भी तर्क दिया कि पीडब्लू-10 दिलीप सेन एक संयोग गवाह हैं जिनकी गवाही अविश्वसनीय है क्योंकि इसमें विरोधाभास और भौतिक सुधार शामिल हैं।इसमें तीनों अभियुक्तों को देखने के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने के संबंध में एक भौतिक विरोधाभास है।अपने जाँच प्रमुख में, उन्होंने कहा कि उन्होंने समाचार पत्र में घटना के बारे में पढ़ा और इसलिए, गए और पुलिस को घटना के बारे में

सूचित किया।हालाँकि, अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि उन्होंने समाचार पत्र नहीं पढ़ा और समाचार पत्र पढ़े बिना पुलिस स्टेशन चले गए।उन्होंने एक अन्य कारण (गुमस्ता लाइसेंस प्राप्त करने के लिए) के लिए पुलिस स्टेशन जाने का भी उल्लेख किया और इस मामले के बारे में वहां चल रही चर्चाओं को सुनने के बाद, उन्होंने स्वेच्छा से जानकारी दी।इसके अलावा उसकी गवाही अविश्वसनीय है क्योंकि अपराध स्थल के विवरण को देखते हुए आरोपी के कपड़ों पर भी खून लगा होना चाहिए था।अभियुक्त के कपड़ों की वसूली ज्ञापन (उदा. पी29, पी32 और पी35) से पता चलता है कि घटना के दिन आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े हल्के रंग के थे जिन पर खून आसानी से दिखाई दे रहा था।इसके अलावा, पीडब्लू-10 ने घटना स्थल के पास अपनी उपस्थिति के बारे में बताया क्योंकि वह यह जांचना चाहता था कि क्या मकान संख्या 23 किराये के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है।हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने घटना स्थल के पास उसकी उपस्थिति को पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया है क्योंकि सदन संख्या 23 के मालिक से पूछताछ नहीं की गई थी और घटना स्थल पर पीडब्लू-10 की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं दिया गया था।पीडब्लू-10 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (पूर्व) के तहत अपने बयान में और सुधार किया। डी 7) उस स्थान पर नेहा की उपस्थिति के संबंध में। इसी तरह, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-8 अच्युतमल तेजवानी (जिनके अभिसाक्ष्य पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया था, यह कहने के लिए कि उन्होंने मनोज के साथ व्यवहार किया था) एक अविश्वसनीय गवाह है।एक चिकित्सक के रूप में उनकी साख पर संदेह थाःवकील ने गवाहों की जिरह पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि यह गवाह पाकिस्तान से भारत आ गया था, और सभी संभावनाओं में पुलिस के सामने था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

26. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परीक्षण पहचान परेड (टी. आई. पी.) के संचालन में 25 दिनों की देरी अस्पष्ट है।देरी का महत्व है क्योंकि अभियुक्तों की तस्वीरों का अनावरण किया गया था

8 (2019) 8 एस. सी. सी. 567

एच.

23.06.2011 से शुरू होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित।इस संबंध में, पूर्व पर निर्भरता रखी गई है। डी6, डी45 और डी48 समाचार पत्र के लेख हैं जिनमें तस्वीरें हैं।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि टी. आई. पी. की प्रक्रिया संदिग्ध थी क्योंकि राहुल और मनोज को टी. आई. पी. लाइन-अप में एक साथ खड़ा किया गया था।पहचान ज्ञापन अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति को दर्ज नहीं करता है।सुश्री प्रकाश ने कहा कि राहुल और मनोज एक जैसे नहीं दिखते हैं-वह गिरफ्तारी ज्ञापन पूर्व पर भरोसा करती हैं। उसके तर्क का समर्थन करने के लिए पी12 और पी15।पीडब्लू-10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि कुछ व्यक्ति लंबे थे, अन्य छोटे थे; कुछ गोरे थे और अन्य काले थे।इसलिए, संयुक्त टी. आई. पी. प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।इस संबंध में वकील ने लाल सिंह पर भरोसा किया

बी.

और अन्य बनाम यू. पी. राज्य 9, मुथुस्वामी बनाम मद्रास राज्य 10 और मोहम्मद अब्दुल हफीज बनाम ए. पी. राज्य 11 यह कहने के लिए कि

सी.

अलग-अलग विशिष्टताएँ, अपेक्षाकृत लंबे समय के बाद किए गए अभियुक्त के टी. आई. पी. पर अदालतों द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता है।

27. विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि राहुल की पहचान के बारे में गंभीर संदेह था, जिसे गिरफ्तारी ज्ञापन पूर्व की तैयारी तक सभी दस्तावेजों में "गोविंद" के रूप में संदर्भित किया गया था। 22.06.2011 पर P12।गिरफ्तारी ज्ञापन में राहुल का उपनाम उसके साथ जुड़े होने का कोई कारण नहीं था।इससे व्यक्ति की पहचान के बारे में संदेह पैदा होता है।गोली की चोट के चिकित्सा उपचार के साथ-साथ मामले की कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेज (पी. डब्ल्यू.-29 द्वारा दर्ज अपराध संख्या 377/2011 महत्वपूर्ण रूप से घटना की तारीख पर) उसे गोविंद के रूप में संदर्भित करते हैं।ये थे Ex.P103-10 बजे देहातीनालिसी:30 19.06.2011 पर PM; Ex. पी97-जिला अस्पताल को पुलिस का पत्र और घावों की जांच करने और उन्हें एम. वाई. अस्पताल में भेजने के बाद जिला अस्पताल इंदौर की रिपोर्ट; Ex.P104-रात 11 बजे 19.06.2011 पर अपराध का विवरण दर्ज किया गया। पी105-12 बजे गोलीबारी की घटना की एफ. आई. आर.:15 सुबह 20.06.2011 पर; Ex.P101-केस क्लोजर रिपोर्ट 29.06.2011 पर; Ex.P113 MY अस्पताल में PW-32 डॉ. नीलेश गुरु द्वारा 20.06.2011 पर हस्ताक्षरित।

डी.

ई.

एफ.

28. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राहुल के इलाज करने वाले डॉक्टरों (पीडब्लू-26 और पीडब्लू-32) द्वारा, या यहां तक कि पीडब्लू-30 आर. एस. मकवाना (पीएस अन्नपूर्णा के) की टी. आई. पी. में या न्यायालय में, एक ओर, और पी. डब्ल्यू. 29 गौरीशंकर चादर (पीएस अन्नपूर्णा के) द्वारा न्यायालय में उनकी पहचान गोविंद @राहुल के रूप में नहीं होना महत्वपूर्ण है।राहुल को कथित तौर पर भर्ती कराया गया था

जी.

9 2003 (12) एससीसी 554 10 एआईआर 1954 एससी 4 11 (1983) 1 एससीसी 143 ए

एच.

479

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

एम. वाई. अस्पताल में और इलाज करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों के लिए उनकी पहचान करने का पर्याप्त अवसर था।ऐसा करने में उनकी चूक गंभीर संदेह पैदा करती है।

29. सुश्री प्रकाश ने तर्क दिया कि अस्पताल में भर्ती करने के संबंध में सामग्री को दबा दिया गया था।इस संबंध में, यह बताया गया है कि एक्स। पी113 में केवल प्रवेश की तारीख का उल्लेख 20.06.2011 के रूप में किया गया है और रोगी का नाम गोविंद के रूप में उल्लिखित है।उन्हें दिए गए उपचार और उनके डिस्चार्ज होने के समय के बारे में रिकॉर्ड पर कोई जानकारी नहीं है।यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अस्पताल से किसी ने भी इलाज करा रहे व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए गवाही नहीं दी है।इसी तरह, राहुल से निकाली गई गोली की हिरासत की श्रृंखला साबित नहीं हुई।इस संबंध में यह तर्क दिया गया कि पीडब्लू-32 डॉ. नीलेश गुरु ने गोली निकाली और इसे एमवाई अस्पताल के मेडिको-लीगल केस सेक्शन में 20.06.2011 पर जमा कर दिया।उन्होंने गोली को सील करने के लिए बिल्कुल भी गवाही नहीं दी।पीडब्लू-30 द्वारा एमवाई अस्पताल से एक अज्ञात डॉक्टर से 23.06.2011 पर एक सीलबंद गोली एकत्र की गई थी।गोली को पीडब्लू-30 के सामने बंद नहीं किया गया था।इसलिए, यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि गोली को किसने और कब सील किया।यह आग्रह किया गया कि मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश दिनांक 23.06.2011 में किसी भी चोट को छोड़ दिया जाए, विशेष रूप से अपीलार्थी 2 राहुल @गोविंद पर जो उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद से दिखाई दे रहा था।इसके अलावा, मुकदमे के दौरान आरोपी व्यक्तियों के किसी भी एमएलसी को पेश नहीं किया गया।यह भी तर्क दिया गया कि एक झूठे मामले की रिपोर्टिंग और चिकित्सा उपचार की मांग करने और राहुल द्वारा गोली के बारे में उन्हें सचेत करने के लिए पीएस अन्नपूर्णा को सूचित करने के बारे में अभियोजन पक्ष का बयान अविश्वसनीय है।

Ex. पी97 से पता चलता है कि इसे पीएस अन्नपूर्णा में तैयार किया गया था।दस्तावेज़ से ऐसा प्रतीत होता है कि गोविंद को एक अग्रेषण पत्र के साथ जिला अस्पताल भेजा गया था जिसमें उत्सुकता से एक नोट है जिसमें राय मांगी गई है कि क्या चोट स्वयं लगी है।यह सीधे तौर पर पीडब्लू-29 की कहानी का खंडन करता है कि राहुल @गोविंद ने चिल्लाया था और पुलिस को सूचित किया था कि वह जिला अस्पताल जा रहा है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

30. Ex के संदर्भ में। पी104 राहुल ने 11 बजे 19.06.2011 पर तैयार किए गए स्थल मानचित्र पर हस्ताक्षर किए थे:00 पीएम। हालाँकि, अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि राहुल अपने घायल पैर का इलाज कराने जा रहा था और उस दौरान उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि सिपाही दिनेश राहुल को जिला अस्पताल और बाद में एम. वाई. अस्पताल ले गया।उस सिपाही की जांच नहीं की गई है और परीक्षा न देने का कोई कारण नहीं बताया गया है।विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस बारे में कोई सामग्री नहीं है कि राहुल गोली की चोट के साथ जिला अस्पताल से एम. वाई. अस्पताल कैसे गए, या कौन उन्हें जिला अस्पताल से एम. वाई. अस्पताल ले गया और जिन्होंने उनका एक्स-रे किया।

जी.

एच.

31. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि जहां तक सही जूते के जब्ती ज्ञापन का संबंध है, ज्ञापन (पूर्व। पी75) अभय तिवारी के कहने पर पीएस अन्नपूर्णा में तैयार किया गया था, जिनसे भी अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी।इससे दस्तावेज़ की सामग्री अस्वीकार्य हो जाती है।पीडब्लू-20 हरभजन सिंह को जूते पर लगा लोगो याद नहीं था।उन्होंने यह भी नहीं बताया कि जूता किस पैर (बाएँ या दाएँ पैर) या उसके आकार में फिट बैठता है।उन्होंने यह नहीं बताया कि यह खेल था या चमड़े का जूता और फीता का भी वर्णन नहीं किया।पीडब्लू-20 ने अपदस्थ किया कि उसे उसकी उपस्थिति में जब्त कर लिया गया था, हालाँकि, वह यह उल्लेख नहीं

करता है कि उसे उसके सामने सील कर दिया गया था या नहीं।पीडब्लू-29 ने केवल यह बताया कि अभय तिवारी को जूता मिला और यह तर्क दिया गया कि यह सुनी सुनाई बातों का सबूत था।महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए कोई जांच नहीं की गई कि जब्त किया गया जूता राहुल @गोविंद के आकार का भी था।उनके पैर के आकार को कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की धारा 2 (ए) और 4 के तहत मापा जा सकता था, जो नहीं किया गया था।

बी.

सी.

32. इसके बाद यह आग्रह किया गया कि पीडब्लू-12 तहसीलदार द्वारा 09.07.2011 पर रखे गए आभूषणों के टी. आई. पी. में गंभीर अंतराल थे।इस संबंध में, यह बताया गया कि पीडब्लू-3 दीपक रानाडे ने रोहिणी के हाथ से दो चूड़ियों को हटा दिया और उसके शरीर से एक कुड़िया (झुमका) निकालकर उसे सौंप दिया।आभूषण पहचान कार्यवाही के दौरान, पीडब्लू-1 ने मेघा की चार (4) चूड़ियों और रोहिणी की दो (2) चूड़ियों की पहचान की।यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पीडब्लू-1 द्वारा पहचानी गई चूड़ियों में पीडब्लू-3 को सौंपी गई चूड़ियां शामिल हैं।इसके अलावा, यदि मृतक रोहिणी की चूड़ियां पीडब्लू-3 को दी गई थीं, जो पीडब्लू-1 द्वारा पहचानी गई थीं, तो अभियुक्तों से बरामद की गई दो चूड़ियों का पीडब्लू-3 को दी गई चूड़ियों से मिलान नहीं किया गया था।यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या आभूषणों को कानून द्वारा आवश्यक समान डिजाइन वाली अन्य वस्तुओं के साथ मिलाया गया था।इसी तरह के टूटे हुए मंगलसूत्र के टुकड़े पहचान की कार्यवाही के दौरान भी रखे जाने चाहिए थे।इसके अलावा, पहचान ज्ञापन (उदा. पी1) ने यह नहीं बताया कि पहचाने गए आभूषणों के साथ कितने समान आभूषणों को मिलाया गया था।पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 के साक्ष्य में विसंगति है कि 21.06.2011 पर पूछताछ करने पर चोरी होने के बारे में कहा गया था।पीडब्लू-3 के अनुसार, 21.06.2011when पर वह पीडब्लू-1 के साथ मृतक के घर गया, पीडब्लू-1 ने केवल लापता कैमरे के बारे में सूचित किया।33. डी. एन. ए. विश्लेषण रिपोर्ट पर निर्भरता को चुनौती देते हुए वकील ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ. एस. एल.) में वस्तुओं को भेजने में अत्यधिक देरी हुई। 23.06.2011 पर जब्त की गई वस्तुओं को 13.07.2011 (20 दिनों के बाद) पर एफ. एस. एल. को जांच के लिए भेजा गया था जैसा कि पूर्व ने देखा था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

पी115।अभियोजन पक्ष द्वारा इस देरी की व्याख्या नहीं की गई थी।इसलिए, यह आग्रह किया गया कि इस मामले में पुलिस मालखाने के रिकॉर्ड और वस्तुओं को सुरक्षित रखने की शर्तें महत्वपूर्ण हैं।इसके अलावा, सांख्यिकीय विश्लेषण आयोजित नहीं किया गया था जो वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।डी. एन. ए. विशेषज्ञ पी. डब्ल्यू.-35. डॉ. की प्रतिपरीक्षा की कमी। इस पर पंकज श्रीवास्तव को महत्वहीन बताया गया क्योंकि यह वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में डी. एन. ए. रिपोर्ट की स्वीकार्यता पर जाता है और इस न्यायालय को वैज्ञानिक प्रक्रिया में इस गंभीर अंतर पर विचार करना चाहिए।वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतक के रक्त संदर्भ नमूने एकत्र और परीक्षण नहीं किए गए थे।अपराध स्थल पर शवों के बगल में पाए गए सूती फाहे पर एकत्र किए गए रक्त का उपयोग संदर्भ नमूनों के रूप में किया गया था, जो अविश्वसनीय है।अंत में, वकील ने आग्रह किया कि कोई प्रयोगशाला रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था-पीडब्लू-35 ने उल्लेख किया कि अवलोकन पत्रक में प्राप्त नमूनों और परीक्षण के विवरण को नोट किया गया था। यह पत्रक प्रयोगशाला रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था।इसके अलावा, इलेक्ट्रोफेरोग्राम को प्रयोगशाला रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था।

बी.

सी.

डी.

34. बैलेस्टिक रिपोर्टों और अभियोजन पक्ष के दावे कि राहुल के पैर से निकाली गई गोली, और मेघा के शरीर से बरामद गोली एक ही हथियार से चलाई गई थी, के बगल में मुड़ते हुए, यह तर्क दिया गया कि ये परिस्थितियाँ राहुल की गिरफ्तारी के तरीके, उसकी पहचान के बारे में संदेह, उसके पैर से गोली को जब्त करने के तरीके, उसकी सीलिंग, हिरासत और न्यायालय में पेश करने के संबंध में अविश्वसनीयता के कारण साबित नहीं हुईं।वकील ने प्रस्तुत किया कि लेख बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा केवल 14.07.2011; बैलिस्टिक रिपोर्ट Ex पर प्राप्त किए गए थे। पी120 दिनांकित 30.07.2011 है।

ई.

35. अपराध स्थल से जब्त की गई वस्तुओं पर मुहरों के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था, जिसमें दागे गए कारतुस भी शामिल थे।वकील के अनुसार परीक्षण फायर कार्ट्रिज के साथ उनका परिणामी मिलान अविश्वसनीय था।यह आग्रह किया गया कि जूते के रासायनिक विश्लेषण के दौरान तांबे की उपस्थिति अविश्वसनीय है क्योंकि जूता अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन में जब्त किया गया था और गवाह अभय तिवारी से पूछताछ नहीं की गई थी।इसके अलावा, जीवित कार्ट्रिज की

प्राइमर टोपी (घटना स्थल से जब्त) पी. डब्ल्यू.-16 भीम बहादुर द्वारा जांच के दौरान गिर गई थी, जो शस्त्र शाखा से थे और उन्होंने कार्ट्रिज को सील कर दिया था।हालाँकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने इसे फिर से लोड किया है।हालाँकि, बैलिस्टिक जाँच के दौरान, यह पाया गया कि अनुच्छेद ए-6 में एक जीवित 7.65mm क्षमता वाला पिस्तौल कार्ट्रिज था जिसे एल. आर. 1 (एक्स में) चिह्नित किया गया था। पी120)।एल. आर. 1 के विवरण में कहा गया है कि यह एक फिर से लोड किया गया जीवित कार्ट्रिज है।हथियारों की शाखा की मुहरें

एफ.

जी.

एच.

जब उन्हें 13.07.2011 (Ex.) पर एफ. एस. एल. भेजा गया तो जीवित गोलियां बरकरार थीं। पी115)।इन तथ्यों ने अपनी स्थिति में विसंगतियों को देखते हुए अनुच्छेद ए-6 (जीवित कार्ट्रिज) की हिरासत की श्रृंखला के बारे में संदेह पैदा किया।इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि एफएसएल द्वारा परीक्षण गोलीबारी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था:यदि जीवित कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता, तो यह संभव नहीं होता क्योंकि प्राइमर कैप गिर गई थी, जिससे यह अनुपयोगी हो गई थी।रिपोर्ट (उदा. पी120) ने गोलीबारी परीक्षण के लिए एक अन्य परीक्षण गोला-बारूद के उपयोग का उल्लेख नहीं किया, जिसका विवरण रिपोर्ट के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसी गोला-बारूद का उपयोग किया जा रहा है।वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतक के बाईं ओर पाए गए गोलियां और पैरों की तस्वीर नहीं ली गई थी-जैसा कि अपराध रिपोर्ट के दृश्य से स्पष्ट है (उदा. पी77) और अपराध स्थल की तस्वीरें (Ex.P56)।पीडब्लू-9 ने अपने हाथ में गोली नहीं देखी और कहा कि यह आकार में छोटी थी।यह नहीं बताया गया है कि वह गोली और दागे गए कारतुस पर लिखे क्षमता (के. एफ. 7.65) को कैसे याद करता है।

बी.

सी.

36. विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि उंगलियों के निशान उठाने, उन्हें विशेषज्ञ जांच के लिए भेजे जाने और रिपोर्ट से संबंधित परिस्थितियां उचित संदेह से परे साबित नहीं हुईं।यह आग्रह किया जाता है कि घटना स्थल पर पाए गए संयोग के निशान के संबंध में, पीडब्लू-5 विशाल पांडे ने फिंगरप्रिंट पर्ची पर हस्ताक्षर करने का उल्लेख नहीं किया।अपराध स्थल पर मौजूद किसी

भी व्यक्ति से एलिमिनेशन प्रिंट नहीं लिए गए थे।यह साबित करने के लिए कि उंगलियों के निशान अभियुक्तों के थे, नमूना छापों की पहचान साबित नहीं हुई क्योंकि न तो अभियुक्त के हस्ताक्षर थे और न ही उनकी तस्वीरें पूर्व पर चिपकाई गई थीं। पी. 41, पी. 42, या पी. 43, पी. डब्ल्यू.-13 विजय सिंह चौहान (सिपाही) द्वारा बताए गए कथन के विपरीत, जिन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर लिए थे।नमूनों के प्रिंट 23.06.2011 पर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लिए गए थे, बल्कि अगले दिन (24.06.2011) पीएस एम. आई. जी. में लिए गए थे। जाँच के लिए उंगलियों के निशान भेजना:किसी भी गवाह (पीडब्लू-13, पीडब्लू-24, या पीडब्लू-31) ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है जो यह सुझाव देता हो कि प्रिंट को मुहरबंद स्थिति में फिंगरप्रिंट शाखा में भेजा गया था।कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की धारा 5 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रिंट लेने के विवेक के नियम का उल्लंघन किया गया था।इसके अलावा, दोनों विभाग इंदौर में होने के बावजूद, 3 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी के बाद, यानी 27.06.2011, अभियुक्तों के नमूने की उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट शाखा को भेजे गए थे। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट (उदा. पी84) विश्वसनीय नहीं है क्योंकि मृतक के प्रिंटों के उन्मूलन की व्याख्या पीडब्लू-24 के. के. द्विवेदी (फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ) या उनकी रिपोर्ट एक्स में नहीं की गई थी। पी84।केवल उन्मूलन के अंतिम निष्कर्ष के बारे में लिखा गया है।इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि उंगलियों के निशान सभी व्यक्तियों के लिए अद्वितीय हैं और इसलिए, इस पर भारी निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।यह केवल ए है

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

483

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

प्रकृति में पुष्टिकारक।इसके अलावा, वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके पास से जब्त चाकू, पिस्तौल और गहने से उंगलियों के निशान नहीं उठाए गए थे।

अभियुक्त।वकील ने मोहम्मद पर भरोसा किया।अमन और एन. आर. वी.राजस्थान राज्य 12 और चंद्रन @सुरेंद्रन और अन्र. बनाम.केरल राज्य 13, बहस के लिए

कि फिंगरप्रिंट प्रूफ वास्तव में दोषसिद्धि का कारण नहीं बन सकता है।37. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तब तर्क दिया कि जूता छाप रिपोर्ट (एक्स। पी125) ने उल्लेख किया कि मौका जूते के निशान अधूरे और अस्पष्ट थे, जिसके बावजूद विशेषज्ञ ने परीक्षा के साथ आगे बढ़े और यह पाया कि

प्रिंट एफ 6 (दाएं), जी4 (दाएं) और एच 3 (जो पूर्व के अनुसार किस पक्ष को निर्दिष्ट नहीं करता है) के समान हैं। 125)।मध्य प्रदेश पुलिस विनियम नियमों के नियम 822 (4) के साथ-साथ कैदियों की पहचान अधिनियम की धारा 2 (ए) सहपठित धारा 4 के अनुसार राहुल के पैर की छाप नहीं ली गई थी।यह आग्रह किया गया कि यह साबित करने के लिए महत्वपूर्ण था कि राहुल ने जूता आकार 44 पहना था।पीडब्लू-5 ने उल्लेख किया कि फर्श पर बहुत खून था।पीडब्लू-5 या घटना स्थल पर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति से जूतों के हटाने के निशान एकत्र नहीं किए गए थे।इस बिंदु पर यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य लोगों के अलावा, पांच व्यक्ति जांच कार्यवाही के गवाह के रूप में कार्य करने के लिए घटना स्थल में प्रवेश कर गए थे।अपराध रिपोर्ट का दृश्य (उदा. पी77) ने उल्लेख किया कि जूतों के निशान रक्तरंजित और आंशिक प्रकृति के थे।ये सभी पदचिह्न विशेषज्ञ की रिपोर्ट की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा करते हैं।

बी.

सी.

डी.

38. अपीलार्थी नेहा की ओर से निःशुल्क बहस करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री सिंह ने सुश्री अंजना प्रकाश की दलीलों को पूरा किया।उन्होंने नेहा की गिरफ्तारी के बारे में अभियोजन पक्ष के बयान पर सवाल उठाया।उन्होंने प्रस्तुत किया कि आधिकारिक तौर पर नेहा का गिरफ्तारी ज्ञापन (पूर्व। पी9) देवेंद्र नगर में तैयार किया गया था।जब नेहा को गिरफ्तार किया गया था, तो एक व्यक्तिगत ज़ब्ती ज्ञापन (पूर्व। पी10) और एक प्रकटीकरण ज्ञापन (उदा. पी11) तैयार था। नेहा ने ए. टी. एम. के बाहर क्यों तलाशी ली, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पी22) ने Ex.P9 के माध्यम से जब्त किया गया फोन नहीं दिया था, दिया गया था।पीडब्लू-31 आई. ओ. ने स्वीकार किया कि यह नेहा के गिरफ्तारी ज्ञापन में दर्ज नहीं किया गया था।उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने न तो जब्त किए गए फोन की तकनीकी जांच की और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया कि इस संबंध में जांच क्यों नहीं की गई।इसके अलावा, डी. डब्ल्यू.-1 एस. आई. दीपिका शिंदे ने सी. डी. आर. 14 का विश्लेषण करना स्वीकार किया।सीडीआर को निचली विचारण न्यायालय में पेश नहीं किया गया था।

ई.

एफ.

जी.

12 (1997) 10 एससीसी 44

13 (1991) पूरक (1) एस. सी. सी. 39

14 कॉल विवरण रिकॉर्ड, जो उपकरण से प्राप्त और की गई आने वाली और जाने वाली कॉल को सूचीबद्ध करता है।

एच.

39. यह आग्रह किया गया कि ये चूक न्यायालय को पुलिस के खिलाफ साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 (जी) के तहत एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती है, जिससे नेहा की आशंका, उसकी गिरफ्तारी और उसके बाद की बरामदगी पर गंभीर संदेह पैदा होता है।रिलायंस को इस संबंध में नूर पर रखा गया है

आगा बनाम पंजाब राज्य 15 और चुनथुराम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 16.

40. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीडब्लू-4 बन्नो सोलंकी (महिला कांस्टेबल) से घटना के ठीक तीन महीने बाद आईडी1 पर जिरह की गई थी।जिरह में सुझाव दिया गया कि नेहा को डी. डब्ल्यू.-1 एस. आई. दीपिका शिंदे द्वारा 21.06.2011 की शाम को पुलिस स्टेशन लाया गया था।पीडब्लू-4 22.06.2011 पर नेहा के आवास की तलाशी में उनकी भूमिका के बारे में चुप थी, हालांकि उन्होंने दावा किया कि वह पहले नेहा की गिरफ्तारी के दौरान मौजूद थीं।पीडब्लू-28 ने डीडब्ल्यू-1 की भूमिका के बारे में जिरह के दौरान कहा कि उन्हें और डीडब्ल्यू-1 को आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति मिली।पी. डब्ल्यू.-6 ने भी जिरह के दौरान स्वीकार किया कि डी. डब्ल्यू.-1 छापा मारने वाली टीम का हिस्सा था।इन तथ्यों को अभिलेख से मिटा दिया गया था।मुकदमे के दौरान यह लगातार बचाव की रेखा थी।दोनों अवर न्यायालयों ने नेहा के बचाव के इस पहलू की अवहेलना की-हालांकि इस मामले की जांच में डीडब्ल्यू-1 की भागीदारी निर्णायक रूप से साबित हुई।इसके अलावा, कई अवसरों के बावजूद, अभियोजन पक्ष जांच के दौरान डीडब्ल्यू-1 के कृत्यों की व्याख्या करने में विफल रहा, या उसकी भूमिका को विशेष रूप से क्यों मिटा दिया गया था।इस संबंध में रिलायंस को रीना हजारिका बनाम असम राज्य 17 पर रखा गया है।यह आग्रह किया गया था कि यह अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष देता है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

41. यह तर्क दिया गया कि डी. डब्ल्यू.-1 दीपिका शिंदे की गवाही वास्तव में दर्शाती है कि तकनीकी साक्ष्य का विश्लेषण घटना की तारीख पर ही किया गया था।यह पीडब्लू-4, पीडब्लू-28, पीडब्लू-31 सहित जांच दल की गवाही में टेलीफोनिक साक्ष्य के पूर्ण अभाव के साथ मेल नहीं खाता है।जाँच के दौरान इस बारे में टेलीफोन पर साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए कि क्या

अभियुक्त एक-दूसरे से बात करते थे, या एक-दूसरे को जानते थे, या क्या मृतक ने किसी भी अभियुक्त से बात की थी, या स्थान का त्रिकोण नहीं किया गया था और इसे मुकदमे से बाहर रखा गया है।यह आग्रह किया गया था कि इसके स्थान पर, इस न्यायालय को अब जांच दल के स्पष्ट निर्देश पर भरोसा करना पड़ा, यह जानते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न केवल उपलब्ध थे, बल्कि नेहा के नुकसान के लिए गुप्त रूप से उपयोग किया गया था।यह बताया गया कि पीडब्लू-31 आईओ ने अधिकारियों की उपस्थिति का कोई संदर्भ नहीं दिया

एफ.

जी.

15 (2008) 16 एससीसी 417 16 (2020) 10 एससीसी 733 17 (2019) 13 एससीसी 289 ए

एच.

485

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

क्राइम ब्रांचॉन 19.06.2011,20.06.2011, या 21.06.2011।हालाँकि, पीडब्लू-28, विजय सिंह चौहान ने अपनी अपराध शाखा पोस्टिंग का संदर्भ दिया, और पीडब्लू-19 वाईआर गायकवाड़ को सूचित किया, जो उन्होंने (यानी, पीडब्लू-28) 22.06.2011 पर देखा था। हालांकि, पी. डब्ल्यू.-19 ने पी. डब्ल्यू.-28 ऑन 22.06.2011 से कोई भी जानकारी प्राप्त करने पर चुप रहा।डी. डब्ल्यू.-1 की जाँच करने की क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि सी. आर. पी. सी. एक ही मामले में समानांतर/कई जाँचों की अनुमति नहीं देता है।

बी.

42. यह प्रस्तुत किया गया था कि नेहा से "ओरिफ्लेम" दस्तावेज़ की बरामदगी के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने एक प्रदर्शनी के रूप में दस्तावेज़ पर भरोसा नहीं किया।अभियोजन पक्ष ने 22.06.2011 (Ex.P11) पर नेहा के आवास से बरामद किए गए फॉर्म, कैटलॉग या इत्र के बारे में कोई संदर्भ प्रदान करने के लिए कंपनी के किसी भी अधिकारी से पूछताछ नहीं की।नेहा से जब्त किए गए फॉर्म को मृतक मेघा द्वारा भरे जाने का कोई सबूत नहीं है और न ही नेहा के हस्ताक्षर की पहचान की गई या साबित किया गया।वकील ने जोर देकर कहा कि इस तरह के प्रपत्र में गवाही देने वाले स्वतंत्र गवाह इस बात का संकेत नहीं देते हैं कि उस पर कोई हस्ताक्षर थे।पीडब्लू-3 ने केवल इतना कहा कि नेहा के आवास से एक कागज/दस्तावेज़ ("ओरिफ्लेम" का) बरामद किया गया था।उन्होंने यह नहीं बताया कि फॉर्म भरा गया था या नहीं।पीडब्लू-6 ने कहा कि फॉर्म सहित कुछ वस्तुओं को उनकी उपस्थिति में जब्त कर लिया गया था, लेकिन उनकी प्रकृति/विवरण का संकेत नहीं दिया गया था।जबकि पीडब्लू-3 ने प्रपत्र की पहचान की, ऐसे प्रपत्र पर लिखावट की पहचान करने के उद्देश्य से उनके सामने कोई प्रश्न नहीं रखा गया था।

इस तरह की जब्ती के समय स्वतंत्र गवाहों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों के हस्ताक्षर फॉर्म वाले पुलैंडा पर नहीं पाए गए थे।"ओरिफ्लेम" प्रपत्र के संदर्भ में कोई भी विवरण प्रदान करने वाला एकमात्र गवाह पीडब्लू-31 आईओ है। यह आग्रह किया गया था कि ये "विवरण" भी जांच या मुकदमे के दौरान बिना परीक्षण के पीडब्लू-31 के गुणदोष थे।यह भी बताया गया कि ओरिफ्लेम फॉर्म की वसूली से संबंधित नेहा से पूछे गए सभी प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया गया था।जबकि पीडब्लू-1, अपने मुख्य परीक्षण में कहता है कि उसकी पत्नी ओरिफ्लेम में सलाहकार थी, नेहा के घर से जब्त किया गया फॉर्म उसे नहीं दिखाया गया था।हो सकता है कि इस संबंध में उनके पास से साक्ष्य सामने आए हों।वास्तव में, न तो पीडब्लू-1 और न ही किसी ओरिफ्लेम कर्मचारी ने मेघा की लिखावट को स्वीकार किया।अभियोजन पक्ष ने मेघा की कथित लिखावट/हस्ताक्षर स्थापित करने के लिए प्रपत्र की कोई फोरेंसिक जांच नहीं की।इसके अलावा, पीडब्लू-एल जब्त की गई वस्तुओं की जब्ती के लिए एक टी. आई. पी. में भी शामिल था, जिसमें कथित रूप से मृतक के कुछ आभूषणों की उसके द्वारा पहचान की गई थी।इन कार्यवाही में अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें "ओरिफ्लेम" फॉर्म नहीं दिया गया था।इसलिए, यह स्पष्ट है कि "ओरिफ्लेम" दस्तावेज़ मृतक को नहीं जोड़ता है,

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

मेघा या नेहा के साथ उसके संबंध की इस दस्तावेज़ पर कोई जाँच नहीं हुई थी।इसलिए, पीडब्लू-31 आई. ओ. के इप्स डिक्सिट को छोड़कर, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चलता है कि "ओरिफ्लेम" फॉर्म मेघा के लिए भरा गया था, या उनके द्वारा भरा या हस्ताक्षर किया गया था।

43. श्री सिंह ने इसके बाद आग्रह किया कि डी. डब्ल्यू.-1 दीपिका शिंदे ने नियंत्रण कक्ष द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर 19.06.2011 पर मौके पर जाने की बात स्वीकार की।उसने पीएस एम. आई. जी. के अधिकारियों से भी जानकारी मांगी और उसके बाद मृतक व्यक्तियों के

पड़ोसियों से बात की।हालाँकि, डी. डब्ल्यू.-1 अपनी जाँच के दौरान इस संबंध में कोई विवरण नहीं दे सकी।यद्यपि डी. डब्ल्यू.-1 ने कहा कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों के सी. डी. आर. की जांच की, लेकिन उसने अपनी गवाही में इस तरह के विश्लेषण का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया।डी. डब्ल्यू.-1 ने भी नेहा से पूछताछ करना स्वीकार किया।डी. डब्ल्यू.-1 ने आगे पुष्टि की कि उन्हें एक सूत्र द्वारा सूचित किया गया था कि नेहा जींस की एक जोड़ी और मैरून टॉप पहनकर अपना घर छोड़ देंगी।यह जानकारी डी. डब्ल्यू.-1 को नेहा की गिरफ्तारी से पहले प्राप्त हुई थी, और इसलिए संभवतः डी. डब्ल्यू.-1, उसकी खुद की स्वीकारोक्ति के अनुसार, 22.06.2011 से परे भी जाँच में शामिल था।इसके अलावा, डी. डब्ल्यू.-1 ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ स्रोत जानकारी साझा की।पीडब्लू-28 ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से झूठी गवाही देते हुए यह भी कहा कि जब उसने नेहा को एल. आई. जी. तिराहा में देखा, तो उसने "काली जींस और एक मैरून टॉप" पहना हुआ था।पीडब्लू-28 के अभिसाक्ष्य से पता चलता है कि उसने कथित तौर पर नेहा को कैसे देखा, जो डीडब्ल्यू-1 की गवाही से गलत साबित होता है।इस तरह के अभिसाक्ष्य के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने डी. डब्ल्यू.-1 से जिरह नहीं करने का फैसला किया।

बी.

सी.

डी.

ई.

44. यह तर्क दिया गया था कि जांच के दौरान डीडब्ल्यू-1 दीपिका शिंदे की उपस्थिति की पुष्टि पीडब्लू-7 की गवाही से हुई थी।उन पर 22.06.2011 पर नेहा के आवास से बरामदगी का एक स्वतंत्र गवाह होने का आरोप है।अपनी गवाही के पैराग्राफ 14 में और जिरह के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि डी. डब्ल्यू.-1 छापा मारने वाली टीम का हिस्सा था-एक ऐसा तथ्य जिसे रिकॉर्ड से बाहर रखा गया है।वकील ने प्रस्तुत किया कि इन सभी तथ्यों का जवाब 22.06.2011 से पहले नेहा की अवैध हिरासत द्वारा दिया जा सकता है।यह दृढ़ता से आग्रह किया गया कि नेहा की व्यक्तिगत खोज और उसके आवास से बरामद की गई चीजें दूषित थीं और इन कथित कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड और बरामदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।जिस तरह से अभियोजन पक्ष का कथित रिकॉर्ड 22.06.2011 पर होने वाली घटनाओं को दर्शाता है, उससे संकेत मिलता है कि पुलिस ने रिकॉर्ड को गढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप नेहा का गलत निहितार्थ है।

एफ.

जी.

45. श्री सिंह ने इसके बाद तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के बीच कोई पूर्व संबंध साबित नहीं किया।न ही किसी सामग्री का उत्पादन किया गया था ए

एच.

487

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

यह सुझाव देने के लिए कि तीनों आरोपी एक-दूसरे को जानते थे या घटना स्थल पर डकैती करने की कोई पूर्व योजना, समझौता या सामान्य इरादा था।अभियोजन पक्ष की अभियुक्त व्यक्तियों के सी. डी. आर. तक पहुंच थी और वह इस तथ्य को प्रदर्शित कर सकता था कि क्या कोई संबंध था, जो कोई नहीं था।किसी भी तरह से सी. डी. आर. साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण था और यह स्पष्टीकरण की कमी कि यह जांच का हिस्सा क्यों नहीं था, जांच और इसकी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है।यह कहा गया था कि जबकि आधिकारिक जांच में दावा किया गया था कि कोई सीडीआर प्राप्त नहीं किया गया था (इसके लिए पीडब्लू-31 के बयान पर भरोसा किया गया है), डीडब्ल्यू-1 द्वारा की गई अनौपचारिक जांच (या, उस सामग्री को अदालत से दूर रखा गया है) ने स्वीकार किया कि सीडीआर तक उनकी पहुंच और विश्लेषण था। यह पहलू बचाव पक्ष को विश्वास दिलाता है कि वर्तमान जांच अनुचित थी और आरोपी के अपराध के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए उस पर भरोसा करना असुरक्षित होगा।रिलायंस को सुरेश सखाराम नांगरे बनाम पर रखा गया है।

बी.

सी.

इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य 18.

46. यह आगे तर्क दिया गया कि नेहा को आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए, अदालतें यह समझने में विफल रहीं कि यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ उसका कोई सामान्य इरादा था, हत्या करने का सामान्य इरादा बहुत कम था।इसके अलावा, नेहा की दोषसिद्धि की प्रकृति इस बात पर प्रकाश डालती है कि उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया था; उसे कोई चोट नहीं लगी थी और अपराध स्थल से उसका कोई भी व्यक्तिगत सामान बरामद नहीं किया गया था।

डी.

ई.

47. पीडब्लू-10 के संबंध में सुश्री प्रकाश की दलीलों को पूरा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि अंतराल और विरोधाभासों के कारण इस मौका गवाह की गवाही अविश्वसनीय थी।पीडब्लू-10 की जिरह से पता चला कि उसकी जाँच-इन-चीफ धारा 161 सीआरपीसी के तहत उसके बयान में सुधार था-गवाह ने घटना के अपने संस्करण को सुशोभित किया था, जैसे कि आरोपी व्यक्तियों की चोट का तथ्य, और अधिक विशेष रूप से, नेहा का बयान उसकी स्कूटी पर आया

था और एक लड़के को दूसरे घायल लड़के को अस्पताल ले जाने के लिए कहा था।पीडब्लू-10 ने इस बारे में भी खुद का खंडन किया कि उसे पुलिस स्टेशन में क्या लाया गया और टी. आई. पी. के बारे में। अपने मुख्य जाँच अधिकारी में उन्होंने कहा कि टी. आई. पी. में एक महिला सिपाही मौजूद थी, जबकि जिरह के दौरान गवाह ने कहा कि ऐसी कार्यवाही में कोई महिला सिपाही मौजूद नहीं थी।इसके अलावा, जबकि पीडब्लू-12 तहसीलदार, पीडब्लू-18 प्रताप कुमार अगासिया और पीडब्लू-11 राजू सेन ने कहा कि पीडब्लू-10 और पीडब्लू-11 दोनों एक साथ टीआईपी के लिए उपस्थित हुए, पीडब्लू-10 ने उनकी उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया।

एफ.

जी.

18 (2012) 9 एस. सी. सी. 249 (पैरा 21)

एच.

ऐसे दिन पीडब्लू-11।इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि पीडब्लू-10 की विश्वसनीयता संदिग्ध थी क्योंकि वह एक स्टॉक गवाह प्रतीत होता था-उसने अपनी जिरह के दौरान गवाही दी कि वह पहले पीएस पलासिया में दर्ज एक अन्य मामले में अभियोजन के लिए गवाह के रूप में पेश हुआ था।

48. श्री सिंह ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने टी. आई. पी. की कार्यवाही को स्थगित करने में देरी के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्योंकि पीडब्लू-10 ने घटना के बमुश्किल एक दिन बाद उसे आई. डी. 1 पर तीन व्यक्तियों को देखने के बारे में सूचित किया था; जबकि टी. आई. पी. बहुत बाद में आई. डी. 2 पर आयोजित की गई थी, जिस तारीख तक आरोपी की तस्वीरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी थीं।इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया था जिसमें कहा गया था कि गवाह की गवाही पर भरोसा करने के लिए टी. आई. पी. में देरी को समझाया जाना चाहिए।इस अदालत का संदर्भ दिया गया है

बी.

सी.

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम डॉ. एम. वी. रमण रेड्डी और अन्य में निर्णय। 19 और राजेश गोविंद जागेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य 20.यह.

यह प्रस्तुत किया गया था कि विलंबित और प्रक्रियात्मक रूप से संदिग्ध होने के अलावा, 14.07.2011 पर आयोजित टी. आई. पी. से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं थी।वकील ने भरोसा जताया

डी.

मातृ @गिरीश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 21 जहाँ यह

न्यायालय ने कहा कि पहचान परीक्षण ठोस सबूत नहीं हैं और इनका उपयोग केवल जांच एजेंसी को जांच की प्रगति में मदद करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

49. यह तर्क दिया गया था कि शूप्रिंट रिपोर्ट (एक्स। पी125) में विरोधाभासी कथन हैं, जो इसे अविश्वसनीय बनाते हैं।इसके अलावा, इसने अपराध स्थल पर पाए गए जूतों के निशान के बारे में कोई निर्णायक सामग्री प्रदान नहीं की और मैचों के लिए नकारात्मक पाए गए।यह बताया गया कि पुलिस द्वारा प्राप्त जूतों के निशान के लिए, साइट पर उपलब्ध भौतिक छापों से कोई सांचे नहीं बनाए गए थे और इसके बजाय पैरों के निशान की रंगीन तस्वीरें प्राप्त की गई थीं।इस तरह की तस्वीरें लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैमरे में समय/तिथि नहीं थी, हालांकि ऐसी विशेषताएं उपलब्ध थीं।रंगीन तस्वीरों के विश्लेषण के दौरान, तस्वीरें एक्स में पैरों के निशान के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त पाई गईं। पी118।यह तर्क दिया गया था कि प्रिंटों से जूते की कोई व्यक्तिगत विशेषताएँ नहीं मिली थीं।फोटोप्रिंट में तलवों का प्रिंट या डिज़ाइन गायब था, और यह पता नहीं लगाया जा सका कि एच 3 पर सैंडल का एकमात्र प्रिंट अपराध स्थल पर पाए गए किसी भी प्रिंट से मेल खाता है या नहीं।हालाँकि, अस्पष्ट रूप से रिपोर्ट का निष्कर्ष निकलता है

ई.

एफ.

जी.

19 (1991) 4 एससीसी 536 (पैरा 23) 20 (1999) 8 एससीसी 428 (पैरा 4-5) 21 (1971) 2 एससीसी 75 (पैरा 17)

एच.

489

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

कि E8 और E9 H3 के समान चित्र हैं।नेहा से प्राप्त किए गए जूते का निशान यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि यह दाहिने पैर का है या बाएं पैर का।यह प्रस्तुत किया गया था कि इस न्यायालय ने प्रीतम सिंह बनाम राज्य

पंजाब 22 और बलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 23 ने पाया कि पदचिह्न

ये एक कमजोर और मौलिक प्रमाण हैं।वकील ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य स्वयं कमजोर है और स्वीकार करता है कि तुलना करने के लिए अपर्याप्त सामग्री थी, फिर भी तुलना पूर्व के संदर्भ में की गई थी। पी 125, परीक्षा रिपोर्ट, एस. एफ. एस. एल., सागर। इसके अलावा, जूते के निशान से संबंधित बरामदगी केवल एफएसएल, सागर को 13.07.2011 पर भेजी गई थी-जैसा कि एक्स से देखा गया है। पी115-अस्पष्टीकृत देरी के बाद।

बी.

50. श्री सिंह ने इसके बाद तर्क दिया कि आकस्मिक छापों से संबंधित फिंगरप्रिंट रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं थी, और इसका उपयोग केवल पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।इस संबंध में, यह तर्क दिया गया कि अपराध स्थल से प्राप्त उंगलियों के निशान एक खुली जगह से थे, जो जनता के लिए सुलभ थे, उस अवधि के बीच जब पीडब्लू-5 द्वारा दरवाजा खोला गया था और जांच एजेंसी के आने तक।आकस्मिक उंगलियों के निशान एकत्र करते समय, उपस्थित व्यक्तियों/पड़ोसियों या घर के अन्य सदस्यों की उंगलियों के निशान नहीं लिए गए थे ताकि इस तरह के निशान को हटाया जा सके।इस संबंध में पीडब्लू-3, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-24 से जिरह की गई।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि अन्य लोगों की उंगलियों के निशान नहीं लिए गए थे, जिनके लिए वह स्थान सुलभ था।रिपोर्ट के संबंध में (उदा. पी84) फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, अभि. साक्षी 24 के. के. द्विवेदी द्वारा तैयार किए गए फिंगरप्रिंट का विश्लेषण करते समय, कुछ चिंताओं को इंगित किया गया था।पहला, प्रिंट्स उठाने की विधि/प्रक्रिया का वर्णन करने में विफलता; दूसरा अन्य व्यक्तियों के उन्मूलन प्रिंट प्राप्त करने में विफलता, जिसके लिए पुलिस द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है; तीसरा, कि विशेषज्ञ इस तथ्य के बारे में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ था कि विश्लेषण किए गए फिंगरप्रिंट में से कोई भी मृतक व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाता था; और चौथा, विशेषज्ञ ने यह नहीं बताया कि शवों के फिंगरप्रिंट के विच्छेदन के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस नियमों के तहत प्रक्रिया, यानी नियम 824, का मृतक व्यक्तियों के प्रिंट प्राप्त करते समय पालन क्यों नहीं किया गया था।यह भी आग्रह किया गया कि विशेषज्ञ ने विश्लेषण के लिए एक मजबूत प्रक्रिया प्रदान नहीं की।फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ पीडब्लू-24 द्वारा वर्णित विश्लेषण 8-बिंदु विधि पर भरोसा करने का दावा करता है।पीडब्लू-24 द्वारा अपनाई जाने वाली विधि केवल एसीई-वी विधि (विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन और सत्यापन विधि) के स्तर I का वर्णन करती है, जिसका उपयोग जांच एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

22 ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 415 23 1996 (6) स्केल 72

एच.

अधिकार क्षेत्र।एसीई-वी विधि के स्तर 2 और 3 का पालन नहीं किया गया था।विश्लेषण के लिए अपनाई गई 8-बिंदु मिलान प्रणाली को अपर्याप्त और ऐसी विधि के अनुपालन में नहीं होने का तर्क दिया गया था।वकील ने भरोसा जताया

हरि ओम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 24 पर यह तर्क देने के लिए कि

इस संबंध में पुष्टि पक्षपात से इनकार नहीं किया जा सकता है, यह देखते हुए कि उंगलियों के निशान का विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ को ऐसी जानकारी प्रदान करते समय अभियुक्तों के निशान गुमनाम नहीं थे।

बी.

51. अपीलार्थियों के वकील ने आग्रह किया कि वर्तमान मामले में, महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ, जैसे नेहा की गिरफ्तारी (जो जांच में सफलता का गठन करती है), संयोग गवाह पीडब्लू-10 का कथन और अभिसाक्ष्य, और बरामदगी से संबंधित विसंगतियाँ, साथ ही विशेषज्ञ रिपोर्ट, गंभीर संदेह पैदा करती हैं।यह प्रस्तुत किया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में, पाँच "सुनहरे सिद्धांत" द्वारा प्रतिपादित किए गए थे

सी.

इस न्यायालय ने शरद बर्डीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 25 के मामले में

पूरी तरह से स्थापित होने के लिए और यह कि न्यायालय को आश्वस्त होना चाहिए कि आरोपी "दोषी" होना चाहिए और "दोषी" नहीं हो सकता है।इसके अलावा, इस तरह से स्थापित तथ्य केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए

डी.

अभियुक्त, अर्थात उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।परिस्थितियाँ

यह निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति का होना चाहिए।परिस्थितियों को साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा।

ई.

52. यह प्रस्तुत किया गया था कि डी. डब्ल्यू.-1 की भूमिका का पूरी तरह से "ब्लैकआउट", जांच में शामिल होने की उसकी स्वीकारोक्ति के बावजूद, मामले को हल करने के लिए उसे आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति प्राप्त हुई, उसका अभिसाक्ष्य कि उसने सी. डी. आर. का विश्लेषण किया था, जिसे कभी पेश नहीं किया गया था, या उस पर भरोसा नहीं किया गया था, और नेहा की गिरफ्तारी से पहले उसकी भागीदारी, साथ ही गिरफ्तारी और बाद की पूछताछ के दौरान उसकी भागीदारी, सभी उन परिस्थितियों के बारे में गंभीर संदेह की ओर इशारा करती है जो वास्तव में नेहा की गिरफ्तारी का कारण बनीं।यह दृढ़ता से आग्रह किया गया था कि यह उनकी पूरी भूमिका पर संदेह पैदा करे।इसी तरह, तीन अभियुक्तों के कहने पर दो अलग-अलग तिथियों पर टुकड़ों में की गई बरामदगी प्रभावित हुई, जिसमें अभियुक्त द्वारा कथित रूप से हथियार प्राप्त करने के बावजूद भी हथियार जैसी आपत्तिजनक वस्तुओं को बनाए रखने की संभावना नहीं थी।

एफ.

जी.

24 (2021) 4 एस. सी. सी. 345 (पैरा 25,38-41,43) 25 (1984) 4 एससीसी 116 ए

एच.

कपड़ों, जूतों और वाहनों आदि से छुटकारा पाने से वस्तुओं की बरामदगी की वास्तविकता के बारे में संदेह और संदेह पैदा होता है।यह तर्क दिया गया था कि यह सब संयोग गवाह पीडब्लू-10 की अविश्वास के साथ-साथ अभिसाक्ष्य में उसके विरोधाभास, एक स्टॉक पुलिस गवाह होने की स्वीकारोक्ति, और जिसने अपने प्रवेश द्वारा आरोपी को बहुत कम समय के लिए देखा, साथ ही साथ टी. आई. पी. आयोजित करने में अकथनीय देरी-एक साथ अभियुक्त की पहचान के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी और अपराध में उनकी कथित भूमिका को कमजोर करता है।

बी.

राज्य की प्रस्तुतियाँ

53. मध्य प्रदेश राज्य की विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता (ए. ए. जी.) सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज अपीलार्थी के अपराध के समवर्ती निष्कर्षों को बाधित नहीं करना चाहिए, और उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित फैसले में इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे, हर परिस्थिति को साबित करने में सफल रहा, और सभी परिस्थितियों के संचयी अध्ययन पर अभियुक्त/अपीलार्थियों के अपराध को निर्णायक रूप से स्थापित करने में भी सफल रहा।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य की निर्णायक प्रकृति ऐसी है कि अपीलार्थियों की बेगुनाही की किसी भी परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है और केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि वे और कोई अन्य, तीन हत्या के अपराध के दोषी नहीं हैं, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

सी.

डी.

ई.

54. बैलिस्टिक रिपोर्ट में निष्कर्षों पर भारी निर्भरता रखी गई थी, जिसमें प्रत्येक परिस्थिति विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा साबित की गई थी।इस संबंध में, वकील ने पूर्व पर भरोसा किया। पी25, पी. डब्ल्यू.-31 आई. ओ. द्वारा तैयार अपराध स्थल का नक्शा जिसमें दो गोलियां (प्वाइंट 7 पर) और एक जिंदा गोली (प्वाइंट 6 पर) मिली।गोलियों को जब्त कर लिया गया और एक्स में रिकॉर्ड किया गया। पी27, जब्ती ज्ञापन।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एक्स। पी44 ने संकेत दिया और मेघा के शरीर से बरामद एक गोली को आगे बढ़ाया।इस गोली की बरामदगी को भी पीडब्लू-15 डॉ. पी. एस. ठाकुर द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था।गोली को मेमो एक्स के तहत जब्त किया गया था। पी127।इसी तरह, पीडब्लू-32 ने एमवाई अस्पताल में 20.06.2011 के शुरुआती घंटों में राहुल के पैर से एक गोली निकाली थी।गोली को मेमो एक्स के तहत जमा किया गया था। पी113, अस्पताल के मेडिको-लीगल सेल में।बाद में इसे मेमो एक्स के तहत जब्त कर लिया गया। 23.06.2011 पर P108।राहुल के कब्जे से एक चाकू और पिस्तौल की जब्ती एक्स में दर्ज की गई थी। पी14।इस पिस्तौल की जाँच की गई और परीक्षण किया गयाःएक रिपोर्ट, एक्स। पी120 बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा दिया गया था, इस बात की पुष्टि करते हुए कि खर्च की गई गोलियाँ (जिनके कारतुस अपराध स्थल से जब्त किए गए थे), जीवित गोली (गोली से भी जब्त की गई थी)।

एफ.

जी.

एच.

अपराध स्थल), राहुल के पैर से निकाली गई गोली, और मेघा के शरीर से निकाली गई गोली, सभी को एक ही पिस्तौल से दागा गया था, जिसे राहुल (पूर्व। पी14)।वकील ने पूर्व पर भी भरोसा किया। पी52 कवचधारी की रिपोर्ट।आगे यह तर्क दिया गया कि इन वस्तुओं की जब्ती, सीलिंग और उचित अभिरक्षा के बारे में पीडब्लू-31 आईओ के अलावा पीडब्लू-3, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-19 द्वारा बात की गई थी। न तो कोई विरोधाभास है और न ही उनकी गवाही में कोई अंतर है; आगे बैलिस्टिक रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के संस्करण का पूरी तरह से समर्थन करती है कि बरामद की गई गोलियां राहुल के कहने पर उसके घर से जब्त किए गए हथियार से चलाई गई थीं।55. ए. ए. जी. ने तर्क दिया कि बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ-साथ चिकित्सा राय इस तथ्य को स्थापित करती है कि मृतक मेघा के माथे पर एक चोट को छोड़कर, तीनों मृतकों की मौत आरोपी राहुल और मनोज के कहने पर बरामद दो चाकूओं के कारण हुई थी।विद्वान अधिवक्ता ने पीडब्लू-15 की गवाही पर भरोसा किया, वह डॉक्टर जिसने मृतक का पोस्टमॉर्टम किया, साथ ही उसकी रिपोर्ट (एक्स। पी. 44)।यह तर्क दिया गया था कि अपराध स्थल से लेकर रिपोर्ट तक और उसके बाद, मुहरों को बनाए रखा गया था और वस्तुओं की अभिरक्षा की श्रृंखला बिना किसी विराम के लगातार बरकरार थी।पकड़े गए गवाहों ने अपने बयानों में इन तथ्यों का समर्थन किया।

बी.

सी.

डी.

56. जूतों के निशान के संबंध में, राज्य के वकील ने पूर्व पर भरोसा किया। पी31 और पी32 (मनोज के कहने पर जूतों की जब्ती के संबंध में); एक्स। पी34 और पी35 (नेहा के कहने पर जूता जब्त करने के संबंध में); एक्स। पी21 (22.06.2011 पर अभिग्रहण); उदा. पी77 (पीडब्लू-21 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपराध स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट)। पी115 (परीक्षण के लिए इन नमूनों को अग्रेषित करना); उदा। पी. एस. अन्नपूर्णा द्वारा 23-06-2011 पर दर्ज एक जूते का पी. 75 जब्ती ज्ञापन; पी. डब्ल्यू.-20 का अभिसाक्ष्य, जिसने जूते की जब्ती देखी; जूता प्रिंट रिपोर्ट (उदा. पी125); और पीडब्लू-31 आईओ का निक्षेपण। यह प्रस्तुत किया गया था कि इन गवाहों ने खुद का खंडन नहीं किया था, और अभियोजन पक्ष ने अपराध स्थल से प्राप्त प्रिंटों से जूते के प्रिंट रिपोर्ट की उपस्थिति के साथ-साथ उनके मिलान को पूरी तरह से और संतोषजनक रूप से स्थापित किया था।इनसे साबित हुआ कि अपराध के समय आरोपी और कोई अन्य परिसर में मौजूद नहीं थे।

ई.

एफ.

जी.

57. एएजी ने तर्क दिया कि हत्याओं के पीछे मुख्य उद्देश्य डकैती था।यह पूर्व द्वारा साबित प्रकटीकरण बयानों के अनुसार चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी द्वारा स्थापित किया गया था। पी10 और एक्स। पी11 जिसे नेहा के खुलासा बयान के बाद जब्त कर लिया गया था; राहुल के बयान के अनुसार लेखों की जब्ती (पूर्व। पी 13 और एक्स। पी14); और मनोज के बयान के अनुसार वसूली (पूर्व। पी16 और पी17)।ए के दौरान

एच.

493

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

लेखों की जानकारी देते हुए, पीडब्लू-1, निरंजन देशपांडे ने लूटी गई वस्तुओं (जैसे आभूषण) की पहचान मृतक की वस्तुओं के रूप में की, जिसकी पुष्टि तहसीलदार पीडब्लू-12 की गवाही से भी हुई।इसके अलावा, पीडब्लू-4 बन्नो सोलंकी ने भी नेहा से एटीएम कार्ड की जब्ती का समर्थन किया, जब उसे हिरासत में लिया गया और बाद में 22.06.2011 पर गिरफ्तार किया गया।पी. डब्ल्यू.-27, एक बैंक अधिकारी, ने कहा कि ए. टी. एम. कार्ड (उदा. पी98) नेहा के प्रकटीकरण बयान के अनुसार बरामद किया गया, जो उनके बैंक द्वारा जारी किया गया था।यह आग्रह किया गया कि ये सभी उचित संदेह से परे साबित हों, अभियोजन पक्ष के आरोप कि आरोपी ने साजिश रची थी और लूट के उद्देश्य से उस परिसर में प्रवेश किया था जहां मृतक रहता था।लूटी गई वस्तुओं के प्रकटीकरण और बरामदगी के साथ-साथ उनकी बरामदगी और बाद में अभियुक्तों के परिसरों से उनकी पहचान ने हत्याओं के साथ उनके सीधे संबंध का खुलासा किया और यह स्थापित किया कि वे अपराधी थे।

बी.

सी.

58. यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थियों ने यह आरोप लगाते हुए अभियोजन पक्ष को बदनाम करने की कोशिश की है कि नेहा को पहले गिरफ्तार किया गया था, और उस उद्देश्य के लिए, डीडब्ल्यू-1 दीपिका शिंदे द्वारा निभाई गई भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। अपीलार्थियों ने यह संकेत देने की कोशिश की कि उस अधिकारी ने जांच में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, और उसे हटा दिया गया था, और अपराध को हल करने में उसकी भूमिका ने उसे बदले में पदोन्नति दिलाई।ए. ए. जी. ने आग्रह किया कि अपीलार्थियों डी. डब्ल्यू.-1 दीपिका शिंदे के बयान पर भरोसा करें, जिन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने वर्तमान मामले में कोई गिरफ्तारी की है।अपराध शाखा के एक अधिकारी के रूप में वह शुरू में बुनियादी विवरणों

का पता लगाने में सहायता या सहायता करने में शामिल थीं, क्योंकि पीड़ित महिलाएं थीं।डी. डब्ल्यू.-1 को "हम आपकी देखभाल करते हैं" नामक एक इकाई के साथ तैनात किया गया था, जो महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है।नेहा की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, आई. ओ. ने महसूस किया कि डी. डब्ल्यू.-1 को आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।उनकी पदोन्नति कई मामलों में उनके योगदान और भूमिका पर आधारित थी और यह उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया के लिए सिर्फ एक होने के कारण महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थियों द्वारा कथित उसकी छिपी हुई भूमिका एक बोगी है।जबकि उसने कॉल विवरण का विश्लेषण करना स्वीकार किया, यह परीक्षण की कार्यवाही से सामने आ रहा है कि कॉल विवरण की कोई भूमिका नहीं थी-बहुत कम कोई महत्व, जांच में, या आरोपी को पिन करना, उनकी गिरफ्तारी, या उनके कहने पर लेखों की बरामदगी।इसलिए, अपीलार्थियों के वकीलों का यह सिद्धांत कि नेहा को वास्तव में गिरफ्तार नहीं किया गया था, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया था, या जैसा कि पाया गया था, बिना किसी आधार के है, बल्कि केवल तर्कपूर्ण है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

59. एएजी ने प्रस्तुत किया कि संयोग गवाह पीडब्लू-10 अपराध के तत्काल बाद के गवाह थे, क्योंकि उन्होंने तीन अभियुक्तों को अपराध करने के बाद जाते देखा था।उन्होंने वर्णन किया, सबसे पहले

एच.

मौका-20.06.2011 पर, कि दो लड़के (एक टखने पर घायल, और दूसरा कोहनी पर, और दोनों चोटों के परिणामस्वरूप खून बह रहा था) एक बाइक पर बैठे थे, जब एक स्कूटी में एक लड़की दिखाई दी, और उन्हें जांच के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा।अपीलार्थियों द्वारा उजागर की गई तथाकथित विसंगतियाँ, न तो भौतिक हैं, और न ही न्यायालय में उनके अभिसाक्ष्य के दौरान उनके द्वारा दिए गए पूरे संस्करण को बदनाम करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं।यह आग्रह किया गया कि पीडब्लू-10 की प्रतिपरीक्षा में कुछ भी सार्थक नहीं निकला।उन्होंने अपराध की घटना के बारे में जानने के बाद जल्द से जल्द तीन व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से

पहचान की और नायब तहसीलदार पीडब्लू-18 की उपस्थिति में न्यायालय में उनकी पहचान भी की।बाद वाले गवाह ने पहचान के संबंध में पीडब्लू-10 की गवाही की पुष्टि की।

बी.

सी.

60. आई. ओ. ने 23.06.2011 पर नेहा के कहने पर सुजुकी सर्विस बुक और कपड़ों की जब्ती भी साबित की, जो उस दिन बाद में उस जगह से स्कूटी (फिर से, उसके कहने पर) की बरामदगी से जुड़ी थी, जहाँ इसे छिपाया गया था।पी. डब्ल्यू.-7 की गवाही से भी बरामदगी की पुष्टि हुई, जिन्होंने आगे लेखों की पहचान की (एक्स। Z-1, Z-2 और Z-3) न्यायालय में।61. सुश्री चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया कि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के साक्ष्य ने सभी अपीलार्थियों की संलिप्तता और अपराधबोध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा किया है।इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 19.06.2011 पर PW-24 (यानी, Ex P80) द्वारा उंगलियों के निशान के चार सेट उठाए गए थे।मृतक की उंगलियों के निशान (उदा. पी81, एक्स। पी82 और एक्स। पी83) को कॉन्स्टेबल दिनेश द्वारा 20.06.2011 पर उठाया गया था।तीन अभियुक्तों/अपीलार्थियों के उंगलियों के निशान 24.06.2011 (Ex. पी41, एक्स। पी42 और एक्स। पी. 43) पीडब्लू-13 कांस्टेबल विजय सिंह द्वारा।अपीलार्थियों द्वारा उनके अभिसाक्ष्य को बदनाम करने की मांग की गई थी, यह इंगित करते हुए कि फिंगरप्रिंट के नमूने प्राप्त किए गए थे, उनके अनुसार, अभियुक्त ने प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए थे (लेकिन जो वास्तव में नहीं पाए गए थे); और आगे, कि प्रपत्रों में अभियुक्त की तस्वीरें नहीं थीं।विद्वान ए. ए. जी. ने बताया कि जिस प्रपत्र का उपयोग विद्वान गया है, वह मध्य प्रदेश पुलिस नियमावली में आवश्यक है, और फिंगरप्रिंट के नमूने प्राप्त करते समय गवाह की कोई आवश्यकता नहीं है।इसके अलावा, इस गवाह की प्रतिपरीक्षा सार्थक नहीं थी क्योंकि उनसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं निकला था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

62. ए. ए. जी. ने इस बात पर जोर दिया कि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट (उदा. पीडब्लू-24 के. के. त्रिवेदी द्वारा दिनांकित पी84) ने अभियोजन पक्ष का पूरा समर्थन किया।इसने स्थापित किया कि चार उंगलियों के निशान विकसित किए जा सकते हैं और अपराध स्थल पर पाए गए संयोग उंगलियों के निशान के साथ तुलना की जा सकती है।रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साइट (ए और बी) से उठाए गए दो उंगलियों के निशान ए से मेल खाते हैं

एच.

राहुल के नमूने के फिंगरप्रिंट के साथ; फिंगरप्रिंट डी मनोज के फिंगरप्रिंट से मेल खाता है और फिंगरप्रिंट ई नेहा के फिंगरप्रिंट से मेल खाता है।पीडब्लू-17 सत्यनारायण पटेल ने अपराध स्थल की तस्वीरें खींची थीं, जिसमें वे स्थान भी शामिल थे जहाँ प्रिंट एकत्र किए गए थे, जो किसी भी संदेह से परे पुष्टि करते हैं कि अपीलार्थियों अपराध स्थल पर मौजूद थे।63. यह तर्क दिया गया कि एक महत्वपूर्ण परिस्थिति जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि अपीलार्थियों राहुल उर्फ गोविंद और मनोज भी घायल हो गए थे।अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई पीडब्लू-30 आर. एस. मकवाना ने कहा कि अपीलार्थी नंबर 2 राहुल @गोविंद का पैर घायल हो गया था।इसकी जानकारी टी. आई. गौरीशंकर चादर को भी दी गई, जिन्होंने देहतिनालिसी (एक्स. पी103); अपराध सं। 377/11 आई. पी. सी. की धारा 304,307,34 के तहत दर्ज किया गया था।पीडब्लू-26 मुकेश भचावत ने अपदस्थ किया कि अन्नापुराना पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल दिनेश आरोपी राहुल को लाए; उन्हें उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर एक चोट मिली, जिसमें एक ज्वलनशील आग्नेयास्त्र का घाव था।आई. ओ. का बयान था कि राहुल से प्राप्त जानकारी के आधार पर, पास के आर. टी. ओ. कार्यालय से गवाहों की उपस्थिति में बाएं पैर के लिए एक जूता (आकार 44) बरामद किया गया था।जब्त किए गए दोनों जूते भूरे रंग के थे और तीन छेद थे और उन्हें पुलिस थाना अन्नपूर्णा के अधिकार क्षेत्र में जब्त किया गया था।एक जूता पर गोली का निशान था और दूसरा जूता राहुल का था।चिकित्सा अधिकारी के बयान के अनुसार, राहुल @गोविंद के दाहिने पैर के अंगूठे में गोली लगी थी और बरामद किए गए दाहिने जूते में गोली का छेद था।राहुल की मेडिकल रिपोर्ट ने इस तथ्य का समर्थन किया कि उनके दाहिने पैर के अंगूठे में एक गोली की चोट लगी थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

64. यह तर्क दिया जाता है कि डी. एन. ए. रिपोर्टों ने स्थापित किया कि अभियुक्त के जूतों और कपड़ों पर पाए गए रक्त के दाग मृतक के शरीर के तरल पदार्थ से मेल खाते हैं।पी. डब्ल्यू.-35 के अभिसाक्ष्य के साथ डीएनए रिपोर्ट ने स्थापित किया कि मृतक मेघा के शरीर का तरल पदार्थ राहुल के लेखों पर पाया गया था। एफ 4, एफ 5); मृतक अश्लेशा के शरीर का तरल पदार्थ मनोज के लेखों पर पाया गया था। G1, G3); और नेहा का सैंडल (Ex. एच 2) में मृतक मेघा के शरीर के तरल पदार्थ के निशान थे।

एफ.

65. विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित किया गया था ताकि यह संकेत दिया जा सके कि आरोपी और कोई और नहीं, वे तीन व्यक्ति थे जिन्होंने अपराध किया था जिसके लिए नीचे की दोनों अवर न्यायालयों ने उन्हें दोषी ठहराया था।यह तर्क दिया गया था कि कोई भी अभियोजन तथ्यों को पूरी तरह से साबित नहीं कर सकता है और कुछ खामियां या विसंगतियां होना तय है, क्योंकि चाल की यादें खेलती हैं जिसके कारण गवाह घटनाओं को पूरी तरह से या कालानुक्रमिक रूप से याद नहीं कर सकते हैं।

आदेश दें।अपनी बात रखने के लिए, ए. ए. जी. ने उद्धृत टिप्पणियों पर भरोसा किया

मूसा पटेल बनाम गुजरात राज्य 26 में यह न्यायालय।

66. अंत में यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थियों ने न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत जब उनके सामने आपत्तिजनक परिस्थितियां रखी गईं तो उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि इस अदालत ने कई फैसलों में वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों की जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को प्रकट करती है-वकील, अभियोजकों, गवाहों, तीसरे पक्ष आदि से उस स्तर पर सभी हस्तक्षेपों को कम करके। अभियुक्त को उससे जुड़ी आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जा सकता है, और अदालत को इस तरह के स्पष्टीकरण पर ध्यान देना चाहिए।इसलिए, अनिवार्य रूप से अभियुक्त और निचली विचारण न्यायालय के बीच बातचीत स्थापित करके, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त की जांच केवल औपचारिकता नहीं है और अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों की व्यावहारिक उपयोगिता है।यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी स्पष्टीकरण की पूर्ण कमी, बहुत कम एक उचित स्पष्टीकरण, का मतलब केवल यह था कि आरोपी अपने आचरण को उचित नहीं ठहरा सकते थे; उनके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई तर्क नहीं था।

67. इन प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, ए. ए. जी. ने निष्कर्ष निकाला कि इस न्यायालय को अपने विशेष अनुमति अपीलीय अधिकार क्षेत्र के तहत, सभी साक्ष्यों और सामग्री की पूर्ण और निष्पक्ष सराहना के आधार पर, नीचे दी अवर न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए अपराध के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

ई.

विश्लेषण और निष्कर्ष

I. नेहा की गिरफ्तारी

68. अभि. साक्षी-28 (विजय सिंह चौहान) ने बयान दिया कि उसने नेहा को सुबह 6 बजे एक एटीएम के पास संदिग्ध रूप से घूमते देखा। उन्होंने इसे पी. एस. एम. आई. जी. को भेजा, जहाँ पी. डब्ल्यू.-19 गायकवाड़ को जानकारी मिली।आईओ (पीडब्लू-31) ने पीडब्लू-13 (विजय सिंह), पीडब्लू-36 (मुलायम सिंह), कांस्टेबल देवेंद्र और पीडब्लू-4 (बन्नो सोलंकी, महिला कांस्टेबल) की एक टीम बनाई।यह दल घटनास्थल पर गया और नेहा का सामना किया; उसके शरीर की खोज पीडब्लू-4 द्वारा की गई थी जिससे अश्लेशा का एटीएम कार्ड मिला।खोज ज्ञापन (जिस समय में 06.40 AM दर्ज किया गया है) को Ex के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पी22।नेहा को पूछताछ के लिए ले जाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।69. पीडब्लू-28 की गवाही पीडब्लू-4, पीडब्लू-31 और पीडब्लू-द्वारा समर्थित है।36. हालाँकि, पीडब्लू-19 (वाई. आर. गायकवाड़) का अभिसाक्ष्य इस बारे में चुप है

एफ.

जी.

26 (2011) 2 एस. सी. सी. 198 (पैरा 22)

एच.

497

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

नेहा की संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्टिंग-और जिसे पीडब्लू-28 द्वारा पदच्युत किया गया था, जैसा कि अन्य लोगों द्वारा पुष्टि की गई थी।सिपाही देवेंद्र से पूछताछ नहीं की गई।यह चूक अपने आप में महत्वहीन है क्योंकि कुछ तथ्यों और घटनाओं को साबित करते हुए अगर कुल मिलाकर, गवाह सुसंगत हैं, तो किसी भी चूक को नजरअंदाज किया जा सकता है।

70. फिर भी, अपीलार्थियों द्वारा नेह की गिरफ्तारी के आसपास की घटनाओं के संबंध में आग्रह किए गए कुछ पहलुओं की जांच की जाती है।डी. डब्ल्यू.-1 दीपिका शिंदे (जिसे पदच्युत करने पर इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था)-ने कॉल विवरण रिकॉर्ड का विश्लेषण करने और

महत्वपूर्ण रूप से, एक अज्ञात स्रोत से जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया-कि नेहा उस स्थान पर होगी-जहाँ से उसे अंततः 22.06.2011 पर गिरफ्तार किया गया था, और वह जींस और मरून रंग के टॉप में होगी।डी. डब्ल्यू.-1 ने अपदस्थ किया कि उसे नेहा की गिरफ्तारी से पहले, यानी 6 से पहले यह टिप मिली थी:30 एएम, और उसने इस जानकारी को पुलिस के साथ साझा किया।हालाँकि, पीडब्लू-28 ने डीडब्ल्यू-1 की संलिप्तता से इनकार किया।मुकदमे के दौरान, बचाव पक्ष ने कुछ दस्तावेजों पर भरोसा किया था-विशेष रूप से एक्स। डी-32 और एक्स। डी-46, यह कहने के लिए कि डीडब्ल्यू-1 को अपराध को हल करने में उसकी भूमिका के लिए बारी के बाहर पदोन्नति मिली।बारी के बाहर पदोन्नति डी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-28 को दी गई थी, जिसे दोनों ने स्वीकार किया था।इसलिए, यह स्पष्ट है कि डी. डब्ल्यू.-1 को नेहा के संभावित ठिकाने के बारे में पूर्व जानकारी मिली थी और उसके परिधान के विवरण की सीमा तक भी अधिक जानकारी मिली थी।उसकी भूमिका के संबंध में अभियोजन पक्ष की अध्ययन की गई खामोशी न केवल रहस्यमयी है, बल्कि चिंता का विषय है।

बी.

सी.

डी.

ई.

71. अभियोजन पक्ष ने आई. ओ. के साथ-साथ पी. डब्ल्यू.-3 (दीपक रानाडे) और पी. डब्ल्यू.-6 (त्र्यंबक @प्रफुल्ल) की गवाही के माध्यम से यह स्थापित करने की मांग की कि नेहा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उससे पूछताछ की गई।इसके बाद वे नेहा के घर चले गए। आई. ओ. की गवाही के अनुसार, छापा मारने वाले दल में पी. डब्ल्यू.-19 और पी. डब्ल्यू.-4 शामिल थे।पीडब्लू-31, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 के बयानों में आगे का अभियोजन मामला यह था कि नेहा से उसके घर जाते समय पूछताछ की गई और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसका खुलासा बयान दर्ज किया गया जिससे उसके कहने पर चोरी की वस्तुओं की बरामदगी हुई।इस घटना में भी किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह ने डी. डब्ल्यू.-1 दीपिका शिंदे की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा।

एफ.

जी.

72. अपने अभिसाक्ष्य के दौरान, डी. डब्ल्यू.-1 ने पुष्टि की कि वह 19.06.2011 पर ही अपराध स्थल पर गई थी।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि

“मैंने तत्काल मामले में कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया था।आज, मैं यह नहीं बता सकता कि किस कॉल पर और मेरे द्वारा इसका विश्लेषण कैसे किया गया।मैंने तत्काल मामले की जांच नहीं की थी।मुझे याद है कि मैंने

एच.

498 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

बाद में इस मामले में एक आरोपी से पूछताछ की गई।मैंने पूछताछ की होगी कि न्यायालय में मौजूद महिला आरोपी (नेहा वर्मा) वही व्यक्ति है जिससे मैंने पूछताछ की थी।"

बाद में, डी. डब्ल्यू.-1 घटना के बाद के घंटों की संख्या के संदर्भ में सटीक समय बताने में असमर्थ था जब उसने नेहा से पूछताछ की थी।हालाँकि, वह स्पष्ट थी कि उसने पीएस MIG.She द्वारा नेहा की गिरफ्तारी के बाद ऐसा किया था और आगे स्पष्ट किया कि उसने "एम. आई. जी. पुलिस स्टेशन में ही नेहा वर्मा से पूछताछ की थी।" पीडब्लू-7 संदीप नरुलकर, जो 23.06.2011 पर पंच गवाह के रूप में जांच में शामिल हुए, ने स्वीकार किया

बी.

जिरह कि डी. डब्ल्यू.-1 "पुलिस उप-निरीक्षक के साथ नहीं था

हम, वह दूसरी गाड़ी में थी।इस गवाह से 02.03.2012 पर जिरह की गई लेकिन वह उस दिन उसकी पहचान करने में विफल रहा।हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें याद नहीं है कि जाँच के दौरान कितनी महिला अधिकारी मौजूद थीं, यानी जिस दिन उन्हें गवाह के रूप में पेश होने के लिए कहा गया था।

सी.

73. जैसा कि पहले देखा गया है, एक दिलचस्प विशेषता यह है कि वर्तमान अपीलार्थियों की गिरफ्तारी और आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के बाद, पुलिस विभाग ने डी. डब्ल्यू.-1 और डी. डब्ल्यू.-28 सहित अपने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत किया।ये दोनों कर्मी एम. आई. जी. पुलिस स्टेशन के नहीं थे, बल्कि अपराध शाखा में तैनात थे।Ex. डी30 (डीडब्ल्यू-4 पवन श्रीवास्तव, पुलिस महानिरीक्षक, जिन्होंने इसे जारी किया था, द्वारा सिद्ध) जिसे पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान रिकॉर्ड में रखा गया था, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-इंदौर के कार्यालय द्वारा 26.06.2011 पर S.No.SSP/Indore/PA/Reward/11/2005A के साथ जारी किया गया आदेश है। अन्य बातों के साथ-साथ इसका पाठ इस प्रकार हैः-

डी.

ई.

"दोपहर में शहर के पॉश इलाके में श्रीनगर मेन कॉलोनी के हाउस नंबर 24 की पहली मंजिल पर रहने वाले बैंक अधिकारी निरंजन देशपांडे की पत्नी मेघा देशपांडे, बेटी-अश्लेषा देशपांडे और

सास रोहिणी फडके की चाकू मारकर नृशंस हत्या कर दी गई।कुल 22 छुरा घोंपने के घाव अश्लेशा के व्यक्ति को पाए गए।

एफ.

जी.

इस तीन हत्या के बारे में पता चलने पर, कुछ ही समय में घटना स्थल के पास रहने वाले लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ इतनी बड़ी हो गई कि कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई।दिन के उजाले में की गई हत्याओं ने इंदौर पुलिस के कामकाज पर कई सवाल उठाए और पब्लिक ने ए से पूछताछ शुरू कर दी।

एच.

499

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

कि जब शहर के बीच में स्थित पॉश कॉलोनी में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो दूसरे हिस्से या शहर में रहने वाली महिलाएं खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी।सभी पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया।इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों ने उक्त घटना को व्यापक रूप से प्रसारित किया जिसके परिणामस्वरूप जनता के मन में भय पैदा हो गया और पुलिस प्रशासन में उनका विश्वास भी कमजोर हो गया। उक्त घटना की प्राथमिकता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्षम अधिकारियों और अधिकारियों की एक पुलिस टीम का गठन किया जिसमें उप-निरीक्षक दीपिका शिंदे (प्रभारी वी केयर फॉर यू) और आर. 2906 विजय सिंह को विशेष रूप से टीम में शामिल किया गया था और साथ ही घटना को हल करने वाले पुलिस अधिकारी को इनाम की घोषणा की गई थी।

बी.

सी.

घटना के तुरंत बाद, रात के लगभग 2 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से उप-निरीक्षक दीपिका शिंदे को घटना स्थल यानी 24 श्रीनगर मेन पर तुरंत पहुंचने के निर्देश जारी किए गए। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद, उसने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के साथ घटना के समय आए लोगों के बारे में चर्चा की, जिसके बाद पता चला कि घटना से पहले मृतक अश्लेशा की एक दोस्त (महिला) को उसका घर छोड़ते देखा गया था और उसकी अन्य गतिविधियों के बारे में गुप्त जानकारी एकत्र की गई थी।

डी.

ई.

मनोज राय, अतिरिक्त जिला अपराध शाखा पुलिस अधीक्षक, जिला अपराध शाखा और जितेंद्र सिंह, उप जिला अपराध शाखा की देखरेख में। एस. पी.जिला अपराध शाखा, मृतक अश्लेषा देशपांडे और मेघा देशपांडे के मोबाइल नंबर 998147765,9669191385 और 9826635615 का कॉल विवरण प्राप्त किया गया था।उप-निरीक्षक दीपिका शिंदे को मृतक अश्लेशा और मृतक मेघा देशपांडे के ओरिफ्लेम कंपनी में काम करने वाले सहयोगियों के कॉलेज के साथियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जिन्होंने अपने पेशेवर कौशल और तकनीक का उपयोग करते हुए, एक मोबाइल No.8103807143 को नियमित रूप से मृतक मेघा से बात करते हुए देखा। बाद में उप-निरीक्षक दीपिका शिंदे ने कॉल विवरण स्थान और आई. एम. ई. आई. खोज के माध्यम से पता लगाया।

एफ.

जी.

एच.

उक्त संदिग्ध मोबाइल का उपयोग नेहा के पिता अनिल वर्मा निवासी इंदौर द्वारा किया जा रहा था और वर्तमान में मोबाइल संख्या 9009090142 और 9826065288 का उपयोग उक्त मोबाइल में किया गया है।

22.06.2011 पर, संदिग्ध मोबाइल नंबर के कॉल विवरण के विश्लेषण के माध्यम से, उप-निरीक्षक दीपिका शिंदे ने नेहा वर्मा आर/ओ H.N.10 देवेंद्र नगर इंदौर को उक्त घटना से जोड़ा।इसके अलावा, सब-इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे अपनी सूचना प्रणाली और बुद्धिमान जानकारी का उपयोग करते हुए यह जानकारी जुटाती हैं कि आज 22 (अवैध) नेहा वर्मा काली जींस की पैंट और मैरून रंग का टॉप पहनकर घर से चली गई हैं और संदिग्ध नेहा वर्मा के कॉल विवरण का विश्लेषण करने पर, संदिग्ध नेहा वर्मा का वर्तमान स्थान एल. आई. जी. तिराहा इंदौर के पास आर. 2906 विजय सिंह के पास है।घटना के बाद, इंदौर पुलिस द्वारा तीन दिनों तक सभी प्रयासों के बावजूद कोई सुराग या घटना नहीं मिलने से, जनता, मीडिया और अन्य सामाजिक संगठनों के दबाव और विरोध के कारण कानून और व्यवस्था का संकट पैदा हो गया है।ऐसी परिस्थितियों में, सब-इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे ने लगातार 72 घंटों तक अपने हर संभव प्रयास और समर्पण से हत्यारों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए नेहा वर्मा के रूप में एक नेतृत्व स्थापित किया और उसी पर काम करते हुए इस ट्रिपल मर्डर मामले को हल किया गया और मामले में शामिल नेहा वर्मा और अन्य राहुल उर्फ गोविंद मराठा और मनोज बलाई की गिरफ्तारी में सफल रहे।

बी.

सी.

डी.

ई.

महिला आरोपी नेहा वर्मा से मनोवैज्ञानिक तरीके से बड़े पैमाने पर पूछताछ करते हुए एस. आई. दीपिका शिंदे ने सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई और अन्य दो अभियुक्तों से भी बड़े पैमाने पर पूछताछ की, घटना के बारे में जानकारी एकत्र की जिससे मामले का समाधान हुआ।

एफ.

सब-इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे ने विश्लेषण में अपनी प्रवीणता दिखाते हुए अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ कॉल विवरण और पेशेवर कौशल का विश्लेषण करने में अपनी प्रवीणता दिखाई और पहली संदिग्ध नेहा वर्मा की पहचान, उपस्थिति, नाम और पते और उसकी संलिप्तता की घटना की जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके आधार पर केवल घटना के आरोपी की खोज के लिए निर्देश तय किया जाए।

जी.

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX A

एच.

501

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

उप-निरीक्षक दीपिका शिंदे ने उक्त तीन हत्याओं में अज्ञात आरोपी की पहचान स्थापित करते हुए मामले को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो उनकी पेशेवर उत्कृष्टता, दृढ़ता और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है।यदि उसने उक्त ट्रिपल मर्डर मामले में आरोपी नेहा वर्मा की पहचान स्थापित नहीं की होती, तो उक्त मामले में आरोपी की गिरफ्तारी असंभव थी और उसने अपनी क्षमता से आरोपी व्यक्तियों की पहचान स्थापित की है और उक्त मामले को हल किया है, जनता में एक अच्छा संदेश गया और पुलिस में उनका विश्वास फिर से स्थापित किया गया। अतीत में भी उप-निरीक्षक की सेवा उत्कृष्ट रही है।

बी.

सी.

पुलिस विनियमन के पैरा संख्या 70 (ए) के तहत उप-निरीक्षक दीपिका शिंदे द्वारा उक्त साहसी और सराहनीय कार्य को ध्यान में रखते हुए, उन्हें इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसा की जाती है ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और भविष्य में, परिश्रम और दृढ़ता के साथ अपने पुलिस कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, वह विभाग का नाम रोशन करें।"

डी.

74. इसी तरह, डी. डब्ल्यू.-6 अनिल वर्मा (नेहा के पिता) द्वारा आर. टी. आई. के एक प्रश्न के उत्तर में, भोपाल में पी. आई. ओ., पुलिस मुख्यालय ने एक उत्तर (दिनांक 22.05.2012), No.PH/10/Record/RTI/70/12/506/12 भेजा।इस दस्तावेज़ का सामग्री भाग, पूर्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। डी-46, नीचे निकाला गया हैः

ई.

"विषयःसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत जानकारी।

संदर्भःआपका आवेदन दिनांकित 29.02.12,16.03 है।2012, 23.03.12 और 26.03।12.

आपके द्वारा दो बिंदुओं पर मांगी गई उपरोक्त संदर्भित आवेदनों की जानकारी कृपया नीचे दी गई हैः

एफ.

1. उप-निरीक्षक दीपिका शिंदे को बारी के बाहर पदोन्नति के संबंध में समिति की रिपोर्ट दिनांक 24.12.2011 की फोटोकॉपी संलग्न है।

2. 19.06.2011 पर, श्रीमती. तलाशी लेने पर उप-निरीक्षक दीपिका शिंदे ने नेहा वर्मा, राहुल उर्फ गोविंद और मनोज बलाई को गिरफ्तार किया, बैंक अधिकारी नीलांजय देशपांडे की पत्नी मेघा देशपांडे की तीन हत्याओं के मामले में मुख्य आरोपी, बेटी-अश्लेषा देशपांडे और सास रोहिणी फड़के, जो पीएस-एम. आई. जी., इंदौर शहर के तहत श्रीनगर मेन कॉलोनी में हाउस नंबर 24 में रहती हैं।"

जी.

एच.

75. डी. डब्ल्यू.-1 द्वारा तीन aspectsi.e., (ए) कुछ मोबाइल नंबरों के संबंध में कॉल विवरण का विश्लेषण करना; (बी) एक मुखबिर से स्रोत जानकारी प्राप्त करना जो एम. आई. जी. पुलिस स्टेशन को दी गई थी; (सी) नेहा की गिरफ्तारी के बाद एम. आई. जी. पुलिस स्टेशन में पूछताछ, इस प्रकार साबित होती है।पीडब्लू-7 के अभिसाक्ष्य से यह भी पता चलता है कि डीडब्ल्यू-1 23.06.2011 पर भी जांच दल के साथ था और इसलिए, इस संबंध में अपीलार्थियों के तर्कों का समर्थन करने में स्वतंत्र पुष्टि प्रदान करता है।76. गिरफ्तारी से पहले, खुफिया-सूचना एकत्र करने, नेहा की गिरफ्तारी, पूछताछ में डी. डब्ल्यू.-1 की भूमिका, जिसे अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से दूर रखने की कोशिश की, इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि नेहा की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के संबंध में उसका बयान विश्वसनीय नहीं है।यह भी रिकॉर्ड की बात है कि डीडब्ल्यू-3, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संजय राणा ने स्वीकार किया कि पुलिस विभाग ने एक्स जारी किया था। 04.10.2011 पर D32 जिसमें एक सूची है जिसमें S.No.26-एक अनाम सूचनादाता-को उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है।वर्तमान मामले में, ये सभी सामग्री अर्थात डी. डब्ल्यू.-1 और डी. डब्ल्यू.-7 के साक्ष्य के साथ-साथ स्वयं पुलिस विभागों/राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज स्पष्ट रूप से डी. डब्ल्यू.-1 की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं, न केवल एक परिधीय स्तर पर, बल्कि व्यापक आधार पर, अपराध के तुरंत बाद की जांच के संबंध में, संभावित आरोपी के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्र करने के बाद भी; कॉल विवरण का विश्लेषण करना, गिरफ्तारी में भाग लेना, आरोपी से पूछताछ करना और यहां तक कि आगे की जांच के कदमों में शामिल होना जिससे लेखों की बरामदगी हो सके।

बी.

सी.

डी.

ई.

77. डी. डब्ल्यू.-6 अनिल वर्मा (नेहा के पिता) ने अपने बयान में कहा था कि नेहा को बहुत पहले 19.6.2011 पर ही पूछताछ के लिए ले जाया गया था।उन्होंने गवाही दी कि 21.06.2011 पर अपराध शाखा से एक किशन पंवार उनके पास गया और कहा कि नेहा एक चोरी के मोबाइल फोन का उपयोग कर रही थी जिसके लिए जांच की जा रही थी।उसके कहने पर डी. डब्ल्यू.-6 ने नेहा को तुरंत घर पहुँचने के लिए कहा।एक बार जब वह पहुंची, तो डीडब्ल्यू-6 ने किशन पंवार से संपर्क किया और उन्हें कार्यालय से लौटने के बारे में सूचित किया।वह कुछ मिनट बाद डी. डब्ल्यू.-1 के साथ डी. डब्ल्यू.-6 के घर 15-20 पहुँचा।उन्होंने नेहा के मोबाइल फोन की जाँच की और फिर यह कहते हुए वहाँ से चले गए कि नेहा को पूछताछ के लिए लगभग डेढ़ घंटे के लिए ले जाया जाएगा।डी. डब्ल्यू.-1 ने यह नहीं बताया कि उसे कहाँ ले जाया जाएगा, लेकिन गवाह डी. डब्ल्यू.-6 को कुछ दूरी पर उनके साथ जाने की अनुमति

दी।डीडब्ल्यू-6 के अनुसार, नेहा को रीगल क्रॉसिंग में एसपी के कार्यालय ले जाया गया और ऊपर ले जाया गया।गवाह को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, और इसके बजाय उसे जाने के लिए कहा गया, जिस समय वह अपने बेटे के साथ घर चला गया।उन्होंने आगे कहा कि 23.06.2011 पर 07 बजेः30 एएम या ए

एफ.

जी.

एच.

503

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

इसलिए उसे टेलीफोन पर नेहा के कपड़े बाहर रखने के लिए कहा गया, क्योंकि पुलिस उन्हें लेने आ रही थी।पुलिस शाम को डी. डब्ल्यू.-6 के घर पहुंची, जहां उन्होंने एक मैरून टॉप और एक जोड़ी जींस ले ली।अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह से जिरह की गई ताकि यह पता चल सके कि उसकी अभिसाक्ष्य झूठी थी; उसने इससे इनकार किया।

78. डी. डब्ल्यू.-1, डी. डब्ल्यू.-3 और डी. डब्ल्यू.-4 की गवाही के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य की तुलना में अभियोजन पक्ष के संस्करण के समग्र अध्ययन से जो स्पष्ट है, वह यह है कि 22.06.2011 पर नेहा की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष द्वारा दावा की गई "सफलता" सही नहीं है।पुलिस को मृतक अस्लेशा और मेघा के सिम कार्ड के बारे में जानकारी थी।जाहिरा तौर पर, इनके कॉल विवरण का विश्लेषण डीडब्ल्यू-1 द्वारा किया गया था।हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने इन विवरणों को मुकदमे से दूर रखा।इसी तरह, हालांकि पीडब्लू-28 और पीडब्लू-31 दोनों ने विस्तार से बताया कि नेहा को कैसे गिरफ्तार किया गया था (विशेष रूप से पीडब्लू-4, पीडब्लू-19 द्वारा निभाई गई भूमिका जिसने जानकारी दी और पीडब्लू-3, पीडब्लू-6 के साथ-साथ पीडब्लू-36 की भागीदारी), वे सभी डीडब्ल्यू-1 के बारे में स्पष्ट रूप से चुप थे। जबकि डी. डब्ल्यू.-1 ने दो अलग-अलग स्थानों पर नेहा की पूछताछ में भाग लेने और उसके संभावित ठिकाने के बारे में जानकारी देने के लिए स्वीकार किया-जिसमें वह कपड़े भी शामिल थे जो वह पहनेगी, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई।बिल्ली थैले से बाहर थी, इसलिए कहने के लिए जब पीडब्लू-7 ने स्वीकार किया कि डीडब्ल्यू-1 ने सभी अपीलार्थियों की गिरफ्तारी के एक दिन बाद 23.06.2011 पर लेखों की बरामदगी में भाग लिया।

बी.

सी.

डी.

ई.

79. इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नेहा की गिरफ्तारी और पूछताछ के संबंध में अभियोजन पक्ष के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को दबाए जाने से एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है कि नेहा की गिरफ्तारी के तरीके और डी. डब्ल्यू.-1 की भूमिका के संबंध में अभियोजन पक्ष का बयान अविश्वसनीय है।

एफ.

80. फिर जो सवाल उठता है वह है:अभियोजन पक्ष के मामले में नेहा की गिरफ्तारी की अस्वीकृति का क्या प्रभाव पड़ता है?अपीलार्थी ने आग्रह किया कि पूरी कहानी-अर्थात, प्रकटीकरण विवरण और 22.06.2011 और 23.06.2011 पर की गई वसूली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।इस न्यायालय की राय है कि इस तरह के कठोर दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है।माना जा सकता है कि वर्तमान मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।नेहा की गिरफ्तारी के संबंध में अभियोजन पक्ष के बयान को अस्वीकार करने का मतलब होगा कि केवल उसी परिस्थिति को साबित नहीं किया जाना है।ऐसा नहीं है कि नेहा की गिरफ्तारी ने अभियोजन मामले की एकमात्र नींव प्रदान की।कुछ मायनों में, यह एक प्रवेश बिंदु है; इसकी अस्वीकृति का मतलब यह होगा कि न्यायालय को अन्य सबूतों के साथ सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, निष्पक्ष रूप से निर्धारित करना चाहिए।

जी.

एच.

क्या अन्य सभी परिस्थितियाँ उचित संदेह से परे साबित हुई थीं, और क्या अंत में अभियुक्त का अपराध और दूसरों का नहीं, इस प्रकार साबित हुआ है।

II. थेरापेलेंट्स की गिरफ्तारी से संबंधित परिस्थितियाँ

81. अगर 22.06.2011 पर नेहा की गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो रिकॉर्ड की बात यह है कि उस दिन पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 की उपस्थिति में उससे पूछताछ की गई थी।इन गवाहों के बयानों का विश्लेषण करना आवश्यक है।पीडब्लू-3 मृतक का रिश्तेदार है, साथ ही निरंजन देशपांडे (पीडब्लू-1) भी है।वह 19.06.2011 पर मौजूद था और अपराध स्थल पर पाए गए रक्त के नमूनों, उंगलियों के निशान और वस्तुओं की जब्ती और सीलिंग को देखता था।वह जाँच कार्यवाही के गवाह भी थे।उन्होंने अपदस्थ किया कि

आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-31) ने उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहा।हालाँकि, पीडब्लू-31 ने पीडब्लू-3 को किसी अन्य व्यक्ति को लाने के लिए कहने का समर्थन नहीं किया।फिर भी, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 लगभग 7 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचे:30 AM.Neha की गिरफ्तारी 08 पर दिखाई गई है:10 पीडब्लू-3 ने दो सोने की चूड़ियों, एक टूटे हुए मंगलसूत्र, 3 गुरिया, सोने के लटकन, मृतक मेघा का एक एटीएम कार्ड, एक ओरिफ्लेम इत्र की बोतल और एक ओरिफ्लेम फॉर्म (जाहिरा तौर पर मेघा के हस्ताक्षर के साथ) का खुलासा बयान और बरामदगी देखी।उन्होंने राहुल की गिरफ्तारी (सुबह 9 बजे), उसके द्वारा खुलासा बयान और विभिन्न वस्तुओं की बरामदगी के संबंध में भी गवाही दी, जैसे कि एक पिस्तौल, एक चाकू, दो सोने की चूड़ियां, एक टूटे हुए मंगलसूत्र का हिस्सा जिसमें एक "गुरिया" और चेन (वजन लगभग 9 ग्राम), एक काला गुरिया, और राहुल की तस्वीर (दाहिने हाथ में काले मोती का कंगन पहने हुए)।उन्होंने आगे 10 बजे मनोज की गिरफ्तारी की गवाही दी:05 AM, 22.06.2011 पर, उनका खुलासा और लेखों की ओर इशारा करते हुए, उनकी वसूली की ओर ले जाता है (Ex. पी16 और एक्स। पी17)।बरामद वस्तुओं में दो सोने की चूड़ियां, एक टूटे हुए मंगलसूत्र का हिस्सा, एक चाकू और धूप के चश्मे में मनोज के साथ एक तस्वीर शामिल थी।पीडब्लू-6 ने उन तथ्यों की पुष्टि की।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

82. पीडब्लू-3 की गवाही पर समय में विसंगति की ओर इशारा करते हुए महाभियोग चलाया गया था।वह 7 बजे के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचा:30 एएम। इसके अलावा, जिरह में, गवाह उन घरों के विवरण के बारे में गवाही देने में सक्षम नहीं था जहाँ पुलिस दल गया था, वहाँ कौन थे, आदि। इसी तरह पीडब्लू-6 के बारे में भी सवालिया निशान लगा दिया गया था।यह आग्रह किया गया कि आई. ओ. ने कभी भी किसी अन्य गवाह को पी. डब्ल्यू.-3 के साथ जाने के लिए नहीं कहा।यह आग्रह किया गया था कि ये गवाह इच्छुक व्यक्ति हैं, क्योंकि वे मृतक और पीडब्लू-1 से संबंधित हैं।22.06.2011 पर वसूली के संबंध में एक अन्य तर्क यह था कि यह A है।

जी.

एच.

यह अविश्वसनीय है कि राहुल और मनोज ने लूटी गई वस्तुओं और मृतक पर हमला करने और उसे मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों को अपने पास रखा होगा, क्योंकि उन्होंने जूते, कैमरा, कपड़े आदि जैसी अन्य वस्तुओं का निपटान करने और बाइक और स्कूटी आदि को छिपाने की कोशिश की थी। न्यायालय की राय में, इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के तरीके को दो गवाहों पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 द्वारा लगातार बताया गया है, जिन्होंने आईओ के अभिसाक्ष्य की पुष्टि की है।हालाँकि, नेहा के संबंध में, जो समझाया नहीं गया है वह यह है कि पीडब्लू-4 (बन्नो सोलंकी) ने उसकी गिरफ्तारी और उसके परिसर की तलाशी में भाग क्यों नहीं लिया। पीडब्लू-4 को बुलाने के बाद, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल को एक महिला आरोपी को पकड़ना चाहिए, तलाशी लेनी चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए, अभियोजन पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि पीडब्लू-4 आगे की कार्यवाही में क्यों शामिल नहीं था।पीडब्लू-4 ने स्वीकार किया कि जब टीम नेहा के घर की ओर बढ़ी तो वह कार में बैठी थी।टीम में उनकी उपस्थिति की पुष्टि पीडब्लू-3 के साथ-साथ आईओ द्वारा भी की गई है। पीडब्लू-4 स्वयं नेहा के घर से की गई बरामदगी के बारे में अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि नहीं करता है।

बी.

सी.

डी.

83. जैसा कि पहले देखा गया है, अभियुक्त के कहने पर जब्त की गई वस्तुओं का विवरण देते हुए जब्ती ज्ञापनः Ex. पी11 (नेहा) में एक ए. टी. एम. कार्ड शामिल था जो मृतक मेघा का था। पी14 (राहुल) में लूटे गए आभूषण (सोने की चूड़ियाँ, टूटे हुए मंगलसूत्र का हिस्सा), एक देसी पिस्तौल, 35.5 सेंटीमीटर का एक चाकू और दाहिने हाथ पर काले हीरे जैसा मोती का कंगन पहने हुए उसकी एक तस्वीर शामिल थी। पी17 (मनोज) में लूटे गए गहने (सोने की दो चूड़ियाँ, एक टूटे हुए मंगलसूत्र का हिस्सा), 34.5 सेंटीमीटर की कुल लंबाई का एक लोहे का चाकू और भूरे रंग के धूप के चश्मे पहने हुए उनकी एक तस्वीर शामिल थी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, ये लेख उनके अपराध से संबंधित हैं।

ई.

84. पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6, दोनों बयान देते हैं कि सामान की जब्ती के बाद उनमें से प्रत्येक 5 बजे तक पुलिस के पास रहेः00 22.06.2011 पर पीएम।अभियोजन पक्ष का कथन है कि तीनों अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी 10 तक पूरी हो गई थीः05 ए. एम., उनके प्रकटीकरण बयान दर्ज किए गए, और 10.35 ए. एम. द्वारा जब्त किए गए सभी लेख (पूर्व के अनुसार। पी17)।आगे की जांच क्यों नहीं की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।ऐसा लगता है कि उसके बाद 22.06.2011 पर जो कुछ भी हुआ है,अर्थात।10 के बादः35 एएम, अभियुक्तों के नाखून काट दिए गए थे और जब्ती ज्ञापन तैयार किए गए थे (जैसा कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 द्वारा बयान दिया गया था)।इस संबंध में जब्ती ज्ञापन पूर्व हैं। पी18, पी19 और

पी20।ये दोपहर में तैयार किए गए थेःEx. पी18 (13:05 घंटे); उदा. पी19 (13:15 घंटे) और एक्स। पी20 (13:25 घंटे)।अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि बाद में राहुल के कहने पर उनके द्वारा पहना गया बायां जूता

एफ.

जी.

एच.

506

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

घटना के दौरान उसे 16 साल की उम्र में जब्त कर लिया गया थाः40 उसके घर के पास एक खुले क्षेत्र से घंटे (उदा। पी21)।

85. अभियोजन पक्ष ने यह नहीं बताया कि जांच में ब्रेक क्यों थे, यह देखते हुए कि सभी अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयान और परिणामी बरामदगी 22.06.2011 की सुबह हुई थी।यह भी रिकॉर्ड की बात है कि हालांकि उस दिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें केवल अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था।दूसरे शब्दों में, पुलिस के लिए आगे बढ़ने या सभी सबूतों को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाने में कोई बाधा नहीं थी।इस अदालत की राय में यह पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही जिस तरीके से नेहा को गिरफ्तार किया गया था (जैसा कि पहले चर्चा की गई थी) इस तथ्य को खारिज किया जाना था कि उन्हें पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया था, आगे की कार्यवाही और अभियुक्त के कहने पर और उनके बयानों के अनुसार वस्तुओं की जब्ती सहित जांच के कदम साबित होते हैं।ये कारण हैं कि 22.06.2011 (अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद, और उनके कहने पर बरामदगी की गई) की घटनाओं को अलग किया जाना चाहिए और अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य तिथियों पर भरोसा की गई घटनाओं और परिस्थितियों से अलग देखा जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

86. इस न्यायालय की राय में पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता है।जानलेवा हमले का पता चलने के बाद पीडब्लू-3 19.06.2011 पर मौजूद था और पीडब्लू-1 ने इंदौर पहुंचने के बाद उसके साथ प्रवास किया।वह (पीडब्लू-3) मृतक रोहिणी का भतीजा था और मृतक का अंतिम संस्कार भी करता था।इसी तरह, पीडब्लू-6 गाँव बरलाई

में रहता था जो जावरा (जहाँ पीडब्लू-3 रहता था) से बस से लगभग 45 मिनट की दूरी पर है। वे पीडब्लू-3 को जानते थे और रोहिणी को लगभग 10-15 वर्षों से जानते थे।वह पीडब्लू-3 के घर पहुंचा जब बाद वाले ने उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा, क्योंकि नेहा को पकड़ लिया गया था और उसकी तलाशी में एक एटीएम कार्ड मिला था जो अश्लेशा का था।इन दो गवाहों में से, पीडब्लू-3 मृतक से संबंधित है; हालाँकि, पीडब्लू-6 नहीं था।दोनों गवाहों ने एक-दूसरे की गवाही की पुष्टि की और नेहा से पूछताछ, उसकी गिरफ्तारी, प्रकटीकरण बयान, उसके बयान के अनुसार की गई बरामदगी के साथ-साथ राहुल और मनोज से की गई गिरफ्तारी, प्रकटीकरण बयान और बरामदगी के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी को साबित किया।इसके अलावा, उनकी गवाही और आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-31) की गवाही के बीच कोई विसंगति नहीं है।एक अन्य प्रमाण यह है कि पी. डब्ल्यू.-27, बैंक ऑफ इंडिया, उज्जैन के एक अधिकारी ने अपदस्थ किया कि उन्होंने एक पत्र जारी किया (उदा. पी98) एटीएम कार्ड संख्या वाले एस. एच. ओ. को।मेघा का ए. टी. एम. कार्ड, जो नेहा के प्रकटीकरण बयान के अनुसार बरामद किया गया था, उसके बैंक द्वारा जारी किया गया था; यह उन वस्तुओं में से एक था जिन्हें 22.06.2011 पर जब्त किया गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

507

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

87. पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 की गवाही के समग्र विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ विसंगतियों के बावजूद, जिन्हें घटनाओं के अनुक्रम के अपूर्ण या दोषपूर्ण स्मरण के लिए नीचे रखा जा सकता है, या उपस्थित लोगों आदि के बारे में, उनकी गवाही विश्वसनीय हैं।उनके बयानों का प्रभाव यह है कि उन्होंने नेहा, राहुल और मनोज के प्रकटीकरण बयानों को देखा, और पुलिस द्वारा वस्तुओं की बरामदगी और उनकी जब्ती को भी देखा, जो जब्ती ज्ञापनों में दर्ज किए गए थे। पी11, पी14 और पी17)।

बी.

III. 23.06.2011 की पुनर्प्राप्ति

88. पीडब्लू-7 संदीप नरुलकर एक स्वतंत्र गवाह है, जिसने आरोपी राहुल और मनोजोन के प्रकटीकरण बयानों और उसके अनुसार की गई बरामदगी की गवाही दी।उन्होंने राहुल को पुलिस

को 19.06.2011 की घटना के बारे में बताते हुए गवाही दी और कहा कि उस घटना में एक कैमरा और दो मोबाइल सेट लूट लिए गए थे।राहुल ने घटना के समय इस्तेमाल किए गए कैमरे, मोटरसाइकिल, पहने हुए कपड़ों और चाकू के बारे में जानकारी दी; उसने कहा कि वह सामान बरामद करा सकता है।फिर पुलिस ने एक प्रकटीकरण ज्ञापन तैयार किया (उदा. पी28) ने पी. डब्ल्यू.-7 द्वारा गवाही दी और हस्ताक्षर किए।उन्होंने कहा कि राहुल के निर्देश पर, पुलिस ने पीथमपुर रोड पर एक छोटे से पुल के नीचे से मोटरसाइकिल, एक काले भूरे रंग की पतलून, एक पूरी बांह वाली भूरे रंग की शर्ट और धातु के हैंडल के साथ एक खून से सना हुआ लोहे का चाकू बरामद किया। पी29)।इसके अलावा, पुलिस ने एक टूटे हुए कैमरे का एक लेंस भी जब्त किया। पी30)।दोनों जब्ती ज्ञापन (उदा. पी29, पी30) में पीडब्लू-7 के हस्ताक्षर थे।न्यायालय में दिखाए जाने पर, उन्होंने वस्तुओं (भूरे रंग की पूर्ण पैंट, चाकू, टूटे हुए कैमरे का एक लेंस) की भी पहचान की।उसने आगे कहा कि पुलिस ने उससे पहले मनोज से पूछताछ की और मनोज ने डकैती और हत्या के बारे में और घटना के समय पहने गए कपड़ों और जूतों के बारे में जानकारी दी और कहा कि वह उन्हें बरामद करा सकता है।पुलिस ने तब ज्ञापन पूर्व तैयार किया। पी31 जिसमें गवाहों के हस्ताक्षर हैं।मनोज के निर्देश के अनुसार, पुलिस ने उसके पिता के घर से एक "फिरोजी" रंग की टी-शर्ट, एक काले रंग की खून से सना पूरा पैंट, एक नीले रंग का अंडरवियर और एक छोटे चमड़े के काले रंग के जूते जब्त किए; इन वस्तुओं के लिए जब्ती ज्ञापन (उदा. पी32) में उनके हस्ताक्षर भी थे।उसने उन वस्तुओं की पहचान की-कपड़े, जूते और एक टूटा हुआ सैमसंग मोबाइल फोन, जिसे पुलिस ने मारुति शोरूम के पास एक खाली भूखंड से जब्त पंचनामा (एक्स. पी33) गवाहों के हस्ताक्षर के साथ।उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन का आई. एम. ई. आई. नंबर 352450/03/115949 9 था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

89. पीडब्लू-7 ने नेहा की पूछताछ को भी देखा जहां उसने डकैती और हत्या के बारे में जानकारी प्रदान की; और पुलिस को बताया कि वह छिपी हुई थी और घटना के समय पहने गए

कपड़े और सैंडल, और सुजुकी एक्सेस वाहन (पूर्व। पी34)।उसकी ओर इशारा करते हुए, पुलिस ने एम. वाई. अस्पताल की पुरानी ओ. पी. डी. के पीछे से सुजुकी एक्सेस स्कूटी को जब्त कर लिया, जिसमें सेःएक सर्विस बुक, सफेद अस्तर के साथ एक खून से सना गुलाबी फुल स्लीव शर्ट, पीछे की जेब पर तीन बटन के साथ एक हल्के नीले रंग की जींस, महिलाओं की एक जोड़ी काले रंग की ऊँची एड़ी की सैंडल के साथ सामने और पीछे भूरे रंग की पट्टी लगी हुई थी, जिसके ऊँची एड़ी के ऊपर खून के दाग वाली एक जंजीर लगी हुई थी।इन्हें पुलिस (Ex.P35) द्वारा जब्त कर लिया गया था जिसमें गवाहों के हस्ताक्षर थे।पीडब्लू-7 ने न्यायालय में इन लेखों की पहचान की।

बी.

सी.

90. पीडब्लू-7 और पीडब्लू-13 के बयानों के समग्र अध्ययन से पता चलता है कि सभी अभियुक्तों द्वारा 23.06.2011 की सुबह प्रकटीकरण बयान दिए गए थे।हालाँकि, प्रकटीकरण बयानों के अनुसार लेखों की बरामदगी दोपहर में हुईःEx. पी29 (जो राहुल से संबंधित है और मोटरसाइकिल, एक चाकू और उसके कपड़ों की जब्ती का सबूत है) 15 पर थाःघंटे; पूर्व। 16 पर पी30 (जो भी राहुल के कहने पर एक टूटा हुआ कैमरा जब्त करने की ओर ले गया):40 घंटे; पूर्व। 14 बजे पी32 (मनोज के कहने पर जब्त किए गए जूतों की जोड़ी, एक टी-शर्ट, एक पतलून और एक अंडरवियर):45 घंटे; पूर्व। 16 बजे पी33 (मनोज के कहने पर टूटा हुआ मोबाइल फोन की दूसरी जब्ती):00 घंटे; और पूर्व। पी35 (नेहा के कहने पर कपड़ों के सामान, खून से सने काले सैंडल और सुजुकी स्कूटी की जब्ती) 17.30 बजे।अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया कि टुकड़ों-टुकड़ों में बरामदगी क्यों की गई, जब उसके गवाहों के अनुसार, पहले ही दिन यानी आईडी1 पर, तीनों अभियुक्तों ने अपराध में अपनी भूमिका और सहयोग करने की अपनी इच्छा के साथ-साथ अपराध से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी का खुलासा किया था-जिसमें उनसे संबंधित या उनके द्वारा छिपी हुई वस्तुएं भी शामिल थीं।

डी.

ई.

एफ.

91. दूसरी अस्पष्ट विशेषता यह है कि लगातार दो तारीखों पर गवाहों के दो समूह कार्यवाही में क्यों शामिल हुए।पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 ने तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनके प्रकटीकरण बयान और पहले दिन यानी 22.06.2011 पर की गई बरामदगी देखी।अगले दिन गवाहों के एक पूरी तरह से अलग समूह को बुलाया गया, यानी 23.06.2011 (पीडब्लू-7 और प्रकाश इचके)।इसके अलावा, 23.06.2011 (प्रकाश इचके) के लिए वसूली गवाहों में से एक से पूछताछ नहीं की गई थी।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बरामदगी के गवाहों को सुबह

लगभग 7 से 8 बजे फोन आया और उन्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया जो उन्होंने ए में किया।

जी.

एच.

509

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

उस दिन अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान अलग-अलग समय पर दर्ज किए गए थे, लेकिन 10.00 AM.However से पहले, अभियोजन पक्ष उस दिन सुबह लगभग 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच किसी भी गतिविधि के अभाव की व्याख्या नहीं करता है जब पहली बरामदगी की गई थी।पीडब्लू-7 ने खुद स्वीकार किया कि वह मृतक परिवार से परिचित था; जाहिर है, उनके सेल फोन नंबर उन्हें पता थे।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि डी. डब्ल्यू.-1 दीपिका शिंदे ने उस दिन जांच कार्यवाही में भाग लिया था।

बी.

92. ये सभी कारक, इस न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष के संस्करण पर संदेह पैदा करते हैं कि अगले दिन क्या हुआ अर्थात 23.06.2011।यह देखते हुए कि अभियुक्तों को 22.06.2011 की सुबह हिरासत में लिया गया था और गिरफ्तार किया गया था, कि उन्होंने खुलासा बयान दिए थे, और उनके कहने पर उस दिन बरामदगी हुई थी, जो उस सुबह ही पूरी हो गई थी, जांच द्वारा अपनाई गई किश्त या प्रासंगिक प्रक्रिया, इसकी सत्यता के बारे में संदेह पैदा करती है।अभियोजन पक्ष को अभियुक्त द्वारा दिए गए बयानों पर कार्रवाई करने और सभी साक्ष्य एकत्र करने से कुछ भी नहीं रोक सका-जो उसकी स्वीकारोक्ति के अनुसार गिरफ्तारी के दिन आसानी से उपलब्ध और आसानी से सुलभ था (अभियुक्त की जानकारी को देखते हुए जो वे साझा करने को तैयार थे)।भले ही कुछ बाधाएं थीं, समय की कमी या अन्यथा, पंच गवाहों के एक पूरी तरह से अलग समूह की भागीदारी, यह बताए बिना कि 22.06.2011 पर बरामदगी का सबूत देने वाले अन्य गवाहों को भाग लेने के लिए क्यों नहीं कहा जा सका, उस संदेह को रेखांकित करता है।संदेह इस तथ्य से और बढ़ जाता है कि पीडब्लू-7 मृतक परिवार को जानता था-और यह भी दावा किया कि उसका मोबाइल नंबर उनके पास उपलब्ध था।आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-31) अपने बयान में इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं।वह इस बात पर चुप थे कि अन्य तीन के बजाय पीडब्लू-7 23.06.2011 में कार्यवाही में क्यों शामिल था, और बरामदगी के दूसरे गवाह प्रकाश इचके से पूछताछ न करने के बारे में।चूंकि सभी बरामदगी खुले क्षेत्रों से की गई थी, जिसमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी कि क्या वे कुछ छिपी हुई जगहों से थीं, इसलिए वस्तुओं की इस तरह की बरामदगी को 22.06.2011 पर की गई बरामदगी के समान नहीं माना जा सकता है।यह पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस द्वारा जब्त किए गए कपड़े (जो

अभियोजन पक्ष के अनुसार खुले क्षेत्र में पड़े थे, और इस प्रकार तत्वों के संपर्क में थे) ऐसी वस्तुएं थीं जिनसे डीएनए के लिए नमूने एकत्र किए गए थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक और अपराध स्थल से एकत्र किए गए नमूनों पर पाए गए डीएनए मार्करों के साथ कोई मिलान था या नहीं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

IV. प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-10 की गवाही

93. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा किया -10.इस गवाह ने दावा किया कि 19.06.2011 की शाम को, उसने दो लड़कों को मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करते देखा, उनमें से एक के टखने से खून बह रहा था, और दूसरा, अग्र-भुजा से। उन्होंने कहा कि एक लड़की स्कूटी पर आई और उन्हें सलाह दी कि अस्पताल जाना बेहतर होगा।गवाह ने आरोप लगाया कि उसने घटना के अगले दिन यानी 20.06.2011 को पुलिस को सूचित किया था।उसने जिरह में कहा कि हत्या के बारे में जानने के बाद उसने दावा किया कि वह पुलिस स्टेशन गया था।बाद में, उसने कहा कि वह वहाँ "गुमस्ता" लाइसेंस प्राप्त करने गया था।उसने स्वीकार किया कि वह समाचार पत्र नहीं पढ़ता था, लेकिन उसने कहा कि जब वह पुलिस स्टेशन गया तो हत्या के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी, जिस पर उसने स्वेच्छा से जानकारी प्रदान की और अपना बयान दर्ज कराया।गवाह ने कहा कि वह एक चाय की दुकान का मालिक था और एक संपत्ति दलाल के रूप में काम करता था; बाद में उसने स्वीकार किया कि संपत्ति दलाल के रूप में उसका कोई पंजीकरण नहीं था।उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने पहले किसी अन्य मामले में पुलिस की ओर से गवाह के रूप में गवाही दी थी।अपराध स्थल के पास या उसके बाद पीडब्लू-10 की उपस्थिति को उनके द्वारा कुछ हद तक अविश्वसनीय रूप से समझाया गया है, यह पता लगाने के उनके प्रयास के रूप में कि क्या कुछ संपत्ति खाली थी। वह वह है जिसे कोई मौका गवाह कह सकता है।

बी.

सी.

डी.

94. एक संयोग गवाह वह होता है, जो अचानक घटनास्थल पर दिखाई देता है।गवाह की इस प्रजाति का वर्णन पूरन बनाम पंजाब राज्य 27 में निम्नलिखित शब्दों में किया गया हैः

ई.

"ऐसे गवाहों को कुछ होने पर अचानक घटनास्थल पर उपस्थित होने और फिर उस घटना को देखने के बाद गायब होने की आदत होती है जिसके बारे में उन्हें बाद में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाता है।"

एफ.

इस न्यायालय ने संयोग गवाहों की गवाही से निपटने के बारे में सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।दरिया सिंह बनाम पंजाब राज्य 28 में यह देखा गया था किः

"...जहाँ गवाह पीड़ित का घनिष्ठ संबंध है और उसे अपने हमलावर के प्रति पीड़ित की शत्रुता साझा करते हुए दिखाया गया है, तो स्वाभाविक रूप से यह आवश्यक हो जाता है कि आपराधिक अदालतें ऐसे गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य की बहुत सावधानी से जांच करें और जांच करें।

जी.

27 ए. आई. आर 1953 एस. सी. 459 28 1964 (7) एस. सी. आर. 397 ए

एच.

511

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लेने से पहले उस साक्ष्य में सभी दुर्बलताएँ।इस तरह के साक्ष्य से निपटने में, अदालतें स्वाभाविक रूप से जांच शुरू करती हैं कि क्या उक्त गवाह संयोग से गवाह थे या क्या वे वास्तव में अपराध स्थल पर मौजूद थे।.....यदि आपराधिक न्यायालय का समाधान हो जाता है कि पीड़ित का रिश्तेदार गवाह संयोग-गवाह नहीं था, तो उसके साक्ष्य की संभावनाओं के दृष्टिकोण से जांच की जानी चाहिए और हमले के बारे में उसके द्वारा दिए गए विवरण की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।"

बी.

जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य 29 में फिर से, इस न्यायालय ने निर्णय दिया किः"22. एक संयोग गवाह के साक्ष्य के लिए बहुत सतर्क और करीबी जांच की आवश्यकता होती है और एक संयोग गवाह को घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति की पर्याप्त व्याख्या करनी चाहिए (सतबीर

बनाम सूरत सिंह 30, हरजिंदर सिंह बनाम गुजरात राज्य, आचारपरंबथ प्रदीपन और अन्न बनाम गुजरात)।केरल राज्य 31 और सर्वेश नारायण शुक्ला बनाम दारोगा सिंह 32)।एक संयोग गवाह की गवाही, जिसकी घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध बनी हुई है, को खारिज अभिसाक्ष्य दिया जाना चाहिए (शंअभिसाक्ष्यलाल बनाम राजस्थान राज्य 33)।"

सी.

डी.

95. इस न्यायालय की राय में इस गवाह का अभिसाक्ष्य (पीडब्लू -10) अंकित मूल्य पर नहीं लिया जा सकता है।पीडब्लू-10 ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में सुधार किया और इस संबंध में उसका सामना किया गया।पुलिस को दिए गए उसके शुरुआती बयान में लड़की की उपस्थिति का उल्लेख नहीं था (जिसकी पहचान उसने अदालत में नेहा के रूप में की थी)।इसी तरह, वह न्यायालय में गवाही देकर अपने बयान में सुधार करता है कि लड़की ने दो लड़कों को गंभीर रूप से घायल एक लड़के को अस्पताल ले जाने के लिए कहा था।इसके अलावा, उसके विरोधाभासों के कारण वह 20.0.2011 पर पुलिस स्टेशन गया-गुमास्ता लाइसेंस प्राप्त करना, या अपराध की रिपोर्ट करना; और अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति-एक संपत्ति दलाल के रूप में एक संपत्ति की रिक्ति की जांच करना, जिसके पास इस व्यवसाय के लिए कोई लाइसेंस नहीं था, सामग्री हैं।ये अंतर्विरोध गंभीर हैं क्योंकि वे गवाह की विश्वसनीयता की जड़ पर प्रहार करते हैं।विशेष रूप से एक लड़की की उपस्थिति के बारे में उनके पूर्वाग्रह और सुधार बहुत गंभीर और मौलिक हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।बहुत महत्वपूर्ण रूप से यह गवाह एक प्रतीत होता है

ई.

एफ.

जी.

29 (2009) 9 एससीसी 719 30 (1997) 4 एससीसी 192 31 (2006) 13 एससीसी 643 32 (2007) 13 एससीसी 360 33 (2004) 10 एससीसी 632

एच.

स्टॉक गवाह।उपरोक्त सभी कारणों से पीडब्लू-10 के बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

V. पीडब्लू-8 द्वारा मनोज की पहचान

96. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-8 अच्युतमल तेजवानी की गवाही पर भरोसा करते हुए कहा कि मनोज ने उससे इलाज कराया था।गवाह ने अपने अभिसाक्ष्य के दौरान कहा कि उसने पाकिस्तान के एक विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई की थी।उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस नहीं दिया गया था; उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें डॉक्टर के रूप में अभ्यास करने की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन वे कविता क्लिनिक चलाते थे।उसने न्यायालय में मनोज की पहचान की, और कहा कि 19.06.2011 पर, मनोज ने अपनी कोहनी पर चोट के लिए इलाज कराया था, और एक अन्य लड़का (जो सिंधी में बोलता था) उसके साथ था।उन्होंने पूर्व को साबित किया। पी37, उनके द्वारा जारी पर्ची, जिसमें मनोज के लिए पर्ची थी, जिसे 25.06.2011 (एक्स. पी36) आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-31) द्वारा, जिसने इसे अपदस्थ कर दिया।

बी.

सी.

97. इस न्यायालय की राय है कि पीडब्लू-8 एक विश्वसनीय गवाह नहीं है।इस तथ्य के अलावा कि वह निश्चित रूप से एक अयोग्य पेशेवर है, और एक बिना लाइसेंस वाला-सबसे अच्छा एक बदमाश है, अपीलार्थियों के वकील ने बिल्कुल सही ढंग से बताया कि पुलिस के साथ उनके पिछले संबंधों से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे विभाजन के दौरान पाकिस्तान से चले गए थे।पुलिस संरक्षण की छाया में उसके अपने पेशे का अभ्यास करने की संभावना, किसी प्रकार के क्विड प्रो क्वो के लिए, यानी एक सुविधाजनक गवाह होने के नाते, एक छिपा हुआ संदेह छोड़ देता है।पुलिस ने परीक्षण पहचान परेड के दौरान उसे शामिल नहीं किया; बेशक, मनोज को वास्तव में जांच के दौरान उसके पास ले जाया गया था।इन परिस्थितियों में, इस गवाह की गवाही विश्वसनीय नहीं है।इसलिए इस स्थिति को साबित करने के लिए नहीं माना जाता है।

डी.

ई.

VI. अभियुक्तों की परीक्षण पहचान परेड

एफ.

98. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-10 और पीडब्लू-18 (प्रताप कुमार अगसिया, नायब तहसीलदार) की गवाही पर भरोसा किया।दोनों ने पदच्युत किया कि पीडब्लू-10 ने विशेष रूप से मनोज और राहुल के सिर पर टैप करके उनकी सही पहचान की थी।पीडब्लू-18 के अनुसार, दोनों अभियुक्तों को उनके जैसे दिखने वाले 10 अन्य व्यक्तियों के साथ खड़ा किया गया था।इस पहचान ज्ञापन का परिणाम अर्थात परीक्षण पहचान परेड ("टी. आई. पी".) कार्यवाही को पूर्व के रूप में दर्ज किया गया था। पी38, जहाँ मनोज और राहुल की पहचान पीडब्लू-10 और एक्स द्वारा की गई थी। पी40 जहाँ केवल मनोज की पहचान पीडब्लू-11 राजू Sen.Likewise

द्वारा की गई थी, पीडब्लू-18 ने इसे पूर्व के रूप में दर्ज एक अलग कार्यवाही में अपदस्थ कर दिया। पी39, पीडब्लू-10 ने नेहा की पहचान उन पाँच अन्य लड़कियों में से की थी जिनकी शारीरिक विशेषताएं समान थीं।

जी.

एच.

513

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

99. टी. आई. पी. की कार्यवाही के खिलाफ मुख्य तर्क यह था कि यह अत्यधिक देरी के बाद आयोजित किया गया था।अपीलार्थियों को 22.06.2011 पर गिरफ्तार किया गया और 30.06.2011 तक हिरासत में रखा गया।यह आग्रह किया गया था कि मजिस्ट्रेट को शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, ताकि उस समय या उसके बाद उनकी टी. आई. पी. हो और टी. आई. पी. केवल 14.07.2011 पर आयोजित की जाए।Ex. पी38, राहुल और मनोज से संबंधित टी. आई. पी., 10 अन्य लोगों के नाम दर्ज करता है, जिनके साथ अभियुक्तों को उनकी पसंद के अनुसार कहीं भी खड़ा किया गया था।प्रत्येक व्यक्ति को गले तक एक कंबल से ढका गया था।यह दर्ज करता है कि कार्यवाही के समय कोई पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था, और गवाह ने आरोपी की सही पहचान की।

बी.

100. आपराधिक मुकदमों में गवाह द्वारा अभियुक्त की पहचान करने की एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि पहचान परेड है।टी. आई. पी. प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, जहां गवाह जो अभियुक्त को देखने का दावा करते हैं, या घटना के समय के बारे में अन्य व्यक्तियों के बीच से ऐसे अभियुक्त की पहचान करने के लिए, जो बिना किसी सहायता या अन्य स्रोत के उनके समान शारीरिक गुण रखते हैं।टी. आई. पी. गवाहों की सत्यता और अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करने की उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए होते हैं।टी. आई. पी. को आम तौर पर जल्द से जल्द संभव समय पर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि पहचान परेड से पहले गवाहों को आरोपी को दिखाए जाने की संभावना को समाप्त किया जा सके, जो अन्यथा ऐसे गवाहों की स्मृति को प्रभावित कर सकता है।टी. आई. पी. जांच के दौरान आयोजित किए जाते हैं; हालाँकि, मालखान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में एक आरोपी को अधिकार के मामले के रूप में दावा करने में सक्षम बनाने के लिए कानून का कोई प्रावधान नहीं है। 34 रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य 35 में इस न्यायालय ने टी. आई. पी. की उपयोगिता और महत्व को रेखांकित किया। ऐसा कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं है जो टी. आई. पी. आई. पी. एस. ओ. को वास्तविक रूप से आयोजित करने में देरी या विफलता साक्ष्य को

अस्वीकार्य या अस्वीकार्य बनाता है; हालाँकि, यह इस तरह की पहचान से जुड़ी विश्वसनीयता और वजन को प्रभावित करता है, जैसा कि श्यामलाल घोष बनाम पश्चिम राज्य में माना गया है।

सी.

डी.

ई.

बंगाल 36.

एफ.

101. इस न्यायालय ने पी. डब्ल्यू.-10 की गवाही की विश्वसनीयता के संबंध में पहले चर्चा की है और इसे अंकित मूल्य पर क्यों नहीं लिया जा सकता है।अन्यथा भी, तथ्य यह है कि उन्होंने उस जगह से दूरी के बारे में बुनियादी विवरण का उल्लेख करना छोड़ दिया जहां वे थे, और जहां उन्होंने आरोपी को देखा था।इसके अलावा, उसके विवरण से पता चलता है कि उसने स्पष्ट रूप से आरोपी को क्षणिक रूप से देखा था।अभियोजन पक्ष द्वारा एक रेखाचित्र बनाने या यह दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि यह गवाह (जो महत्वपूर्ण है) कहाँ से अनुमानित दूरी पर है।

जी.

34 (2003) 5 एस. सी. सी. 746 (पैरा 7)।35 (1978) 3 एस. सी. सी. 86 (पैरा 18)।36 (2012) 7 एस. सी. सी. 646

एच.

उसके मामले में) आरोपी का अवलोकन किया।इन तथ्यों को देखते हुए, और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद टी. आई. पी. का संचालन करने में देरी (अभियोजन पक्ष द्वारा अस्पष्टीकृत, जिसने अपने खाते में जून 2011 के अंत तक मामले को समाप्त कर दिया था), टी. आई. पी. पक्ष को प्रस्तुत करता है।यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्तों के पीडब्लू-10 द्वारा आयोजित टी. आई. पी. और बाद में डॉक की पहचान, उन परिस्थितियों में से हैं जो उचित संदेह से परे साबित हुई हैं।

बी.

VII. वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति और उनकी परीक्षण पहचान

102. गिरफ्तारी के दिन (22.06.2011), अभियुक्तों ने खुलासा करने वाले बयान दिए और पुलिस को उन स्थानों की ओर इशारा किया जहां लूटी गई वस्तुओं, या अपराध से संबंधित वस्तुओं को रखा गया था या छिपाया गया था।इन वस्तुओं को उसी सुबह जब्त कर लिया गया था।Ex के संदर्भ में। पी11, नेहा के कहने पर बरामद की गई वस्तुओं में लगभग 50,000/- मूल्य की दो झुकती सोने की चूड़ियां, एक सोने का लटकन, तीन गुरिया और लगभग 22,000 मूल्य की चेन और गुरिया के साथ एक मंगलसूत्र का हिस्सा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी मेघा का एटीएम कार्ड शामिल था।इसी तरह, Ex। पी14 (राहुल के कहने पर की गई बरामदगी) दो मुड़ी हुई सोने की चूड़ियों का प्रमाण देता है जिनकी कीमत लगभग 50,000/- है, एक गुरिया, लगभग 20,000/- की चेन के साथ मंगलसूत्र का हिस्सा है।अंत में, एक्स। पी17 (मनोज के कहने पर की गई बरामदगी) में अन्य बातों के साथ-साथ, लगभग 50,000/- मूल्य की गोल डिजाइन वाली दो मुड़ी हुई सोने की चूड़ियाँ, एक गुरिया, लगभग 20,000/- मूल्य की चेन के साथ मंगलसूत्र का हिस्सा शामिल था।

सी.

₹

डी.

ई.

103. पिछले दिन (21.06.2011), पीडब्लू-1 निरंजन देशपांडे ने बताया था कि कुछ सामान-2 एटीएम कार्ड (मेघा और अश्लेशा), मेघा का मोबाइल, अश्लेशा का कैमरा और विशिष्ट आभूषण (मेघा और रोहिणी से संबंधित) परिसर से गायब थे।104. 09.07.2011 पर, पी. डब्ल्यू.-12 जमील खान की देखरेख में लेखों का एक टी. आई. पी. आयोजित किया गया था, जिन्हें सूचित किया गया था कि प्रक्रिया आयोजित की जानी थी।उन्होंने अपदस्थ किया कि टी. आई. पी. भारतीय संगीत कला अकादमी, सेक्टर जी, एम. आई. जी. कॉलोनी में की गई थी, जहाँ एम. आई. जी. पुलिस स्टेशन का एक पुलिसकर्मी एक सीलबंद पैकेट के साथ पहुँचा था। एक अनिल सोनी भी इसी तरह का पैकेट लेकर वहाँ पहुँचा।उन्होंने कहा कि दो पैकेट खोले गए और उनकी सामग्री को एक साथ मिलाया गया।इसके बाद पीडब्लू-1 उस स्थान पर पहुंचा और उसने वस्तुओं को देखा और उनकी पहचान की।पीडब्लू-12 को निम्नानुसार अपदस्थ किया गयाः

एफ.

जी.

“पहचानकर्ता निरंजय देशपांडे ने पहचान की थी कि सोने की दो चूड़ियां टूटी हुई हैं, एक सोने का लटकन (एसआईसी ए)।

एच.

लटकन), गुड़िया के साथ एक चेन और स्टड का टूटा हुआ मंगलसूत्र, सोने की दो तीर जैसी चूड़ियाँ, एक टूटी हुई सोने की मंगलसूत्र, दो सोने की डिजाइन की चूड़ियाँ, एक टूटी हुई चेन का सोने का मंगलसूत्र और एक गुड़िया।"

105. गवाह ने यह भी कहा कि पहचान पूरी होने के बाद आभूषणों को फिर से सील कर दिया गया और अनिल सोनी द्वारा लाए गए आभूषणों को ले जाया गया।उन्होंने न्यायालय में आभूषणों (जिनकी पहचान उनके सामने पीडब्लू-1 द्वारा की गई थी) की भी पहचान की।पीडब्लू-1 को समान लाइनों के बीच पदच्युत किया गया।दोनों बयानों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि पीडब्लू-1 ने कहा कि पीडब्लू-7 मौजूद था (वास्तव में, वह नहीं था, जैसा कि पीडब्लू-7 की गवाही से स्पष्ट है)।इसे एक विसंगति होने का आग्रह करने के अलावा, अपीलार्थियों के वकील ने आभूषण के टी. आई. पी. पर भी संदेह व्यक्त किया और आग्रह किया कि न तो अनिल सोनी और न ही टी. आई. पी. के आयोजन स्थल पर सीलबंद वस्तुओं को ले जाने वाले पुलिस कांस्टेबल से पूछताछ की जाए।इस अदालत की राय में, ये चूक मामूली हैं, और आभूषणों की उचित पहचान की आवश्यक विश्वसनीयता को नहीं हिलाती हैं।वास्तव में, प्रतिपरीक्षा के दौरान, पीडब्लू-12 ने स्पष्ट रूप से अपदस्थ किया कि लेखों की टी. आई. पी. के दौरान उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और पीडब्लू-1 द्वारा पहचान पूरी करने के बाद, उन्होंने ज्ञापन (एक्स. पी1) और आभूषणों को अलग रखा; बाकी अनिल सोनी ले गए।

बी.

सी.

डी.

106. इस अदालत की राय में, एक ओर पीडब्लू-1 और पीडब्लू-12 की गवाही का संयुक्त अध्ययन और दूसरी ओर टीआईपी कार्यवाही (उदा. पी1, दिनांक 09.07.2011) यह स्थापित करता है कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि लूटी गई वस्तुओं की पहचान, पी. डब्ल्यू.-1 द्वारा सही ढंग से की गई थी।अभियुक्त के वकील ने यह आग्रह करने की कोशिश की थी कि ये सामान सामान्य आभूषण थे, जिनमें कोई विशिष्ट विशेषता नहीं थी और पीडब्लू-1 शायद ही इन्हें जान सकता था-विशेष रूप से, उसकी सास के आभूषण।यदि कोई इस बात को ध्यान में रखता है कि पीडब्लू-1 ने वस्तुओं के नुकसान की सूचना दी थी, और उन्हें विशेष रूप से सूचीबद्ध किया था, अपने बयान में जो 21.06.2011 पर पुलिस को दिया गया था, उनकी बाद की वसूली, आरोपी के कहने पर और पीडब्लू-1 द्वारा पीडब्लू-12 से पहले उनकी सही पहचान की ओर इशारा करते हुए, इसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं हो सकता है।जिरह के दौरान, पीडब्लू-1 से इस बारे में सवाल नहीं किया गया कि वह अपनी पत्नी, बेटी और सास के

आभूषणों की पहचान कैसे कर सकता है।विभिन्न कारण हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति गहने या अन्य कीमती वस्तुओं को याद या याद रखने में सक्षम क्यों हो सकता है।ऐसी कोई सामान्य धारणा नहीं हो सकती है कि एक पति अपनी पत्नी के व्यक्तिगत लेखों को याद या याद नहीं कर पाएगा, या यह कि एक पत्नी से व्यक्तिगत लेखों को याद करने और पहचानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

पति का प्रभाव।यह सब मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत लक्षणों पर निर्भर करता है, जो एक दूसरे से विशिष्ट रूप से भिन्न होते हैं।यह संभव है कि पीडब्लू-1 के पास विवरण के लिए एक नजर थी; यह भी उतना ही संभव है कि जब कीमती सामान खरीदे गए थे तो वह मौजूद थे; या फिर भी, यह संभव है कि वे एक सेट का हिस्सा थे, जो मृत व्यक्तियों को प्रस्तुत किए गए थे। मंगलसूत्र का स्मरण, विवरण और पहचान अधिक विशिष्ट है।यह माना जा सकता है कि पीडब्लू-1 को उस लेख के बारे में पता था, जो उनकी पत्नी मेघा से संबंधित था।इन परिस्थितियों में, मृतक से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य, उनके कहने पर आरोपी के परिसर से बरामद किए गए, और टी. आई. पी. के दौरान पीडब्लू-1 द्वारा उनकी सही पहचान अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह के बिना साबित हुई।

बी.

सी.

VIII. अपीलार्थी के उंगलियों के निशान के संबंध में विशेषज्ञ साक्ष्य से संबंधित परिस्थितियाँ

107. पीडब्लू-21 डॉ. क्राइम मोबाइल यूनिट के दृश्य में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सुधीर शर्मा ने कहा कि जब वह 6 बजे 19.06.2011 पर अपराध स्थल पर पहुंचे:35 पीएम, फ्लैट का मुख्य दरवाजा खुला था और सील नहीं किया गया था।अपने अभिसाक्ष्य में उन्होंने जूतों के निशान और अन्य भौतिक साक्ष्य का उल्लेख किया जो मौजूद थे, और इस बारे में भी जांच की गई कि क्या उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी।इसके अलावा, उन्होंने कहा कि फ्लैट में एक

कंप्यूटर था, जिसे जब्त किया जा सकता था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसे जब्त किया गया था या नहीं।

डी.

ई.

108. पीडब्लू-24 केके द्विवेदी (फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ) ने उंगलियों के निशान उठाने की संभावना के लिए अपराध स्थल की खोज की।पाँच उंगलियों के निशान का एक समूह (अर्थात, Ex. पी80, "संयोग फिंगरप्रिंट") उनके द्वारा उठाए गए थे, और दो गवाहों (पीडब्लू-5 और पीडब्लू-9) के साथ-साथ खुद भी हस्ताक्षर किए गए थे।उन्होंने दावा किया कि पीडब्लू-17 सत्यनारायण पटेल (अपराध स्थल के फोटोग्राफर) ने उन स्थानों की तस्वीरें ली थीं, जहां से प्रिंट एकत्र किए गए थे।हालाँकि, इसकी पुष्टि न तो पीडब्लू-17 की गवाही से होती है और न ही अभिलेख पर प्रदर्शित वस्तुओं से।

एफ.

109. पहली मंजिल पर बाथरूम से सटे शयनकक्ष के दरवाजे के अंदरूनी पिछले हिस्से से ए और बी प्रिंट उठाए गए थे; रसोई से सटे शयनकक्ष के दरवाजे के बाहरी हिस्से से सी और डी प्रिंट उठाए गए थे; और उसी दरवाजे के अंदरूनी हिस्से से ई प्रिंट उठाया गया था।जाँच पर, ए, बी, डी और ई तुलना के लिए उपयुक्त पाए गए।110. मृतक की उंगलियों के निशान [Ex. पी81 (मेघा), एक्स। पी82 (रोहिणी) और एक्स। पी83 (अश्लेशा)] को सिपाही दिनेश ने ए पर उठाया था।

जी.

एच.

20.06.2011.हालाँकि, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कांस्टेबल दिनेश से पूछताछ नहीं की गई थी।तीन अपीलार्थियों के उंगलियों के निशान [उदा. पी41 (राहुल), एक्स। पी42 (मनोज), और एक्स। पीडब्लू-13 कांस्टेबल विजय सिंह द्वारा 24.06.2011 पर पी43 (नेहा)] प्राप्त किया गया था, जिन्होंने मुख्य जांच में गवाही दी कि उन्होंने तीन आरोपी व्यक्तियों (जो न्यायालय में मौजूद थे और उनके द्वारा पहचाने गए थे) के हस्ताक्षर उनकी संबंधित फिंगरप्रिंट पर्ची पर लिए और बाद में उन्हें एसएसपी कार्यालय भेज दिया।जिरह में उन्होंने फिंगरप्रिंट विभाग द्वारा प्रशिक्षित होने और प्रिंट लेने में सक्षम होने की गवाही दी।उन्होंने राहुल के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर चाकू से लगी चोट/कट देखी और तीनों अभियुक्तों की

उंगलियों पर कोई अन्य चोट नहीं लगी।इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि उसने आरोपी से कोई लिखित सहमति नहीं ली थी।

बी.

सी.

111. फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट (उदा. पीडब्लू-24 के. के. त्रिवेदी द्वारा दिनांकित पी. 84), उनकी गवाही के साथ, उंगलियों के निशान के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का सार है।27.06.2011 पर, अभियुक्तों की उंगलियों के निशान प्राप्त हुए और PW-24 द्वारा संयोग से उंगलियों के निशान की तुलना की गई, जिन्होंने 8-बिंदु विधि का उपयोग किया और पाया कि ए और बी के निशान राहुल के दाहिने हाथ की अनुक्रमणिका और बीच की उंगली से मेल खाते हैं; फिंगरप्रिंट डी मनोज के दाहिने हाथ की बीच की उंगली से मेल खाता है, और प्रिंट ई नेहा के दाहिने अंगूठे से मेल खाता है।फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो भोपाल को पीडब्लू-24 द्वारा 06.07.2011 पर भेजी गई थी, जिसे 11.07.2011 दिनांकित पूर्व वीडियो पत्र द्वारा सत्यापित किया गया था।अभियोजन पक्ष ने अपराध स्थल पर अपीलार्थियों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए इन निष्कर्षों पर भरोसा किया।

डी.

ई.

112. दिलचस्प बात यह है कि पीडब्लू-24 के. के. द्विवेदी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि पत्र नं. एसी शाखा/ई/80/11 दिनांक 20.06.2011 को फिंगर प्रिंट शाखा इंदौर द्वारा एम. आई. जी. पुलिस स्टेशन को परिवार के सदस्यों/संदिग्धों की उंगलियों के निशान के साथ आकस्मिक उंगलियों के निशान की तुलना करने के लिए भेजा गया था।हालाँकि, उनकी जिरह से पता चलता है कि ऐसा कोई पत्र रिकॉर्ड में नहीं था।जिरह से यह भी पता चलता है कि उसने तुलना के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति (मृतक के परिवार के सदस्यों सहित) या घटना स्थल पर मौजूद वस्तु के उंगलियों के निशान प्राप्त नहीं किए-एक ऐसा बिंदु जिसका आग्रह अपीलार्थियों की ओर से वकीलों द्वारा श्रमसाध्य रूप से किया गया है।उन्होंने यह भी कहा कि दरवाजे पर न तो पूरी हथेली का निशान था, न ही दरवाजे पर खून से लथपथ उंगलियों के निशान थे; और दरवाजे पर उपलब्ध अन्य उंगलियों के निशान उठाने के लिए अयोग्य थे।

एफ.

जी.

113. अपीलार्थियों के वकील ने फिंगरप्रिंट साक्ष्य से संबंधित परिस्थितियों पर सवाल उठाया, जैसे कि (i) किसी की अनुपस्थिति।

एच.

उन्मूलन प्रिंट; (ii) अपीलार्थियों की उंगलियों के निशान प्राप्त करने में अनियमितता; (iii) अभियोजन पक्ष द्वारा सिपाही दिनेश (जिसने उन्मूलन की प्रक्रिया के लिए मृतक की उंगलियों के निशान एकत्र किए थे) से पूछताछ न करना; (iv) अदालत में पेश किए जाने पर उंगलियों के निशान विशेषज्ञ की रिपोर्ट के साथ आवरण पत्र का अभाव; और (v) अपीलार्थियों की उंगलियों के निशान कानून के अनुसार प्राप्त नहीं किए गए थे, क्योंकि कैदी पहचान अधिनियम, 1920 का कोई अनुपालन नहीं था।

बी.

114. यह न्यायालय शुरुआत में ही अंतिम तर्क पर विचार करेगी।दिल्ली 37 के सोनवीर बनाम राज्य (एन. सी. टी.) मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 के प्रावधान अनिवार्य नहीं थे, बल्कि निर्देशात्मक थे, और वे केवल नमूना लेने (अभियुक्त की उंगलियों के निशान) की ईमानदारी की पुष्टि करते हैं और साक्ष्य मनगढ़ंत होने की संभावना को समाप्त करते हैं।हालाँकि, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन या पालन नहीं करना, किसी दिए गए मामले में साक्ष्य को दूषित नहीं करेगा।आशीष जैन में इसकी फिर से पुष्टि की गई और

सी.

ओआरएस. वी.मकरंद सिंह 38.

डी.

115. वर्तमान मामले में, पीडब्लू-24 का अभिसाक्ष्य कांस्टेबल दिनेश द्वारा उनकी उपस्थिति में उंगलियों के निशान उठाने की पुष्टि करता है।इसलिए, सिपाही दिनेश से पूछताछ न होना उंगलियों के निशान के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।जहां तक अपराध स्थल की अखंडता का सवाल है, पीडब्लू-21 ने बयान दिया कि हालांकि फ्लैट का दरवाजा खुला था, जब वह वहां पहुंचा, तो पुलिस बाहर खड़ी थी और यह संभव नहीं था कि अपराध स्थल दूषित था।आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-31) ने स्वीकार किया कि आई. डी. 1 की शाम को जब जांच हुई तो अपराध स्थल को सील नहीं किया गया था; हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे फोरेंसिक विभाग के कर्मियों ने जगह को सुरक्षित कर लिया था।इस सुसंगत साक्ष्य को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद, सार्वजनिक सदस्यों या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अपराध स्थल को दूषित करने की संभावना बहुत कम है।

ई.

एफ.

116. घटनास्थल पर मौजूद सभी कर्मियों से अपराध स्थल पर एकत्र की गई उंगलियों के निशान और जिन्होंने अनजाने में भौतिक साक्ष्य को छुआ होगा, उन्हें 'एलिमिनेशन प्रिंट' के रूप में जाना जाता है।वर्तमान मामले में, मृतक के उन्मूलन प्रिंट 20.06.2021 पर प्राप्त किए गए थे; वे रिकॉर्ड का हिस्सा थे।रिकॉर्ड से पता चलता है कि पीडब्लू-3, पीडब्लू-5, पीडब्लू -

जी.

37 (2018) 8 एससीसी 24 38 (2019) 3 एससीसी 770 ए

एच.

519

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

9 वे अपराध स्थल पर मौजूद थे, लेकिन माना जाता है कि उनकी उंगलियों के निशान प्राप्त नहीं हुए थे।पीडब्लू-9 की गवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू में, गवाहों को बाहर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में, जब्ती को देखने के लिए कार्यवाही में शामिल होने के लिए कहा गया था।तीनों गवाहों ने लगातार स्थल पर फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के दौरे, सतहों पर पाउडर के उपयोग और उंगलियों के निशान उठाने के बारे में गवाही दी।पीडब्लू-5 ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि उनके फिंगरप्रिंट प्राप्त नहीं किए गए थे।सुनवाई के दौरान, अपीलार्थियों के वकील ने बार-बार इस बात पर जोर दिया था कि अपराध स्थल पर मौजूद अन्य लोगों से एलिमिनेशन प्रिंट नहीं लिए गए थे; उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अभियुक्तों से जब्त चाकू, पिस्तौल और गहने से फिंगरप्रिंट नहीं उठाए गए थे।इस न्यायालय की राय में, इस पहलू पर कुछ भी सामग्री नहीं बदलती है।हाल के एक फैसले में-जिसमें अपीलार्थियों

बी.

सी.

इस पर भरोसा किया गया-यानी हरि ओम @हीरो बनाम यूपी राज्य 39 इस न्यायालय ने बरी कर दिया

अभियुक्त, इस आधार पर कि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की राय, भले ही स्वीकार की गई हो, दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकती थी।महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अपराध स्थल को सुरक्षित किया गया था, और क्या छापों को उठाया गया था।दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य विश्वसनीय और स्वीकार करने योग्य है।इनकी पुष्टि वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पीडब्लू-21 की

गवाही और अपराध स्थल रिपोर्ट दिनांक 20.06.2021 (पूर्व। पी77) उनके द्वारा टेंडर किया गया।

डी.

117. फिंगरप्रिंट साक्ष्य से संबंधित दूसरा पहलू यह है कि फिंगरप्रिंट रिपोर्ट (उदा. P84) 11.07.2011 पर तैयार किया गया था।Ex. पी85 से एक्स। पी92 उठाए गए फिंगरप्रिंट की तस्वीरें हैं (ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट एक्स के साथ संलग्न की गई थीं। पी84)।फिंगरप्रिंट रिपोर्ट एक पत्र के साथ संलग्न की गई थी (उदा. पी93)।यह देखते हुए कि विशेषज्ञ ने प्रिंट उठाने के लिए गवाही दी, जिसकी पुष्टि तीन गवाहों (पीडब्लू-3, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-5) ने की थी।9) आई. ओ. के अलावा, इस परिस्थिति की विश्वसनीयता, यानी अपराध स्थल से प्रिंटों को उठाना, आरोपी के नमूने के प्रिंटों के साथ उनका मिलान और विशेषज्ञ की गवाही साबित हुई। इस भाग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली अपीलार्थी की दलीलें, रिपोर्ट में देरी के आधार पर, प्रिंट संयोग प्रिंट, उन्मूलन प्रिंट की कमी, या अपराध स्थल को सुरक्षित नहीं दिखाया गया है, आदि, अवास्तविक हैं और खारिज कर दिए जाते हैं।

ई.

एफ.

जी.

IX. मृतक पर चोटों से संबंधित परिस्थितियाँ

118. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (उदा. पी44) मृतक के शरीर पर चोटों की सीमा को दर्शाता है।मेघा (उम्र 46) के पास एक बन्दूक थी।

39 (2021) 4 एस. सी. सी. 345

एच.

520

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

माथे पर चोट और 4 गहरे चाकू के घाव (पेट, कंधे और छाती)।रोहिणी (76 वर्ष की आयु) के शरीर पर चाकू के घाव थे-उनकी उंगलियों और हाथों, बाहों से लेकर उनके पेट और छाती पर कई चोटें थीं जो उनके महत्वपूर्ण अंगों को छेद चुकी थीं।इसी तरह, अश्लेशा (22 वर्ष की आयु) को उसके शरीर पर चाकू से कई चोटें आईं-जिसमें उसकी उंगलियां, हाथ और अग्रभाग, कूल्हे, गर्दन, पेट और छाती शामिल हैं जो उसके महत्वपूर्ण अंगों, पीठ और उसकी जांघों पर कई सतही चाकू के घाव थे।119. पीडब्लू-15 डीआर की विशेषज्ञ राय। ठाकुर (पोस्टमॉर्टम करने

वाले डॉक्टर) ने कहा कि मेघा की मौत का कारण आग्नेयास्त्र की चोटों और रक्तस्राव के कारण हुआ सदमा था।रोहिणी और अश्लेशा की मृत्यु उनके कई चाकू के घावों के सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी।तीनों मौतें जानलेवा प्रकृति की थीं।इस गवाह ने अपनी राय और अपनी गवाही दोनों में पुष्टि की कि गोली की चोट (मेघा के शरीर पर संख्या 1) को छोड़कर तीनों मृतकों पर सभी चोटें क्रमशः राहुल और मनोज के कब्जे से जब्त किए गए दो चाकूओं के कारण हो सकती हैं (अनुच्छेद ए और बी, प्रश्न एक्स के तहत राय के लिए उन्हें अग्रेषित किया गया था। पी 47)।

बी.

सी.

डी.

X. द बैलिस्टिक रिपोर्ट

A. अपराध स्थल से गोलियों की बरामदगी और मृतक मेघा

120. आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-31) द्वारा अपराध स्थल से 19.06.2011 पर तीन कारतुस (एक जीवित और दो गोले) जब्त किए गए।उन्होंने स्थल का नक्शा तैयार किया (उदा. पी25 और एक्स। पी-26) और वसूली ज्ञापन (उदा. पी27) की गवाही पीडब्लू-5 (मकान मालिक विशाल पांडे) और पीडब्लू-9 (एक महेश परमार, मुखबिर विशाल पांडे का पड़ोसी) ने दी।आई. ओ. ने पीडब्लू-5 द्वारा देखे गए स्थल का नक्शा तैयार करने और रोहिणी के शरीर (सिर) के पास से एक खाली, खर्च किए गए कारतुस (अश्लेशा के शरीर के पास फर्श पर पड़ा), एक खाली, बिस्तर के पास से इस्तेमाल किए गए कारतुस और एक अप्रयुक्त, जीवित कारतुस को जब्त करने के लिए अपदस्थ कर दिया।उन्होंने यह भी कहा कि सभी कारतुसों पर 'के. एफ. 7.65' लिखा हुआ था।पीडब्लू-5 ने अपदस्थ किया कि घटनास्थल का नक्शा उसके सामने तैयार किया गया था और इसी तरह दो गोलियों के स्थान के बारे में भी अपदस्थ किया गया था- जो बिस्तर के नीचे और रोहिणी के शरीर के पास पाए गए थे।हालाँकि, अपीलार्थियों ने पी. डब्ल्यू.-5 से जब्त की गई गोलियों की संख्या, यानी तीसरी गोली के बारे में जिरह नहीं की। पीडब्लू-9 को भी इसी तर्ज पर अपदस्थ कर दिया गया।

ई.

एफ.

जी.

121. पीडब्लू-15 (पोस्टमॉर्टम जांच करने वाले डॉक्टर) ने बयान दिया कि 20.06.2011 पर पीडब्लू-33 एस. एस. कुजुर 11 बजे मेघा देशपांडे के शव को कवर लेटर के साथ लाए:00 एएम; और पोस्टमॉर्टम ए

एच.

11 बजे शुरू हुआः45 एएम। डॉ. प्रशांत राजपूत और डॉ. एन. फडसे के साथ पोस्टमार्टम किया गया (दोनों की जांच नहीं की गई थी)।मृतक मेघा के शव के पोस्टमार्टम पर एक गोली बरामद की गई।गोली निकालने को घाव संख्या के रूप में वर्णित किया गया है। 1 और गोली कपाल के अग्रभाग से बरामद की गई थी।पीडब्लू-15 ने पदच्युत किया कि सभी वस्तुओं को सील कर दिया गया था, लेबल लगाया गया था और पीडब्लू-33 को सौंप दिया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (उदा. पी. 44) तैयार किया गया था और पी. डब्ल्यू.-33 द्वारा एम. वाई. अस्पताल से पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, और एक जब्ती ज्ञापन (एक्स. पी127) को पीडब्लू-34 महेश प्रसाद यादव ने तैयार किया था।जब्ती की रिपोर्ट हेड कांस्टेबल शंभूनाथ और कांस्टेबल रमजान ने देखी थी, दोनों से पूछताछ नहीं की गई थी।पीडब्लू-33 के अभिसाक्ष्य ने उनके और उनकी भागीदारी से संबंधित तथ्यों की पुष्टि की।

बी.

सी.

122. इसके अलावा, पीडब्लू-15 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि हथियार को शरीर के संपर्क में गोली मारी गई थी और वह यह नहीं बता सका कि मेघा को किस हथियार से चोट लगी थी। जिरह में, पीडब्लू-33 ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा डॉक्टर से कोई नमूना मुहर प्राप्त नहीं की गई थी और उक्त वस्तुओं को प्राप्त करने पर डॉक्टर को कोई रसीद नहीं दी गई थी।इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 19.06.2011 पर वह 6 के बाद पुलिस वाहन से शवों को अस्पताल ले गएः00 पीएम। उन्होंने मुर्दाघर को बंद करने (क्योंकि रात का समय था) और चाबी को अस्पताल में छोड़ने के बाद घर जाने का फैसला किया।पीडब्लू-34 महेश प्रसाद यादव ने जब्ती ज्ञापन तैयार करने के बारे में गवाही दी (उदा. पी127) पी. डब्ल्यू.-33 द्वारा लेखों की प्रस्तुति पर 20.06.2011 पर; और प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अस्पताल को जब्ती ज्ञापन की एक प्रति नहीं भेजी, कॉलम संख्या नहीं भरी। 10 जब्त वस्तुओं के विवरण के संबंध में, नमूना मुहर को चिह्नित नहीं किया जा रहा है, और यह कि उसने जब्ती ज्ञापन में उल्लिखित वस्तुओं पर वस्तुओं की संख्या को चिह्नित नहीं किया है।उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यह देखने के लिए पैकेट नहीं खोले कि अंदर क्या था और स्वयं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की, बल्कि वस्तुओं की जब्ती के संबंध में केवल एक रोजनामचा प्रविष्टि की।पीडब्लू-15, पीडब्लू-33 और पीडब्लू-34 की गवाही के संयुक्त अध्ययन से यह स्थापित होता है कि डॉक्टर (पीडब्लू-15) द्वारा एक गोली निकाली गई थी, और इस संबंध में एक जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था; जब्त की गई वस्तुओं को तब सील कर दिया गया था (हालांकि मुहर पर कोई निशान नहीं लगाया गया था)।

डी.

ई.

एफ.

जी.

B. राहुल से गोली की बरामदगी और उससे संबंधित तथ्य

123. अपराध स्थल से गोलियों की बरामदगी के समानांतर, अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि घटना के दौरान आरोपी राहुल को गोली लगी थी।अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन गए और गोली चलाने का झूठा मामला दर्ज कराया।जिस बारे में

एच.

पी. डब्ल्यू.-30 आर. एस. मकवाना, (ए. एस. आई. अन्नपूर्णा पी. एस.) ने बयान दिया कि आई. डी. 1 पर उन्होंने राहुल उर्फ गोविंद को एक ऑटोरिक्शा में पुलिस स्टेशन आते हुए देखा और आरोप लगाया कि किसी ने उनके पैर में गोली मार दी और वह इलाज के लिए जिला अस्पताल जा रहे थे।उन्होंने यह जानकारी पीडब्लू-29 गौरी शंकर चादर को दी।पीडब्लू-30 सिपाही दिनेश (जिसकी जांच नहीं की गई थी) के साथ जिला अस्पताल गया।एक देहाती तैयार किया गया था (उदा। पी103)।बाद में पीडब्लू-30 प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन वापस चला गया। पी107)।पीडब्लू-26 डॉ. मुकेश बच्चन (जिले में चिकित्सा अधिकारी)। अस्पताल) ने लगभग 22 बजे राहुल की जाँच की:40 घंटे, और तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट (उदा. पी97), राहुल को एमवाई अस्पताल में भेजने से पहले।सिपाही दिनेश राहुल के इलाज के लिए एम. वाई. अस्पताल गए।20.06.2011 के शुरुआती घंटों के दौरान, पीडब्लू डॉ. नीलेश गुरु ने राहुल की जांच की और उनके दाहिने पैर से गोली निकाल दी।इसे अस्पताल के एम. एल. सी. अनुभाग में जमा किया गया था। पी113)।पीडब्लू-30 ने कहा कि उसने एमवाई अस्पताल से सीलबंद पैकेट 23.06.2011 पर लिया जिसमें राहुल @गोविंद के पैर से निकाली गई गोली थी।शिवराज सिंह रघुवंशी (जांच नहीं की गई) ने जब्ती ज्ञापन तैयार किया जिसे पूर्व के रूप में प्रदर्शित किया गया था। पी108 (अनुच्छेद जेड-7) और पीडब्लू-22 इसके गवाह थे।क्रॉस जाँच में, पीडब्लू-30 से गोली की स्थिति के बारे में सवाल किया गया था, क्या उसमें खून के निशान आदि थे।

बी.

सी.

डी.

124. अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि गोली वास्तव में राहुल के दाहिने पैर से निकाली गई थी और यह गोली बैलिस्टिक विशेषज्ञ को भेजी गई थी।मामला यह निकला कि पीडब्लू-26 और पीडब्लू-32 द्वारा जांचा गया लड़का राहुल बिल्कुल नहीं था।हालाँकि, इस पर कोई संदेह नहीं हो सकता है क्योंकि पीडब्लू-29 जी. एस. चादर, जिन्होंने डी हैटिनालसी को रिकॉर्ड किया था, ने न्यायालय में राहुल की पहचान गोविंद के रूप में की थी, जिन्होंने बताया था कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने पैर में गोली मारी थी और मामले की सूचना पीएस अन्नपूर्णा को दी थी।इसके अलावा, डी हैटिनालसी (एक्स-पी103) पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में अपीलार्थी राहुल के हस्ताक्षर के समान हैं। इस न्यायालय की राय में गोली की जब्ती के तरीके के संबंध में जो संदेह उठाया जाना चाहिए, वह योग्य नहीं है।पीडब्लू-29 द्वारा राहुल की पहचान, पीडब्लू-30 और पीडब्लू-31 (आईओ) के अभिसाक्ष्य से पता चलता है कि गोली निकालने वाले डॉक्टर ने शुरू में इसे एमएलसी सेक्शन में अस्पताल के साथ सुरक्षित हिरासत में रखा था, जिसे बाद में पीडब्लू-30 द्वारा 23.06.2011 पर बरामद किया गया था और उसी दिन मिग पुलिस स्टेशन में जब्ती की गई थी।पीडब्लू-22 भरत सिंह ठाकुर वास्तव में जब्ती ज्ञापन (एक्स। पी78, एक्स के रूप में जब्त किया गया। पी. एस. एम. आई. जी. पुलिस स्टेशन द्वारा पी. 108)।इस प्रकार, ए में जब्त की गई गवाही और लेखों का समग्र अध्ययन।

ई.

एफ.

जी.

एच.

523

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

न्यायालय की राय, इस तथ्य को विश्वास दिलाती है कि राहुल को 19.06.2011 पर गोली की चोट लगी थी, और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियों को साबित करती है।

125. बैलिस्टिक रिपोर्ट (उदा. पी52) को डीआरपी लाइन, इंदौर में हेड कांस्टेबल पीडब्लू-16 भीम बहादुर द्वारा तैयार किया गया था।इसमें जब्त किए गए आग्नेयास्त्र और बरामद किए गए गोलियों की प्रकृति का वर्णन किया गया है।राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा तैयार की गई परीक्षा रिपोर्ट (उदा. 120) ने कहा कि पट्टी के एक टुकड़े (मृतक के गोली के घाव का स्वाब) पर पाए गए रक्त की रासायनिक जांच में यह नाइट्रेट, तांबा या सीसे के लिए सकारात्मक नहीं पाया गया।हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि दो गोलियां 7.65 मिमी क्षमता वाले कार्ट्रिज

के प्रमाणित बुलेड के अनुकूल थीं, और बुलेट टीबी-ए 1 समान पाए गए थे।त्वचा के तीन टुकड़े, तांबे के सकारात्मक पाए गए।महत्वपूर्ण रूप से, रिपोर्ट के अनुसार, मृतक मेघा और राहुल के दाहिने पैर के शरीर से बरामद दो गोलियां (ई. बी. 2 और ई. बी. 1) पिस्तौल एक्स से चलाई गई थीं। ए 1।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गोली दाहिने जूते पर चलाई गई (22.06.2011 पर ज़ब्ती ज्ञापन पूर्व के तहत जब्त की गई)। पी-75, जिसे पीडब्लू-20 द्वारा साबित किया गया था) एक तांबे की जैकेट वाली गोली के कारण हुआ था।Ex. पी120, जिसे आई. ओ. (पी. डब्ल्यू.-31) द्वारा प्रदर्शित किया गया था, ने अन्य बातों के साथ-साथ कई वस्तुओं को भी सूचीबद्ध किया जैसे कि अनुच्छेद ए-5 (जिसमें 7.65 मिमी क्षमता वाले दो खाली गोले थे जिन्हें ईसी-एल और ईसी-2 के रूप में चिह्नित किया गया था); अनुच्छेद ए-6 (जिसमें 7.65 मिमी क्षमता वाला जीवित पिस्तौल कार्ट्रिज था जिसे एल. आर.-एल के रूप में चिह्नित किया गया था); अनुच्छेद ए-10 (जिसमें रक्त-दाग वाली विक्स की बोतल थी); अनुच्छेद बी-5 (जिसमें त्वचा के तीन छोटे टुकड़े थे जिन्हें संयुक्त रूप से एस. के.-एल. के रूप में चिह्नित किया गया था); अनुच्छेद बी-6 (जिसमें पदार्थ के साथ पट्टी के कपड़े का एक टुकड़ा था); अनुच्छेद एफ-1 (देश में बनी पिस्तौल ए-1); अनुच्छेद एफ-6 (जिसमें एक दाहिने पैर का जूता था) और अनुच्छेद एफ-7 (बैलेस्टिक रिपोर्ट, दिनांक 14.07.2011, में कहा गया है कि पीडब्लू-16 भीम बहादुर, बैलेस्टिक विशेषज्ञ परीक्षण ने एक सीलबंद पैकेट में मिग पुलिस से प्राप्त पिस्तौल से गोलीबारी की।बैलिस्टिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ कहा गया है कि

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

“ये 7.65 मिमी क्षमता वाली पिस्तौल के इस्तेमाल किए गए कारतुस के खाली गोले हैं और जिनके सिर पर "के. एफ". लिखा होता है।उनके पास फायरिंग पिन/ब्रीच फेस का निशान होता है।सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से तुलना करने पर दोनों एक जैसे पाए जाते हैं और साथ ही टेस्ट फायर कार्ट्रिज टी. सी.-ए. एल. की तरह। फोटो-माइक्रोग्राफ को पूर्व की समान स्थिति के लिए लिया गया है। ई. सी. एल. और टी. सी.-ए. एल. जिसमें समानता के बिंदुओं को चिह्नित किया गया है।”

जी.

रिपोर्ट तैयार करने वाले पीडब्लू-16 ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि उन्होंनेः

एच.

“.....उन्होंने ऑपरेटिंग फायरिंग पिन, मैगजीन कैच की जाँच की थी और ये उपयोगी स्थिति में पाए गए थे।गोली चलाने से, यह देसी पिस्तौल लोगों की जान ले सकती है।”

126. आई. ओ. ने पदच्युत किया कि जब्त की गई सभी वस्तुओं को पत्र एक्स द्वारा 13.07.2011 पर रासायनिक और बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया था। पी115, जिसके लिए पावती रसीद एक्स थी। पी116 से पी118।बैलिस्टिक विशेषज्ञ पीडब्लू-16 की जांच नहीं की गई थी।रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो विशेषज्ञ पीडब्लू-16 द्वारा किए गए बैलिस्टिक परीक्षण या निष्कर्षों को बदनाम करता है, और इसलिए यह परिस्थिति साबित होती है।

बी.

XI. डी. एन. ए. साक्ष्य और डी. एन. ए. विशेषज्ञ की रिपोर्ट

सी.

127. घटना के फर्श पर पाए गए खून का एक नमूना, जहां मृतक मेघा का शव पड़ा था, एक सूती फाहे पर एकत्र किया गया था, जिसे ए-1 के रूप में चिह्नित किया गया था और एक कागज के लिफाफे में रखा गया था।इसी तरह, मृतक रोहिणी के पास पाए गए रक्त के नमूने को ए-2 के रूप में चिह्नित किया गया था और मृतक अश्लेशा के पास खून के नमूने को ए-3 के रूप में चिह्नित किया गया था।अपराध स्थल पर आई. ओ. द्वारा तैयार किए गए जब्ती ज्ञापन (Ex.P27) के अनुसार, सादे सूती कपड़े का एक नमूना भी एक कागज के लिफाफे में रखा गया था और ए-4 के रूप में चिह्नित किया गया था।अपराध स्थल से इन नमूनों/वस्तुओं (अन्य के बीच) की जब्ती की पुष्टि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-9 की गवाही से होती है जो पूर्व के गवाह भी हैं। पी27।पीडब्लू-17 सत्यनारायण पटेल (अपराध स्थल फोटोग्राफर) ने अपराध स्थल की तस्वीर ली थी। पी61 से एक्स। पी65)।ये तस्वीरें रक्त के दाग के साथ-साथ शरीर की स्थिति और दिशा दिखाती हैं।कपड़े (बी1, सी1, डी1), योनि स्वैब (बी2, सी2, डी2) और जघन बाल (बी3, सी3, डी3) भी क्रमशः प्रत्येक मृतक-मेघा, रोहिणी और अश्लेशा से लिए गए थे।

डी.

ई.

128. जिन कपड़ों से अभियुक्त से डी. एन. ए. सामग्री प्राप्त की गई थी, उन्हें प्रकटीकरण बयानों के अनुसार बरामद किया गया था। पी28, एक्स। पी31, और एक्स। पी34) 23.06.2011 पर बनाया गया है।संबंधित कपड़ों की वस्तुओं की जब्ती (उदा. पी29, एक्स। पी32, और एक्स। पी35) को पीडब्लू-7 संदीप नरुलकर और प्रकाश इचके (जिनसे अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी) की उपस्थिति में तैयार किया गया था, जैसा कि पहले विस्तार से चर्चा की गई थी-23.06.2011 पर की गई बरामदगी पर कुछ संदेह पैदा करता है।उनके कपड़ों के अलावा, अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि 22.06.2011 पर मनोज से जब्त चाकू से

डीएनए सामग्री भी निकाली गई थी। पी14), और राहुल का लोहे का चाकू 23.06.2011 (एक्स। पी29)।

एफ.

जी.

129. पी. डब्ल्यू.-35 डॉ. पंकज श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी, डी. एन. ए. फिंगरप्रिंट यूनिट एफ. एस. एल. सागर के अभिसाक्ष्य को डी. एन. ए. रिपोर्ट ए. के सहपठित पढ़ा गया।

एच.

दिनांक 10.08.2011 (Ex. पी122) उनके द्वारा तैयार किया गया, डीएनए विश्लेषण का विवरण प्रदान करता है।इस गवाह ने कहा कि विभाग को इस मामले से संबंधित 19 साक्ष्य एक सीलबंद स्थिति में 14.07.2011 पर प्राप्त हुए, जिसे उनके क्रॉस के अनुसार, उन्होंने 18.07.2011 पर जांचा।विशेषज्ञ की रिपोर्ट से पता चलता है कि डी. एन. ए. को स्वचालित डी. एन. ए. निष्कर्षण प्रणाली 12 जी. सी. और जैविक निष्कर्षण के माध्यम से निकाला गया था।16 एम्पलीफिकेशन मल्टीपल पी. सी. आर. तकनीक द्वारा परीक्षण के लिए डी. एन. ए. से वांछित आनुवंशिक मार्कर लिए गए थे।इस प्रकार, प्रवर्धित डी. एन. ए. के स्वचालित डी. एन. ए. अनुक्रमक, ए. एम. एफ. एफ./एस. टी. आर. पहचानकर्ता किट, ए. एम. पी. एफ./एस. टी. आर. वाई. फिलर किट के साथ जीनोटाइपिंग प्रोफ़ाइल प्राप्त की गई।परिणामों का विश्लेषण जीन मैपिंग सॉफ्टवेयर v 3.5 द्वारा किया गया था।पीडब्लू-35 ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में उल्लिखित 'भौतिक पदार्थ' रक्त है।

बी.

सी.

130. मेघा के संबंध में प्राप्त सभी वस्तुओं (उसके शरीर ए1 के पास खून का सूती फव्वारा, कपड़े बी1, योनि स्मीयर स्लाइड बी2, उसके शरीर बी4 से जब्त की गई गोली) की तुलना की गई और एक समान महिला डीएनए प्रोफ़ाइल पाई गई।इसी तरह, रोहिणी (ए2, सी1, सी2) और अश्लेशा (ए3, डी1, डी3) के संबंध में लेखों के मामले में एक समान महिला डीएनए प्रोफ़ाइल पाई गई।इन डी. एन. ए. प्रोफाइल की तुलना तब तीन अभियुक्तों के कपड़ों से निकाली गई डी. एन. ए. सामग्री और राहुल और मनोज से बरामद दो चाकू से की गई, जो डी. एन. ए. रिपोर्ट का एक हिस्सा है।डीएनए मिलानों के निष्कर्ष और रिपोर्ट में पीडब्लू-35 की परिणामी राय को नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः

डी.

ई.

एफ.

जी.

131. अपराध स्थल से जब्त की गई रक्तरंजित चादर पर पाई गई डीएनए सामग्री (उदा. ए 9) मृतक के मिश्रित डी. एन. ए. प्रोफाइल की उपस्थिति का संकेत देता है, अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों की डी. एन. ए. सामग्री।रोहिणी के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाने वाले लेखों पर डीएनए सामग्री का कोई उल्लेख नहीं है।जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, डीएनए सामग्री

एच.

जिस पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, वह पीड़ितों का है जो अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त के कब्जे से बरामद वस्तुओं पर पाया गया था।यह आरोपी के डीएनए सामग्री, अपराध स्थल पर या मृतक के शवों पर पाए जाने का मामला नहीं है।इसलिए, नाखून की कतरनें (उदा. गिरफ्तारी के समय अभियुक्त से लिए गए पी 18, पी 19 और पी 20) पर विचार/उपयोग नहीं किया गया प्रतीत होता है।

बी.

132. जिरह के दौरान पीडब्लू-35 को क्या रखा गया था कि क्याः(क) जब्ती/घटना और जाँच के बीच की अवधि का डी. एन. ए. विश्लेषण पर कोई प्रभाव पड़ेगा, (ख) मनोज के कपड़ों में कट का निशान था (जी3), (ग) सामान सीलबंद स्थिति में थे, (घ) कपड़ों को एक विशेष स्थिति में रखा जाना था, और अगर कपड़ों को एक साथ रखने पर खून मिल सकता था-जिसके जवाब संतोषजनक हैं।हालाँकि, आई. डी. 3074 को आई. डी. 3078 के रूप में उल्लेख करने की

टंकण संबंधी त्रुटि चिंता पैदा करती है और अपीलार्थियों के वकील द्वारा इस पर दबाव डाला गया था।133. इस न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थियों ने जब्त की गई वस्तुओं को केवल 20 दिन बाद 13.07.2011 पर भेजने में अस्पष्टीकृत देरी के बारे में चिंता जताई है। पी115) और जिस स्थिति में उन्हें संरक्षित किया गया था, सांख्यिकीय विश्लेषण की कमी, और जिस अवलोकन पत्रक पर पी. डब्ल्यू.-35 ने नोटिंग की थी, उसे रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था।डॉ. एम. पी. सिंह (एक्स. पी123 और पी124) भी रिकॉर्ड में हैं जो बताते हैं कि एक गोली (बी4) पर रक्त मौजूद था, लेकिन रक्त की मात्रा परीक्षण चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी।यह स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठाता है कि क्या डीएनए निकालना संभव था।सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में जिन अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया गया है उनमें ए 10 (विक्स बोतल), एफ 2 (राहुल का बायां जूता), एफ 3 (राहुल के नाखून), एफ 6 (राहुल का दाहिना जूता), एफ 7 (राहुल के दाहिने पैर से बरामद गोली), जी2 (मनोज के नाखून), जी4 (मनोज के जूते), एच 1 (नेहा के नाखून) और एच 3 (नेहा के सैंडल) शामिल हैं।हालांकि, रक्त के दाग बहुत अधिक विघटित थे या वस्तुओं पर रक्त की मात्रा, वर्गीकरण परीक्षण चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

134. सुनवाई के दौरान, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता 40 द्वारा प्रकाशित एक लेख पर भरोसा किया गया था।लेख के प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

जी.

"डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डी. एन. ए.) जीवित जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में मौजूद आनुवंशिक सामग्री है।एक औसत मानव

40 न्याय वितरण प्रणाली, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय, कोलकाता (2007) में डीएनए प्रोफाइलिंग।

एच.

527

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

शरीर लगभग 100 खरब कोशिकाओं से बना है।डी. एन. ए. कोशिका के नाभिक में डबल हेलिक्स के रूप में मौजूद होता है, जो इंटरकलेटेड प्रोटीन के साथ गुणसूत्र बनाने के लिए सुपरकॉइल किया जाता है।प्रत्येक नाभिकीय कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों के तेइस जोड़े

और एक व्यक्ति को मां से 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र क्रमशः अंडाशय और शुक्राणु के माध्यम से संचारित होते हैं।प्रत्येक कोशिका विभाजन के समय, गुणसूत्र प्रतिकृति बनाते हैं और एक समूह प्रत्येक बेटी कोशिका में जाता है।शरीर के आंतरिक संगठन, भौतिक विशेषताओं और शारीरिक कार्यों के बारे में सभी जानकारी डीएनए अणुओं में चार न्यूक्लियोटाइड्स या आधारों के वर्णमालाओं की भाषा (अनुक्रम) में कूटबद्ध की जाती हैःएडेनिन (ए), गुआनिन (जी), थाइमिन (टी) और साइटोसिन (सी) चीनी-फॉस्फेट रीढ़ के साथ।एक मानव हैप्लोइड कोशिका में लगभग 3 अरब क्षार होते हैं।शरीर की सभी कोशिकाओं में बिल्कुल एक ही डीएनए होता है लेकिन यह न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बड़ी संख्या में प्रतियों में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (एम. टी. डी. एन. ए.) गोलाकार, दोहरे फंसे हुए, लंबाई में 16,569 आधार जोड़े का होता है और मातृ विरासत को दर्शाता है।यह मातृ वंश के माध्यम से संबंधित लोगों के अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी है।परमाणु डीएनए की तुलना में बड़ी संख्या में प्रतियां होने के कारण, इसका उपयोग अवक्रमित नमूनों के विश्लेषण में किया जा सकता है।इसी तरह, वाई गुणसूत्र पैतृक विरासत को दर्शाता है और पुरुष वंश का पता लगाने और यौन हमले के मिश्रण में पुरुषों से डीएनए को हल करने के लिए नियोजित किया जाता है।केवल 0.1% डी. एन. ए. (लगभग 30 लाख आधार) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं।फोरेंसिक डी. एन. ए. वैज्ञानिक जैविक सुराग सामग्री या नियंत्रण नमूनों के साथ तुलना करने के लिए किसी व्यक्ति के डी. एन. ए. प्रोफाइल को उत्पन्न करने के लिए केवल कुछ परिवर्तनशील क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं।

.....

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

डीएनए प्रोफाइलिंग कार्यप्रणाली

डीएनए प्रोफाइल शरीर के तरल पदार्थ, दाग और साक्ष्य से बरामद अन्य जैविक नमूने से उत्पन्न होता है और परिणामों की तुलना संदर्भ नमूनों से प्राप्त परिणामों से की जाती है।इस प्रकार, पीड़ितों और/या संदिग्धों के बीच एक दूसरे के साथ या अपराध स्थल के साथ एक संबंध स्थापित किया जा सकता है।डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग डी. एन. ए. के कुछ अत्यधिक परिवर्तनशील क्षेत्रों के विश्लेषण की एक जटिल प्रक्रिया है। डी. एन. ए. के परिवर्तनशील क्षेत्रों को आनुवंशिक मार्कर कहा जाता है।के वर्तमान आनुवंशिक मार्कर

जी.

एच.

फोरेंसिक उद्देश्यों के लिए विकल्प शॉर्ट टेंडम रिपीट्स (एसटीआर) हैं।स्वचालित डी. एन. ए. अनुक्रमक को नियोजित करने वाले 15 एस. टी. आर. के एक समूह का विश्लेषण एक व्यक्ति के लिए अद्वितीय डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल देता है (मोनोज़ाइगोटिक जुड़वां को छोड़कर)।इसी तरह, वाई गुणसूत्र (वाई-एसटीआर) पर मौजूद एसटीआर का उपयोग यौन हमले के मामलों या पैतृक वंश का निर्धारण करने में भी किया जा सकता है।यौन हमलों के मामलों में, वाई-एसटीआर महिला भाग के उच्च स्तर की उपस्थिति में या एज़ू 11 पर्मिक या नसबंदी वाले पुरुष के मामले में भी पुरुष प्रोफ़ाइल का पता लगाने में सहायक होते हैं।जिन मामलों में डी. एन. ए. हुआ था

बी.

पर्यावरणीय तनाव और जैव रासायनिक क्षरण, न्यूनतम एल. एस. टी. आर. का उपयोग नियमित एस. टी. आर. के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है।

सी.

डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है और एक प्रोफाइल बनाने में शामिल प्रत्येक क्रमिक चरण प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर भिन्न हो सकता है।हालाँकि, विश्लेषण के सिद्धांत समान हैं, जिनमें शामिल हैंः

डी.

1. डी. एन. ए. का पृथक्करण, शुद्धिकरण और मात्रात्मककरण 2. चयनित आनुवंशिक मार्करों का प्रवर्धन 3. टुकड़ों की कल्पना और जीनोटाइपिंग 4. सांख्यिकीय विश्लेषण और व्याख्या।

ई.

एम. टी. डी. एन. ए. विश्लेषण में, नियंत्रण नमूनों के साथ परिणामों की अनुक्रमण और तुलना करके अतिपरिवर्तनीय क्षेत्र I और II (एच. वी. आर. I और II) में भिन्नताओं का पता लगाया जाता हैः....

सांख्यिकीय विश्लेषण

एफ.

असामान्य डी. एन. ए. मामले में साक्ष्य के नमूनों की तुलना शामिल है, जैसे कि बलात्कार से वीर्य, और ज्ञात या संदर्भ नमूने, जैसे कि एक संदिग्ध से रक्त का नमूना।आम तौर पर, प्रोफ़ाइल तुलना के तीन संभावित परिणाम होते हैंः

जी.

1) मैचः यदि दोनों नमूनों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल अप्रभेद्य हैं, तो कहा जाता है कि वे मेल खाते हैं।

2) बहिष्करणः यदि प्रोफाइल की तुलना अंतर दिखाती है, तो इसे केवल अलग-अलग स्रोतों से उत्पन्न होने वाले दो नमूनों द्वारा समझाया जा सकता है।

एच.

529

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

3) अनिर्णायकः डेटा एक निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है तीन संभावित परिणामों में से, केवल नमूनों के बीच "मिलान" को सांख्यिकीय गणना द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है।आंकड़े मैच को अर्थ प्रदान करने का प्रयास करते हैं।मिलान आँकड़े आमतौर पर यादृच्छिक मिलान संभावना (आर. एम. पी.) या दूसरे शब्दों में, आबादी में विशेष डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल की आवृत्ति के अनुमान के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

बी.

पितृत्व/प्रसूति परीक्षण के मामले में, दो से अधिक स्थानों पर बहिष्करण को बहिष्करण माना जाता है।मैच की रिपोर्ट करते समय 1 या 2 लोकी संभावित उत्परिवर्तन की छूट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।मैच का समर्थन करने के लिए पितृत्व सूचकांक और संभावना अनुपात की गणना आगे की जाती है।

सी.

साक्ष्यों का संग्रह और संरक्षण

यदि डी. एन. ए. साक्ष्य को ठीक से प्रलेखित, एकत्र, पैक और संरक्षित नहीं किया जाता है, तो यह स्वीकार्यता के लिए कानूनी और वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा।कानून की एक न्यायालय।क्योंकि डी. एन. ए. के बहुत छोटे नमूनों का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, संदूषण के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है, जब डी. एन. ए. साक्ष्य का पता लगाना, एकत्र करना और संरक्षित करना दूषित हो सकता है जब किसी अन्य स्रोत से डी. एन. ए. मामले से संबंधित डी. एन. ए. के साथ मिल जाता है।यह तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति साक्ष्य पर छींकता है या खांसता है या उसके मुंह, नाक या चेहरे के अन्य हिस्से को छूता है और फिर उस क्षेत्र को छूता है जिसमें परीक्षण के लिए डीएनए हो सकता है।जैविक नमूने वाले प्रदर्शन, जो मामले को हल करने के लिए पीड़ितों, संदिग्धों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, अपराध स्थल की पहचान की जानी चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए, पैक किया जाना चाहिए और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजा जाना चाहिए।”

डी.

ई.

एफ.

135. आर बनाम डोहनी और एडम्स 41 के पूर्व निर्णय में यू. के. अपील न्यायालय ने परीक्षणों में डी. एन. ए. साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए:(1) वैज्ञानिक को यादृच्छिक घटना अनुपात की अपनी गणना के साथ डी. एन. ए. तुलना के साक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहिए; (2) जब भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना है, तो क्राउन (अभियोजन) को बचाव पक्ष के विवरणों पर काम करना चाहिए कि गणना कैसे की गई है, जो बचाव पक्ष के लिए गणना के आधार की जांच करने के लिए पर्याप्त हैं; (3) फोरेंसिक विज्ञान सेवा को उपलब्ध कराना चाहिए।

जी.

41 1997 (1) सी. आर. एल. ऐप प्रतिनिधि 369

एच.

एक रक्षा विशेषज्ञ को, यदि अनुरोध किया जाता है, तो डेटाबेस जिस पर गणना आधारित की गई है।

136. भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 42 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“डी. एन. ए. साक्ष्य में उस व्यक्ति से आने वाली आनुवंशिक सामग्री के बीच तुलना शामिल है जिसकी पहचान जारी है और एक ज्ञात व्यक्ति से आनुवंशिक सामग्री का एक नमूना।यदि नमूने 'मेल' नहीं खाते हैं, तो यह ज्ञात व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच पहचान की कमी साबित करेगा जिससे अज्ञात नमूना उत्पन्न हुआ था।यदि नमूने मेल खाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहचान निर्णायक रूप से साबित हो गई है।बल्कि, एक विशेषज्ञ डीएनए नमूनों के डेटाबेस से प्राप्त करने में सक्षम होगा, एक अनुमानित संख्या जो दर्शाती है कि कितनी बार एक समान डीएनए "प्रोफ़ाइल" या "फिंगरप्रिंट" पाया जाता है।उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि प्रासंगिक प्रोफ़ाइल प्रत्येक 100,000 में 1 व्यक्ति में पाई जाती है:इसे 'यादृच्छिक घटना अनुपात' (फिपसन 1999) के रूप में वर्णित किया गया है।

बी.

सी.

डी.

इस प्रकार, डी. एन. ए. जांच के उद्देश्यों के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है, लेकिन न्यायालय में पहचान के किसी भी अनुमान को बढ़ाने के लिए नहीं।"

137. धरम देव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 43 में इस न्यायालय ने चर्चा की

ई.

आपराधिक मुकदमे में डी. एन. ए. साक्ष्य की विश्वसनीयता, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित की गईः

"डी. एन. ए. का अर्थ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हर जीवन का जैविक खाका है।डी. एन. ए. एक दोहरे मानक संरचना से बना होता है जिसमें एक डीऑक्सीराइबोज चीनी और फॉस्फेट रीढ़ की हड्डी होती है, जो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड के साथ क्रॉस-लिंक्ड होती है जिसे एडेनिन और गुआनिन के रूप में जाना जाता है, प्यूरीन और थाइमिन और साइटोसिन pyrimidines.DNA आमतौर पर किसी भी जैविक सामग्री जैसे रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा, हड्डियों आदि से प्राप्त किया जा सकता है। यह सवाल कि क्या डी. एन. ए. परीक्षण वस्तुतः त्रुटिहीन हैं, एक विवादास्पद सवाल हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह के परीक्षण बने हुए हैं और अपराधों की जांच में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है और न्यायालय अक्सर विशेषज्ञों के विचारों को स्वीकार करता है, खासकर जब मामले शेष रहते हैं।

एफ.

जी.

42 185 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2003 की समीक्षा पर रिपोर्ट

43 (2015) 5 एससीसी 509 ए

एच.

परिस्थितिजन्य साक्ष्य।आधी सदी से भी अधिक समय से आपराधिक न्याय प्रणाली में मानव डी. एन. ए. के नमूनों का उपयोग किया जाने लगा।बेशक, नमूनों के परीक्षण और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने में आवश्यक सुरक्षा उपायों पर बहस जारी है।डी. एन. ए. प्रोफाइल, हालांकि, लगातार वैध और विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन निश्चित रूप से, यह प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।"

बी.

138. अमेरिकी सुप्रीम न्यायालय, जिला अटॉर्नी के कार्यालय में

तीसरा न्यायिक जिला बनाम ओसबोर्न, 44 ने दोषसिद्धि के बाद के मामले से निपटा

नए डी. एन. ए. तकनीकों के माध्यम से अपनी बेगुनाही साबित करने की इच्छा रखने वाले दोषी के कहने पर सबूत प्राप्त करने का दावा करता है।तथ्यों के संदर्भ में यह देखा गया कि

सी.

"आधुनिक डी. एन. ए. परीक्षण पहले ज्ञात किसी भी चीज़ के विपरीत शक्तिशाली नए साक्ष्य प्रदान कर सकता है।1980 के दशक के मध्य में आपराधिक जांच में इसके पहले उपयोग के बाद से, डी. एन. ए. प्रौद्योगिकी में कई बड़ी प्रगति हुई है, जिसकी परिणति एस. टी. आर. प्रौद्योगिकी में हुई है।अब यह निर्धारित करना अक्सर संभव है कि क्या एक जैविक ऊतक लगभग निश्चितता के साथ एक संदिग्ध से मेल खाता है।जबकि निश्चित रूप से कई आपराधिक परीक्षण बिना किसी फोरेंसिक और वैज्ञानिक परीक्षण के आगे बढ़ते हैं, जब इस तरह के साक्ष्य जारी होते हैं तो ऊतकों के मिलान के लिए डी. एन. ए. परीक्षण की तुलना में कोई तकनीक नहीं है।डी. एन. ए. परीक्षण ने गलत तरीके से दोषी ठहराए गए लोगों को दोषमुक्त कर दिया है, और कई अन्य लोगों की दोषसिद्धि की पुष्टि की है।"

डी.

ई.

139. इस अदालत के कई फैसले-पंतंगी बलराम वेंकट

गणेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 45, संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य थ्रू सी. बी. आई. 46, पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु बनाम जॉन डेविड 47, कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य 48, सुरेंद्र कोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 49, और संदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 50, राजकुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य 51 और मुकेश और अन्य बनाम।राज्य

एफ.

दिल्ली के एन. सी. टी. और अन्य के लिए। 52 ने बढ़ते महत्व पर ध्यान दिया है

44 557 यू. एस. 52 (2009) 45 (2009) 14 एससीसी 607 46 (2010) 9 एससीसी 747 47 (2011) 5 एससीसी 509 48 (2011) 7 एससीसी 130 49 (2011) 4 एससीसी 80 50 (2012) 6 एससीसी 107 51 (2014) 5 एससीसी 353 52 (2017) 6 एससीसी 1

जी.

एच.

डीएनए सबूत।इस न्यायालय ने नमूनों के साथ-साथ परीक्षण की तकनीक के बारे में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 53 '7. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डी. एन. ए. एक अणु है जो सभी जीवित जीवों में आनुवंशिक जानकारी को कूटबद्ध करता है।डी. एन. ए. जीनोटाइप किसी भी जैविक सामग्री जैसे हड्डी, रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अब, कई वर्षों से, डी. एन. ए. प्रोफाइल ने भी फोरेंसिक जांच पर जबरदस्त प्रभाव दिखाया है।आम तौर पर, जब अपराध स्थल पर पाए गए नमूने का डी. एन. ए. प्रोफाइल संदिग्ध के डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाता है, तो आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नमूनों की जैविक उत्पत्ति समान है।डी. एन. ए. प्रोफाइल वैध और विश्वसनीय है, लेकिन किसी विशेष परिणाम में भिन्नता प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रक्रिया पर निर्भर करती है।"

बी.

सी.

140. यह न्यायालय, अपने हाल के फैसलों में से एक में-पट्टू राजनव।तमिलनाडु राज्य ने डी. एन. ए. रिपोर्ट के साथ मूल्य और वजन को जोड़ाः

डी.

"33. अन्य सभी राय साक्ष्यों की तरह, डी. एन. ए. साक्ष्य के लिए दिया गया संभावित मूल्य भी तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर अन्य साक्ष्य के लिए दिए गए वजन, चाहे विपरीत हो या पुष्टिकारक, के आधार पर अलग-अलग मामलों में भिन्न होता है।यह याद रखना और भी महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि भले ही डी. एन. ए. साक्ष्य की सटीकता हर गुजरते दिन के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ बढ़ रही है, जिससे यह अधिक से अधिक विश्वसनीय हो रहा है, हम अभी तक उस मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं जहां इसे अचूक कहा जा सकता है।इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि डी. एन. ए. साक्ष्य की अनुपस्थिति से किसी पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकलेगा, विशेष रूप से ऐसे पक्ष के पक्ष में रिकॉर्ड पर अन्य ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य की उपस्थिति में।"

ई.

एफ.

141. इसलिए, इस न्यायालय ने अतीत में डी. एन. ए. रिपोर्टों पर भरोसा किया है, जिसमें एक आरोपी के अपराध को स्थापित करने की मांग की गई थी।विशेष रूप से, निर्भरता, पुष्टि करने के लिए थी।इस न्यायालय ने परीक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और साक्ष्य के संदूषण की संभावना को समाप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला; इसने यह भी माना कि एक राय होने के नाते, इस तरह के साक्ष्य का संभावित मूल्य मामले-दर-मामले भिन्न होना चाहिए।

जी.

53 (2014) 4 एससीसी 69 54 (2019) 4 एससीसी 771 ए

एच.

533

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

142. वर्तमान मामले में, जो स्पष्ट है, वह यह है कि पीडब्लू-35 ने अपनी मुख्य परीक्षा में डी. एन. ए. विश्लेषण को वस्तुतः प्रतिध्वनित किया है, और यादृच्छिक घटना अनुपात, यानी आरोपी के नमूनों के कथित रूप से अपराध स्थल पर पाए गए नमूनों से मेल खाने की संभावना पर विस्तार से नहीं चुना है।यह न्यायालय पहले ही चर्चा कर चुकी है कि क्या उस दिन किए गए खुलासों के अनुसार 23.06.2011 की बरामदगी को स्वीकार किया जा सकता है और यह माना जा सकता है कि वे संदिग्ध हैं और उन्हें खारिज करने की आवश्यकता है।यह रिपोर्ट को इस हद तक छोड़ देता है कि यह कहता है कि अपराध स्थल पर की गई बरामदगी से उठाए गए नमूने 22.06.2011 (चाकू, और अन्य सामान) पर जब्त किए गए नमूने से मेल खाते हैं, जो अनिर्णायक हैं।

बी.

143. यह उल्लेखनीय है कि जब्ती ज्ञापन एक्स-27, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि अनुच्छेद ए-9 (आईडी 3063) को जब्त कर लिया गया है, यह दर्ज नहीं करता है कि वास्तव में, एक चादर जब्त की गई थी।यदि कोई इस बात को ध्यान में रखता है कि नेहा के संबंध में स्रोत एच 2 (आईडी 3078) को 23.04.2011 पर और एक खुले क्षेत्र से जब्त किया गया था, तो इसके संदूषण की संभावना-भले ही इसकी वसूली की वास्तविकता को स्वीकार किया गया हो-कुछ हद तक संभावना थी।इन कारणों से, यह माना जाता है कि वर्तमान मामले में डी. एन. ए. रिपोर्ट में एक निर्णायक, या उच्च स्तर का संभावित मूल्य नहीं हो सकता है।

सी.

डी.

बारहवीं। पैरों के निशान से संबंधित साक्ष्य

ई.

144. निरीक्षण रिपोर्ट (उदा. पीडब्लू-21 डॉ. सुधीर शर्मा द्वारा तैयार पी77) ने अपराध स्थल का वर्णन किया।इसमें उल्लेख किया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में तीन प्रकार के रक्त वाले आंशिक जूते के निशान पाए गए थेः(क) अपराध स्थल पर मेज के पास; (ख) अश्लेशा के शरीर के पास खून से लथपथ; और (ग) अलमारी के पास फर्श पर।

एफ.

145. पीडब्लू-21 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना में पाए गए आंशिक जूतों के निशानों की संख्या याद नहीं की (जो बाद में उनका कहना है कि 2-3 स्थानों पर थे), लेकिन कहा कि तीन प्रकार के निशान थे।उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कोई धूल मौजूद नहीं थी, और इसलिए नंगे पैर छापना संभव नहीं था।अपने मुख्य परीक्षण में, पीडब्लू-21 ने उल्लेख किया कि उनके निर्देश पर, पीडब्लू-17 (अपराध स्थल फोटोग्राफर) ने घटना स्थल पर पाए गए खून से सने आंशिक जूते के निशान (जो पूर्व हैं) की छोटी तस्वीरें लीं। पी66 से पूर्व। पी74)।पीडब्लू-17 की मुख्य परीक्षा में इसका उल्लेख नहीं है; जिन्होंने बाद में अपने क्रूस में कहा कि उन्होंने पैरों के निशान और रक्त के दाग वाले स्थानों की 8x12 स्केल की गई तस्वीरें ली थीं, जो पूर्व थीं। पी66 से पूर्व। पी74।

जी.

एच.

146. जैसा कि पहले ही विस्तार से बताया जा चुका है, मनोज के जूते उसके कहने पर जब्त कर लिए गए थे। पी31, एक्स। पी32) और नेहा के सैंडल उसके प्रकटीकरण (एक्स। पी34, एक्स। पी35) 23.06.2011 पर।राहुल का दाहिना जूता अन्नपूर्णा पी. एस. द्वारा 22.06.2011 पर जब्त किया गया था, जिसकी पुष्टि पी. डब्ल्यू.-20..... पी75)।बायां जूता जब्त कर लिया गया था (उदा। पी21) राहुल द्वारा आई. ओ. को किए गए प्रकटीकरण के अनुसार।

बी.

147. पूर्व के आगे बढ़ने में। आई. ओ. द्वारा राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजा गया पी115 पत्र दिनांक 13.07.2011, जूते के प्रिंट की परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 13.09.2011 तैयार की गई थी।इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, बैलिस्टिक शाखा द्वारा 02.08.2011 पर सीलबंद

स्थिति में प्रदर्शन प्राप्त किए गए थे।तुलनात्मक परीक्षण के लिए, एक्स के जूतों के तलवों के नमूना प्रिंट। एफ 2, एफ 6, और जी4 और एक्स की सैंडल। एच 3 बनाए गए थे (चित्र 10,11,12,13 और 14)।पाए गए जूतों के निशान का केवल एक साथ उल्लेख किया गया था- यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी तस्वीर (#10,11, आदि)।यह किस जूते (एफ 2, एफ 5, आदि) का नमूना है।

सी.

डी.

148. इस न्यायालय की राय है कि इस मामले में पदचिह्न साक्ष्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है।रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जूते के निशान अधूरे और अस्पष्ट हैं, और विशिष्ट और स्पष्ट राय नहीं दी जा सकती है।फिर भी, विशेषज्ञ प्रिंटों के मिलान के बारे में अपनी राय देने के लिए आगे बढ़े।बिहार राज्य बनाम कपिल सिंह 55 के मामले में इस न्यायालय ने माना था कि पदचिह्न की उपस्थिति से संबंधित एक विशेषज्ञ का साक्ष्य कमजोर प्रकृति का है। इस दृष्टिकोण को भी साझा किया गया था

ई.

मोहम्मद.अमन बनाम राजस्थान राज्य 56 और बलबीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य

पंजाब 57.अभियोजन पक्ष ने, इस न्यायालय की राय में, इस परिस्थिति को साबित नहीं किया है।

एफ.

परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़े मामलों में साक्ष्य की सराहना के लिए लागू सिद्धांत

149. अपने पहले के फैसलों में से एक में इस न्यायालय ने हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 58 में संकेत दिया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली न्यायालयों का सही दृष्टिकोण होना चाहिए

जी.

55 1968 (3) एससीआर 310 56 (1997) 10 एससीसी 44 57 1996 (6) स्केल 72 58 एयर 1953 एससी 343 ए

एच.

कि कथित परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित हों; इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए; परिस्थितियाँ निर्णायक और ऐसी प्रवृत्ति की होनी चाहिए कि वे ऐसी हों कि वे हर परिकल्पना को बाहर कर दें, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है।इस दृष्टिकोण का अनुसरण बाद में तुफैल बनाम उत्तर राज्य में किया गया था।

प्रदेश 59 और राम गोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य 60.ये सब और

बी.

शरद में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में अन्य फैसलों पर पुनर्विचार किया गया था।

बिर्दी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 61 और न्यायालय ने

सिद्धांतों का एक समूह जिसका पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले प्रत्येक न्यायालय को पालन करना पड़ता था।

150. सारदा में इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को पैरा 152 में सूचीबद्ध किया गया था (जिन्हें पैरा 153 में "पांच सुनहरे सिद्धांतों" के रूप में वर्णित किया गया था)।इन्हें नीचे निकाला गया हैः

सी.

“(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी चाहिए या होनी चाहिए' और 'नहीं' स्थापित की जा सकती हैं।'साबित किया जा सकता है' और 'होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्र बनाम महाराष्ट्र राज्य में अभिनिर्धारित किया गया था, जहां निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थींः“निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।” (2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात।वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

डी.

ई.

एफ.

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

जी.

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

59 (1969) 3 एससीसी 198 60 एआईआर 1972 एससी 656 61 (1984) 4 एससीसी 116

एच.

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।"

बी.

151. ये सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और सभी आपराधिक मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन पूरे देश में किया गया है।इन बाध्यकारी सिद्धांतों के आलोक में यह न्यायालय अब इस बात की जांच करेगा कि क्या साक्ष्य द्वारा समर्थित परिस्थितियाँ, यानी इस न्यायालय द्वारा निर्णय के पिछले भाग में स्वीकार की गई परिस्थितियाँ, इस निष्कर्ष पर थीं कि सारदा (ऊपर) में प्रतिपादित पाँच सुनहरे सिद्धांतों की कसौटी पर खरी उतरती हैं।

सी.

परिस्थितियों के प्रमाण का सारांश

डी.

152. अभियोजन पक्ष ने कई परिस्थितियों पर भरोसा किया जिन्हें नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा समवर्ती रूप से स्वीकार किया गया था।ये पी. डब्ल्यू.-10 संयोग गवाह के बयान थे, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने तीनों अभियुक्तों को लगभग 5 बजे मौके से भागते देखा था:45 या 6:00 घटना के दिन पीएम; अपराध स्थल से वस्तुओं की बरामदगी (गोलियां, जीवित गोलियां, धूप का चश्मा, काले मोती, आदि) और उंगलियों के निशान को उठाना (पीडब्लू-24 द्वारा गवाही दी गई और गवाहों पीडब्लू-5 और पीडब्लू-9 द्वारा पुष्टि की गई); और आरोपी द्वारा प्रकटीकरण के अनुसार चोरी की गई वस्तुओं को जब्त करना।पीडब्लू-1, जिसने घटना के एक दिन बाद (21.06.2011 पर) अपना बयान दर्ज किया, ने विशेष रूप से चार जोड़ी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, एटीएम कार्ड आदि जैसे आभूषणों के नुकसान की सूचना दी। इन्हें बाद

में अभियुक्त के निर्देश पर बरामद किया गया, जिसे अभियोजन पक्ष ने एक सफलता होने का दावा किया।

ई.

एफ.

153. अवर न्यायालयों ने पाया कि नेहा को पीडब्लू-28 द्वारा संदिग्ध रूप से भटकते हुए पाए जाने के बाद 22.06.2011 की सुबह गिरफ्तार किया गया था।गिरफ्तारी उसकी तलाशी लेने और बाद में पूछताछ करने के बाद हुई।गिरफ्तारी में पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 को देखा गया, जिन्होंने नेहा का खुलासा बयान दर्ज करते हुए पुलिस को भी गवाही दी।बहुमूल्य वस्तुओं और वस्तुओं की बरामदगी, जैसे कि सोने की दो जोड़ी चूड़ियाँ, एक टूटे हुए मंगलसूत्र का हिस्सा, अन्य कीमती सामान और एक ए. टी. एम. कार्ड, जो मेघा के थे, उनके घर से थे।ए के बारे में नेहा का खुलासा बयान

जी.

एच.

537

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

अन्य अभियुक्तों (राहुल और मनोज) की संलिप्तता के कारण उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हुई और बयानों का खुलासा किया गया-इन सभी को पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 ने देखा।एक बार फिर, राहुल के परिसर से सोने के आभूषण के साथ-साथ एक देसी पिस्तौल और बाद में एक चाकू बरामद किया गया।इसके अलावा, उनके घर से धूप का चश्मा पहने उनकी एक तस्वीर जब्त की गई थी।मनोज को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया और उसके खुलासा करने वाले बयान से एक चाकू, सोने की चूड़ियों की एक जोड़ी, एक टूटे हुए मंगलसूत्र का हिस्सा आदि बरामद हुआ। बाद में उसी दिन 22.06.2011 पर, एक अन्य पुलिस स्टेशन (अन्नपूर्णा पीएस) द्वारा एक दाहिना जूता बरामद किया गया था।इसे जब्त कर लिया गया था; जिसे पीडब्लू-20 ने देखा था।उस समय, हत्याओं के साथ इसका संबंध अज्ञात था।अभियोजन पक्ष ने एक प्रकटीकरण बयान पर भी भरोसा किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 23.06.2011 पर दर्ज किया गया था, जिससे नेहा, राहुल और मनोज के कहने पर विभिन्न खुली जगहों से कपड़े बरामद किए गए।इसके अलावा, नेहा के कहने पर एक सर्विस बुक के साथ एक स्कूटी बरामद की गई और जब्त कर ली गई, और मनोज के कहने पर, कथित तौर पर चोरी की गई मोटर साइकिल पाई गई।इन बरामदगी को एक स्वतंत्र गवाह पीडब्लू-7 ने देखा।अभियोजन पक्ष ने टी. आई. पी. कार्यवाही के दो सेटों पर भरोसा किया, जिसमें एक ओर मनोज और राहुल और दूसरी ओर नेहा की पहचान करने की मांग की गई।इसने टी. आई. पी. की कार्यवाही पर भी भरोसा किया जिसमें पी. डब्ल्यू.-1 ने चोरी की गई वस्तुओं की पहचान की, जिन्हें उसने

21.06.2011 पर ही खोने की सूचना दी थी।अभियोजन पक्ष ने विशेषज्ञ की रिपोर्ट के संदर्भ में उंगलियों के निशान के मिलान जैसे अन्य सबूतों पर भरोसा किया था। P84, PW-24 द्वारा) बैलिस्टिक विशेषज्ञ (PW-16) और DNA विशेषज्ञ (PW-35) की रिपोर्ट पर।इसने एक अन्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर भी भरोसा करने की मांग की, जिसने जूता प्रिंट मिलान की संभावना के बारे में बात की।

बी.

सी.

डी.

ई.

154. इस फैसले के पहले भाग में साक्ष्य की पिछली चर्चा में, इस न्यायालय ने कहा है कि हालांकि नेहा को कैसे गिरफ्तार किया गया था, इसके अभियोजन पक्ष के संस्करण पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन यह उसके बाद के प्रकटीकरण को कलंकित नहीं करता था, जिसके कारण उसके परिसर से चोरी की गई वस्तुओं की जब्ती और बरामदगी हुई-आभूषण के चार चोरी के टुकड़े, और एक एटीएम कार्ड जो मृतक मेघा का था (पीडब्लू-27, बैंक अधिकारी द्वारा साबित)।अन्य अभियुक्तों से संबंधित साक्ष्य की पिछली चर्चा ने इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि अभियोजन पक्ष राहुल और मनोज के परिसर से जब्त की गई वस्तुओं यानी सोने की चूड़ियों, टूटे हुए मंगलसूत्र के कुछ हिस्सों, प्रत्येक आरोपी के घरों से, एक देसी पिस्तौल और एक चाकू, राहुल के कहने पर उसके घर से बरामद करने में सक्षम था।इस न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि चोरी की गई वस्तुओं के संबंध में की गई टी. आई. पी. कार्यवाही अभियोजन पक्ष द्वारा वैध रूप से साबित हुई थी।बैलिस्टिक विशेषज्ञ पीडब्लू-16 की रिपोर्ट में कहा गया है

एफ.

जी.

एच.

यह स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया है कि जब्त की गई गोलियां (अपराध स्थल से), राहुल के कहने पर उसके घर से जब्त की गई पिस्तौल से परीक्षण की गई गोली से मेल खाती हैं।22.06.2011 पर गोली के छेद के साथ दाहिने जूते की बरामदगी, इसी तरह

अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई थी।दूसरी परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष ने इस संदर्भ में भरोसा किया, राहुल की भागीदारी की ओर इशारा करते हुए पीडब्लू-32 द्वारा उनके साथ किया गया व्यवहार था।राहुल ने आई. डी. 1 की देर शाम पी. एस. अन्नपूर्णा को सूचित किया था कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे दाहिने पैर में गोली मारी थी, जिसे पी. डब्ल्यू.-29 ने रिकॉर्ड किया था, जिसने न्यायालय में उसकी पहचान भी की थी।पीडब्लू-29 ने आगे कहा कि राहुल पहले जिला अस्पताल गए और पीडब्लू-26 द्वारा उनका इलाज किया गया, जिन्होंने फिर उन्हें एमवाई अस्पताल में रेफर कर दिया।बाद में 20.06.2011 के शुरुआती घंटों में पीडब्लू-32 द्वारा राहुल का ऑपरेशन किया गया, जिन्होंने गोली निकाली, उसे सील कर दिया और इसे एमएलसी सेल के पास रख दिया।यह गोली पुलिस द्वारा जब्त की गई और बैलिस्टिक विशेषज्ञ (पीडब्लू-24) को भेजी गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष के इस कथन का समर्थन किया कि गोली उसी हथियार से चलाई गई थी जिसने मृतक मेघा के शरीर से निकाली गई गोली को छोड़ा था।

बी.

सी.

डी.

155. इस न्यायालय ने नेहा की गिरफ्तारी के आसपास की परिस्थितियों के संबंध में अभियोजन पक्ष के आरोप पर विश्वास नहीं किया है, मुख्य रूप से डीडब्ल्यू-1 के साक्ष्य के कारण।यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डी. डब्ल्यू.-1 दीपिका शिंदे जांच के शुरुआती चरणों के दौरान कुछ हद तक शामिल थी और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह उस सफलता के लिए जिम्मेदार थी जिसके कारण अन्य लोगों के साथ-साथ उसे तेजी से आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति मिली।इस न्यायालय ने आई. डी. 1 पर कथित रूप से की गई बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी पर भी अविश्वास किया है, मुख्य रूप से इस आधार पर कि जब आधिकारिक संस्करण के अनुसार अभियुक्तों को पकड़ा गया था और पिछले दिन खुलासा बयान दिए गए थे, तो कुछ भी पुलिस को पूरी तरह से रिकॉर्ड करने और खुली जगहों पर छिपी हुई वस्तुओं को बरामद करने के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया।इसके अलावा, न्यायालय ने मौका गवाह, पीडब्लू-10 और टीआईपी कार्यवाही में आरोपी की उसकी पहचान के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार नहीं किया है।

ई.

एफ.

156. सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं के वकील ने आग्रह किया था कि निचली विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अस्थिर हैं, क्योंकि उन्होंने कई खामियों की अनदेखी की जो संचयी रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती हैं।कुछ गवाहों से पूछताछ करने में चूक (जैसे

पीडब्लू-1 के चालक नंदकुमार; अभय तिवारी, जिन्होंने पीडब्लू-20 के साथ मिलकर गोली के छेद के साथ सही जूता पाया; अमित सोनी, जो ए के टिप में गए थे)

जी.

एच.

539

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

कुछ आभूषणों के साथ सामान; प्रकाश इचके, जिन्होंने 23.06.2011 पर रिकवरी और बरामदगी देखी, कांस्टेबल दिनेश, जो राहुल के साथ एमवाई अस्पताल गए, आदि।).इस बात पर भी जोर दिया गया कि कुछ गवाहों की खामोशी (जैसे कि पीडब्लू-4, इस संबंध में कि क्या वह गिरफ्तारी की गवाह थी, और नेहा की खोज; पीडब्लू-19 की, जो 22-06-2011 की सुबह नेहा की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पीडब्लू-28 से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बारे में चुप थी; डीडब्ल्यू-1 की भूमिका के बारे में अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा खामोशी) भी अभियोजन पक्ष के संस्करण के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है।इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि अपराध स्थल पर पाई गई वस्तुओं की जब्ती, सीलिंग, प्रसारण और आरोपी के परिसरों के साथ-साथ खुले क्षेत्रों से बरामद, साथ ही साथ उनकी हिरासत की श्रृंखला भी साबित नहीं हुई थी।

बी.

सी.

157. इस न्यायालय ने पहले अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए साक्ष्य के संभावित मूल्य पर चर्चा की है, और जिस तरह से नेहा को पकड़ा गया था, 23.06.2011 पर की गई बरामदगी, आरोपी की टी. आई. पी., पी. डब्ल्यू-10 और पी. डब्ल्यू-8 की अभिसाक्ष्य, और डी. एन. ए. और जूते के निशान के विश्लेषण को खारिज कर दिया है।पहला सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष के कुछ साक्ष्यों की अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त के खिलाफ मामला, समग्र रूप से, गलत साबित होता है।इस पहलू पर इस न्यायालय के पहले के फैसलों में विचार किया गया है जहां जांच में दोष, या गवाहों की गवाही के दौरान स्मरण में खामियां शामिल थीं।यू. पी. राज्य बनामअनिल सिंह 62, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

डी.

ई.

“17. यह भी हमारा अनुभव है कि गवाह हमेशा अभियोजन की कहानी में कढ़ाई जोड़ते हैं, शायद अविश्वास के डर से।लेकिन अगर यह सच है, तो मुख्य रूप से मामले को ओवरबोर्ड करने का कोई आधार नहीं है।यदि मुख्य रूप से सच्चाई का घेरा है, तो मामले को खारिज नहीं किया

जाना चाहिए।यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह साक्ष्य से सच्चाई की गांठों को बाहर निकाले, जब तक कि यह विश्वास करने का कारण न हो कि विसंगतियां या झूठ इतने स्पष्ट हैं कि गवाहों में विश्वास को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हैं।यह याद रखना आवश्यक है कि एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है।एक न्यायाधीश यह देखने के लिए भी अध्यक्षता करता है कि एक दोषी व्यक्ति बच न जाए।एक दूसरे के समान ही महत्वपूर्ण है।दोनों सार्वजनिक कर्तव्य हैं जिन्हें न्यायाधीश को निभाना होता है।"

एफ.

जी.

62 (1988) पूरक एस. सी. सी. 686

एच.

सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य 63 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:"जाँच में दोष अपने आप में बरी होने का आधार नहीं हो सकता है।यदि इस तरह की सुनियोजित या लापरवाही से की गई जांच को प्राथमिकता दी जाती है या कार्यात्मक जांच द्वारा चूक या चूक को प्राथमिकता दी जाती है, तो आपराधिक न्याय प्रशासन में लोगों का विश्वास और विश्वास कम हो जाएगा।जहां जांच एजेंसी की ओर से लापरवाही या चूक आदि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप दोषपूर्ण जांच हुई है, वहां न्यायालय का कानूनी दायित्व है कि वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की जांच करे, सावधानीपूर्वक, यह पता लगाने के लिए कि क्या उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं और यह किस हद तक विश्वसनीय है और क्या ऐसी खामियों ने सच्चाई का पता लगाने के उद्देश्य को प्रभावित किया है।

बी.

सी.

इसी तरह का दृष्टिकोण सुरजित सरकार बनाम राज्य सरकार में अपनाया गया था।

पश्चिम बंगाल 64 और शंकर और अन्य बनाममध्य प्रदेश राज्य 65.हरिजन थिरुपाला और ओआरएस. वी. में।लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय

डी.

ए. पी., हैदराबाद 66 इस न्यायालय ने कहा कि:

"...अभियोजन पक्ष के मामले का निर्णय साक्ष्य की समग्रता को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से किया जाना चाहिए।

साक्ष्य की सराहना करने में, न्यायालय का दृष्टिकोण एकीकृत होना चाहिए न कि छोटा या अलग-थलग।दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के मामले या अभियुक्त की बेगुनाही पर समग्रता में साक्ष्य के प्रभाव को अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के बारे में निष्कर्ष निकालने में ध्यान में रखा जाना चाहिए।अभियुक्त के अपराध के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, न्यायालय को संभावनाओं, इसके आंतरिक मूल्य और गवाहों की दुश्मनी के आधार पर उसके सामने रखे गए साक्ष्य की सराहना, विश्लेषण और मूल्यांकन करना होता है।"

ई.

एफ.

158. इस न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया है कि यदि बयानों में विसंगतियां मामूली हैं, या वह गवाह अपनी गवाही के दौरान खुद का खंडन करता है (उनके पिछले पुलिस बयानों के विपरीत) तो जो महत्वपूर्ण है वह विरोधाभासों की प्रकृति है।रम्मी @रामेश्वर बनाम।

जी.

मध्य प्रदेश राज्य 67, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

63 (2010) 9 एस. सी. सी. 567 64 (2013) 2 एस. सी. सी. 146 65 (2018) 15 एस. सी. सी. 725 66 (2002) 6 एस. सी. सी. 470 67 (1999) 8 एस. सी. सी. 649 ए

एच.

"24....न्यायालयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी गवाह के साक्ष्य में विसंगतियां उसके बयान की विश्वसनीयता के साथ इतनी असंगत होती हैं कि न्यायालय को उसके साक्ष्य को रद्द करने में उचित ठहराया जाता है।लेकिन किसी घटना के वर्णन में आने वाले केवल बदलावों (या तो दो गवाहों के साक्ष्य के बीच या एक ही गवाह के दो बयानों के बीच) पर अपनाया जाने वाला बहुत गंभीर दृष्टिकोण न्यायिक जांच के लिए एक अवास्तविक दृष्टिकोण है।"

बी.

अप्पाभाई और अन्र. वी.गुजरात राज्य 68 में यह निर्णय दिया गया कि "न्यायालय को साक्ष्य की सराहना करते हुए मामूली विसंगतियों को अनुचित महत्व नहीं देना चाहिए।वे विसंगतियाँ जो अभियोजन पक्ष के मामले के मूल संस्करण को नहीं हिलाती हैं, उन्हें खारिज किया जा सकता है।

सी.

इसी तरह, विनोद कुमार बनाम हरियाणा राज्य 69 में यह देखा गया था कि

"केवल तभी जब किसी गवाह के साक्ष्य में विसंगतियां उसके बयान की विश्वसनीयता के साथ इतनी असंगत हों कि उसके साक्ष्य को रद्द करना उचित होगा।"

डी.

159. अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों द्वारा किसी विशेष तथ्य का उल्लेख करने या किसी बात की पुष्टि करने में चूक, जिसे अन्य गवाहों द्वारा गवाही दी जाती है, वास्तव में किसी अभियुक्त के पक्ष में नहीं है।हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या किसी तथ्य के बारे में गवाही देने में चूक इतनी बुनियादी है कि अभियोजन पक्ष का संस्करण अस्थिर और अविश्वसनीय हो जाता है। वर्तमान मामले में, पीडब्लू-4, या पीडब्लू-19, या किसी अन्य गवाह द्वारा कुछ तथ्यों के बारे में गवाही देने में चूक से अभियुक्त को लाभ नहीं हो सकता है।उन्होंने जिन तथ्यों को छोड़ दिया, उनमें से प्रत्येक का समर्थन एक या अधिक गवाहों ने किया।इसी तरह, अनिल सोनी, प्रकाश इचके, अभय तिवारी या नंदकुमार जैसे कुछ व्यक्तियों से पूछताछ करने में विफलता से अभियुक्त को लाभ नहीं हो सकता है।अनिल सोनी जब्त की गई वस्तुओं की टी. आई. पी. के दौरान मौजूद थे, जब उनके द्वारा इसी तरह की अन्य वस्तुओं को पी. डब्ल्यू.-1 द्वारा तुलना और पहचान के लिए लाया गया था।बाद वाला गवाह उन वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम था जिन्हें आरोपी से जब्त किया गया था; इसे पीडब्लू-12 द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, जिसकी गवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता है।इसलिए, जहां तक टी. आई. पी. का संबंध है, अनिल सोनी की जाँच करने में विफलता एक चूक थी, लेकिन घातक नहीं थी।इसी तरह, प्रकाश इचके की जांच करने में विफलता का कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि 23.06.2011 पर की गई वसूली को स्वीकार नहीं किया गया है।यह चूक

ई.

एफ.

जी.

68 1988 एस. सी. सी. 241 69 (2015) 3 एस. सी. सी. 138

एच.

अपराध की रिपोर्टिंग के क्रम और उसके बाद विकसित होने वाली घटनाओं की तेजी को देखते हुए नंदकुमार की जांच करना भी महत्वहीन है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभय तिवारी ने पहले

गोली के छेद के साथ सही जूता देखा; हालाँकि, पीडब्लू-20 भी उनके साथ था; उन्होंने इसकी खोज और जब्ती के तथ्य को अपदस्थ कर दिया।इसी तरह, पी. डब्ल्यू.-29 और पी. डब्ल्यू.-30 की गवाही को देखते हुए, कांस्टेबल दिनेश की जांच करने में विफलता भी घातक नहीं है।

बी.

160. शिवाजी साहेबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य 70 में,

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां भी कोई मामला एक चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर लटका हुआ है, यह एक सक्षम, ईमानदार व्यक्ति की उत्कृष्ट गवाही को दिए गए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो सकता है, हालांकि विवेक न्यायालयों के एक नियम के रूप में पुष्टि की आवश्यकता होती है; यह देखा गया कि

सी.

"यह कहना एक ढकोसला है कि गवाहों को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए क्योंकि मानवीय मामलों में मात्रा से अधिक गुणवत्ता मायने रखती है।"

कार्तिके मल्हार बनाम बिहार राज्य 71 ने पिछले निर्णयों का उल्लेख किया,

और कहाः

डी.

"इन फैसलों के संदर्भ में, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि वादिवेलु थेवर मामले में निर्धारित सिद्धांतों से कोई विचलन नहीं हुआ है और इसलिए, एक चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, बशर्ते कि उसकी विश्वसनीयता उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर दिखाई देने वाली किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से हिल न जाए और न्यायालय, साथ ही, आश्वस्त हो कि वह एक सच्चा गवाह है।"

ई.

161. इसलिए, जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि किसी गवाह से पूछताछ करने में चूक, जिसने पहले जांच के दौरान भाग लिया था और जिसका बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है, या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, तब तक तथ्य या तथ्यों की नींव जो साबित करने की मांग की जाती है, तब तक अडिग रहती है जब तक कि उस तथ्य को अन्य गवाहों द्वारा बयान या बोला जाता है, जिनकी गवाही को उनके अपने शब्दों में देखा जाना है।इसलिए, जिन व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि जिन्होंने जांच के दौरान भाग लिया था, उनकी जांच करने में चूक ने उसके मामले को प्रभावित नहीं किया, जहां तक उसके द्वारा स्थापित की गई परिस्थितियों का संबंध है।निपटा लिया है

एफ.

जी.

70 (1973) 2 एससीसी 793 71 (1996) 1 एससीसी 614 ए

एच.

543

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

अभियुक्त की दलीलें, और उन परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई जिन्हें स्थापित किया जा सकता था (और जो स्थापित नहीं किया गया था) यह न्यायालय अपने निष्कर्षों को सारांशित करने के लिए आगे बढ़ता है।

162. नेहा के खिलाफ, इस न्यायालय ने माना है कि परिस्थितियाँ साबित हुई हैं, सबसे पहले, दो सोने की चूड़ियाँ, एक टूटा हुआ मंगलसूत्र, 3 गुरिया, एक सोने का लटकन, एक ए. टी. एम. कार्ड जो 22.06.2011 पर मेघा का था।इन वस्तुओं के खोने की सूचना पीडब्लू-1 द्वारा 21.06.2011 पर, यानी नेहा की गिरफ्तारी से एक दिन पहले दी गई थी।अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई दूसरी परिस्थिति पीडब्लू-1 द्वारा इन लेखों का टी. आई. पी. है जो उनकी सही पहचान करने में सक्षम था (जैसा कि मुकदमे के दौरान पीडब्लू-12 द्वारा भी पुष्टि की गई थी)। इस परिस्थिति से जुड़ा हुआ है पी. डब्ल्यू.-27, एक बैंक ऑफ इंडिया, उज्जैन के अधिकारी का अभिसाक्ष्य, जिसने एस. एच. ओ. को एक पत्र जारी करने के लिए गवाही दी, (एक्स. पी98), जिसमें ए. टी. एम. कार्ड नंबर होते हैं।ए. टी. एम. कार्ड (5264959108034023) जो मेघा का था, नेहा के प्रकटीकरण बयान के अनुसार 22.06.2011 पर उसके घर से बरामद किया गया था, उस बैंक द्वारा जारी किया गया था।नेहा के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई तीसरी स्थिति उसका फिंगरप्रिंट है।फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ पीडब्लू-24 के. के. द्विवेदी ने फिंगरप्रिंट के छापों को उठाने की संभावना के लिए अपराध स्थल की खोज करने के लिए गवाही दी।उनके द्वारा पाँच उंगलियों के निशान (यानी पूर्व पी80 संयोग उंगलियों के निशान) का एक सेट उठाया गया था जिसे दो गवाहों (पीडब्लू-5 और पीडब्लू-9) द्वारा देखा गया था जिन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की थी।इस न्यायालय ने पहले कहा है कि इन दो गवाहों के अभिसाक्ष्य के साथ-साथ अन्य अभिसाक्ष्यों के कारण अपराध स्थल पर दूसरों की उपस्थिति और इसके संदूषण की संभावना से इनकार किया जा सकता है।पीडब्लू-17 ने नेहा के फिंगरप्रिंट के नमूने प्राप्त किए। पी43), जिसे उन्होंने मुकदमे के दौरान अपदस्थ कर दिया।इस न्यायालय की राय में, इस तरह के साक्ष्य के संग्रह में प्रक्रियात्मक खामियों के बारे में अपीलार्थियों द्वारा आरोप की गई कमियां विश्वसनीय नहीं हैं।पीडब्लू-24 का साक्ष्य, साथ ही उनकी रिपोर्ट (एक्स। पी84) साबित करता है कि जांच के दौरान पीडब्लू-17 द्वारा उससे प्राप्त नमूने के साथ एक संयोग फिंगरप्रिंट (नमूना ई, अपराध स्थल से एकत्र किया गया) मेल खाता है।चौथी परिस्थिति, नेहा के खिलाफ, जो मुकदमे के दौरान स्थापित की गई थी-और एक महत्वपूर्ण, अपराध के बारे में उसका ज्ञान है।उसके प्रकटीकरण बयान के कारण राहुल और मनोज की गिरफ्तारी हुई और

उनके कब्जे से चोरी और अन्य वस्तुओं की बरामदगी हुई।नेहा की आशंका के तरीके के आसपास की परिस्थितियों को इस न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है, साथ ही पीडब्लू-10 की गवाही और टीआईपी कार्यवाही, जिसके दौरान उसने उसकी पहचान की थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

163. जहां तक राहुल का संबंध है, इस न्यायालय ने कहा है कि सबसे पहले, उनकी गिरफ्तारी से संबंधित परिस्थितियों (पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 द्वारा देखी गई) पर

एच.

22.06.2011 अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया था।दूसरी परिस्थिति ने साबित किया कि उसके प्रकटीकरण बयान से चोरी की वस्तुओं और अपराध से जुड़ी अन्य वस्तुओं की बरामदगी और जब्ती हुई (उदा. पी14), जिसमें दो मुड़ी हुई सोने की चूड़ियाँ, टूटे हुए मंगलसूत्र का एक हिस्सा, एक देसी पिस्तौल, 35.5 सेंटीमीटर का एक चाकू और राहुल को काले हीरे जैसा मोती वाला कंगन पहने हुए दिखाया गया है।तीसरी स्थिति यह है कि, नेहा की तरह, पीडब्लू-1 ने टीआईपी के दौरान राहुल के कब्जे से बरामद सोने के आभूषणों की पहचान की (पीडब्लू-12 द्वारा आगे पुष्टि की गई)।चौथी परिस्थिति यह साबित करती है कि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ पीडब्लू-24 ने कहा कि उसने पाया कि अपराध स्थल से उठाए गए ए और बी प्रिंट (जैसा कि पीडब्लू-5 और पीडब्लू-9 द्वारा पुष्टि की गई है) राहुल के दाहिने हाथ के अनुक्रमणिका और बीच की उंगली के प्रिंट से मेल खाते हैं। पी41) उनसे पीडब्लू-17 द्वारा एकत्र किया गया।मुकदमे के दौरान साबित हुई पांचवीं स्थिति यह है कि राहुल ने देर शाम 19.06.2011 में बताया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें दाहिने पैर में गोली मारी थी।यह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ देहातीनालिसी के रूप में दर्ज किया गया था; बाद में एक प्राथमिकी (पूर्व। पी. 107) को पी. डब्ल्यू.-30 द्वारा आई. पी. सी. की धारा 304,307 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। राहुल को शुरू में जिला अस्पताल ले जाया

गया (उपचार कार्ड Ex.P97 दिनांक 19.06.2011 द्वारा सिद्ध)।हालाँकि, राहुल को एम. वाई. अस्पताल में भेजा गया, और पी. डब्ल्यू.-32 द्वारा जाँच की गई, जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया।Ex.P113 एम. वाई. अस्पताल का छुट्टी कार्ड है जिस पर पी. डब्ल्यू.-32 (जिसने इसके बारे में गवाही भी दी थी) द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।पीडब्लू-29, जिसने प्रारंभिक रिपोर्ट देहातीनालिसी दर्ज की, ने भी राहुल की पहचान उस लड़के के रूप में की जिसने घटना की सूचना दी थी।उनके पैरों से निकाली गई गोली जमा की गई थी (मेमो एक्स के तहत। पी113) अस्पताल के मेडिको लीगल सेल में, और बाद में जब्त कर लिया गया (मेमो एक्स के तहत। पी108) 23.06.2011 पर।इस मामले से संबंधित एफ. आई. आर. को बाद में बंद कर दिया गया था।दूसरा तथ्य जो साबित हुआ है वह है दाहिने जूते की जब्ती (उदा. पी75) अन्नपूर्णा पीएस (पीडब्लू-20 द्वारा साबित) के अधिकार क्षेत्र के तहत, जिसे निचली विचारण न्यायालय ने देखा कि शीर्ष पर गोली का छेद था।राहुल के खिलाफ साबित हुई छठी परिस्थिति, जो कि भौतिक है, बैलिस्टिक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि दो गोलियां (अपराध स्थल पर पाई गई) 7.65 मिमी क्षमता वाले कार्ट्रिज की प्रमाणित गोली के अनुकूल थीं; बुलेट टीबी-ए 1 समान पाया गया था।त्वचा के तीन टुकड़े कॉपर पॉजिटिव पाए गए।महत्वपूर्ण रूप से, रिपोर्ट के अनुसार, राहुल के घर से जब्त की गई पिस्तौल एक्स-ए 1 से दो गोलियां, ईबी2 और ईबी1 (क्रमशः मेघा, मृतक और राहुल के दाहिने पैर के शरीर से बरामद) चलाई गईं।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब्त किए गए दाहिने जूते (ऊपर उल्लिखित) पर गोली तांबे की जैकेट वाली गोली से चलाई गई थी।यह सब बैलिस्टिक रिपोर्ट (Ex. पी120) जिसने ए में से प्रत्येक का विश्लेषण किया था

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

545

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

इन वस्तुओं।रिपोर्ट से यह भी पता चला कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ (पीडब्लू-16) ने एफएसएल को भेजी गई पिस्तौल से परीक्षण किया था, और पाया था कि पिस्तौल में संकेत थे कि दो इस्तेमाल किए गए कारतुस उससे दागे गए थे।

164. मनोज के खिलाफ, इस न्यायालय ने कई परिस्थितियों को साबित किया है।उनके खिलाफ साबित होने वाली पहली परिस्थिति उनकी गिरफ्तारी और बाद में 10 बजे का खुलासा बयान है:05 22.06.2011 पर AM (PW-3 और PW-6 द्वारा सिद्ध)।दूसरी परिस्थिति मनोज के कहने पर और उसके कब्जे से वस्तुओं की बरामदगी और जब्ती है, जिसमें दो सोने की चूड़ियाँ, एक टूटे हुए मंगलसूत्र का हिस्सा, एक चाकू और धूप के चश्मे में मनोज के साथ एक तस्वीर शामिल है। पी17, भी उन्हीं गवाहों द्वारा साबित किया गया)।मनोज के खिलाफ तीसरी स्थिति यह साबित हुई कि पीडब्लू-1 ने टी. आई. पी. (पीडब्लू-12 द्वारा पुष्टि) के दौरान उसके कब्जे से बरामद सोने के आभूषणों की पहचान की।

बी.

सी.

165. इस न्यायालय की राय है कि सभी परिस्थितियों और उन्हें जोड़ने वाली कड़ी, अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त रूप से स्थापित की गई थी और उचित संदेह से परे साबित हुई थी। इसी तरह, अपीलार्थियों की निर्दोषता का सुझाव देने वाली प्रत्येक परिकल्पना को इस तरह के साक्ष्य द्वारा खारिज कर दिया जाता है, और इसके बाद जो अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है, वह उनका अपराध है।

डी.

166. इस न्यायालय की राय में, अपीलार्थियों के खिलाफ परिस्थितियों का प्रमाण स्पष्ट रूप से उनके अपराध और अपराध में संलिप्तता की ओर इशारा करता है।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों ने मृतक और उनकी आवाजाही के बारे में खुद को सूचित किया था।शायद वे उस क्षेत्र पर नजर रखते थे।उनका सामान्य इरादा स्पष्ट रूप से मृतक को लूटना था, जो हाल ही में इंदौर और इलाके में स्थानांतरित हुआ था, 19.06.2011 पर।हालांकि घटना का सही समय अज्ञात है, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में प्रक्रिया शुरू होने के 12 से 36 घंटे के भीतर मृत्यु की अवधि दिखाई दी, जो 20.06.2011 पर सुबह 11 बजे के बाद थी।इसलिए, यह अनुमान लगाना उचित है कि मृत्यु दिन के दौरान किसी समय 19.06.2011 पर हुई थी।हालाँकि पीडब्लू-10 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया गया है, पीडब्लू-5, पीडब्लू-9 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य से पता चलता है कि अपराध को 19.06.2011 की शाम को देखा गया था जब शव पाए गए थे, और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी।167. मृतक पर चोटों की प्रकृति और विवरण से पता चलता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से लड़ाई की थी-जिसकी शायद अपीलार्थियों को उम्मीद नहीं थी।मृतक को लूटने और उन्हें अपना कीमती सामान सौंपने के लिए मजबूर करने का इरादा जल्द ही आरोपी के खिलाफ अप्रत्याशित लड़ाई के कारण हिंसक हो गया।कई धारदार चोटें हैं, और एक गोली की चोट है जो मेघा को गंभीर रूप से घायल कर देती है।नतीजतन, यह स्पष्ट है कि तीन मृत महिलाओं को वश में करने के लिए, आरोपी

ई.

एफ.

जी.

एच.

उन्मादी चाकू हमलों का सहारा लिया।मृतक द्वारा दिया गया लगातार प्रतिरोध, धारदार हथियारों (दो चाकू) से चोटों की प्रकृति के साथ रोहिणी और अश्लेशा दोनों के लिए घातक था।यह तथ्य कि अभियुक्तों को बार-बार छुरा घोंपना पड़ा, यह बताता है कि उक्त अपीलार्थियों इस तरह के हथियार चलाने से परिचित नहीं थे।मनोज और राहुल के कब्जे से हथियार (2 चाकू और 1 पिस्तौल) विशेष रूप से बरामद किए गए हैं, और इन परिस्थितियों में, जिन अपराधों के लिए उन पर आरोप लगाया गया था, उनके लिए उनकी सजा उचित है।

बी.

168. ये हमले मृतक के घर के भीतर कैसे हुए और अभियुक्त द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में जानकारी केवल अभियुक्त की विशेष जानकारी में है; लेकिन मुकदमे या अपीलीय चरण के दौरान ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई थी।इस न्यायालय 72 ने माना है कि सामान्य इरादे के लिए मन की पूर्व बैठक की आवश्यकता होती है, जिसे पल भर में भी विकसित किया जा सकता है, बशर्ते कि पूर्व नियोजित संगीत कार्यक्रम हो।परिस्थितियों से पता चलता है कि तीनों अभियुक्तों के बीच एक स्पष्ट समान इरादा था, घर को लूटना, और प्रतिरोध का सामना करने पर-काम को पूरा करना और बिना किसी पता के छोड़ना, हर तरह से आवश्यक।जबकि नेहा के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, यह स्पष्ट है कि वह अपराधों में शामिल थी, और अपराध स्थल पर मौजूद थी।इसका प्रमाण सबसे पहले, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की गवाही और रिपोर्ट से मिलता है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसके फिंगरप्रिंट को अपराध स्थल से उठाया गया था; दूसरा, चोरी की वस्तुओं (सोने के गहने, मेघा का एटीएम कार्ड, आदि) की बरामदगी।उसके कब्जे से; और तीसरा, यह तथ्य कि मनोज और राहुल को केवल उनकी भागीदारी के प्रकटीकरण के अनुसार गिरफ्तार किया गया है-जो सभी, संचयी रूप से, स्पष्ट रूप से संलिप्तता को स्थापित करते हैं।नेहा के कारण हिंसा के एक स्पष्ट या विशिष्ट कार्य की कमी उसे दोषमुक्त नहीं करती है, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति और अपराध करने में भागीदारी को साबित करने में सक्षम रहा है, और यह कि एक सामान्य उद्देश्य था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

169. उपरोक्त कारणों से, तीनों अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 397/34,449/34 और 302/34 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया जाता है। इसके अतिरिक्त, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) (बी) के तहत मनोज और राहुल की दोषसिद्धि और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत राहुल की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है।170. सजा के प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, इस न्यायालय को आपराधिक मुकदमे में लोक अभियोजक और निचली विचारण न्यायालय की भूमिका को संक्षेप में उजागर करना आवश्यक लगता है, ताकि सजा की सुरक्षा की जा सके।

जी.

72 रामाशीष यादव बनाम बिहार राज्य (1999) 8 एस. सी. सी. 555 ए.

एच.

अभियुक्त के अधिकार।इस मामले की जांच में डी. डब्ल्यू.-1 की भूमिका को छिपाना (मृतक के कॉल विवरण रिकॉर्ड का उनका विश्लेषण और नेहा के संबंध में-जिसे मुकदमे में पेश नहीं किया गया था; कथित तौर पर नेहा के ठिकाने और उसने क्या पहना होगा, नेहा की गिरफ्तारी में भाग लेना, और बाद में लेखों की बरामदगी में शामिल होना) शुरू में की गई जांच के तरीके में अंतराल की ओर इशारा करता है, या कम से कम, मुकदमे के उद्देश्यों के लिए, असत्य स्मरण और इसे प्रस्तुत करना।जैसा कि पहले विस्तार से बताया गया है, इन तथ्यों ने इस न्यायालय को नेहा की गिरफ्तारी के अभियोजन पक्ष के संस्करण के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया।अन्य परिस्थितियाँ उनके अपराध को समाप्त करने और दोषसिद्धि में परिणाम देने के लिए पर्याप्त रूप से साबित हुई हैं।हालांकि, यह भी इंगित करना उचित है कि डीडब्ल्यू-1 की भूमिका को छिपाना और कॉल विवरण रिकॉर्ड को शामिल करने में विफलता, आरोपी को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित कर सकती थी, अगर इन अन्य परिस्थितियों को नहीं बनाया गया होता।इसलिए, इस मोड़ पर, सत्य तक पहुंचने में लोक अभियोजक और निचली विचारण न्यायालय की भूमिका पर ध्यान देना और दोहराना उचित है।

बी.

सी.

क्रमशः निष्पक्ष प्रकटीकरण और जांच द्वारा जांच का तरीका।

डी.

171. एक लोक अभियोजक (धारा 24 सी. आर. पी. सी. के तहत नियुक्त) उच्च सम्मान के सांविधिक पद पर होता है।जाँच एजेंसी के एक हिस्से के बजाय, वे एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण हैं जो न्यायालय के अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं।लोक अभियोजक की भूमिका स्वाभाविक रूप से एक निष्पक्ष सुनवाई के संचालन के लिए समर्पित है, न कि "दोषसिद्धि में मामले तक पहुंचने की प्यास" के लिए।इस न्यायालय ने शिव कुमार बनाम हुकुम चंद 75 मामले में आगे कहा कि

ई.

"....यदि कोई अभियुक्त मुकदमे के दौरान किसी वैध लाभ का हकदार है तो लोक अभियोजक को इसे छिपाना नहीं चाहिए।इसके विपरीत, यह लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह इसे बल को सौंपे और इसे अभियुक्त को उपलब्ध कराए।

एफ.

सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु शर्मा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य 76

(इसके बाद 'मनु शर्मा') यह निष्कर्ष निकाला गया कि

"187. इसलिए, एक लोक अभियोजक के पास केवल यह सुनिश्चित करने की तुलना में व्यापक कर्तव्य होते हैं कि अभियुक्त को दंडित किया जाए, कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के कर्तव्य, सभी प्रासंगिक तथ्य।

जी.

73 हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1994) 4 एससीसी 602

74 दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक, (2013) 5 एससीसी 277 75 (1999) 7 एससीसी 467

76 (2010) 6 एससीसी 1

एच.

पीड़ितों सहित सभी पक्षों के लिए सच्चाई और न्याय के निर्धारण के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाता है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये कर्तव्य अभियोजक को अभियुक्त के खिलाफ अपने किसी भी कर्तव्य में ढिलाई बरतने की अनुमति नहीं देते हैं।"

172. मनु शर्मा के मामले में, विचाराधीन अपीलार्थियों ने तर्क दिया था कि निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में लोक अभियोजक पर प्रकटीकरण का एक व्यापक कर्तव्य शामिल है, जैसे कि किसी

भी साक्ष्य का प्रकटीकरण न करना-चाहे अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया हो या नहीं-बचाव पक्ष को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।इस न्यायालय ने धारा 207 और 208 सी. आर. पी. सी., बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 16 77 (जो उस साक्ष्य तक सीमित है जिस पर अभियोजक भरोसा करने का प्रस्ताव करता है), और अंग्रेजी कानून पर विचार किया। सामान्य कानून की स्थिति यह थी कि संवेदनशील जानकारी और जनहित प्रतिरक्षा जैसे अपवादों के अधीन, अभियोजन पक्ष को किसी भी ऐसी सामग्री का खुलासा करना चाहिए जो बचाव के लिए उत्तेजक हो।हालाँकि, इस तरह की स्थिति को इस न्यायालय ने अपनी समग्रता में स्वीकार नहीं किया था।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 पर स्थापित हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों को देखते हुए भारत में इस तरह के दायित्व एक अलग आधार पर हैं, जिसके लिए न केवल जांच एजेंसी, बल्कि अपने स्वयं के स्वतंत्र क्षेत्र में अदालतों की भी आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच निष्पक्ष है और व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालती है, सिवाय कानून के अनुसार, यानी कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करना।प्रासंगिक उद्धरण जो दोहराने योग्य हैंः

बी.

सी.

डी.

“199. यह न केवल जांच एजेंसी की बल्कि अदालतों की भी जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जांच निष्पक्ष है और कानून के अनुसार के अलावा किसी भी तरह से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालती है।आपराधिक कानून का समान रूप से लागू करने योग्य सिद्धांत यह है कि जांच एजेंसी की उच्च जिम्मेदारी है कि वह दागी और अनुचित तरीके से जांच न करे। जांच प्रथम दृष्टया पक्षपातपूर्ण दिमाग का संकेत नहीं होनी चाहिए और दोषी को कानून के दायरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति समाज में उसकी स्थिति और प्रभाव का अपमान नहीं करता है।

ई.

एफ.

जी.

****

77 भारतीय बार काउंसिल नियमों के अध्याय II, भाग VI के नियम 16 के तहत

अधिवक्ता अधिनियम, 1961:“16. आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश होने वाला वकील इस तरह से अभियोजन का संचालन करेगा कि इससे निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जा सके।अभियुक्त की बेगुनाही स्थापित करने में सक्षम सामग्री के दमन से सख्ती से बचा जाना चाहिए।”

एच.

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

201. ऐतिहासिक रूप से लेकिन लगातार इस न्यायालय का विचार रहा है कि एक जांच निष्पक्ष और प्रभावी होनी चाहिए, अपराध के घटकों के अनुरूप उचित दिशा में आगे बढ़नी चाहिए न कि अव्यवस्थित तरीके से।कुछ मामलों में जाँच प्रभावी होने के अलावा अभियुक्त को न्याय की विफलता साबित करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बार यह साबित हो जाने के बाद अभियुक्त कानून के अनुसार निश्चित लाभ का हकदार होगा।जाँच इस तरह से की जानी चाहिए ताकि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत नागरिक के अधिकार और जाँच करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्ति के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जा सके।ये सुस्थापित सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा बताए गए हैं।

बी.

सासी थॉमस बनाम राज्य [(2006) 12 एस. सी. सी. 421:(2007) 2 एससीसी (सीआरआई)

सी.

72] , राज्य (पुलिस निरीक्षक) बनाम सूर्य शंकरम करीं [(2006)

7 एससीसी 172:(2006) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 225] और टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य [(2001) 6 एस. सी. सी. 181:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1048]

202. निर्मल सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य **(2009) 1**

एससीसी 441:(2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 523] इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा

डी.

कि निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए संगत है।हमने विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जाँच की इस अवधारणा का उल्लेख किया है क्योंकि अभियुक्त का निष्पक्ष बचाव का अधिकार इसी अवधारणा से ही उभरता है।अभियुक्त को उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाता है, उसके बचाव के अधिकार में अनावश्यक रूप से बाधा नहीं आती है और वह कानून के अनुसार जो प्राप्त करने का हकदार है, उससे उसे कानून के विपरीत वंचित नहीं किया जाता है।"

ई.

173. बारहवें अध्याय के तहत सी. आर. पी. सी. की योजना (पुलिस को जानकारी और जांच करने की शक्तियां) स्पष्ट है-पुलिस के पास स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से जांच करने की शक्ति है; जिसके दौरान, एक डायरी बनाए रखना अनिवार्य है जिसमें दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही को घटनाओं के समय, देखे गए स्थानों, प्रस्थान और वापस रिपोर्ट करने, दर्ज किए गए बयानों आदि के विशिष्ट उल्लेख के साथ दर्ज किया जाना है। जबकि आपराधिक न्यायालय को जांच या मुकदमे के उद्देश्य से (और सबूत के रूप में नहीं) धारा 172 (2) के तहत इन डायरियों को बुलाने का अधिकार है, धारा 173 (3) यह स्पष्ट करती है कि आरोपी उन्हें पढ़ने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि पुलिस स्वयं इस पर भरोसा नहीं करती (अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए) या यदि न्यायालय इसका उपयोग पुलिस अधिकारियों की गवाही का खंडन करने के लिए नहीं करती है।78

एफ.

जी.

78 मुकुंद लाल बनाम भारत संघ 1989 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 622, मल्कियत सिंह बनाम स्टेट ऑफ इंडिया

एच.

पंजाब (1991) 4 एससीसी 341।

174. मनु शर्मा के मामले में, नीतिगत डायरी के संदर्भ में, यह न्यायालय

उन्होंने कहा कि "उद्देश्य और उद्देश्य काफी स्पष्ट प्रतीत होता है कि जांच में निष्पक्षता, पारदर्शिता होनी चाहिए और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए।"यह वस्तु

यदि पुलिस पुलिस डायरी को सटीक रूप से बनाए रखने में विफल रहती है तो यह पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है।जाँच के दौरान उठाए गए कदमों को सावधानीपूर्वक नोट करने में विफलता, और परिणामस्वरूप पारदर्शिता की कमी, अभियुक्त के निष्पक्ष जाँच के अधिकार को कमजोर करती है; यह निचली विचारण न्यायालय पर निर्भर करता है कि उसे अभियोजन पक्ष को स्वेच्छा से स्वीकार करने के बजाय रिकॉर्ड की व्यापक रूप से जाँच करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि जाँच के दौरान की गई ऐसी छिपी हुई या छिपी हुई कार्रवाइयों को उजागर किया जा सके।79

बी.

सी.

175. वर्तमान मामले में, निचली विचारण न्यायालय को डी. डब्ल्यू.-1 की भूमिका के बारे में अधिक गहराई से पूछताछ करनी चाहिए थी, यह देखते हुए कि उसने अपने स्वयं के अभिसाक्ष्य से नेहा की गिरफ्तारी में कॉल विवरण रिकॉर्ड और संलिप्तता का विश्लेषण करना स्वीकार किया था-इन सभी को अभियोजन पक्ष द्वारा दबा दिया गया था।इस संदर्भ में, मनु शर्मा में की गई धारा 91 और सी. आर. पी. सी. की धारा 243 का उल्लेख करना महत्वपूर्ण हैः

डी.

"217. .....धारा 91 न्यायालय को किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए समन करने का अधिकार देती है जिसे न्यायालय संहिता के प्रावधानों के तहत किसी भी जांच, जांच, मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए आवश्यक या वांछनीय समझती है। जहां धारा 243 सहपठित धारा 91 में कहा गया है कि यदि अभियुक्त को अपने बचाव में प्रवेश करने और वहां अपना साक्ष्य पेश करने के लिए कहा जाता है, तो उसे परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के उद्देश्य से किसी भी गवाह की उपस्थिति को मजबूर करने के लिए प्रक्रिया जारी करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने का भी अधिकार दिया गया है, जिसके लिए न्यायालय को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना है।"

ई.

एफ.

176. न्यायालय ने अभियुक्त को दिए गए उचित प्रक्रिया संरक्षण और लोक अभियोजक की निष्पक्ष प्रकटीकरण जिम्मेदारियों पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया, जो इस प्रकार हैः

"218. किसी अभियुक्त की स्वतंत्रता में कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।"कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति मुकदमे में निष्पक्षता को शामिल करेगी।न्यायालय (एस. आई. सी. कोड) अभियुक्त को सभी दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार देती है।

जी.

79 आपराधिक मुकदमे में अदालतों की भूमिका पर ज़हिरा बनाम गुजरात राज्य (2004) 4 एस. सी. सी. 158 में चर्चा की गई है।

एच.

ए.

और बयानों के साथ-साथ अपने मामले के समर्थन में किसी भी अभिलेख या गवाह को पेश करने के लिए आवेदन करना।अभियुक्त को दिया गया यह संवैधानिक अधिदेश और वैधानिक अधिकार अभियोजन पक्ष (अभियोजन पक्ष और अभियोजक) पर निष्पक्ष प्रकटीकरण करने का एक निहित दायित्व रखते हैं।निष्पक्ष प्रकटीकरण की अवधारणा एक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अपने दायरे में आएगी जो अभियोजन पक्ष इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायालय में दायर किया गया है या नहीं।उस दस्तावेज़ को अनिवार्य रूप से अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यहां तक कि उन मामलों में भी जहां जांच के दौरान कोई दस्तावेज़ जांच एजेंसी द्वारा प्राप्त प्रामाणिक है और अभियोजक की राय में प्रासंगिक है और सच्चाई तक पहुंचने में मदद करेगा, उस दस्तावेज़ को भी अभियुक्त को प्रकट किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

219. विशेष रूप से प्रकटीकरण के संबंध में अभियोजक की भूमिका और दायित्व को हमारे कानून के तहत अंग्रेजी प्रणाली के तहत प्रचलित भूमिका के बराबर नहीं माना जा सकता है। लेकिन साथ ही, निष्पक्ष सुनवाई की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।यह अलग-अलग परिणामों का हो सकता है जहां एक दस्तावेज जिसे संदिग्ध रूप से, धोखाधड़ी से या जांच के दौरान आरोपी को अनुचित लाभ पहुँचाकर प्राप्त किया गया है, ऐसे दस्तावेज को अभियोजक के विवेक से अभियुक्त को अस्वीकार किया जा सकता है कि क्या अभियोजन पक्ष ऐसे दस्तावेजों पर निर्भर करता है या नहीं, हालांकि अन्य मामलों में खुलासा करने का दायित्व अधिक निश्चित होगा।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि धारा 207 के प्रावधानों का इस विषय पर एक सामग्री संबंध है और यह एक दिलचस्प अध्ययन है।यह प्रावधान न केवल यह अपेक्षा करता है या आदेश देता है कि न्यायालय को बिना किसी देरी के और बिना किसी लागत के आरोपी को पुलिस रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान, धारा 161 के तहत दर्ज किए गए व्यक्तियों के इकबालिया बयान, जिनकी अभियोजन पक्ष गवाह के रूप में जांच करना चाहता है, की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए, निश्चित रूप से, संहिता की धारा 173 (6) के तहत विचार किए गए बयान या दस्तावेज के किसी भी हिस्से को छोड़कर, कोई अन्य दस्तावेज या उसके प्रासंगिक उद्धरण जो धारा 173 की उप-धारा (5) के तहत पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए गए हैं।धारा 173 के प्रावधानों के विपरीत, जहां विधायिका ने इस अभिव्यक्ति का उपयोग किया है कि "जिन दस्तावेजों पर अभियोजन पक्ष निर्भर है" का उपयोग धारा 207 के तहत नहीं किया जाता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

कोड।इसलिए संहिता की धारा 207 के प्रावधानों को उदार और प्रासंगिक अर्थ देना होगा ताकि इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।इतना ही नहीं, धारा 173 (5) के तहत रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में वे दस्तावेज शामिल माने जाएंगे जिन्हें संहिता की धारा 170 (2) की आवश्यकता के अनुसार जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को भेजा जाना है।

बी.

220. दस्तावेजों के प्रकटीकरण के संबंध में अभियुक्त का अधिकार एक सीमित अधिकार है लेकिन यह संहिताबद्ध है और एक निष्पक्ष जांच और मुकदमे की नींव है।ऐसे मामलों में, अभियुक्त पुलिस फाइल के प्रत्येक दस्तावेज या यहां तक कि न्यायालय के आदेशों के अनुसार धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट में संलग्न दस्तावेजों से हटाए जाने की अनुमति वाले भागों का दावा करने के लिए एक अक्षम्य कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।लेकिन अभियुक्त के कुछ अधिकार संहिताबद्ध कानून के साथ-साथ संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की न्यायसंगत अवधारणाओं से भी आते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता एक निष्पक्ष मुकदमे के आधार को विफल कर देगी।धारा 173 के प्रावधानों सहपठित धारा 207,243 के दायरे के भीतर दस्तावेजों का दावा करना और संहिता की धारा 91 के तहत न्यायालय की दस्तावेजों को बुलाने की शक्ति का अर्थ है और ऐसे उपदेश प्रदान करता है जो अभियुक्त के बयान और दस्तावेजों की प्रतियों का दावा करने के अधिकार को नियंत्रित करेंगे जो अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान एकत्र किए हैं और जिन पर वे भरोसा करते हैं।

सी.

डी.

ई.

221. न्यायालय के लिए यह कहना कठिन होगा कि अभियुक्त को दस्तावेजों की प्रतियों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है या न्यायालय से एक दस्तावेज पेश करने का अनुरोध करने का कोई अधिकार नहीं है जो सामान्य डायरी का हिस्सा है, बशर्ते कि उसमें बताए गए कानून के मूल अवयवों को संतुष्ट किया जा सके।एक दस्तावेज जो प्रामाणिक रूप से प्राप्त किया गया है और अभियोजन पक्ष के मामले से संबंधित है और लोक अभियोजक की राय में, न्याय और निष्पक्ष जांच और मुकदमे के हित में आरोपी को इसका खुलासा किया जाना चाहिए।फिर उस दस्तावेज़ का खुलासा अभियुक्त को निष्पक्ष बचाव का मौका देते हुए किया जाना चाहिए,

विशेष रूप से जब इस तरह के दस्तावेज़ को पेश न करने या प्रकट करने से आपराधिक न्याय के प्रशासन और अभियुक्त के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

एफ.

जी.

एच.

553

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

222. अंग्रेजी प्रणाली के तहत अभियोजक के प्रकटीकरण और कर्तव्यों की अवधारणा, हमारी राय में, इस स्तर पर भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र पर लागू नहीं की जा सकती है।हालाँकि, हमारा विचार है कि प्रकटीकरण के सिद्धांत को कुछ हद तक विस्तारित अनुप्रयोग देना होगा। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, हम पहले ही देख चुके हैं कि अभियुक्त के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार पर कोई पूर्वाग्रह नहीं डाला गया था और बैलिस्टिक रिपोर्टों में से एक की प्रति प्रस्तुत न करने से न्याय के उद्देश्यों में बाधा नहीं आई थी।अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेज़ की सत्यता पर कुछ संदेह की छाया भी पैदा की गई थी और अभियोजन पक्ष ने इस दस्तावेज़ पर भरोसा नहीं करने का विकल्प चुना था।इन परिस्थितियों में, अभियुक्त के प्रकटीकरण के अधिकार को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई झटका नहीं लगा है।अभियुक्त ने निचली विचारण न्यायालय के समक्ष भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया।

बी.

सी.

(बल दिया गया)

डी.

177. इस तरह, लोक अभियोजक और फिर निचली अदालत की जांच, दोनों ही राज्य की पुलिस मशीनरी की ताकत का सामना करने पर आरोपी के निष्पक्ष जांच के अधिकार की रक्षा करने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं।

ई.

178. इस दृष्टिकोण का समर्थन हाल ही में तीन न्यायाधीशों के फैसले में किया गया था

इस न्यायालय ने अपर्याप्तताओं और कमियों के संबंध में आपराधिक परीक्षण दिशानिर्देशों में, बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 80 में।इस न्यायालय ने

ऊपर उल्लिखित अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला गया, जो एक निष्पक्ष मुकदमे में बाधा डालेगी, और अन्य बातों के साथ-साथ, सभी राज्यों और उच्च न्यायालयों द्वारा इस संबंध में नियम तैयार करने की आवश्यकता थी, जिसमें जांच के दौरान जब्त की गई और ली गई सभी सामग्रियों के उल्लेख वाली सूची का बाध्यकारी खुलासा किया गया था।सभी राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक मसौदा दिशानिर्देश इस प्रकार हैः

एफ.

“4. धारा 173,207 और 208 CR.PC के तहत दस्तावेजों की आपूर्ति

जी.

प्रत्येक अभियुक्त को धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाह के बयान और इस दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, सामग्री वस्तुओं और प्रदर्शनों की एक सूची प्रदान की जाएगी।

80 (2021) 10 एस. सी. सी. 598

एच.

554 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

आई. पी. आर. की धारा 207 और 208 के अनुसार जांच अधिकारी (आई. ओ.) द्वारा जांच और उस पर भरोसा किया गया। पीसी।

व्याख्याःबयानों, दस्तावेजों, सामग्री वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची में बयान, दस्तावेज, सामग्री वस्तुएं और प्रदर्शन निर्दिष्ट होंगे जिन पर जांच अधिकारी भरोसा नहीं करते हैं।”

बी.

179. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्षता के हित में, नियम के रूप में, सभी आपराधिक मुकदमों में, उपरोक्त नियम का पालन करना चाहिए, और बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची प्रस्तुत करनी चाहिए जिन पर जांच अधिकारी भरोसा नहीं करता है।आपराधिक मुकदमों में अदालतों के पीठासीन अधिकारी ऐसे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

सी.

सजा पर

180. इस मामले की सुनवाई को अगली तारीख को सजा सुनाने के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके पहले विद्वान वकीलों ने आरोपी के जीवन के बारे में सामग्री प्रस्तुत की-घटना से पहले और निचली न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, जेल रिपोर्ट और इस न्यायालय

द्वारा मांगी गई अन्य सामग्री राज्य से प्राप्त की गई थी, और दोनों पक्षों द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की गई थीं।

डी.

181. तर्कों के दौरान, विद्वान ए. ए. जी. ने कहा कि कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं थीं और अपराध की प्रकृति से स्पष्ट क्रूरता, मृत्युदंड से कम कुछ नहीं है, जो इसके अनुसार सही ढंग से लगाया गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि यह वर्तमान जैसे मामलों में है, जहां "दुर्लभ से दुर्लभतम" सिद्धांत को निवारक के रूप में लागू करने की आवश्यकता है।

ई.

एफ.

182. दूसरी ओर अभियुक्त के वकीलों ने इस तथ्य पर बल दिया कि अवर न्यायालयों में से किसी ने भी उन अभियुक्तों के सुधार की संभावना पर विचार नहीं किया था जो सभी कम उम्र के थे और मनोज (जो अतीत में एक छोटे से अपराध में शामिल थे) को छोड़कर अन्य का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।वकील ने यह भी तर्क दिया कि परिस्थितियों पर एक समग्र नज़र, सबसे अच्छा, न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है कि मृतक को लगी व्यापक चोटें सभी संभावनाओं में पीड़ितों के प्रतिरोध का सामना करने पर अभियुक्तों की योजनाओं के बिगड़ने के कारण थीं।इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्येक दोषी की क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए-दोनों उनकी पिछली पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, साथ ही ए की विचाराधीनता के दौरान जेल में आचरण।

जी.

एच.

555

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

परीक्षण और पुष्टि पर विचार नहीं किया गया।यह एक उल्लंघन था।

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 81 में।सलाहकारों ने भरोसा किया

कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के महत्व से संबंधित कई निर्णय, अभियुक्त को प्रदर्शित करने में राज्य की भूमिका सुधार से परे है, उम्र और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि जैसी परिस्थितियों को कम करना, सजा से पहले सुनवाई-इसका दायरा और अदालत का दायित्व, आदि।

बी.

183. आई. पी. सी. के कई अपराधों में मृत्युदंड निर्धारित किया गया है, जिसमें हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, बलात्कार और चोट के कारण मृत्यु या किसी महिला को वनस्पति अवस्था में छोड़ना, 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार, हत्या के साथ डकैती, अन्य अपराध शामिल हैं।में।

सी.

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 82 (इसके बाद, 'बचन सिंह'), यह

अदालत ने भारत के विधि आयोग (1967) की 35 वीं रिपोर्ट, जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 83 (जिसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि 35 वीं रिपोर्ट में प्रतिधारण की वकालत की गई थी) और इस अदालत द्वारा निर्णय लिए गए कई बाद के मामलों में, जिसमें मृत्युन्यायालय को एक निवारक के रूप में मान्यता दी गई थी, के बल पर आई. पी. सी. की धारा 242 के तहत एक वैकल्पिक सजा के रूप में मृत्युन्यायालय के अधिरोपण को बरकरार रखा था।इसने हाल ही में जोड़ी गई धारा 253 (2) और 354 (3) सी. आर. पी. सी. पर बल दिया, जो मृत्युदंड के अपराधों की सजा पर द्विभाजित पूर्व-सजा सुनवाई और सजा देने की प्रक्रिया प्रदान करती है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सजा के इस रूप को विधायी समर्थन प्राप्त है और इस तरह यह लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।

डी.

ई.

184. यह निर्विवाद है कि मृत्युदंड के अपराधों में सजा से निपटने के तरीके में बदलाव आया है।यह तब स्पष्ट होता है जब विकास को समग्र रूप से या स्थूल स्तर पर देखा जाता हैःसंसद द्वारा सी. आर. पी. सी. में संशोधन, 35 वें और 262 वें विधि आयोग की रिपोर्ट जो 30 वर्षों से अधिक अलग हैं, और दशकों से इस न्यायालय की मिसालें।प्रारंभ में, कानून ने मृत्युदंड नहीं देने के लिए लिखित कारणों की आवश्यकता को लागू किया, जिसे 1955 में हटा दिया गया था।1973 में, सी. आर. पी. सी. में और संशोधन और धारा 354 (3) को शामिल करने के माध्यम से-आजीवन कारावास आदर्श बन गया और मृत्युदंड लगाने के लिए 'विशेष कारणों' की आवश्यकता थी; और धारा 253 (2) के माध्यम से-सजा देने के लिए दोषसिद्धि के प्रश्न पर अलग से विचार करने की आवश्यकता थी।दोनों चरणों में, अर्थात, 1955 के बाद और 1973 के बाद, मृत्युदंड को बरकरार रखा गया था

एफ.

जी.

81 (1980) 2 एससीसी 684 82 (1980) 2 एससीसी 684 83 (1973) 1 एससीसी 20

एच.

जगमोहन सिंह मामले में इस न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संवैधानिक और

बचन सिंह, क्रमशः।

185. मृत्युदंड पर 262 वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2015) (इसके बाद, '262 वीं रिपोर्ट'), इस अदालत के संदर्भों का परिणाम है।

मुख्य रूप से दो मामले।सबसे पहले, संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य 84 (इसके बाद 'संतोष बरियार') में जहां,

बी.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 62/149 85 पर ध्यान देते हुए यह बताया गया कि मौत की सजा के विवादास्पद मुद्दे पर एक सूचित चर्चा और बहस को आकार देने के लिए विश्वसनीय शोध की आवश्यकता है।

दूसरा, शंकर किसनराव खाड़े बनाम राज्य का निर्णय।

महाराष्ट्र 86 ने विधि आयोग को इस मुद्दे को हल करने का काम सौंपा कि क्या मृत्युदंड एक निवारक दंड है, प्रतिशोधात्मक न्याय है, या एक अक्षम लक्ष्य को पूरा करता है; और न्यायपालिका (दुर्लभ से दुर्लभ) और कार्यपालिका (जिसे अज्ञात कहा गया था) द्वारा परिवर्तन प्रदान करते समय अपनाए गए दृष्टिकोण में अंतर का अध्ययन करने का काम सौंपा।इस अधिदेश को पूरा करने के प्रयास में, आयोग ने 35 वीं रिपोर्ट के बाद से देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भारी बदलाव और बचन सिंह द्वारा 'दुर्लभ से दुर्लभतम' के मूलभूत सिद्धांत को निर्धारित करने के बाद से मृत्युदंड के मामलों के निर्णय में एक प्रमुख चिंता बनी हुई मनमानेपन को देखते हुए मृत्युदंड पर अपनी पिछली सिफारिशों (अपनी 35 वीं रिपोर्ट, 1967 में) की फिर से जांच करने की तत्काल आवश्यकता को महसूस किया।

सी.

डी.

186. परिवर्तित परिस्थितियों और विकसित विमर्श को प्रतिबिंबित करते हुए, यह रिपोर्ट भारत में मृत्युदंड के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देती है, जहां तक कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों को समाप्त करने की सिफारिश की गई है।जब सजा सुनाने की बात आती है तो रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अदालतों के विवेक और न्यायिक तर्क पर केंद्रित होता है।यह निष्कर्ष निकालता है कि भारत में मृत्युन्यायालय की सजा बचन सिंह सिद्धांत के मनमाने अनुप्रयोग पर आधारित रही है, और न्यायाधीशों की व्यक्तिगत प्रवृत्ति के आधार पर

न्यायाधीश-केंद्रित हो गई है-एक ऐसी चिंता जिसका संकेत इस अदालत ने स्वामी श्रद्धानंद (2) में भी दिया था।

ई.

एफ.

@ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य 87 और विश्लेषण किया गया

बड़े पैमाने पर फिर से संतोष बरियार में, उसके बाद संगीत और अन्न बनाम।

हरियाणा राज्य 88, मो.फारूक अब्दुल गफूर और अन्न बनामकी स्थिति

जी.

84 (2009) 6 एस. सी. सी. 498 (पैरा 112)।85 18.12.2007 पर अपनाया गया।

86 (2013) 5 एस. सी. सी. 546 (पैरा 148-149)।87 (2008) 13 एस. सी. सी. 767

88 (2013) 2 एससीसी 452 ए

एच.

557

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

महाराष्ट्र 89, और हाल ही में छन्नू लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 90 (इसके बाद 'छन्नू लाल वर्मा')।

मृत्युदंड की रूपरेखा और इसे 'सैद्धांतिक सजा' के लिए कैसे लागू किया जाए

187. बचन सिंह के मामले में इस अदालत ने मृत्युन्यायालय की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि 1973 की नई न्यायालय प्रक्रिया संहिता ने एक बदलाव को चिह्नित किया क्योंकि इसने न्यायालयात्मक मुकदमे को एक पूर्व-सजा सुनवाई (धारा 235 (2) के तहत) को शामिल करने के लिए विभाजित किया, और सजा सुनाने वाली अदालत को अपराध और अपराधी दोनों की परिस्थितियों पर विचार करके "विशेष कारणों" (धारा 354 (3) के तहत) या उनकी अनुपस्थिति की रूपरेखा तैयार करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि व्यापक दिशा-निर्देश या संकेतक दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जल-रोधी डिब्बों में नहीं रखा जा सकता है जो किसी भी व्यक्तिगत मामले में न्याय करने के लिए किसी भी न्यायाधीश के विवेक को रोकते हैं:

बी.

सी.

“163. ....अब, धारा 235 (2) एक द्विभाजित मुकदमे का प्रावधान करती है और विशेष रूप से अभियुक्त व्यक्ति को सजा से पहले सुनवाई का अधिकार देती है, जिस स्तर पर वह रिकॉर्ड सामग्री या साक्ष्य ला सकता है, जो जांच के तहत विशेष अपराध से सख्ती से प्रासंगिक या संबंधित नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी, धारा 354 (3) में रेखांकित नीति के अनुरूप है, जो सजा के चयन पर असर डालता है।धारा 354 (3) सहपठित धारा 235 (2) से स्पष्ट वर्तमान विधायी नीति यह है कि न्यायालय संहिता की धारा 302 के तहत एक सहित विभिन्न अपराधों के लिए सजा की डिग्री तय करने या सजा का चयन करने में, अदालत को अपने विचार को "मुख्य रूप से" या केवल विशेष अपराध से जुड़ी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपराधी की परिस्थितियों पर भी उचित विचार करना चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

***

201. ...जैसा कि हम 1973 की संहिता की धारा 354 (3) और 235 (2) और अन्य संबंधित प्रावधानों को पढ़ते हैं, हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सजा का विकल्प चुनने के लिए या उस संदर्भ में "विशेष कारणों" के अस्तित्व या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए, न्यायालय को अपराध और अपराध दोनों के लिए उचित सम्मान देना चाहिए।

जी.

89 (2010) 14 एससीसी 641 90 (2019) 12 एससीसी 438

एच.

अपराधी।उत्तेजक और शमनकारी कारकों को कितना सापेक्ष महत्व दिया जाना चाहिए, यह विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।अक्सर, ये दोनों पहलू इतने आपस में जुड़े होते हैं कि उनमें से प्रत्येक को एक अलग उपचार देना मुश्किल होता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि "स्टाइल इज द मैन"।कई मामलों में, हत्या करने का अत्यंत क्रूर या क्रूर तरीका ही अपराधी के भ्रष्ट चरित्र का एक प्रदर्शित सूचकांक है।यही कारण है कि अपराध की परिस्थितियों और अपराधी की परिस्थितियों पर दो अलग-अलग जलरोधक डिब्बों में विचार करना वांछनीय नहीं है।एक अर्थ में, मारना क्रूरता है और इसलिए सभी हत्याएं क्रूरता हैं।लेकिन इस तरह की क्रूरता दोष की डिग्री में भिन्न हो सकती है।और यह केवल तभी है जब दोषपूर्णता अत्यधिक भ्रष्टता के अनुपात को मानती है कि "विशेष कारणों" को वैध रूप से मौजूद कहा जा सकता है।”

बी.

सी.

न्यायालय ने परिस्थितियों को बढ़ाने और कम करने के सहायक कारकों की एक सूची को भी स्वीकार किया।91 हालाँकि, न्यायालय को उनके साथ संपूर्ण व्यवहार करने से आगाह करते हुए, न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि वे केवल सूचक थे और कम करने वाली परिस्थितियों को मानव जीवन की गरिमा के लिए "उदार और व्यापक" तरीके से पढ़ा जाना चाहिएः

डी.

"209. हल्की सजा के पारित होने को उचित ठहराने वाली कई अन्य परिस्थितियाँ हैं; क्योंकि उत्तेजना की विपरीत परिस्थितियाँ हैं।"हम स्पष्ट रूप से ऐसी सभी स्थितियों को न्यायिक कंप्यूटर में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वे एक अपूर्ण और लहरदार समाज में ज्योतिषीय अभेद्य हैं।" फिर भी, इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि मृत्युदंड के क्षेत्र में कारकों को कम करने के दायरे और अवधारणा को धारा 354 (3) में बड़ी सजा नीति के अनुसार अदालतों द्वारा एक उदार और व्यापक निर्माण प्राप्त होना चाहिए।न्यायाधीशों को कभी भी रक्तपिपासु नहीं होना चाहिए।हत्यारों को फांसी देना उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। भारत संघ द्वारा प्रस्तुत तथ्य और आंकड़े, हालांकि अधूरे हैं, बताते हैं कि अतीत में, अदालतों ने अत्यधिक विरलता के साथ अत्यधिक दंड दिया है-एक ऐसा तथ्य जो उस सावधानी और करुणा की पुष्टि करता है जिसे उन्होंने हमेशा इतने गंभीर मामले में अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए सहन किया है।

ई.

एफ.

जी.

91 बचन सिंह (पैरा 202 और 206)।

एच.

इसलिए, इस चिंता को व्यक्त करना अनिवार्य है कि अदालतें, हमारे द्वारा इंगित व्यापक सचित्र दिशानिर्देशों की सहायता से, धारा 354 (3) में उल्लिखित विधायी नीति के उच्च स्तर पर निर्देशित निरंतर सावधानी और मानवीय चिंता के साथ कठिन कार्य का निर्वहन करेंगी, अर्थात हत्या के लिए दोषी व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता कानून के माध्यम से जीवन

लेने के प्रतिरोध को प्रस्तुत करती है।ऐसा दुर्लभतम मामलों को छोड़कर नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाता है।"

बी.

सी.

188. मच्ची सिंह में, इस न्यायालय ने बच्चन सिंह के सिद्धांतों का विस्तार किया, और दोहराने के योग्यः

"38. इस पृष्ठभूमि में बचन सिंह मामले [(1980) 2 एस. सी. सी. 684 में बताए गए दिशानिर्देशः1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 580:आकाशवाणी 1980 एससी 898:1980 सी. आर. आई. एल. जे. 636] को निकालना होगा और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा जहां मौत की सजा देने का सवाल उठता है।बचन सिंह मामले [(1980) 2 एस. सी. सी. 684 से निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैंः1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 580:आकाशवाणी 1980 एससी 898:1980 क्रि एलजे 636]:

डी.

ई.

"(i) अत्यधिक दोषपूर्णता के गंभीरतम मामलों को छोड़कर मृत्यु की अत्यधिक सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

((ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एफ.

((ग) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है।दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त दंड प्रतीत होता है, और बशर्ते कि अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास की सजा देने के विकल्प का ईमानदारी से उपयोग नहीं किया जा सकता है।(iv) बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की एक बैलेंस शीट तैयार की जानी चाहिए और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।

जी.

एच.

और विकल्प का उपयोग करने से पहले उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।39. इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर दिए जा सकते हैं:

(क) क्या अपराध में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा का आह्वान करता है?

बी.

(ख) क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

सी.

40. यदि उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में सभी परिस्थितियों के समग्र वैश्विक दृष्टिकोण को लेते हुए और ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मृत्युन्यायालय की सजा की आवश्यकता है, तो अदालत ऐसा करने के लिए आगे बढ़ेगी।"

डी.

189. माछी सिंह 92 में, इस अदालत ने अपराध की बढ़ती परिस्थितियों का दृढ़ता से विश्लेषण करके मामलों को मोटे तौर पर पांच शीर्षों (यानी, हत्या करने का तरीका, उद्देश्य, अपराध की असामाजिक या सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति, अपराध की भयावहता और पीड़ित का व्यक्तित्व) के तहत वर्गीकृत करने का प्रयास किया।हालाँकि, इन श्रेणियों पर एक औपचारिक निर्भरता किसी भी न्यायालय को अव्यवस्थित करने की क्षमता रखती है क्योंकि इसका अपराधी से ध्यान हटाने और अपराध पर असमान रूप से ध्यान केंद्रित करने का अनपेक्षित प्रभाव पड़ता है-इस मानकीकरण के खतरों को इस न्यायालय ने स्वामी श्रद्धानंद (2) 93, संगीत 94 और हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के असहमति वाले मामले में भी नोट किया था।

ई.

एफ.

पुलिस निरीक्षक द्वारा मनोहरन बनाम राज्य 95 में राय।

190. बचन सिंह के मामले में इस न्यायालय ने मामलों को वर्गीकृत करने के खिलाफ चेतावनी दी थी।96 इस तर्क को खारिज करते हुए कि मानकों और दिशानिर्देशों को निर्धारित किया जाना चाहिए, बचन सिंह में यह उल्लेख किया गया था कि दोष की डिग्री

जी.

92 माछी सिंह (पैरा 32-37)।

93 स्वामी श्रद्धानंद (2) @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य (2008)

13 एस. सी. सी. 767

94 संगीत और एन. आर. वी.हरियाणा राज्य (2013) 2 एससीसी 452

95 मनोहरन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक, वैराइटी हॉल पुलिस स्टेशन, (2019) 7 एस. सी. सी.

716

96 पैरा 169-175,192-195।

एच.

561

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

इसे मापा नहीं जा सकता है, और परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों को सख्ती से गिना नहीं जा सकता है ताकि "विवेक के सभी स्वतंत्र खेल" को बाहर किया जा सके। यह दोहराते हुए कि आपराधिक मामलों को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनंत, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित भिन्नताएं थीं, यह माना गया कि इस तरह के वर्गीकरण से सजा देने की प्रक्रिया न्यायिक नहीं होगी, और इस तरह का मानकीकरण या सजा सुनाना अदालत के कार्य से परे है।इसलिए, यह उचित होगा यदि मछली सिंह में वर्णित अपराधों की उन पांच श्रेणियों (जो बढ़ती परिस्थितियों पर अनुचित बल देती हैं) पर ही नहीं, बल्कि दो प्रश्न-परीक्षणों और बच्चन सिंह के चार मार्गदर्शक सिद्धांतों पर भी भरोसा किया जाए, जिन्हें माची सिंह में संक्षिप्त रूप से शामिल किया गया था।

बी.

सी.

191. इसके बाद के दशकों में ऐसे निर्णयों की एक श्रृंखला देखी गई है जिसमें इस अदालत ने बचन सिंह में प्रतिपादित 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' परीक्षण को लागू करने में विसंगति का लगातार न्यायिक संज्ञान लिया है, और इसलिए, उसी के सैद्धांतिक अनुप्रयोग को मजबूत करने के प्रयास में, मृत्युन्यायालय के अधिरोपण को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया है।

डी.

192. संतोष बरियार में इस पहलू पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी, जहां न्यायालय ने परीक्षण को यह निर्धारित करने के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया कि क्या कोई मामला मौत की सजा का हकदार है-पहला, कि मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' श्रेणी से संबंधित है, और दूसरा, कि आजीवन कारावास का विकल्प पर्याप्त नहीं होगा।पहले कदम के लिए, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की पहचान करनी होगी और उन पर समान रूप से

विचार करना होगा।दूसरे परीक्षण के लिए, न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या आजीवन कारावास का विकल्प निर्विवाद रूप से बंद कर दिया गया था क्योंकि सुधार का सजा देने का उद्देश्य असंभव था, जिसके लिए राज्य को सामग्री प्रदान करनी चाहिए।

ई.

एफ.

193. लगभग चार साल बाद, संगीत 97 में, इस अदालत ने अपराधी की परिस्थितियों पर ध्यान देने की निरंतर कमी पर अफसोस जताते हुए दोहराया कि उकसाने वाली परिस्थितियों का संतुलन और बचन सिंह की सजा के ढांचे को समान रूप से लागू करने में विफलता, मृत्युन्यायालय के मामलों में न्यायाधीश-केंद्रित और असंगत न्यायशास्त्र की ओर ले जा रही थी।

जी.

194. शंकर किसनराव खाड़े 98 में यह न्यायालय अभी तक विकसित नहीं हुआ है।

'अपराध परीक्षण', आपराधिक परीक्षण 'और' दुर्लभतम 'का एक और ढांचा

97 संगीत और एन. आर. वी.हरियाणा राज्य (2013) 2 एससीसी 452

98 शंकर किसानराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एस. सी. सी. 546

एच.

दुर्लभ परीक्षण '(जिसे संतोष बरियार में और बाद में संगीत में भी हतोत्साहित किए गए' संतुलन परीक्षण 'से अलग माना गया था):

“52. ....मेरे विचार में, मौत की सजा देते समय हमें जिन परीक्षणों को लागू करना है, वे हैं "अपराध परीक्षण", "आपराधिक परीक्षण" और "आर-आर परीक्षण", न कि "संतुलन परीक्षण"। मृत्युदंड देने के लिए, "अपराध परीक्षण" को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना चाहिए, यानी, 100% और "आपराधिक परीक्षण" 0 प्रतिशत, यानी आरोपी के पक्ष में कोई कम करने वाली परिस्थिति नहीं।यदि कोई परिस्थिति अभियुक्त के पक्ष में है, जैसे अपराध करने के इरादे की कमी, सुधार की संभावना, अभियुक्त की कम उम्र, समाज के लिए कोई खतरा नहीं, कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आदि, तो "आपराधिक परीक्षण" अभियुक्त को मृत्युदंड से बचने के लिए अनुकूल हो सकता है।भले ही दोनों परीक्षण संतुष्ट हों, यानी पूरी हद तक बिगड़ती परिस्थितियाँ और अभियुक्त के पक्ष में कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ न हों, फिर भी हमें अंत में दुर्लभतम

मामले परीक्षण (आर-आर परीक्षण) को लागू करना होगा।आर-आर परीक्षण समाज की उस धारणा पर निर्भर करता है जो "समाज-केंद्रित" है और "न्यायाधीश-केंद्रित" नहीं है, यानी कि समाज कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने को मंजूरी देगा या नहीं।उस परीक्षण को लागू करते समय, न्यायालय को समाज की घृणा, अत्यधिक आक्रोश और कुछ प्रकार के अपराधों के प्रति घृणा जैसे यौन उत्पीड़न और बौद्धिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़कियों की हत्या, शारीरिक अक्षमता से पीड़ित, उन अक्षमताओं वाली बूढ़ी और कमजोर महिलाओं आदि जैसे विभिन्न कारकों पर ध्यान देना पड़ता है। उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।अदालतें मौत की सजा देती हैं क्योंकि संवैधानिक मजबूरी के कारण स्थिति की मांग होती है, जो लोगों की इच्छा से परिलक्षित होती है न कि न्यायाधीशों की इच्छा से।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

195. हाल ही में, एक समीक्षा याचिका पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने

राजेन्द्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य 99 ने अभिनिर्धारित किया कि

बचन सिंह ने सीआरपीसी की धारा 354 (4) के अधिदेश के रूप में परीक्षण को 'संभावना' के रूप में देखना चाहा था, न कि सुधार और पुनर्वास की असंभवता, संभावना या असंभवता के रूप में। 100 न्यायालय ने पहले के कई उदाहरणों का विश्लेषण किया, यह देखते हुए कि इस पर राज्य द्वारा साक्ष्य दिया गया है

जी.

99 (2019) 12 एस. सी. सी. 460 100 आई. बी. आई. डी. (पैरा 45)

एच.

विरल और सीमित, लेकिन अदालतों के लिए सुधार, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण की संभावना को मापना आवश्यक था।न्यायालय ने इस आवश्यकता को अभियुक्त के अधिकार में पाया, जो निर्दयी होने के बावजूद, अपने अपराध के बावजूद गरिमापूर्ण जीवन का हकदार था।101 हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं है, यह ध्यान दिया गया कि न तो पुनर्वास की प्रक्रिया है

क्योंकि इसमें समाज में पुनः एकीकरण शामिल है।जब कुछ मामलों में यह संभव नहीं पाया जाता है, तो इसके बजाय लंबी अवधि के कारावास की अनुमति थी।

बी.

इस ढांचे का असमान अनुप्रयोग और सजा देने में निरंतरता

196. इस अदालत द्वारा तय किए गए मृत्युन्यायालय के मामलों का समग्र विश्लेषण शायद यह दर्शाएगा कि वास्तव में कोई पैटर्न नहीं है।जबकि बचन सिंह ढांचे के गैर-समान अनुप्रयोग में वास्तविक और वैध चिंताएं हैं, सजा सुनाने में विवेकाधिकार अपने आप में चिंताजनक नहीं है, और चिंता को दूर करने की आवश्यकता है।जबकि आम तौर पर न्यायाधीश संख्या के आराम के लिए उदाहरण देख सकते हैं, वह प्रक्रिया केवल इस बात का संकेत देती है कि समान उदाहरणों से कैसे निपटा गया है और जब सजा देने की बात आती है तो इसकी भूमिका सीमित होती है। सजा सुनाने में न्यायालय को दिया गया विवेकाधिकार न्यायाधीश-केंद्रित होने या अलग-अलग निर्णयों में परिणाम देने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में न्यायालय को पूर्व-निर्धारित पैटर्न में आए बिना अपराध और अपराधी से संबंधित मामले-विशिष्ट कारकों पर विचार करने के लचीलेपन के साथ सक्षम करने के लिए है।वाक्य रचना एक गणितीय समीकरण नहीं है और इसे एक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।बच्चन सिंह से ही शुरू होने वाले कई मामलों में इसकी पहचान की गई है।संतोष बरियार में, समानता के सिद्धांत, उचित प्रक्रिया और मृत्युन्यायालय की सजा में आनुपातिकता की आवश्यकता का विश्लेषण करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मौत की सजा देने वाले अपराधों के प्रकार के सख्त वर्गीकरण को लागू करने के बजाय, अदालत को उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों (जिसमें सभी मामलों में समानता खींची जानी है) पर समान रूप से विचार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और मामले-दर-मामले के आधार पर व्यक्तिगत सजा के परिणामों पर पहुंचना चाहिए।102 यह नोट किया गया थाः

सी.

डी.

ई.

एफ.

“132. ....बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की पहचान की अशुद्धि को कम से कम किया जाना चाहिए।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समानता खंड का अधिदेश परिणाम के बजाय सजा देने की प्रक्रिया पर लागू होता है।तुलनात्मक

जी.

101 इबिद (पैरा 47)

102 संतोष बरियार (पैरा 172)

एच.

564 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

समीक्षा अदालतों के लिए उपलब्ध सजा सुनाने के विवेकाधिकार को दिशा देने के लिए नहीं बल्कि विभिन्न प्रासंगिक परिस्थितियों की पहचान में एकरूपता लाने के लिए की जानी चाहिए। बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों को एक कठोर उपाय के तहत अलग से पहचाना जाना चाहिए।

133. बचन सिंह [(1980) 2 एस. सी. सी. 684:1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] जब सैद्धांतिक पूर्ववर्ती-आधारित सजा का आदेश दिया जाता है, तो कम करने वाली परिस्थितियों और बढ़ती परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर एक ऐसी प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है जिसके द्वारा तुलनीय मामलों के पूल से दिखाई देने वाली बढ़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की तुलना की जा सकती है। विशेष उत्तेजक और शमनकारी परिस्थितियों के लिए न्यायालय द्वारा दिया गया भार व्यक्तिगत सजा के नाम पर मामले-दर-मामले भिन्न हो सकता है, लेकिन साथ ही भार के विभाजन के कारण भी सामने आएंगे।इस तरह की तुलना अत्यधिकता की ओर इशारा कर सकती है और भविष्य में मनमानेपन की आपत्तियों को दूर करने में भी मदद करेगी।सजा सुनाने की सुनवाई, मामलों की तुलनात्मक समीक्षा और इसी तरह के उत्तेजक और कम करने वाले परिस्थितियों के विश्लेषण को केवल तभी मंजूरी दी जा सकती है जब सजा सुनाने वाली न्यायालय आजीवन कारावास का विकल्प चुनती है।”

बी.

सी.

डी.

(जोर दिया गया)

ई.

197. इसलिए, जब सजा देने के मामलों की बात आती है तो 'पूर्ववर्ती' और 'निरंतरता' की ताकत शायद सबसे कम होती है, जब तक कि यह वैधता की सीमा के भीतर है और जिसके परिणामस्वरूप 'सैद्धांतिक सजा' दी जाती है।दूसरे शब्दों में, न्यायिक असंगति जब यह सजा देने से संबंधित होती है, तो वास्तव में एक नकारात्मक के बजाय एक सकारात्मक संकेतक होगा, बशर्ते कि यह अभी भी 'सैद्धांतिक' सजा की अच्छी तरह से परिभाषित रूपरेखा के भीतर हो। मृत्युन्यायालयक अपराधमे सजा देबाक लेल व्यक्तिगत सजा पर पहुँचबाक विवेकाधिकारकेँ प्रोत्साहित कयल जाइत छैक, मुदा एकरा 'विरलसँ विरलतम' सिद्धान्त द्वारा बाधित कयल जा सकैत छैक, जाहिमे न्यायालय अपराधक उग्र परिस्थितिकेँ विचार करैत छैक, आ अपराधीक

परिस्थितिकेँ कम करैत छैक (एक 'उदार आ विस्तृत' संरचना), जे बदलामे हुनका सभकेँ एहि बात पर विचार करबाक लेल सूचित करैत छैक कि सुधारक लेल असंभवता 103 क कारण आजीवन कारावासक विकल्प निर्विवाद रूपसँ बन्द कऽ देल गेल छैक।

एफ.

जी.

103 राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम में 'संभाव्यता' को 'असंभवता' नहीं माना गया है।

महाराष्ट्र राज्य (2019) 12 एस. सी. सी. 460।

एच.

565

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

198. इस सिद्धांत से विचलन, यानी दूसरी ओर, दिशाहीन विवेकाधिकार, स्पष्ट रूप से खराब कानून की ओर ले जाएगा।उदाहरण के लिए,

रवजी बनाम हरियाणा राज्य 104 (इसके बाद 'रवजी'), कुल मिलाकर

बचन सिंह (जो अपराध और आपराधिक दोनों पर केंद्रित था) के इस अदालत के पहले के संविधान पीठ के फैसले का उल्लंघन करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया।

अपराध की प्रकृति और गंभीरता है लेकिन अपराधी नहीं है, जो एक मामले में उचित सजा पर विचार करने के लिए उपयुक्त है।

बी.

आपराधिक मुकदमा "।105 मामलों की एक पंक्ति ने आगे रावजी मामले में इस (इस अदालत की मानी गई राय में, गलत) निर्णय पर भरोसा किया और निष्कर्ष निकाला कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता (यानी, इसकी क्रूरता या जघन्यता), अपराधी की परिस्थितियों को कम करने पर विचार किए बिना, मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त थी।इसके बाद, संतोष बरियार के मामले में इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने अपराधी की परिस्थितियों पर विचार न करने के लिए रवजी के फैसले को काफी सही घोषित किया।अन्य मामले जो अपराध की क्रूरता पर केंद्रित हैं, जैसे कि परिस्थितियों को कम करने पर विचार करने की आवश्यकता को नकारना या धोना, इसी तरह खराब मिसाल के रूप में काम करते हैं।

सी.

डी.

199. राजेश कुमार बनाम राज्य 106 के मामले में इस न्यायालय ने फिर दोहराया कि

अपने आप में क्रूरता, मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं थी-आरोपी को दो बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, जिन्होंने क्रूर और अमानवीय तरीके से अपराध करने के लिए कोई उकसावा या प्रतिरोध नहीं किया था, हालांकि, यह माना गया था कि अपराधी की कम करने वाली परिस्थितियों पर अभी भी विचार किया जाना था।राज्य द्वारा साक्ष्य को रिकॉर्ड पर रखा जाना था, जो यह दर्शाता था कि वह सुधार या पुनर्वास से परे था, जिसकी अनुपस्थिति अपने आप में एक शमनकारी परिस्थिति थी।उच्च न्यायालय ने केवल यह नोट किया था कि वह पहली बार अपराधी था और उसकी देखभाल करने के लिए एक परिवार था-जिसे इस न्यायालय ने नोट किया कि कम करने वाली परिस्थितियों पर एक बहुत ही संकीर्ण और अदूरदर्शी दृष्टिकोण था।

ई.

एफ.

200. इसलिए, 'व्यक्तिगत, सैद्धांतिक सजा'-अपराध और आपराधिक दोनों पर आधारित, इस विचार के साथ कि क्या सुधार या

जी.

104 (1996) एससीसी 2 175।

105 सुरजा राम बनाम राजस्थान राज्य (1996) 6 एस. सी. सी. 271; दयानिधि बिसोई बनाम उड़ीसा राज्य (2003) 9 एस. सी. सी. 310; मोहन अन्ना चव्हाण बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 7 एस. सी. सी. 561; बंटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 11 एस. सी. सी. 113; शिवाजी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2008) 15 एस. सी. सी. 268; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सत्तन @सत्येंद्र और अन्य। (2009) 4

एससीसी 736; आदि।

106 राजेश कुमार बनाम राज्य (2011) 13 एस. सी. सी. 706 (पैरा 74)

एच.

पुनर्वास प्राप्त करने योग्य है (राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक में 'संभावित' माना गया है), और इसके परिणामस्वरूप क्या आजीवन कारावास का विकल्प निर्विवाद रूप से बंद है-'समानता' का एकमात्र कारक होना चाहिए जो मृत्युदंड से संबंधित निर्णयों से स्पष्ट होना चाहिए।स्वामी श्रद्धानंद (2) 107 में एक नई सजा की सीमा के निर्माण के साथ, और बाद में भारत संघ बनाम वी.

श्रीहरण 108 में एक संविधान पीठ द्वारा वैधानिक छूट के बिना आजीवन कारावास की पुष्टि की गई (यानी संविधान का अनुच्छेद 72 और 161 अभी भी लागू है), मौत की सजा देने से पहले एक और विकल्प मौजूद है।हालाँकि, इस अवधारणा के खिलाफ गंभीर चिंता जताई गई है, क्योंकि इसे एक संकीर्ण बहुमत द्वारा बरकरार रखा गया था, और एक उचित समय पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है।

बी.

सी.

सजा के सिद्धांत

201. 262 वीं रिपोर्ट, मृत्युदंड के दंडात्मक औचित्य के बारे में विस्तार से बताती है।इसने पाया कि इस बात के अनिर्णायक प्रमाण हैं कि आजीवन कारावास की तुलना में सजा के इस रूप का निवारक प्रभाव अधिक है।दण्ड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को इस आधार पर खारिज करते हुए कि यह दंड की मात्रा निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन की कमी से ग्रस्त है जो अधिरोपित करने के लिए उचित होगा, यह स्पष्ट रूप से कहता है किः

डी.

" मृत्युदंड किसी भी संवैधानिक रूप से वैध दंडात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहता है। पीड़ितों को न्याय के अंतिम उपाय के रूप में मृत्युदंड पर ध्यान केंद्रित करने में, न्याय के पुनर्स्थापनात्मक और पुनर्वासात्मक पहलुओं की दृष्टि खो दी जाती है।मृत्युदंड पर निर्भरता आपराधिक न्याय प्रणाली को बीमार करने वाली अन्य समस्याओं जैसे खराब जांच, अपराध की रोकथाम और अपराध के पीड़ितों के अधिकारों से ध्यान भटकाती है।"

ई.

एफ.

202. जबकि 262 वीं रिपोर्ट इस आधार पर मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश करती है, सजा न्यायाधीश-केंद्रित या मनमाना होने के अलावा, इसने संसदीय हस्तक्षेप को प्रेरित नहीं किया है।262 वें विधि आयोग की रिपोर्ट के आलोक में, न्यायशास्त्र, सार्वजनिक विमर्श और मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करना, क्या बचन सिंह में संवैधानिक पीठ के फैसले को देखते हुए इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और यह सवाल विधायिका के लिए गंभीर रूप से विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है (जैसा कि जे. कुरियन जोसेफ (असहमति) ने छन्नू लाल वर्मा में सिफारिश की थी)।

जी.

107 स्वामी श्रद्धानंद (2) बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी 767

एच.

इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय जो कर सकती है, वह मौजूदा सजा के ढांचे को मजबूत करने का प्रयास है।यह केवल मौजूदा दिशानिर्देशों को सही अर्थ देने से ही संभव है (उन अपराधों को 'वर्गीकृत' करने के जाल में फंसे बिना जो स्वचालित रूप से मृत्युदंड की गारंटी देते हैं)।ऐसा करने के लिए, इस न्यायालय को कुछ व्यावहारिक दिशानिर्देश (नीचे विस्तृत) निर्धारित करना आवश्यक लगता है जो बचन सिंह में मान्यता प्राप्त परिस्थितियों को कम करने पर विचार करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, और परिणामस्वरूप इस ढांचे का एक समान अनुप्रयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।

बी.

203. 262 वीं रिपोर्ट ने अपराध के लिए एक सुधारात्मक और पुनर्वास प्रतिक्रिया की दिशा में नीति और विमर्श में प्रतिमान परिवर्तन को मान्यता दी, और न्यायशास्त्र के विकास को इस तरह से मान्यता दी कि किसी मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' के रूप में निर्णय देना पर्याप्त नहीं था, और इस बात पर विचार करने में विशेष बल दिया जाना था कि क्या अपराधी सुधार के लिए उत्तरदायी है।इस बदलाव में यह समझ निहित है कि अपराधी केवल अपने स्वयं के निर्णयों का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य और समाज की विफलता का भी परिणाम है, जो अभियुक्त को सुधार के अवसर का हकदार बनाता है।इस प्रकार, आजीवन कारावास को नियम बनाना और मृत्युदंड को अपवाद बनाना।लेहना बनाम हरियाणा राज्य 109 में यह निर्णय लेते हुए कि क्या उस मामले में तथ्य मृत्युदंड के लिए उपयुक्त थे, इस दृष्टिकोण में इस बदलाव का पता लगाया गयाः

सी.

डी.

“14. .....आई. पी. सी. की धारा 307 हत्या के लिए मौत या आजीवन कारावास की सजा निर्धारित करती है।ऐसा करते समय, संहिता न्यायालय को उसके आवेदन के बारे में निर्देश देती है।पिछले तीन दशकों में संहिता में जो बदलाव हुए हैं, वे स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि संसद समकालीन आपराधिक विचार और आंदोलन पर ध्यान दे रही है।यह समझना मुश्किल नहीं है कि संहिता में आजीवन कारावास की ओर एक निश्चित रुख है।मौत की सजा को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता है और केवल "विशेष कारणों" के लिए लगाया जा सकता है, जैसा कि धारा 354 (3) में प्रदान किया गया है।संहिता में एक और प्रावधान है जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "विशेष कारण" का भी उपयोग करता है।यह धारा 361 है।1973 की संहिता की धारा 360, वस्तुतः, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 562 (संक्षेप में "पुरानी संहिता") को फिर से

लागू करती है।धारा 361, जो संहिता में एक नया प्रावधान है, न्यायालय के लिए धारा 360 के प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए "विशेष कारणों" को दर्ज करना अनिवार्य बनाता है।इस प्रकार धारा 361 न्यायालय पर यह कर्तव्य डालती है कि वह जहां भी संभव हो धारा 360 के प्रावधानों को लागू करे और बताए कि

ई.

एफ.

जी.

109 (2002) 3 एससीसी 76

एच.

568 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 9 एस. सी. आर.

“विशेष कारण "यदि यह ऐसा नहीं करता है।धारा 360 के संदर्भ में, धारा 361 द्वारा विचार किए गए "विशेष कारण" ऐसे होने चाहिए जो न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूर करें कि अपराधी की उम्र, चरित्र और पूर्ववृत्त और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करने के बाद अपराधी को सुधारना और पुनर्वास करना असंभव है जिनमें अपराध किया गया था।यह विधायिका द्वारा कुछ संकेत है कि अपराधियों का सुधार और पुनर्वास, न कि केवल प्रतिरोध, अब हमारे देश में आपराधिक न्याय के प्रशासन के प्रमुख उद्देश्यों में से हैं।धारा 361 और धारा 354 (3) दोनों ने एक ही समय में क़ानून-पुस्तक में प्रवेश किया है और वे अपराध विज्ञान में नए रुझानों की विधायिका द्वारा स्वीकृति की उभरती तस्वीर का हिस्सा हैं।इसलिए, यह मान लेना गलत नहीं होगा कि अपराधी का व्यक्तित्व, जैसा कि उसकी उम्र, चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियों से पता चलता है, और सुधार के लिए अपराधी की व्यवहार्यता को अनिवार्य रूप से दी जाने वाली सजा को निर्धारित करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।विशेष कारणों का इन कारकों से कुछ संबंध होना चाहिए। आपराधिक न्याय जटिल मानवीय समस्याओं और विविध मानवों से संबंधित है।एक न्यायाधीश को परिस्थितियों, स्थितियों और प्रतिक्रियाओं के साथ अपराधी के व्यक्तित्व को संतुलित करना होता है और उचित सजा का चयन करना होता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

(जोर दिया गया)

204. किए गए अपराध को बहाना या मान्य करने के बजाय सामान्य रूप से कम करने वाले कारक, अपराधी की आसपास की परिस्थितियों को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि न्यायाधीश को मृत्युदंड या आजीवन कारावास के बीच निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।में पहली बार मान्यता प्राप्त संकेतकों की एक सचित्र सूची

एफ.

बचन सिंह 110 स्वयं:"परिस्थितियों को कम करना।—उपरोक्त मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा:

जी.

(1) कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था।

(2) अभियुक्त की आयु।यदि अभियुक्त जवान या बूढ़ा है, तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी।

110 पैरा 206 ए

एच.

569

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

(3) यह संभावना कि अभियुक्त हिंसा के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा, समाज के लिए एक निरंतर खतरा होगा।

(4) अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना।राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त उपरोक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा नहीं करता है।(5) कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि वह अपराध करने में नैतिक रूप से उचित था।(6) कि अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या प्रभुत्व में काम किया।

बी.

सी.

(7) कि अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसके आचरण की आपराधिकता की सराहना करने की उसकी क्षमता को बाधित कर दिया।"

ये शायद ही संपूर्ण हैं; बाद में, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में सजा के प्रश्नों पर प्रासंगिक संकेतकों के रूप में कम उम्र 111, सामाजिक-आर्थिक स्थिति 112, मानसिक बीमारी 113, आपराधिक पृष्ठभूमि 114 जैसे आधारों पर आजीवन कारावास में परिवर्तन को मान्यता दी है और विचार किया है।इनमें से कई कारक अभियुक्त की सुधार करने की क्षमता (यानी बचन सिंह

सूची के (3) और (4)) को दर्शाते हैं, जो सजा सुनाने के मामले में उन्हें महत्वपूर्ण संकेतक बनाते हैं।

डी.

ई.

पूर्व-वाक्य सुनवाई-अभियुक्त पर सामग्री प्रदान करने का अवसर और दायित्व

205. बचन सिंह के मामले में इस अदालत ने कहा कि 1973 में न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के माध्यम से आरोपी को सजा से पहले सुनवाई की शुरुआत ने जगमोहन सिंह के इस सिद्धांत को बदल दिया कि अदालत मुख्य रूप से अपराध से जुड़ी परिस्थितियों से संबंधित है।इसलिए, अब अपराधी की परिस्थितियों पर भी उचित विचार किया जाना चाहिए, जब यह निर्णय लिया जाए कि क्या मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' के भीतर आता है और यदि एक विकल्प के रूप में आजीवन कारावास का विकल्प है, तो

एफ.

जी.

111 महेश धनाजी शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एस. सी. सी. 292, गुरवेल सिंह

पंजाब राज्य (2013) 2 एस. सी. सी. 713, आदि।

112 मुल्ला और अन्र. वी.यू. पी. राज्य (2010) 3 एस. सी. सी. 508; कमलेश्वर पासवान बनाम यू. टी. चंडीगढ़ (2011) 11 एस. सी. सी. 564; सुनील गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) 1 एस. सी. सी. 129। 113 शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) 3 एससीसी 1

114 दिलीप प्रेमनारायण तिवारी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 1 एस. सी. सी. 775

एच.

निर्विवाद रूप से पूर्वनिर्धारित।बचन सिंह के मामले में यह न्यायालय स्पष्ट रूप से

उन्होंने कहा कि, "इस बात की संभावना है कि आरोपी हिंसा के आपराधिक कृत्यों को नहीं करेगा जो एक निरंतर खतरे का गठन करेगा।

समाज ", एक प्रासंगिक परिस्थिति है, जिसे सजा के निर्धारण में बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। धारा 235 (2) के तहत विचार की गई सजा की सुनवाई केवल मौखिक सुनवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अभियोजन पक्ष के साथ-साथ अभियुक्त को भी वास्तविक

अवसर प्रदान करना है, ताकि सजा के प्रश्न पर विभिन्न कारकों से संबंधित तथ्यों और सामग्री को रिकॉर्ड पर रखा जा सके और यदि दोनों पक्षों में से कोई भी रुचि रखता है, तो कम सजा देने के लिए कम करने वाली परिस्थितियों को दिखाने के लिए या मौत की सजा देने के लिए गंभीर आधार पेश करने के लिए सबूत पेश किया जा सके।115

बी.

सी.

206. कम करने वाले कारकों को प्रभावी ढंग से सामने लाने की किसी व्यक्ति की क्षमता के अभाव में, बचन सिंह मामले में इस अदालत ने अदालत पर कम करने वाली परिस्थितियों का बोझ डाल दिया, जिस पर उन्हें उदारता से और व्यापक रूप से विचार करना होगा, जबकि यह दिखाने के लिए सामग्री प्रदान करने की जिम्मेदारी है कि आरोपी सुधार या पुनर्वास के दायरे से बाहर है, जिससे निर्विवाद रूप से आजीवन कारावास के विकल्प को बंद कर दिया जाता है और इसे मृत्युन्यायालय के अधिरोपण के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया जाता है, जो पूरी तरह से राज्य पर पड़ता है।इस न्यायालय ने संतोष बरियार, राजेश कुमार के मामले में इसे दोहराया और आगे स्पष्ट किया है।

डी.

छन्नू लाल वर्मा, और अन्य निर्णय 116।संतोष बरियार में, बनाना

सजा सुनाने से पहले के चरण में एकत्र की जाने वाली जानकारी की प्रकृति पर टिप्पणियाँ, इस न्यायालय ने आगे कहा कि

ई.

“56. इस स्तर पर, बचन सिंह [(1980) 2 एस. सी. सी. 684:1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] सजा सुनाने की सुनवाई की सामग्री को सूचित करता है।न्यायालय को इस स्तर पर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।अपराध से संबंधित कुछ जानकारी को सजा सुनाने से पहले के चरण से निकाला जा सकता है।इस जानकारी में अपराध की प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव, दोषी की दोषसिद्धि आदि से संबंधित पहलू शामिल होंगे। प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता भी एक प्रासंगिक कारक है।उदाहरण के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य या बाल गवाह पर निर्भरता की सीमा सजा के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।लेकिन अधिकांश मृत्युदंड के मामलों में विशेषताओं और सामाजिक-संबंधी जानकारी की बहुत कमी है।

एफ.

जी.

115 मलकियत सिंह और ओ. आर. एस. बनाम.पंजाब राज्य (1991) 4 एससीसी 341।

116 मुनियप्पन बनाम टी. एन. राज्य (1981) 3 एस. सी. सी. 11; अनिल @एंथनी अरिक्सवामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 4 एस. सी. सी. 69, आदि।

एच.

571

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

अपराधी की आर्थिक पृष्ठभूमि।विधि आयोग की 48 वीं रिपोर्ट में भी यह मुद्दा उठाया गया था।"

(बल दिया गया)

207. राज्य के कर्तव्य का महत्व और भी अधिक है, भारतीय संदर्भ में जहां अधिकांश अभियुक्तों के पास कानूनी प्रतिनिधित्व का खराब या प्राथमिक स्तर है।हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में सामाजिक-आर्थिक कारकों को इकट्ठा करने के महत्व को 262 वीं रिपोर्ट में इस प्रकार आलोचनात्मक रूप से नोट किया गया थाः

बी.

" 7.1.6 कई समिति की रिपोर्टों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने माना है कि देश में आपराधिक न्याय का प्रशासन गहरे संकट में है।संसाधनों की कमी, जांच के पुराने तरीके, अत्यधिक पुलिस बल, अप्रभावी अभियोजन और खराब कानूनी सहायता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो व्यवस्था को घेर रही हैं।मृत्युदंड इस संदर्भ में कार्य करता है और इसलिए समान संरचनात्मक और प्रणालीगत बाधाओं से ग्रस्त है।इस प्रकार मृत्युदंड का प्रशासन त्रुटिपूर्ण और दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।इस प्रणाली की अनिश्चितताएँ सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ भी असमान रूप से काम करती हैं, जिनके पास प्रतिकूल आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर अपने अधिकारों की प्रभावी ढंग से वकालत करने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है।"

सी.

डी.

ई.

208. हालाँकि, बचन सिंह के चार दशकों से अधिक समय के बाद भी अदालत के विचार के लिए एक योजना या प्रणाली तैयार करने की दिशा में बहुत कम या कोई नीति-संचालित परिवर्तन नहीं हुआ है, जो विस्तार से बताता है कि कैसे कम करने वाली परिस्थितियों को एकत्र किया जाना है।सजा सुनाने के समय अभियुक्त के बारे में दुर्लभ जानकारी, परिस्थितियों को कम करने पर विचार करने की प्रक्रिया को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है।यह स्पष्ट किया जाता है कि वकील द्वारा इन परिस्थितियों का केवल उल्लेख करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है-बल्कि,

उन्हें सुधार की संभावना से जोड़ा जाना चाहिए और सैद्धांतिक न्यायिक तर्क (जैसा कि धारा 235 (2) सी. आर. पी. सी. के तहत आवश्यक है) में सहायता करनी चाहिए।सहायता की इस कमी से विवश, राजेश कुमार के मामले में यह न्यायालय (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) यहां तक मान गई है कि यह तथ्य कि राज्य ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया था कि दोषी सुधार और पुनर्वास से परे था, अपने आप में एक शमनकारी परिस्थिति थी।

एफ.

जी.

209. आगामी जानकारी की कमी के कारण अदालतों ने पीछे मुड़कर देखने का प्रयास किया है-कभी-कभी अपराध के कई साल बाद भी।

एच.

प्रतिबद्ध किया गया है-एक ओर, उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए जिन्हें समय पर रोका नहीं जा सकता था, और दूसरी ओर जिन्हें पकड़ा जा सकता है, लेकिन जिनके लिए तुलना के लिए अतीत से संदर्भ का कोई ढांचा मौजूद नहीं है।कुछ अदालतों में रिपोर्ट की मांग में यह विसंगति, जबकि अन्य विफल रहती हैं-मृत्युदंड पर हमारे पैचवर्क न्यायशास्त्र में योगदान देती है, और बदले में समानता के सिद्धांत और उचित प्रक्रिया संरक्षण को कमजोर करती है जिसे संतोष बरियार मौत की सजा के दोषियों के पक्ष में मानते हैं।

बी.

210. परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट 117 (जैसा कि इस न्यायालय ने इस मामले में भी किया है) के लिए बुलाने का कदम, वास्तव में अपीलीय स्तर पर न्यायालयों द्वारा अभियुक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक हताश प्रयास है-वर्तमान में।जेल में दोषसिद्धि के बाद के चरण में अभियुक्त का अच्छा आचरण (जेल रिपोर्ट के माध्यम से), और सुधार की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए मनोचिकित्सा मूल्यांकन (यद्यपि अपीलीय सजा के चरण में), हाल ही में छन्नू लाल वर्मा में कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के लिए आवश्यक संकेतकों के रूप में माना गया थाः

सी.

डी.

“15. ...चूंकि अपीलार्थी जेल में है, इसलिए हम जानना चाहते थे कि क्या उसकी ओर से सुधार का कोई प्रयास किया गया था।जेल के अधीक्षक ने प्रमाण पत्र दिया है कि जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है।इस प्रकार, एक स्पष्ट संकेत है कि सभी आशा खोने के बावजूद, अपीलार्थी पर कोई निराशा नहीं आई है।इसके विपरीत, शेष अवधि के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनकी ओर से एक सचेत प्रयास किया गया था।एक दोषी को इस उम्मीद और उम्मीद के साथ जेल भेजा जाता है कि वह सुधार करेगा और सुधार प्राप्त करेगा।यह कि मृत्युदंड के दोषी पर इस तरह का सकारात्मक परिवर्तन है, हमारे विचार में, यह निर्णय लेते समय न्यायालय के साथ भी विचार करना चाहिए कि क्या वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से पूर्ववत है।जैसा कि बचन सिंह [बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 684 में संविधान पीठ ने कहाः1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] यह राज्य का कर्तव्य था कि वह साक्ष्य द्वारा साबित करे कि दोषी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है।वह जानकारी जो संबंधित समय पर राज्य द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी, अब राज्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी

ई.

एफ.

जी.

117 बिरजू बनाम एम. पी. राज्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 421; अनिल @एंथनी अरिक्सवामी जोसेफ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 4 एस. सी. सी. 69; भरत सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), आदेश दिनांक 17.04.2014, डी. एस. आर. सं. 1/2014।

एच.

573

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

यह और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।बचन सिंह [बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 684 में "दुर्लभतम" परीक्षण द्वारा निर्धारित मानकः1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] एक उच्च मानक है।जेल में दोषी के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।यह तथ्य कि कैदी ने जेल में अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया है, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि वह सुधार से परे नहीं है।

बी.

16. एक अपराधी के सुधार की संभावना और संभावना के मामले में, हम यह नहीं पाते हैं कि एक उचित मनोवैज्ञानिक/मनोरोग मूल्यांकन किया जाता है।इस तरह के मनोवैज्ञानिक/मनोरोग मूल्यांकन और मूल्यांकन की सहायता के बिना यह मानना उचित नहीं होगा कि सुधार की कोई

संभावना या संभावना नहीं है।साक्ष्य द्वारा यह साबित करते समय कि दोषी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है, राज्य को इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखना होगा।

सी.

(जोर दिया गया)

डी.

211. हालाँकि, यह भी बहुत कम है, बहुत देर हो चुकी है और केवल दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी की परिस्थितियों में एक झलक पेश करती है।दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि मुकदमे के स्तर पर अच्छी तरह से प्रलेखित कम करने वाली परिस्थितियों के अभाव में, गंभीर परिस्थितियाँ कहीं अधिक सम्मोहक या भारी लगती हैं, जिससे सजा सुनाने वाली न्यायालय को अपूर्ण के आधार पर मौत की सजा देने की संभावना होती है, और इसलिए, बचन सिंह परीक्षण का गलत अनुप्रयोग।

ई.

212. सुधार का लक्ष्य आदर्श है, और समाज को किस दिशा में प्रयास करना चाहिए-दशकों से इस अदालत के न्यायशास्त्र में इसके कई संदर्भ हैं-लेकिन एक ठोस ढांचे की कमी है जो इसे माप और मूल्यांकन कर सकता है।दुर्भाग्य से, यह एक सार्थक प्रकार के जेल सुधारों को लागू करने में विफलता से प्रतिबिंबित होता है, जिसने कारावास और सामान्य रूप से जेलों की प्रक्रिया को प्रणालीगत सुधार के लिए सीमित क्षमता का स्थान बना दिया है।सुधारात्मक दंड के लक्ष्य के लिए ऐसी प्रणालियों की आवश्यकता होती है जो सूक्ष्म नीति निर्माण के परिणामस्वरूप सुधार और पुनर्वास को सक्रिय रूप से सक्षम बनाती हैं।इन विषम परिणामों को ठीक करने और इस बात के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा के लिए एक छोटे से कदम के रूप में कि क्या अभियुक्त में सुधार की संभावना है (आचरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आदि के अस्पष्ट संदर्भों से परे), यह न्यायालय न्यायालयों को अपनाने और लागू करने के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक समझती है, जब तक कि विधायिका और कार्यपालिका कानून के माध्यम से एक सुसंगत ढांचा तैयार नहीं करती है।ये दिशानिर्देश मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं।

एफ.

जी.

एच.

या विचार, कि इस तरह के एक विधायी ढांचे से लाभ हो सकता है, व्यवस्थित रूप से कम करने वाली परिस्थितियों पर जानकारी एकत्र करने और मूल्यांकन करने के लिए।

कम करने वाली परिस्थितियों को इकट्ठा करने के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश

213. यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि अपराध की क्रूरता के प्रति प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया में फिसलने से बचने के लिए परीक्षण चरण में कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया जाए, जैसा कि अपीलीय चरण तक पहुंचने वाले अधिकांश मामलों में स्थिति है।

बी.

214. ऐसा करने के लिए, निचली विचारण न्यायालय को आरोपी और राज्य दोनों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।राज्य को-मृत्युदंड देने वाले अपराध के लिए-उचित स्तर पर, सत्र न्यायालय के समक्ष ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए जो अधिमानतः पहले से एकत्र की जाती है, जिसमें अभियुक्त के मनोरोग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का खुलासा किया जाता है।यह अपराध करने के समय आरोपी व्यक्ति के मन के ढांचे (या मानसिक बीमारी, यदि कोई हो) के साथ निकटता (समय सीमा के संदर्भ में) स्थापित करने में मदद करेगा और बचन सिंह में बताए गए कारकों (1), (5), (6) और (7) को कम करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।यहां तक कि (3) और (4) के अन्य कारकों के लिए भी-राज्य पर पूरी तरह से एक जिम्मेदारी-अपराध के होने के बाद मनोचिकित्सा और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के इस रूप का संचालन करना, अपीलीय अदालतों को तुलना के लिए उपयोग करने के लिए एक आधार रेखा प्रदान करेगा, यानी, सुधार की दिशा में अभियुक्त की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, जो कारावास की अवधि के दौरान हासिल की गई थी।

सी.

डी.

ई.

215. इसके बाद, राज्य को समयबद्ध तरीके से अभियुक्त से संबंधित अतिरिक्त जानकारी एकत्र करनी चाहिए।एक सचित्र, लेकिन विस्तृत सूची इस प्रकार हैः

(क) आयु

एफ.

ख) प्रारंभिक पारिवारिक पृष्ठभूमि (भाई-बहन, माता-पिता की सुरक्षा, हिंसा या उपेक्षा का कोई भी इतिहास)

ग) वर्तमान पारिवारिक पृष्ठभूमि (परिवार के जीवित सदस्य, चाहे वे विवाहित हों, उनके बच्चे हों, आदि)।

जी.

(घ) शिक्षा का प्रकार और स्तर

ई) सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि (गरीबी या अभाव की स्थिति, यदि कोई हो, सहित)

च) आपराधिक पृष्ठभूमि (अपराध का विवरण और क्या दोषी ठहराया गया है, सजा सुनाई गई है, यदि कोई हो)

एच.

575

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

छ) आय और रोजगार का प्रकार (चाहे कोई न हो, या अस्थायी या स्थायी आदि);

ज) अन्य कारक जैसे अस्थिर सामाजिक व्यवहार का इतिहास, या मानसिक या मनोवैज्ञानिक बीमारी (ओं), व्यक्ति का अलगाव (कारणों, यदि कोई हो) आदि।

बी.

यह जानकारी सजा सुनाने के चरण में अनिवार्य रूप से निचली विचारण न्यायालय को उपलब्ध होनी चाहिए।अभियुक्त को भी सभी कम करने वाली परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए खंडन में सबूत पेश करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।

216. अंत में, अभियुक्त के जेल आचरण और व्यवहार, किए गए कार्य (यदि कोई हो), अभियुक्त द्वारा की गई गतिविधियों और अन्य संबंधित विवरणों के बारे में जानकारी संबंधित जेल अधिकारियों (यानी परिवीक्षा और कल्याण अधिकारी, जेल अधीक्षक, आदि) से एक रिपोर्ट के रूप में मांगी जानी चाहिए।).यदि निचली अदालत की दोषसिद्धि, या उच्च न्यायालय की पुष्टि, जैसा भी मामला हो, के लंबे अंतराल के बाद अपील की सुनवाई की जाती है, तो अभियुक्त द्वारा की गई समकालीन प्रगति की अधिक सटीक और पूरी समझ के लिए जेल अधिकारियों से एक नई रिपोर्ट (पिछली अदालत द्वारा उपयोग की गई रिपोर्ट के बजाय) की सिफारिश की जाती है। जेल अधिकारियों को एक नई मनोरोग और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट भी शामिल करनी चाहिए जो सुधारात्मक प्रगति का सबूत देगी, और दोषसिद्धि के बाद की मानसिक बीमारी, यदि कोई हो, का खुलासा करेगी।

सी.

डी.

ई.

217. यह इंगित करना उचित है कि इस न्यायालय ने अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 118 मामले में वास्तव में आपराधिक न्यायालयों को अतिरिक्त सामग्री की मांग करने का निर्देश दिया है:

"कई बार, सजा का निर्धारण करते समय, न्यायालयें किसी विशेष मामले के तथ्यों को देखते हुए इसे हल्के में लेती हैं कि आरोपी समाज के लिए खतरा होगा और सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है, जबकि उन कारकों का पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य है, और राज्य आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना के पक्ष और विपक्ष में सामग्री प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।तथ्य, जिनसे अदालतें निपटती हैं, किसी मामले में, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आधार नहीं हो सकते हैं, जिसके लिए, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता होती है।इसलिए हम निर्देश देते हैं कि

एफ.

जी.

118 (2014) 4 एससीसी 69

एच.

आपराधिक न्यायालय, आई. पी. सी. की धारा 302 जैसे अपराधों से निपटते समय, दोषसिद्धि के बाद, उचित मामलों में, यह निर्धारित करने के लिए एक रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं कि क्या अभियुक्त में सुधार किया जा सकता है या पुनर्वास किया जा सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।"

(जोर दिया गया)

बी.

हम एतद्द्वारा पूर्णतया समर्थन और निर्देश देते हैं कि मृत्युदंड की संभावना रखने वाले अपराधों की सजा के लिए इसे समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है।

वर्तमान अभियुक्तों की सजा

सी.

218. इस न्यायालय की राय है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि तीनों अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध क्रूर और विचित्र था।तीन रक्षाहीन पीड़ित अलग-अलग आयु वर्ग (22,46,76 वर्ष) की महिलाएं थीं, जिन्हें सुरक्षा के अभाव में पकड़ा गया और गंभीर रूप से शारीरिक रूप से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, उनके अपने घर की सुरक्षा और आराम में।पीडब्लू-1 के परिवार की तीन पीढ़ियों की महिलाओं की हत्या करना,

निस्संदेह, विचित्र है।अपराध का तरीका भी क्रूर और दयनीय था-अश्लेषा और रोहिणी को बार-बार चाकू मारकर मार दिया गया था, जबकि मेघा को चेहरे पर गोली मार दी गई थी।पोस्टमॉर्टम (Ex. पी44) दर्शाता है कि छुरा घोंपने के घाव व्यापक थे-पीड़ित के शरीर पर।अपराध स्थल पर व्यापक रक्तस्राव तीन महिलाओं के खिलाफ क्रूर और अमानवीय तरीके से हमले को दर्शाता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अपराध को "बेहद क्रूर" के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

डी.

ई.

विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से समुदाय का तीव्र और अत्यधिक आक्रोश जगाने के लिए "119 जैसा कि परिभाषित किया गया है।

माची सिंह।ये परेशान करने वाली परिस्थितियाँ हैं।219. बचन सिंह परीक्षण के आवेदन पर (जैसा कि ऊपर विस्तृत किए गए कई निर्णयों में स्पष्ट और समझाया गया है), हालांकि, कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है (और वह भी, उदारता से और व्यापक रूप से)।इस न्यायालय के समक्ष सजा सुनाने पर सुनवाई से पहले, राज्य को प्रत्येक आरोपी के लिए (व्यक्तिगत साक्षात्कार और जेल रिकॉर्ड के आधार पर) एक निर्देश जारी किया गया था-एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट, एक परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, और उनके आचरण और किए गए कार्य पर सामग्री सहित जेल रिपोर्ट।इसके अलावा, प्रत्येक अभियुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर सामग्री रखी है,

एफ.

जी.

119 मच्ची सिंह (पैरा 32)

एच.

577

एम. ए. एन. ओ. आर. एस. बनाममध्य प्रदेश राज्य [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

अपराधी की परिस्थितियों का प्रदर्शन करें।यह देखते हुए कि इस मामले में तीन आरोपी हैं-यह न्यायालय उनकी परिस्थितियों पर सामूहिक रूप से विचार नहीं कर सकती है, और इसके बजाय यह पाती है कि एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण आवश्यक है।

((i) मनोज

220. सामग्री में कहा गया है कि मनोज का आचरण अनुशासित, सुधारात्मक प्रकृति का और समग्र रूप से संतोषजनक प्रतीत होता है, जिसमें पहले की कारावास अवधि के दौरान एक शारीरिक विवाद शामिल है।उनकी एक पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ उन्होंने संबंध सुधार लिए हैं और नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं।वह अपने बढ़ते हुए बच्चों के जीवन का हिस्सा बनने के लिए विशेष प्रयास करता है, मजबूत निरंतर पारिवारिक संबंधों का प्रदर्शन करता है।जेल में रहते हुए, क्रिकेट में अपनी रुचि के कारण, उन्होंने जेल ब्लॉक टीम के कप्तान होने की जिम्मेदारी भी संभाली है।परिवीक्षा अधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि वह पश्चातापपूर्ण लगता है, और अपने परिवार के साथ समाज में फिर से शामिल होने के लिए उत्सुक है।

बी.

सी.

((ख) राहुल

डी.

221. जेल अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वह भी अपनी पिछली कारावास अवधि में एक अन्य कैदी के साथ विवाद में शामिल था, लेकिन उसका समग्र आचरण सामान्य और सुधारात्मक प्रतीत होता है।वह स्वेच्छा से एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है (उसके अनुरोध के आधार पर) 05.01.2021 जिसमें वह बीमार कैदियों को जेल अस्पताल ले जाने में मदद करता है।जेल में रहते हुए, उन्होंने 12 वीं कक्षा की शिक्षा पूरी की, और इग्नू, नई दिल्ली (अपने अंतिम वर्ष में) से बी. कॉम करने के लिए आगे बढ़े।वह जेल में आयोजित सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।उनके परिवार में उनके बीमार पिता, माँ और तीन विवाहित बहनें हैं।उन्होंने अपने बूढ़े माता-पिता के लिए चिंता व्यक्त की और समाज में फिर से शामिल होकर उनकी आर्थिक रूप से मदद करने की इच्छा व्यक्त की।

ई.

एफ.

(iii) नेहा

222. उसके जेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने कुछ मौकों पर जेल में अन्य महिला कैदियों और महिला गार्ड अधिकारियों के साथ लड़ाई-झगड़ा किया था और दुर्व्यवहार किया था। हालाँकि, परामर्श के बाद, उसके आचरण में सुधार हुआ है और उसे अनुशासित और सुधारात्मक प्रकृति का पाया गया है।जेल में रहते हुए, वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, उन्होंने कढ़ाई, बुनाई और लेमिनेशन का प्रशिक्षण लिया है।2017 में, उन्हें इंदौर जिला न्यायालय में जरदोसी के काम के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और गतिविधियों में उनकी भागीदारी के लिए कई अन्य पुरस्कार मिले हैं।जेल में, वह अन्य महिला कैदियों के बच्चों को पढ़ाती है।नजरबंदी से पहले,

जी.

एच.

578

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 9 एस सी आर।

वह अपनी बी. कॉम की डिग्री प्राप्त कर रही थी, जिसे उसने जेल में पूरा किया।उसके परिवार में उसके माता-पिता और दो विवाहित भाई (जिनमें से एक लकवाग्रस्त है) हैं, जिनके साथ वह नियमित रूप से संपर्क में रहती है।

तीन अभियुक्तों की सजा पर निष्कर्ष

223. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ही संबंधित स्तर पर अभियुक्त को प्रभावी सजा सुनाने में विफल रहे, जो कि कई मामलों में इस अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) के तहत एक अधिकार है।120 वास्तव में, अभियुक्तों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि निचली विचारण न्यायालय ने इस विचारण न्यायालय के 121 के फैसलों का उल्लंघन करते हुए सजा पर लगभग तुरंत सुनवाई शुरू कर दी थी, जिससे अभियुक्त को कम कठोर सजा के लिए अपना मामला रखने का अवसर नहीं मिला था।सजा सुनाने पर निचली विचारण न्यायालय का आदेश, पारित करने में रिकॉर्ड-'कम उम्र' और 'सामाजिक-आर्थिक कारकों' की याचिका को कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में, लेकिन सबसे अच्छा, उसी के एक यांत्रिक विचार को दर्शाता है।अपराध की क्रूरता और "सामूहिक और न्यायिक विवेक के सदमे" से प्रेरित होकर, उच्च न्यायालय ने अपराधी की परिस्थितियों को कम करने के नगण्य विचार के साथ, केवल अपराध की बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर मृत्युदंड लगाने की पुष्टि की।यह बचन सिंह का सीधा उल्लंघन है।

बी.

सी.

डी.

224. अपीलार्थियों को जिस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, वह जघन्य है; इसका निष्पादन किसी भी तरह की कल्पना से क्रूर और क्रूर था।अपीलार्थियों द्वारा फ्लैट में प्रवेश करने और प्रतिरोध का सामना करने पर तीन महिलाओं पर हमला करने का छल सुनियोजित और निर्दयी था।एक ओर मृतकों में से दो को बार-बार चाकू मारना, लगभग उन्माद में, और दूसरी ओर पीड़ितों की रक्षाहीन स्थिति, इस बात पर प्रकाश डालती है कि आरोपी तीन पीढ़ियों की

महिलाओं को खत्म करने के बाद अपनी योजनाओं (लूट की) के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ितों में से दो ने विरोध किया है, अगर कोई देखे तो

ई.

एफ.

120 बचन सिंह (पैरा 152), मो. मन्नान @अब्दुल मन्नम बनाम बिहार राज्य (2019) 16 एस. सी. सी. 584 (पैरा 39), अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य (1989) 3 एस. सी. सी. 5 (पैरा 10), रमेशभाई चंदूभाई राठौड़ बनाम गुजरात राज्य (2009) 5 एस. सी. सी. 740 (पैरा 106), राजेश कुमार बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2011) 13 एस. सी. सी. 706 (पैरा 52), मुकेश बनाम।राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2017) 3 एस. सी. सी. 717 (पैरा 9), छन्नूलाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

जी.

(2019) 12 एस. सी. सी. 438 (पैरा 17)।

121 सांता सिंह बनाम पंजाब राज्य (1967) 4 एस. सी. सी. 190 (पैरा 3,4,5,7); अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य (1989) 3 एस. सी. सी. 5 (पैरा 10); राजेश कुमार बनाम राज्य (2011) 13 एस. सी. सी. 706

(पैरा 52); अजय पंडित @जगदीश बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 8 एस. सी. सी. 43 (पैरा 38,

47).

एच.

उनके हाथों और चेहरे सहित उनके पूरे शरीर पर चाकू के घावों पर।फिर भी, वे निहत्थे और कमजोर थे।

225. साथ ही, घटना के समय आरोपी की कम उम्र (क्रमशः 35,20,22) और आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी (मनोज के मामले को छोड़कर, जो कथित रूप से छोटी चोरी के मामले में शामिल था) को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला किसी भी वास्तविक उद्देश्य पर चुप है जिसने तीनों अभियुक्तों को डकैती के अलावा हत्या के लिए पूर्व-योजना बनाने के लिए उकसाया या प्रेरित किया हो सकता है।यह इस तथ्य के साथ कि अपराध के दौरान राहुल के पैर में गोली लगी थी, इंगित करता है कि शायद यह मान लेना उचित है कि वे लूटपाट की गलत स्थिति में शौकिया थे, जो इन तीन महिलाओं की जान लेने का इरादा नहीं रखते थे।यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लूटने का साहस करने के बाद, शायद उन्होंने पीड़ितों द्वारा किए गए प्रतिरोध पर विचार नहीं किया, जिसके कारण वे अपनी योजना को जारी रखने के लिए उस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित हुए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित कहानी बताने के लिए जीवित न रहें।

बी.

सी.

डी.

226. जेल अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि तीनों अभियुक्तों में से प्रत्येक के पास जेल में समग्र रूप से अच्छे आचरण का रिकॉर्ड है और सुधार के प्रति झुकाव प्रदर्शित करता है। यह स्पष्ट है कि जेल में रहते हुए उन्होंने पहले ही अपने और अपने आस-पास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, जो उनकी कम उम्र 122 के साथ स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वास्तव में सुधार की संभावना है।कुल मिलाकर सभी परिस्थितियों पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि आजीवन कारावास का विकल्प निश्चित रूप से बंद नहीं है।

ई.

227. हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले ने इंदौर और शायद मध्य प्रदेश राज्य में समाज का ध्यान और आक्रोश आकर्षित किया, एक क्रूर अपराध के रूप में जिसने समुदाय के भीतर सुरक्षा के बारे में चेतावनी दी-यह याद रखना चाहिए कि जनमत को स्पष्ट रूप से न तो अपराध से संबंधित एक वस्तुनिष्ठ परिस्थिति माना गया है, न ही अपराधी, और अदालतों को न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए और संतुलन की भूमिका निभानी चाहिए।123

एफ.

जी.

122 गुरवेल सिंह और अन्र बनाम पंजाब राज्य (2013) 2 एस. सी. सी. 713 (पैरा 13,19); अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 4 एस. सी. सी. 107 (पैरा 22); श्याम सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2017) 11 एस. सी. सी. 265 (पैरा 8) और रामनरेश और अन्य। वी.छत्तीसगढ़ राज्य

(2012) 4 एस. सी. सी. 257 (पैरा 88)।

123 छन्नू लाल वर्मा (पैरा 25), संतोष बरियार (पैरा 80-89), एम. ए. एंटनी @अंतप्पन बनाम केरल राज्य, (2020) 17 एससीसी 751, बचन सिंह (पैरा 126)।

एच.

228. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में मौत की सजा का अधिरोपण अनुचित होगा।यह उचित होगा और न्याय के समग्र हित में तीनों अभियुक्तों की मौत की सजा को न्यूनतम 25 वर्ष की

अवधि के लिए आजीवन कारावास में परिवर्तित करना उचित होगा।उपरोक्त शर्तों में अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।

बी.

बिभूति भूषण बोस

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.